खण्ड–508, अंक–07
शुक्रवार, 04 श्रावण, शक संवत् 1941
(26 जुलाई, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2019)

(खण्ड 508 में 07 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

L. 333 L.A. (26-07-2019)

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.....	1-6
प्रश्नोत्तर	.....	7-76
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	.....	77-83
सहायक आचार्यों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरिट द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	83
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम फजलपुर में रेलवे फाटक से ग्राम गाजीपुर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	84
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा-शिकारपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	84
जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के पार्कों का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	84-85
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत जमाल नगर में एच0पी0 गैस एजेन्सी से सफीपुर परियर चकलवंशी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	85
जनपद आगरा के तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खेड़ा साधन से नगला लक्ष्मण तक सड़क एवं पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	85
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत नालियों के किनारे पी0ए0सी0 की फ्लड प्लाटून तैनात कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	86
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत स्थित चन्द्रिका देवी मंदिर के निकट गोमती नदी पर बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	86
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत लालपुर-ओगर-ग्वालरा मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	86-87

विषय		पृष्ठ संख्या
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत केवानी नदी पर बेलवा-बसिहया घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	87
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय भूमियों पर अवैध कब्जा हटा कर जल संचय हेतु संरक्षण प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	87-88
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख के अन्तर्गत नैमिषारण्य तीर्थ स्थल पर मूलभूत सुविधायें एवं विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	88
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत मिलों द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे नदी में बहाये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	88-89
जनपद जालौन के ग्राम सभा एट स्थित एन0एच0-2 से लगी हुई 1.2 कि0मी0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	89
जनपद मथुरा के अन्तर्गत डूडा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	89-90
जनपद रामपुर के कतिपय स्थानों में मूलभूत सुविधाओं की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	90
कानपुर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत आवारा पशुओं के अनियंत्रित रूप से विचरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	90-91
जनपद सहारनपुर के देवबन्द विधान सभा क्षेत्र स्थित अम्बेहटा तिराहे तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	91
जनपद मेरठ की विकास प्राधिकरण की कालोनियों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	91-92
गोरखपुर महानगर के नन्दानगर अण्डरब्रिज में भीषण जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	92-93
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	93

विषय		पृष्ठ संख्या
जनपद मेरठ के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	94
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	94
जनपद अलीगढ़ स्थित पनैटी-गंगीरी सड़क सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	94-95
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नव्वागांव की सरकारी खलिहान की जमीन भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	95
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का सी0सी0 अथवा इण्टरलाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	95-96
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	96
जनपद बलिया के अन्तर्गत सरयू नदी के कतिपय ठोकरों के निर्माण कार्य में व्याप्त धांधली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	96
जनपद बदायूं स्थित ग्राम नगरिया खन्नू पर प्रस्तावित पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	96-97
जनपद अमरोहा स्थित गंगा किनारे घाट का निर्माण व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	97
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा स्थित बामौर में 220 के0वी0 का ट्रांसमिशन उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	97
जनपद मुजफ्फरनगर स्थित बुढ़ाना नगर पंचायत में मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	97-98
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के नगर पालिका अन्तर्गत स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को वोट डालने के संविधानिक अधिकार से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	98

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद एटा के विकास खण्ड अलीगंज के राजस्व ग्राम रूस्तमनगर को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98-99
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत रजवाहा कल्लनपुर पटरी पर पिलखनी मार्ग से कान्हा हेड़ी में बिरालसी दूधली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोडर में नवीन मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के अन्तर्गत कुवानों नदी पर वनकटा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत यमुना नदी पर बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के अन्तर्गत लारपिपरा चौराहा के भागलपुर तिराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद जालौन के विकास खण्ड माधौगढ़ के मध्य मृगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के अन्तर्गत कतिपय नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101-102
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत ग्राम सभा नौनेर में नौनेरी झील के अस्तित्व को बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ खण्ड-5, गंग नहर, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मडराक रजवाहा में पानी छोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102

विषय		पृष्ठ संख्या
जनपद शाहजहांपुर के नगर पंचायत कटरा में गेस्ट हाउस को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	103
जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम छुटमलपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	103
जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम नल्हेड़ा बक्काल के निकट तालाब का बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	103-104
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैन्ट के अन्तर्गत जोन-2 के नगर निगम में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	104
रायबरेली सदर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	104-105
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा एवं हिलौली के मध्य अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	105
लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के बाघामऊ गांव में कतिपय खसरा नम्बर पर अवैध कब्जे व बैनामों का निरस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	105-106
जनपद प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात श्री अजय कुमार शर्मा प्रधान सहायक की तबादले के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	106
जनपद बदायूं के तहसील सहसवान क्षेत्र के कतिपय गांवों में गंगा नदी से उत्पन्न बाढ़ की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	106
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज, तहसील सगड़ी में ग्राम सभा इमलीपुर में पिच रोड का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	107
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत विद्युत पोलों व तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	107
जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर में निर्माणाधीन राजकीय हाई स्कूल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	107-108

विषय		पृष्ठ संख्या
चन्दौली-सकलडीहा के अन्तर्गत सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग से सढान सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	108
जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत करहल-सिरसागंज मार्ग से साहब रामपुर-बघेरा दोस्तपुर मार्ग भिडौरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	108-109
जनपद लखनऊ के ग्राम सिटकिहा कला के निवासी श्री मुकेश कुमार की दिनांक 17.07.2019 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	109
जनपद मैनपुरी में राजू पुत्र श्री सूरज पाल की मोटरसाइकिल से हुये दुर्घटना में थाना बिछवा पुलिस द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	110
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत डूडा नगरीय विकास अभिरण में किये गये कार्यों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	110-111
नगर पालिका क्षेत्र मैनपुरी में सीवर लाइन के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	111
नगर निगम मेरठ की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	111-112
जनपद वाराणसी के ग्राम सभा बेलवरिया की सड़क एवं नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	112
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के अन्तर्गत जिन्द पट्टी, ग्राम बिसाना में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	112-113
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में चोगड़ा चट्टी में नया विद्युत स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	113
जनपद देवरिया के नगर पंचायत भाटपार रानी के समस्त वार्डों में कतिपय विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	113
जनपद बरेली के ग्राम पंचायत टहाव्यारी की मुख्य सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	114

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद श्रावस्ती के समस्त विकास खण्डों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड प्रतापपुर के अन्तर्गत ठाठी नदी पर कतिपय स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114-115
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 की क्षतिग्रस्त नहर, पुलिया एवं नहर पट्टी का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.....	116
जनपद लखनऊ के तिलपुरवा, हुसैनगंज अन्तर्गत स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ए0टी0एस0 विद्यालयों में कतिपय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया की प्रबन्ध कार्यकारिणी व प्रबन्धक को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम उत्मानपुर से चन्दन खेड़ा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2017 को सचिवालय सेवा के अधिकारियों को फील्ड एक्सपीरियंस कार्यक्रम को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
शिक्षा निदेशालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
नगर पालिका परिषद् शाहगंज की सीमा का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कालेसर कि0मी0 जीरो प्वाइन्ट से माधवपुर होते हुये शहीद स्थल डोहरिया कला बाईपास रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा मदरालालपुर (सूर्यकुण्ड) में पम्प कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के अन्तर्गत ग्रीन बेल्ट में कालोनाइजरों द्वारा अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज की ग्राम सभा सिद्दीपुर के मृतक किसान स्व0 रामलखन के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत भैसी नदी पर भू-माफियाओं के कब्जे हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद अमरोहा में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद कुशीनगर के तहसील खड्डा व पडरौना की ग्राम सभाओं की भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद कानपुर अन्तर्गत म0क0-197 में वसीयत के आधार पर बंटवारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123-124
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
प्राथमिक विद्यालय खरवारी टोला (नघिरा), सोनभद्र के सहायक अध्यापक पर किये गये हमले पर कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
राष्ट्रीय राजमार्ग 24 बी पर बछरावां से कुन्दनगंज के मध्य पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद सीतापुर के ग्राम सभा रेउरा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में फसल बीमा योजना में किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127

विषय		पृष्ठ संख्या
जनपद अयोध्या के सिंचाई खण्ड बाराबंकी के अन्तर्गत सभी माइनर/रजबहों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	127-128
कानपुर नगर निगम जोन-2 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	128
जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना स्थित पुल का चौड़ीकरण/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	128-129
जनपद महोबा अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज कुलपहाड़ के भवन का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	129
जनपद सोनभद्र स्थित हिंडाल्को कम्पनी के पावर प्लांट में किये गये अवैध कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	129-130
जनपद मिर्जापुर की ग्राम सभा गुरसंडी में चकरोड पर भवन निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	130
प्रदेश की विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	130-131
जनपद मिर्जापुर के भटवारी में वारीदह नाले पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	131-132
जनपद पीलीभीत के ग्राम नवगंवा नवी नगर परिक्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	132
जनपद पीलीभीत अन्तर्गत शारदा नहर प्रणाली की शाहजहांपुर शाखा की कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	132-133
जनपद लखनऊ के लक्ष्मणटीला-हरदोई बाईपास बन्धा मार्ग पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	133
जनपद कुशीनगर कतिपय ग्रामों के जल निकासी हेतु नाली की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	133
जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय मोहल्लों पर पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	134

विषय		पृष्ठ संख्या
कृषि विभाग (एच0ए0) में तैनात लेखाकार श्री अंजनी कुमार रस्तोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	134-135
जनपद अम्बेडकरनगर स्थित पिकिया नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	135
जनपद जौनपुर के कतिपय स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	135
जनपद लखनऊ में मुख्य मंत्री आवास/शौचालय पात्र व्यक्तियों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	136
जनपद मिर्जापुर की ग्राम सभा कुरौठी पाण्डेय में विद्युत पोल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	136-137
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत उस्ताद करीम खां का पुस्तैनी घर का अधिग्रहण कर म्यूजियम/स्मारक तथा संगीत महोत्सव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	137
मंझवार जाति के प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में जारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	137-138
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ के ग्राम उधनपुर में विद्युत खम्भों को खेतों से हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	.....	138
औचित्य के प्रश्न की सूचना	.....	138
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के ग्राम डंभा में उप जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से किये गये पट्टे की जांच न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू की औचित्य के प्रश्न की सूचना पोषणीय न होने के कारण अग्राह्य	.....	138-139
श्री कल्पनाथ पासवान द्वारा चोरी से सम्बन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत उठाया गया उनका व्यक्तिगत प्रकरण	.....	140-141
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-6-2004 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया	.....	141
राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित ''उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 पर पुनर्विचार हेतु वापसी की सूचना (पुनः विचार)	.....	142-143
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधन सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	143-144

विषय		पृष्ठ संख्या
श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	144
श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	144-145
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	145
कुँ नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	145
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	146
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयं)	.....	146
श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	.....	146
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	147
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद झांसी से सम्बन्धित दो याचिकाएं (व्यपगत)	.....	147
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	.....	147
श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	.....	147
श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	148
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	148
श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	.....	148
श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	149
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	149

विषय		पृष्ठ संख्या
श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	149
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	150
श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	150-151
कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	151
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2004 एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	.....	151
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	.....	151
श्री अनिल पाराशर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	152
श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	152
श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	152-153
श्रीमती रजनी तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	153
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की विधान सभा क्षेत्र मझवा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	.....	153
श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जिला जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	.....	154
डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	154
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	154
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	154-155

विषय		पृष्ठ संख्या
डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	.....	155-156
श्री फागू चौहान को बिहार राज्य का राज्यपाल बनाये जाने पर बधाई का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.....	156-161
राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित ''उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018'' पर पुनर्विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.....	161
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	.....	161-164
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	.....	164
उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक 2019 (पुरःस्थापित)	.....	164
आज पुरःस्थापित हुए विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.....	165
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	.....	165-177
उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 (पारित)	.....	177-186
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (पारित)	.....	186-203
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 (पारित)	.....	203-207
उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 (पारित)	.....	207-239
श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई	.....	239
श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई	.....	239
श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई	.....	240
श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई	.....	240

विषय		पृष्ठ संख्या
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चाएँ आगे के लिए स्थगित हुईं	.....	240
श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चाएँ आगे के लिए स्थगित हुईं	.....	240
प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई	.....	241
श्री संजय कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चाएँ आगे के लिए स्थगित हुईं	.....	241
प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई	.....	242
श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई	.....	242
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चाएँ आगे के लिए स्थगित हुईं	.....	242
श्री बृजेश कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चाएँ आगे के लिए स्थगित हुईं	.....	242
श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई	.....	243
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चाएँ आगे के लिए स्थगित हुईं	.....	243
डॉ0 आर0के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चाएँ आगे के लिए स्थगित हुईं	.....	243

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई	244
श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चाएँ आगे के लिए स्थगित हुईं	244
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	244-252
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भौरेश्वर धाम, सई नदी में गिरने वाले गन्दे नाले से हो रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	252-253
जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के ग्राम ताखा पूरव स्थित रजिस्टर्ड गोशाला में पशुओं को रखवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव ललई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य	253-255
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में किसान सहकारी चीनी मिल के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	255-256
कृषि विभाग द्वारा फर्जी तरीके से मिट्टी की जांच कराये जाने एवं सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	256
जनपद प्रयागराज में अवैधानिक ढंग से हो रहे भूमि अधिग्रहण को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमाल लल्लू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मंत्री के अनुरोध पर स्थगित ... (स्थगित)	256
जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ऊंचाहार में विद्युत समस्या के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	256-258
जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ-84 के अन्तर्गत फर्जी अभिलेखों के आधार पर चल रही उचित दर की दुकान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिजीत सिंह सांगा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	258
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत कतिपय भूमियों की फर्जी प्रविष्टि की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 अनीता लोधी राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	258-260

विषय		पृष्ठ संख्या
जनपद बुलन्दशहर स्थित काली नदी के आस-पास हुए अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	.....	260-261
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के ग्राम बन्थर के औद्योगिक क्षेत्र में फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	.....	261-262
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैंट में आर0ओ0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 जी0एस0 धर्मेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	.....	263
जनपद गोरखपुर के आई0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत करायी गयी अण्डरग्राउण्ड वायरिंग के अधोमानक होने के सम्बन्ध में डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	.....	263-265
जनपद प्रतापगढ़ के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में ट्रामा सेन्टर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	.....	265-266
जनपद अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारदर्शितापूर्ण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	.....	266-268
जनपद उन्नाव के नगर पंचायत पुरवा को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	.....	268-269
जनपद फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों को मेहनताना तय किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का वक्तव्य	.....	269-271
राज्य वित्त आयोग द्वारा कतिपय जिला पंचायतों की दस लाख से ऊपर की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य	.....	271-272
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत बिना बेंडिग जोन बनाये रेहड़ी चालकों व फेरी वालों को पुलिस बल द्वारा हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	.....	272-273

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गोरखपुर में देवरिया रोड पर वसुन्धरा मोड़ से तुर्रा नाले तक नियमों का उल्लंघन करके वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना निर्माण प्रारम्भ करने तथा तकनीकी आपत्तियों का समाधान किये बिना नाले का निर्माण पुनः शुरू किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	273-275
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	276
जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	276
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत टिकैतराय तालाब में 2 शेड, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	277-278
उ0 प्र0 सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयानुसार वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	278-280
जनपद पीलीभीत में बंगाली नागरिकों को कृषि भूमियों पर उत्तराधिकार एवं अन्य अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन लाल राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	280
जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग, परगना चौमलहा में तथाकथित फर्म द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री सुशान्त कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	280-281
जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में 15 सौ एकड़ में फैली झील को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	281-282

विषय		पृष्ठ संख्या
जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	.....	282-284
सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.....	284-285
राष्ट्रगान	.....	285
नत्थियाँ	.....	286-302

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डल लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2019 ई0
उपस्थित सदस्य-332

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
3. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
4. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
5. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
6. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
7. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
8. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
25. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
26. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
27. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
28. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
29. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
31. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
32. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
33. असलम अली, श्री — हापुड़
34. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
35. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
36. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
37. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
38. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
39. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
40. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
41. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
42. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
43. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
44. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
45. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
47. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
48. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
49. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
50. ओमकुमार, श्री — बिजनौर

51. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
52. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
53. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
54. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
55. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
56. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
57. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
58. काली प्रसाद, श्री देवरिया
59. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
60. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
61. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. केसर सिंह, श्री बरेली
64. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
65. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
66. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
67. गंगा, श्री कुशीनगर
68. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
69. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
70. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
71. गौरी शंकर, श्री जालौन
72. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
73. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
74. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
75. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
76. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
77. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
78. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
79. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
80. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
81. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
82. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
83. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
84. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
85. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
86. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
87. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
88. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
89. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
90. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
91. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
92. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
93. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
94. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
95. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
96. दल बहादुर, श्री रायबरेली
97. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
98. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
99. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
100. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
101. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
102. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
103. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
104. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
105. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
106. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
107. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
108. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
109. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
110. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
111. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर

112. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
113. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
114. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
115. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
116. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
117. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
118. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
119. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
120. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
121. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
122. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
123. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
124. नाहिद हसन, श्री शामली
125. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
126. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
127. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
128. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
129. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
130. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
131. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
132. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
133. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
134. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
135. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
136. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
137. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
138. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
139. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
140. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
141. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
142. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
143. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
144. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
145. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
146. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
147. फागू चौहान, श्री मऊ
148. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
149. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
150. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
151. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
152. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
153. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
154. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
155. बावन सिंह, श्री गोण्डा
156. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
157. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
158. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
159. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
160. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
161. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
162. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
163. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
164. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
165. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
166. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
167. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
168. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
169. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
170. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
171. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
172. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
173. महबूब अली, श्री अमरोहा
174. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
175. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
176. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा

177. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
178. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
179. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
180. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
181. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
182. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
183. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
184. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
185. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
186. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
187. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
188. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
189. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
190. योगेश धामा, श्री बागपत
191. योगेश वर्मा, श्री खीरी
192. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
193. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
194. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
195. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
196. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
197. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
198. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
199. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
200. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
201. रवि शर्मा, श्री झांसी
202. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
203. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
204. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
205. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
206. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
207. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
208. राज करन कबीर, श्री बांदा
209. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
210. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
211. राजबाला, श्रीमती रामपुर
212. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
213. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
214. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
215. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
216. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
217. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
218. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
219. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
220. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
221. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
222. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
223. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
224. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
225. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
226. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
227. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
228. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
229. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
230. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
231. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
232. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
233. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
234. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
235. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
236. लाखन सिंह, श्री औरैया
237. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
238. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
239. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर

240. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
241. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
242. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
243. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
244. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
245. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
246. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
247. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
248. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
249. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
250. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
251. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
252. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
253. वीरेन्द्र, श्री एटा
254. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
255. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
256. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
257. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
258. शशांक वर्मा, श्री खीरी
259. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
260. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
261. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
262. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'' श्री कौशाम्बी
263. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
264. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
265. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
266. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
267. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
268. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
269. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
270. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
271. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
272. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
273. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
274. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
275. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
276. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
277. संजय, श्री बुलन्दशहर
278. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
279. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
280. संजय यादव, श्री बलिया
281. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
282. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
283. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
284. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
285. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
286. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
287. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
288. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
289. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
290. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
291. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
292. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
293. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
294. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
295. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
296. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
297. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
298. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
299. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
300. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
301. सुचि, श्रीमती बिजनौर
302. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
303. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
304. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद

305.	सुनील वर्मा, श्री	सीतापुर	319.	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
306.	सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री	बहराइच	320.	सोमेन्द्र तोमर, डॉ0	मेरठ
307.	सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री	बलिया	321.	सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
308.	सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री	वाराणसी	322.	सोहिल अख्तर अंसारी, श्री	कानपुर नगर
309.	सुरेश कुमार, श्री	शामली	323.	सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
310.	सुरेश कुमार, श्री	अमेठी	324.	सौरभ सिंह, श्री	खीरी
311.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	325.	स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ
312.	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	326.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
313.	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	327.	हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
314.	सुरेश राही, श्री	सीतापुर	328.	हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद
315.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	329.	हरीराम, श्री	सोनभद्र
316.	सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0	बिजनौर	330.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
317.	सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद	331.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
318.	सुषमा पटेल, श्रीमती	जौनपुर	332.	हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा

नोट :-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह), पंचायती राज एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00 बजे] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में छुट्टा जानवरों से फसलों को बर्बादी विषयक

****1-श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री अमन मणि त्रिपाठी तथा श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा जानवर, फसलों की बर्बादी व फसलों की सुरक्षा हेतु रातों में किसानों द्वारा की जा रही पहरेदारी व खेतों की घेराबन्दी एवं सड़क दुर्घटना के सबसे बड़े कारक बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में छुट्टा जानवरों से निजात दिलाये जाने हेतु कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

कतिपय सूचना प्रकाश में आई है।

सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2018-5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है।

प्रख्यापित नीति के अन्तर्गत प्रदेश में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है। अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के निराश्रित/बेसहारा गोवंश को संरक्षित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1

(माननीय मंत्री जी का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ा माननीय मंत्रीगण लोगों से कहें कि जिस दिन प्रश्न लगा है उस दिन समय से उपस्थित रहें और थोड़ा इसकी गम्भीरता को लें। आप ही कितना परिश्रम करेंगे।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता जी, जब से योगी जी की सरकार आई है और इस सरकार के चुने जाने के बाद कोई काम किया है तो यह एक पहला ऐसा उदाहरण है कि वास्तव में जिस

सरकार ने किसान और गाय की चिंता की है ये वह सरकार है। इससे केवल किसान का लाभ नहीं हो रहा है। आप देखते हैं कि सड़कों पर जनहानि हो रही थी और खेतों पर किसान का नुकसान हो रहा था। लगातार यह सरकार प्रयास कर रही है लेकिन अभी भी आगे इसमें कुछ प्रयास किये जाने हैं, मैं माननीय अधिष्ठाता जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि वास्तव में प्राकृतिक खेती जो एक गाय....

श्री अधिष्ठता-

जानना नहीं है, यदि कोई अनुपूरक करना है तो करें।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र गाय से सबसे ज्यादा प्रभावित एक क्षेत्र है उस क्षेत्र में वास्तव में प्राकृतिक खेती जिसमें एक किसान के यहां 10 एकड़ की खेती हो सकती है। यदि किसान अपने खेत पर ही एक गाय बांधे और इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जायेगा तो निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा और किसान की आमदनी बढ़ेगी।

श्री अधिष्ठाता-

आप सुझाव न दें, अनुपूरक करें।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

और आज इससे जहरमुक्त जैविक खाद मिलेगी। आज किसान जहरीला पदार्थ खा रहा है और इससे जो खाद्य पदार्थ निर्यात होते हैं चाहे आलू हो, प्याज हो, फल हो आदि ये सब चीजें हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं सभी देश इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आज किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें जहरमुक्त खेती करनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। आपका सुझाव अच्छा है, आप बैठ जाइए।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता जी, हम जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रत्येक गांव स्तर पर अन्ना जानवर आश्रय केन्द्र बनाकर वहां किसानों को नुकसान पहुंचाने पर गांव के स्थानीय निकाय, वहां के स्थानीय अफसरों को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए ? क्या अन्ना जानवरों को चिन्हित करके इनकी रोकथाम या संख्या नियंत्रण के लिए बैलों का बन्दीकरण किए जाने के का विस्तृत अभियान नहीं चलाना चाहिए ? जो सरकार ने आश्रय स्थल बनाये हैं, क्या वहां बारिश के समय जानवरों के भीगने और पक्का चबूतरा बनाकर उन्हें सुरक्षित रखने के इन्तजाम किए जा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता-

आप अनुपूरक कर रहे हैं या प्रत्यावेदन कर रहे हैं ?

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, भीगा रहने से उनकी मौत की खबरें आ रही हैं तो क्या सरकार उन पर विचार कर रही है ? मान्यवर, यही जानना चाह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप इतना जान लिए हैं कि मंत्री जी आप बता दें यदि पूरी बात आप जान गये हों तो।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे पूरी बात तो माननीय सदस्य की समझ में नहीं आयी लेकिन बुन्देलखण्ड की चिन्ता उन्होंने व्यक्त की। गोशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड की 8 पंजीकृत गोशालाअें के सुदृढ़ीकरण हेतु 64.50 लाख रुपये प्रति गोशाला की दर से 2 किश्तों में दिया गया जिसमें 5 सौ 16 लाख रुपये वर्ष 2017-18 में दिये गये और 5 सौ 16 लाख रुपये वर्ष 2018-19 में दिये गये हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों में बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु पशु आश्रय गृह की स्थापना के लिए 30 लाख रुपये प्रति पशु आश्रय गृह की दर से लगभग 10 लाख रुपये वर्ष 2017-18 में इसके अतिरिक्त भी दिया गया है। हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से जो गोवंश है उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। मान्यवर, इसीलिए यह गो-आश्रय बनाये जा रहे हैं। इसमें सम्पूर्ण प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 1 करोड़ 20 लाख रुपये देकर गोशालाएं सरकारी स्तर पर स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि हम शहरी क्षेत्र में भी अपने गोवंश को प्रॉपर तरीके से रख सकें। आप कहें तो मैं उसका भी आपको आंकड़ा बता देता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित मेरा भी एक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि जो छुट्टा पशु थे उनसे किसानों की फसल की बर्बादी को रोकने के लिए इन्होंने अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना करने का काम किया। जो गोवंश आश्रय स्थल बनाये गये हैं उसमें उसी ब्लॉक में, जिस ब्लॉक या जिस गांव में यह बनाये गये हैं, 15-20 गांव के जो सफाईकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गयी। उनके लिए पर्याप्त भूसे का इंतजाम और पर्याप्त रहने का इंतजाम भी नहीं हो पाया जिसके कारण प्रत्येक दिन चार, पांच, छः, सात, आठ पशु मरते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जो अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना की जा रही है उसके लिए उन सफाई कर्मियों की जगह पर जिन दूसरे गांव के सफाई कर्मियों को लगाया गया है और वहां सफाई व्यवस्था ध्वस्त न हो इसके लिए वहां नए पद क्रियेट करके वहां कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करेंगे ? दूसरा, कुछ एक-आध छप्पर रख दिये जाते हैं और वह भी मनरेगा से ज्यादातर निर्माण कराए गए। क्या माननीय मंत्री जी पशुओं को व्यवस्थित रखने के लिए बजट में प्रोविजन करके जिससे पशु मौसम की मार से न मरने पाएं उसके लिए पर्याप्त प्रबंध करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 वर्मा जी ने इसके ऊपर चिन्ता व्यक्त की है। कई जगह ऐसा भी हुआ की समाचार-पत्रों में तो छपा कि इतने गोवंश मर गये। लेकिन मान्यवर, अब जैसे प्रयागराज की घटना का परीक्षण करवाया गया तो पता चला कि आकाशीय बिजली गिरी जिससे गोवंश मर गये। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल रख-रखाव की वजह से ही ऐसा हो। आप सहमत होंगे, जब कोई नई व्यवस्था लागू की जाती है तो एकदम से सारी चीजें व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं। मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन हमारा इस बात का पूरा प्रयास है और सरकार की मंशा भी यही है कि जो भी गोवंश है उसे प्रापरली तरीके से शहरी एवं देहात क्षेत्रों में भी रखें, उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करें। हमने शहरी क्षेत्र में रु0 30 प्रति जानवर की व्यवस्था कर दी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि हमने कितना-कितना पैसा चारे व रख-रखाव के लिए दिया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमने रुपये 23.50 करोड़ 26 लोकल बॉडीज को रख-रखाव व चारे के लिए दिया। उसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी रु0 5.09 करोड़ दिया। ये 30 रुपये प्रति जानवर के हिसाब से दिया गया है और उनसे यह भी कहा गया है कि भूसा जब सस्ता होता है, जिस समय गेहूं की फसल आती है, उस समय अगर भूसा खरीद लेते हैं तो सस्ता मिल जाता है बाद में भूसे का रेट दो गुना-ढाई गुना तक पहुंच जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था हम खुद शासन स्तर पर कर रहे हैं और गौशालाओं को शहरी खेत्र में 171 नगर निकायों में निर्माण के लिए रु0 284.00 करोड़ हमने अवमुक्त किया है और लगातार इस बात का प्रयास है कि जहां-जहां से भी इसकी मांग होती है, तो उनकी चारे की व्यवस्था हम करते हैं। डी0एम0 से सत्यापित करवा लेते हैं कि यहां पर कितना गोवंश है और अभी तक हमारे पास शहरी क्षेत्र में 27396 गोवंश हैं, जिसके लिए हमने चारे की व्यवस्था की है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय सिंह-

आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी पिछली सरकार में लगभग 1200 पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती हुई। उसकी जांच हुई।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं-नहीं यह प्रश्न से अलग है, इसे नहीं माना जायेगा। अभी यहां भर्ती कहां से आ गयी ? गोवंश की बात चल रही थी आपने ला दिया कर्मचारियों की भर्ती।

श्री अजय सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोई तो मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। मैं लगातार 06 दिन से प्रयास कर रहा हूं मेरी बात सुनी जाय, सरकार मेरी बात सुने। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो लगभग 1200 पशुधन प्रसार की जो भर्ती

हुई थी उसमें छोटी मछलियों को प्रताड़ित किया गया। उसमें छोटी मछलियां फंसी हैं और बड़ी मछलियां समुन्दर में घड़ियाल और सांप की तरह घूम रही हैं। क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? क्या सरकार सी0बी0आई0 जांच करायेगी ? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह प्रश्न से जुड़ा नहीं है, आप बैठ जाइये। मा0 लल्लू जी बोलिये।

श्री अजय कुमार लल्लू-

इस समय उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। बुन्देलखण्ड, पश्चिम या पूर्वांचल में आज भी रात-रात भर किसान अपने खेतों पर इस कारण पहरा दे रहा है क्योंकि आवारा पशु उनका पूरा का पूरा खेत चर ले रहे हैं और फसल पूरी तरह बरबाद हो जा रही है। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करायेगी कि जो गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना हुई उसको अभी केवल टीन शेड डालकर गोवंश को रखने की व्यवस्था की जा रही है और वह भी अपने आपमें पर्याप्त नहीं है। उसको पक्के रूप में बनाकर ठीक ढंग से उनके चारा और सारी चीजों की व्यवस्था करके उनके आश्रय की व्यवस्था करें और नम्बर-दो अभी भी जिन किसानों की खेती आवारा पशुओं द्वारा बरबाद की जा रही है ऐसे लोगों के लिए सरकार कोई मुआवजा का भी प्राविधान करेगी ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी तो बता चुके हैं कि कुछ स्थायी भवन हम बना चुके हैं। डिमाण्ड होगी तो स्थायी भवन बनायेंगे। मा0 मंत्री जी, लल्लू जी को संतुष्ट कर दें।

(श्री इकबाल महमूद और श्री हर्षवर्धन बाजपेयी के खड़े होकर प्रश्न पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

एक प्रश्न में चार अनुपूरक होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। बाजपेयी जी, आप अगले प्रश्न में पूछ लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अपनी फसलों को बचाने के लिए लोग एक आर्टिफिशियल, एक धोखा बनाकर खड़ा कर देते हैं, ताकि वह खड़ा रहे और किसी को ऐसा लगे कि यहां पर कोई आदमी गश्त कर रहा है या किसी प्रकार से चौकीदारी कर रहा है। मान्यवर, वह जानवरों से फसलों को बचाने के लिए, यह आज की स्थिति नहीं है, वर्षों की है। जो लोग अपनी फसल की ज्यादा चिन्ता करते हैं, वहां यह समस्या है भी नहीं। लेकिन यह भी सही है और आपकी बात पूरी तरीके से निर्मूल नहीं है। हम उससे सहमत भी हैं कि बहुत सी जगह पर ऐसा हो जाता है कि वह नुकसान करते हैं। मान्यवर,

नील गाय की समस्या को हम इस विधान सभा से 30-32 सालों से बराबर उठते हुए देखते आ रहे हैं कि नीलगाय, नीलगाय, नीलगाय।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए, ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हालांकि वह एक दरियाई घोड़ा था। उसका नाम नीलगाय कर दिया तो लोगों ने उसे सेंटीमेण्टल तरीके से सोचना शुरू कर दिया। मेरा यह कहना है कि जो आपकी जिज्ञासा और चिन्ता है, सरकार ने उससे पूरी तरीके से निपटने के लिए व्यवस्था की है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई नई व्यवस्था की जाती है तो एकदम से ओवरनाइट नहीं हो पाती है, धीरे-धीरे शनैः-शनैः जैसी आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप हम व्यवस्था करते हैं। लेकिन उनके रहने की और बाउन्ड्री बनवाने की और उनके चारे की मोटी-मोटी व्यवस्था हर जगह की गई है।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए, ठीक है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

बस दो अनुपूरक लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। मिश्रा जी, आप पूछ लें।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, हमको बस इतनी ही जानकारी चाहिए, जैसे हमारे वहां पशु आश्रय की व्यवस्था है। लेकिन लगभग चार महीने से चूंकि हमको कुछ पक्काकरण करवाना है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि नगर पंचायत से भी सवा करोड़ रुपये दिया जायेगा। लेकिन नगर पंचायत क्षेत्र में दो एकड़ की जमीन मिलती नहीं है। हमने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर लगी हुई सीमा पर अगर कोई जमीन किसी ग्राम सभा में मिलती है, तब भी हम कर देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि अधिकतर जमीनों में पूर्ववर्ती सरकारो के द्वारा कई जगह कब्जा कर लिया गया है और 6 महीने से हम जमीनें खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमको गांव में ऐसी जमीन नहीं मिल पा रही है। मैं विधायक निधि से भी बनवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी विधायक निधि भी दे दूं, उससे भी कम से कम पशुओं के लिए आश्रय बन जाये।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए ठीक है। आप जमीन खोज लीजिये। 6 महीने लगा, 3 महीने और खोज लीजिए, आप बैठ जाइये।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा ऐसी जो जमीनें हैं, उनको मुक्त करा करके पशु आश्रय की व्यवस्था कराई जायेगी, इतना ही मैं जानना चाहता हूं।

(श्री इकबाल महमूद और श्री अवधेश सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अवधेश सिंह जी, आप बताइये।

प्रो0 (डॉ0) अवधेश सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अवसर दिया है। अभी मैं देख रहा हूं कि चर्चा कुछ चल रही है। निश्चित रूप से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि जिस चीज पर चर्चा हो रही है, बाहर तो लोग सेंटीमेण्टल की बात करते हैं कि यह गाय है, मेरी मां है या यह जानवर है, पशु है, यह हमारे लिए बहुत आत्मीय है, बहुत प्रिय है। लेकिन जब यहां पर आते हैं तो विभिन्न तरीके की बातें होती हैं, इससे मुझे बड़ा अटपटा लगता है। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि इस तरीके की घटनायें आज भी गांव में हो रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय योगी जी की सरकार को।

श्री अधिष्ठाता-

आप अनुपूरक पूछें।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त रहिए।

प्रो0 (डॉ0) अवधेश सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नया हूं, क्या प्रश्न है, कया नहीं है, यह लोग मेरा थोड़ा सा साथ दें कुछ तो हम लोग बोल लें। थोड़ी बहुत भावनायें जो हमारी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो पहल किया है, उस पहल के तहत आज गांव की यह स्थिति बनी है कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि हमारी विधान सभा में गांव के लोग आगे निकल करके, इसकी पहल करके, हमारी सरकार की जो योजनायें हैं वह तो चल रही हैं, लेकिन पहल करके गांव में लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। सरकार ने जो 30-30 रुपया एक-एक पशु के पीछे दिया है, आज ग्राम प्रधान, गांव के लोग आगे आ करके अपना चारा भी इक्ट्ठा कर रहे हैं और उसको अपने स्तर से खोजने का भी काम रहे हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

(श्रीमती सुषमा पटेल, श्री इकबाल महमूद के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

सुषमा जी एक प्रश्न पूछ लें।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, मुझे भी 2-3 क्विश्चन पूछने हैं।

श्री अधिष्ठाता-

बाजपेयी जी, अब बहुत अनुपूरक हो गये हैं। केवल एक प्रश्न पर इतना समय नहीं लेंगे।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, चूंकि यह सरकार गोवंश पशुओं को सही तरीके से पालने का काम नहीं कर रही है। चारे का अभाव है, भूसे का अभाव है, उसके कारण वह मर रहे हैं और कोई संतुष्ट जवाब इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(नेता समाजवादी पार्टी श्री इकबाल महमूद अपने दल के सदस्यों सहित बहिर्गमन कर गये)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न सं0-2 में यदि कोई सदस्य रुचि रखता हो तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी रुचि है।

(मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रश्न सं0-2 का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने पर)

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मा0 अधिष्ठाता जी, बिना प्रश्न किये अनुपूरक पूछने का अवसर क्यों दिया जा रहा है ? मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जब दूसरा प्रश्न नहीं हुआ तो अनुपूरक के लिए अवसर क्यों दिया जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता-

यदि कोई सदस्य रुचि रखता है तो उस प्रश्न का उत्तर मा0 मंत्री जी पढ़ देते हैं। उसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न मेरा है इसलिए मैंने कहा कि यदि किसी सदस्य को रुचि हो तो वह बता दे इस पर मा0 वर्मा जी ने रुचि जाहिर कर दी है इसलिए उत्तर दिया जा रहा है।

प्रदेश के परिवहन विभाग में मानक के अनुरूप ड्राइवरों की ड्यूटी न लगाये जाने विषयक

****2-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिवहन निगम की बसों में ड्राइवरों की मानकानुसार अधिक से अधिक ड्यूटी से परिवहन निगम की बसों का सड़क

दुर्घटना में वृद्धि हो रही है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि ड्राइवरों की मानकानुसार अवधि में ड्यूटी लगाये जाने में मानक की अनदेखी करने से यमुना एक्सप्रेस-वे पर बस की दुर्घटना हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के दृष्टिगत मानक के अनुरूप ड्राइवरों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन प्रोटोकाल, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट, 1961 के अध्याय 5 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार ही परिवहन निगम द्वारा बसों के संचालन हेतु चालक की ड्यूटी आवंटित की जाती है।

दिनांक 08.07.2019 को यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुयी बस दुर्घटना से संबंधित चालक की ड्यूटी निगम द्वारा मानक के अनुरूप ही लगायी गयी थी।

परिवहन निगम द्वारा ड्राइवरों की ड्यूटी मानक के अनुसार ही लगायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मानक क्या है पहले तो यही बता दें, कितने किलोमीटर तक, लखनऊ से दिल्ली तक फिर दिल्ली से लखनऊ तक, आखिर मानक क्या है यह बता दें उसके बाद इस पर अनुपूरक बनेगा।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, मेरा भी प्रश्न इसमें आ जाने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

अभी उत्तर आ जाने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता जी, बस के लिए मानक यह है कि 8 घण्टे की ड्यूटी, एक सप्ताह यानी कि 6 दिन में 48 घण्टे की ड्यूटी होना चाहिए और यदि किसी विशेष परिस्थिति में उसको ज्यादा ड्यूटी करना पड़े तो 54 घण्टे से ज्यादा हफ्ते में ड्यूटी नहीं होनी चाहिए और पांच घण्टे के बाद आधे घण्टे का रेस्ट देना अनिवार्य है। यह मानक है। मान्यवर, जिस घटना का जिक्र इसमें किया गया है उसमें जो ड्राइवर के बारे में कहा जाता है वह तीन दिन की छुट्टी पर था और पहले से 6-7 बार उस रूट पर चल भी चुका था। तीन दिन की छुट्टी के बाद रात में 11 बजे उसको आना था और सुबह 4 बजे यह घटना हुई। 7 मिनट पहले टोल प्लाजा आया, उसके ठीक बाद 7 मिनट हुआ। टोल प्लाजा के बाद लगभग 50 मीटर तक बस घिसटती रही। यह सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत डूबने से दिखायी गयी, जिस ड्राइवर की बात, जिस घटना की बात स्पेसिफिक रूप से इस घटना में की गई। कोई नहीं कह

सकता कि केवल नींद से हादसा हुआ हो, हो सकता है कि वह शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ न रहा हो, बेहोशी हुई हो। क्योंकि 50 मीटर तक वह बस लगातार साइड से लगने के बाद घिसटती रही। जैसे ही बस टकराई थी वैसे ही स्वाभाविक रूप से स्टेयरिंग घूमना चाहिए था, स्वाभाविक रूप से जो ऐक्शन होना चाहिए था वह नहीं हुआ, इससे कई बातों का अन्दाजा लगाया जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन चीजों से मेल नहीं खाती, जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन यह भी लगा था कि शायद हार्टअटैक हो गया हो, लेकिन हार्ट अटैक पोस्टमार्टम में आया नहीं, पोस्टमार्टम में ड्राउनिंग यानी कि डूबने से डेथ बतायी गयी है। मान्यवर, मैंने मानक आपको बता दिया है।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि लम्बी दूरी के चालक जो होते हैं उनके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है ? क्या प्रत्येक राइड के पहले इन चालकों के नशे में होने इत्यादि का परीक्षण किया जाता है या नहीं किया जाता है ?

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारा भी अनुपूरक प्रश्न साथ में ले लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

अलग से अनुपूरक रहेगा तो और महत्व रहेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने जो परीक्षण की बात कही है, बताना चाहता हूं कि अभी तक परीक्षण नहीं किया जाता था। इस घटना के बाद परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में तीन लोगों की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जो सुझाव दिया है, उस सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मदिरापान करके गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश हेतु टोल प्लाजा/पेट्रोल पम्प पर वाहन चालकों का सांस विश्लेषक परीक्षण (Breath Analyser Test) कराये जाने का सुझाव दिया है, इस सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, सरकार इसको करेगी। जहां तक प्रशिक्षण की बात है, तो यह समय-समय पर होता रहता है।

श्री अधिष्ठाता-

सुश्री सुषमा जी, आपका स्पष्ट उत्तर आ गया है।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से परिवहन विभाग से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जनपद श्रावस्ती पूरे देश का पहला जनपद है, जहां पर रेल लाइन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनपद श्रावस्ती में परिवहन विभाग के

लिए जमीन एक्वायर कर ली गयी और भवन (बिल्डिंग) बन गयी है। आप वहां पर डिपो कब तक बनवा देंगे ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी, इसके लिए आप अलग से प्रश्न लगा दीजियेगा, उसका स्पष्ट उत्तर आपको मिल जायेगा।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विभागीय लापरवाही के कारण दुर्घटना में घायल नागरिकों को सहायता देने हेतु आन लाइन पोर्टल बनाने विषयक

***1-श्री मनीष असीजा तथा श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऊर्जा विभाग की लापरवाही के कारण घटित दुर्घटनाओं में नागरिकों की जनहानि, पशुहानि, गम्भीर रूप से घायल आदि हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को अवगत है, उक्त घटनाओं में अनेक बार विभागीय तत्परता के अभाव में पीड़ित को राहत धनराशि मिलने में विलम्ब हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटनाओं के शिकार नागरिकों की ''एक टाइम फ्रेम'' के अन्दर सहायता करने हेतु ''आन लाइन पोर्टल'' बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

विद्युत दुर्घटनाएं विभिन्न कारणों से घटित होती हैं।

अनिवार्य प्रपत्रों के अभाव में अथवा प्रपत्रों के पूर्ण न होने की दशा में कभी-कभी पीड़ित को राहत धनराशि मिलने में विलम्ब हो जाता है।

उ0प्र0 में त्रुटिपूर्ण विद्युत अधिष्ठापन से घटित विद्युत दुर्घटनाओं में पीड़ित परिजनों को विभागीय नियमानुसार अनुमन्य क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश संख्या-402-औ0सं0/2019-19 (125) ए0एस0/2001, दिनांक 21-02-2019 के द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान की समय-सीमा का निर्धारण किया गया है, जिसमें 45 दिनों में क्षतिपूर्ति भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश हैं।

यद्यपि विद्युत दुर्घटना की सूचना विभाग के संज्ञान में आने पर तत्परता से क्षतिपूर्ति अनुग्रह धनराशि दिलाये जाने का प्रयास किया जाता है। विलम्ब की स्थिति में विद्युत दुर्घटना की शिकायत की सुविधा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वेबसाइट-डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट यू0पी0पी0सी0एल0 डाट ओ0आर0जी0 वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।

इस सुविधा में कोई भी व्यक्ति शिकायत वेब पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकृत कर सकता है। पोर्टल में कोई शिकायत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट- डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट यू0पी0पी0सी0एल0 डाट ओ0आर0जी0 के होम पेज पर कंज्यूमर कार्नर नामक शीर्षक के अन्तर्गत कम्प्लेन्ट्स/स्टेट्स में अप्लाई फॉर कम्पनसेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेन्ट्स पर जाकर शिकायत दर्ज करा लेता है। शिकायतकर्ता लॉगइन-आईडी पासवर्ड जनरेट कर उक्त सुविधा का लाभ उठा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि पिछले काफी लम्बे समय से इस प्रकार की घटनाएं सुनकर हम सभी साथी विधायक अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में काम करते हैं। पहली बार आपने इसमें 45 दिनों का टाईम फ्रेम दिया है। इसके लिए निश्चित रूप से आपको, माननीय योगी जी की सरकार को बधाई। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं तीन प्रश्न करना चाहता हूं। आपने अभी हाल के वक्तव्य में अवगत कराया है कि वर्ष 2017-18 में 2877 और वर्ष 2018-19 में 3029 नागरिकों की जानें गयी हैं। वर्ष 2017-18 में 17233 और वर्ष 2018-19 में 10251 पशुओं की मृत्यु हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो जनहानि हुई है उसमें पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का प्रावधान है। वहीं मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि यह स्थिति नहीं आये इसके प्रिवेंशन के जो उपाय अभी जारी हैं, उसको और सख्ती/कड़ाई से लागू करें, तो बेहतर होगा, तो इसमें मेरा पहला प्रश्न है कि इरडा के माध्यम से थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के बावजूद अभी जो प्रिवेन्शन के उपायों में गाइडिंग, जैसे 11000 की लाइन के नीचे गाइडिंग होती है, 440 एल0टी0 की लाइनों के नीचे लूप गार्ड लगते हैं जो जब फंटियां लगती हैं। हम सबको ध्यान हो तो बहुत पहले खम्भे के किनारे स्टे-इन्स्यूलेटर होता था जिसमें यदि कहीं खम्भे में बिजली का करेण्ट आ जाये तो पशु चिपक कर न मरें और खम्भे से स्टे-इन्स्युलेटर में बिजली का करेण्ट चला जाता था। इसी प्रकार जी0आई0 तारों के स्थान पर बीजल कण्डक्टर आदि की स्थापना और पहले से संचालित जो लाइनें जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, दो खम्भों के बीच में जिसमें ज्यादा जोर है, उन सबका निरीक्षण कराकर विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने का काम करेंगे ?

दूसरा एक और प्रश्न है भारतीय विद्युत सुरक्षा नियमावली, 1956 के नियम-63 के आलोक में क्या जो नई लाइनों की स्थापना होती है तो क्या टेण्डर में इस तरह का क्लॉज लगाया जा सकता है कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एन0ओ0सी0 के बगैर लाइनें ऊर्जीकृत नहीं होंगी और बगैर एन0ओ0सी0 सर्टीफिकेट जमा किये भुगतान नहीं किया जायेगा। माननीय

मंत्री जी, बड़े टेण्डर्स में तो यह होता है लेकिन छोटे कार्यों में नहीं होता है, तो क्या उसको अनिवार्य रूप से लागू कराने का काम करेंगे ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, सम्मानित सदस्य के सुझाव बहुत अच्छे हैं, विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो कार्य योजना है जिसमें प्रोडक्शन प्रणाली को सुदृढ़ करना है, वह हम लोग कर रहे हैं। जर्जर तारों को बदलने की जो कार्य योजना है, 2017-18 और 2018-19 में 8242 कि0मी0 तारों को बदला गया है। घनी आबादी में जर्जर तारों को ए0बी0सी0 कण्डक्टर से बदलने का कार्य चल रहा है। कुल 48,430 मजरों में 2019-20 में 27834 कि0मी0 तथा 2020-21 में 38486 कि0मी0 तार बदलने का लक्ष्य प्रस्तावित है। घनी आबादी, स्कूलों, अस्पतालों के क्षेत्र में गाइडिंग तथा यथा-आवश्यक शिफ्टिंग की व्यवस्था भी हम लोग शुरू कर रहे हैं।

जो आपने एन0ओ0सी0 की बात कही है जहां तक मेरी जानकारी है बिना एन0ओ0सी0 के कोई भी हम चार्ज नहीं करते हैं। जहां-जहां हमने वितरण की व्यवस्था चालू की है वहां एन0ओ0सी0 के बाद ही चालू किया जाता है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 21.02.2019 से क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए एक समय-सीमा 45 दिन की निर्धारित कर दी गयी है। तो आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल हम इतना जानना चाहते हैं कि इस तरह की सूचना या जानकारी अगर आपके पास लायी जाये, जिसका 45 दिन से काफी अधिक समय-सीमा हो गयी हो और उसका भुगतान नहीं हुआ हो तो क्या सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

श्रीमन्, अप्रैल, 2019 से लेकर 30 जून, 2019 तक जो 31 घातक घटनायें हैं अभी वह पेंडिग हैं बाकी सबको कम्पलीट किया गया है। उसमें जहां लापरवाही सामने आयी है 10 अधिकारियों द्वारा विद्युत दुर्घटना जांच में शिथिलता बरती गयी, उनमें से एक की स्थायी वेतन-वृद्धि रोकी गयी है, एक को वर्ष 2018-19 के लिए प्रतिकूल-प्रविष्टि दी गयी है तथा 8 अधिकारियों को कठोर रूप से चेतावनी दी गयी है और हमारा विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है भविष्य में यह समय सीमा में हो।

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि यह जनहानि और पशुहानि से सम्बन्धित प्रश्न है। विद्युत विभाग में बहुत बड़ी संख्या में संविदा के कर्मचारी नीचे के लेविल पर लाइन मैन का काम कर रहे हैं और बहुत बार जब दुर्घटना हो जाती है तो जो संविदा कर्मचारी हैं, उनकी जो सोर्सिंग एजेंसी है उनको दवा नहीं

देती है, मेरी विधान सभा में चंदा लगाकर उनकी दवा कराते हैं तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो संविदा के कर्मचारी हैं, वह भी विद्युत विभाग की सेवा करते हैं तो क्या एक्सीडेंट/दुर्घटना की स्थिति में सरकार उनके समुचित इलाज की व्यवस्था करायेगी ? अधिष्ठाता महोदय, दूसरा प्रश्न है चूंकि यह पशु हानि का भी मामला है बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली के तार से भी एक्सीडेंट होता है हम सब जानते हैं गाय पर हमारी पूरी आस्था है। गाय हमारी माता है, हम यह कहते हैं लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी का एक्सीडेंट होता है तो पता लगा कि उनके लिये तमाम सरकारी एम्बुलेंस आ जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या पशुओं के लिये सरकार एनीमल एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी संविदा कर्मियों वाला बता दीजिये। एम्बुलेंस का कहां हो पा रहा।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, बहुत अच्छा प्रश्न है और सरकार बहुत संवेदनशील है। सरकार ने अभी लगभग 47 हजार जो संविदाकर्मी हैं उनको अपने पोर्टल पर रजिस्टर किया है और जब पोर्टल पर रजिस्टर संविदाकर्मी हो जायेगा तो जो उसका ठेकेदार उसका उत्पीड़न कर रहा था वह श्रीमन् अब उसका उत्पीड़न नहीं कर पायेगा। जैसे ही संविदाकर्मी, हमने यह मानक भी तय किये हैं कि जब शट डाउन लेकर कोई काम कर रहा है तो जब तक पूरी तरह से सुनिश्चित न हो जाय कि उसका काम पूर्ण हो गया है, हमारा संविदा कर्मचारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है तब तक उस लाइन को न चालू किया जाय। इसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। जहां लापरवाही पाई गई है अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही भी हम लोग कर रहे हैं और सरकार ने 5 लाख रुपये का मुआवजा अविलम्ब उस संविदाकर्मी के परिवार को मिले यह व्यवस्था ही है।

श्री अधिष्ठाता-

अब स्पष्ट उत्तर आ गया।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से लेना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

स्पष्टीकरण क्या अनुपूरक करिये।

श्री मनीष असीजा-

जैसे कोई नयी लाइन बनी तो उस पर अगर विद्युत सुरक्षा निदेशालय की बगैर एन0ओ0सी0 के ऊर्जीकृत होने की स्थिति बनती है तो उस ठेकेदार को भुगतान नहीं किया

जायेगा। ऐसा अगर टेन्डर में अनिवार्य रूप से आप क्लॉज लगा देंगें तो छोटे स्तर पर इस क्लॉज के न होने के कारण ऐसी लाइनों पर ऊर्जीकृत करके पेमेन्ट ले लिया जाता है। यह सुनिश्चित करा दें तो ठीक रहेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आपका सुझाव ठीक है। सुरेश जी आप कहें।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अधिष्ठाता जी, यह आवश्यक है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अधिष्ठाता जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इस बात को सदन में स्वीकार किया है कि विद्युत कर्मचारियों की गलती से दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें हानि होती है और उसमें क्षतिपूर्ति दी जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इसी माह में एक बच्चा बिजली का जो खम्भा लगा था उसके बगल से जा रहा था और उसने उसे छू लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर मेरे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजाजीपुरम् उपकेन्द्र का फोन आया कि मैं एक लाख रुपये की चेक देना चाहता हूं। मैं एक लाख रुपये की चेक ले करके उस परिवार के पास पहुंचा। परिवार ने उस एक लाख रुपये की चेक को लेने से इन्कार कर दिया। मेरा केवल इतना आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि एक लाख रुपया क्षतिपूर्ति बहुत कम है। मृत्यु का आंकलन नहीं किया जा सकता है लेकिन अन्य मामलों में जहां मृत्यु होती है वहां मुआवजे की ज्यादा राशि दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो एक लाख रुपये मुआवजे की राशि दी जाती है वह कम है, उसको बढ़ाने पर विचार करेंगें ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, पहले से व्यवस्था है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसको अलग से संज्ञानित करके देखेंगे कि कहां पर लापरवाही हुई है उसको चेक करा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये दो मिनट में एक अनुपूरक करिये उसके बाद अगला सवाल लेंगें।

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 45 दिन में ऐसी घटनाएं होती हैं तो 45 दिन के अन्दर उसकी क्षतिपूर्ति मिल जाती है। मेरी विधान सभा में अभी 11 मई को एक पन्द्रह साल की लड़की एक 11 हजार की लाइन बिल्कुल लो लाइन जा रही थी उससे टच

होकर जल गई। 11 मई से आज तक उसको अभी कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी क्षतिपूर्ति दी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, इनका यह विषय दिखवा लीजिये।

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

दूसरी घटना अभी चार दिन पहले बिना शट डाउन लिये। संविदाकर्मी को बताया गया कि शट डाउन ले लिया गया और शट डाउन लिया नहीं गया था। वह खम्भे पर चढ़ा और उसकी मृत्यु हो गई यह चार दिन पहले की घटना है। उससे पहले 3 लोग और मरे। मैं केवल इतना कहता हूं कि माननीय मंत्री जी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जिससे इस तरीके से जान-माल की हानि हो।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य इस घटना को लिखित रूप से माननीय मंत्री जी को दे दें माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे। अब बहुत अनुपूरक हो गये। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद पारितोष फोरम के रिक्त पदों से सम्बन्धित

***2-श्री संजय गर्ग-**

[अनुपस्थित]

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद पारितोष फोरम के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद जिला स्तर पर रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियन्त्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट-माप, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (श्री अतुल गर्ग)-

प्रदेश के कुल 79 जिला उपभोक्ता विवाद पारितोष फोरम्स में स्वीकृत 683 पदों के सापेक्ष कुल 175 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रदेश के जिला फोरम्स में रिक्त अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुरोध किया गया है एवं प्रदेश के जिला फोरम्स में भी रिक्त सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जा चुका है। नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (14वां संशोधन) नियमावली 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। राज्य उपभोक्ता आयोगा द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम्स में आशुलिपिक संवर्ग एवं कनिष्ठ सहायक संवर्ग में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने व दोषियों को दंडित करने विषयक

***3-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2019 तक खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने मामले प्रकाश में आये तथा कितने दोषियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराएगी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2019 तक प्रदेश में समस्त खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में प्रवर्तन कार्यवाही में 261689 निरीक्षण एवं 29579 छापों के माध्यम से कुल 40840 नमूने संग्रहीत किये गये। उक्त अवधि में प्राप्त 44038 जांच रिपोर्ट में से 14887 नमूने अधोमानक, 3728 नमूने मिथ्या छाप, 1036 नमूने नियमों के उल्लंघन के एवं 2576 नमूने असुरक्षित पाये गये। उक्त अवधि में ए0ओ0 कोर्ट में 17177 वाद तथा मा0 न्यायिक न्यायालय में 648 वाद दायर किये गये। उक्त अवधि में ए0ओ0 कोर्ट द्वारा 10672 वाद निर्णीत किये गये एवं रु0 32,13,63,511/- (रुपये बत्तीस करोड़ तेरह लाख तिरसठ हजार पांच सौ ग्यारह मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। मा0 न्यायिक न्यायालय द्वारा 267 वाद निर्णीत किये गये तथा 103 व्यक्तियों को सजा देते हुए रु0 29,65,100/- (रुपये उन्तीस लाख पैंसठ हजार एक सौ मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मो0 फईम इरफान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो जवाब मा0 मंत्री जी ने दिया है, मैं उसी के क्रम में आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर पूछना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थों की बिक्री होती है, वहां के क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दण्डित करने और जवाबदेही सुनिश्चित का कोई प्राविधान करेंगे ? क्या प्रत्येक जिले अथवा मण्डल मुख्यालयों पर खाद्य एवं पेय पदार्थ के नमूने तथा जैविक या गैर जैविक कृषि उत्पादों की जांच हेतु आधुनिक तकनीक से लैस कोई नये जांच केन्द्र सरकार स्थापित करेगी, क्योंकि यह बहुत गम्भीर विषय है। खासतौर पर मेरी विधान सभा में कोल्डड्रिंक पीने के बाद एक लड़के को बहुत बुरी तरह से पसीना आया और अस्पताल जाते वक्त उसकी मौत हो

गयी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज कोल्डड्रिंक के अन्दर थी, कोल्डड्रिंक सील पैक थी। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। मैं इसी क्रम में आपसे कहना चाहता हूं कि 1 अप्रैल, 2019 से देश के अन्य भागों की भांति उत्तर प्रदेश में भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को लीकर जैसे शराब में मिलावट की जांच या इस तरह के पेय पदार्थों की जांच नमूने लेने का अधिकार सरकार प्रशासन को देगी ? क्या जनहित में दृष्टिगत कृषि उत्पादों के रासायनिक खादों व जहरीली दवाओं का प्रयोग प्रतिबंधित कर केवल जैविक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग सुनिश्चित करने की सिफारिश जिम्मेदार विभागों को मा0 मंत्री जी द्वारा दी जायेगी ? मा0 मंत्री जी से मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि क्या विभिन्न फलों व सब्जी आदि की खेती में रासायनिक खाद व जहरीले कीटनाशक तथा दैनिक कार्यों में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के प्रयोग से मानव जीवन पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता करने के लिए कोई जागरूकता अभियान या इस विषय में कोई उपयोगी शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना सरकार बनायेगी ?

श्री अतुल गर्ग-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार इस विषय को बहुत गम्भीरतापूर्वक ले रही है। अभी पिछले दिनों मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इस पर एक विभागीय बैठक ली थी और उसके अन्दर इस ओर सबका ध्यान दिलाया गया कि यदि हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करते हुए चले जायें और ऐसा वातावरण जनता के द्वारा बना दें, समाज के द्वारा बना दें तो 25 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हम गम्भीर बीमारियों पर रोक लगा सकते हैं। इसमें सरकार की ओर से भी और मैं पूरे सदन से यह निवेदन करता हूं कि जैसे माननीय विधायक जी ने जो चिन्ता प्रकट की है और इस क्षेत्र में संवेदनशीलता का परिचय दिया है तो उसके लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में जनहित में काम करने के लिए तैयार हैं। जितने भी आपने सुझाव दिए हैं उसके लिए भी हम सभी सुझावों को गम्भीरतापूर्वक लेंगे उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी तक जो हमारे यहां रिपोर्ट्स आती थीं वह छह-छह महीने में आती थीं अब हमारे यहां जो टेस्टिंग की रिपोर्ट आती हैं वह 15 दिन के अन्दर आ जाती हैं यदि इसमें आपको कोई कमी या त्रुटि या शिकायत हो तो तुरन्त मुझे सूचित करें हम 48 घंटे के अन्दर कार्यवाही करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

सोलंकी जी सीधे अनुपूरक करिएगा पूरी ऊर्जा मत लगाइए।

हाजी इरफान सोलंकी-

अधिष्ठाता जी आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शहरी इलाके हैं जहां पर शिकायत करने के बाद जब उसकी जांच होती है अधिकारी जांच के लिए जाते हैं खाने की चीजों के मिठाइयों के, दूध के सैम्पल लेते हैं उसके बाद भी

जांच पूरी होने के बाद जब छापा पड़ता है तो अखबारों में पता चलता है कि आज इस मिठाई की दुकान में रेड पड़ी और यह सामान ले लिया गया उसके बाद जो कार्यवाही होती वह पता नहीं चलती। कार्रवाई हुई या नहीं हुई उसको कितनी सजा मिली या नहीं मिली छोड़ दिया गया हम लोग शहर और गांव से आते हैं बहुत बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में छापा पड़ता है लेकिन बाद में क्या हुआ पता नहीं चलता। मेरा सवाल यह है कि खाद्य पदार्थ के नमूनों की जांच के बाद अगर देर से रिपोर्ट आती है जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 15 दिन में रिपोर्ट आती है तो कोई ऐसा मामला मंत्री जी के संज्ञान में है जिसमें रिपोर्ट 15 दिन में आ गई हो क्योंकि अभी मंत्री जी ने बताया कि 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दिया तो मंत्री जी कोई एक उदाहरण बता दें जिसमें 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट आई हो और मंत्री जी ने कार्रवाई की हो।

श्री अधिष्ठाता-

यही अनुपूरक है।

मंत्री जी सदस्य सूचना मांग रहे हैं कि 15 दिन में कोई रिपोर्ट आई है।

हाजी इरफान सोलंकी-

मंत्री जी ने अभी कहा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट 6 महीने से कम करके 15 दिन में आ जाए। तो 15 दिन के अन्दर कोई रिपोर्ट आई हो वह बता दें और उस पर क्या कार्रवाई हुई है वह बता दें।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी इधर कोई तत्कालिक 15 दिन के अन्दर सूचना आई है। अगर आई हो तो बता दें नहीं तो कोई बात नहीं।

श्री मो0 फईम इरफान-

अध्यक्ष जी मुद्दा बहुत गम्भीर है। आप देखिए आज खाने-पीने की चीजों के कारण कैंसर हार्ट डिजीज सहित तमाम बीमारियां हो रहीं हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आज की तारीख में खाने-पीने की चीजों को लेकर उत्पन्न हो रही है। आप किडनी की बीमारी देख लीजिए, कैंसर की बीमारी देख लीजिए हाइपरटेंशन...

श्री अधिष्ठाता-

आप अनुपूरक प्रश्न करिए।

श्री मो0 फईम इरफान-

मैं मंत्री जी से बस यही कहना चाहता हूं कि इस गम्भीर विषय पर शायद अधिकारी इनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी जांच रिपोर्ट अधिष्ठाता महोदय 15 दिन के अन्दर नहीं आती है।

श्री अधिष्ठाता-

आपके सुझाव पर मंत्री जी ने खुद कहा है कि वह आपके साथ इस पर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं।

हाजी इरफान सोलंकी-

मंत्री जी कार्रवाई कितनों पर हुई। दो साल में कितने लोगों को इन्होंने सजा दी है।

अधिष्ठाता-

यह प्रश्न के उत्तर में आया है कि इतने लोगों को दण्डित किया गया है। इतने सैम्पल लिए गए हैं इतने में मिलावट पाई गई है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट किया गया कि जब से हमारी सरकार आई है हमने इसको और अधिक गम्भीरता से लेने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से केवल यह पूछना चाहता हूं कि जो मिलावट करने वालों के खिलाफ दण्ड का प्राविधान है उस प्राविधान का कानून कब बना किस कानून को वह लागू कर रहे हैं। दूसरा क्या माननीय मंत्री जी के इस पद पर आने के बाद कोई कानून बनाए हैं इसमें उल्लेख नहीं है वह बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा या क्या कोई ऐसा कानून बनाएंगे, सख्त कानून बनाएंगे जिससे कि मिलावट करने वाले लोगों के मन में डर हो अभी जो कानून है उससे कोई अन्तर नहीं आ रहा है क्योंकि दिन-प्रतिदिन मिलावट करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या कोई ऐसा कानून बनाएंगे जिससे मिलावटखोरी में कमी आएगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी दो प्रश्न है कि क्या इस मिलावट को रोकने के लिए कोई कानून बना है ? और यदि कानून बना है उसमें क्या कार्यवाही करते हैं ? यदि नहीं बना है तो क्या कोई नया कानून बनायेंगे ? मा0 सदस्य के यह केवल दो प्रश्न हैं।

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, नये कानून के लिये अभी तक तो कोई विचार नहीं है, लेकिन यदि कोई सुझाव आता है तो सरकार उस पर विचार करेगी।

(इस मध्य सदस्य श्री नफीस अहमद एवं श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 वर्मा जी, आप अभी रुके रहें। हमारे नये मा0 सदस्य भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मा0 मंत्री जी, आपने उत्तर दे दिया, आपको बहुत धन्यवाद। मा0 नफीस अहमद जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, क्योंकि अभी हमारे मा0 सदस्य ने वह सवाल पूछ लिया और मैं समझता हूं कि यहां पर जितने भी विधायकगण व मंत्रीगण बैठे हुए हैं सभी लोगों को मालूम है कि आज अपने प्रदेश के अन्दर मिलावट सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो गम्भीर बीमारियां हो रहीं हैं, चाहे लिवर की हो, किडनी की हो या पैन्क्रियाज की हो, सभी मिलावटी खाने से हो रही हैं। अभी मा0 सदस्य ने मा0 मंत्री जी से पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है तो उन्होंने कहा कि अभी विचार नहीं है, मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया जाए, क्योंकि बीमारियां जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं तो मैं मा0 मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि दूसरे देशों के अन्दर और दूसरे प्रदेशों के अन्दर इसके लिये जो सख्त कानून लाए गए हैं तो क्या हमारे प्रदेश के अन्दर भी कोई ऐसा कानून लाया जायेगा जिससे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाए, उनको उम्रकैद तक की सजा हो ताकि इस तरीके की घटना हमारे प्रदेश के अन्दर न हो। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, आज 25 साल से 40 साल की उम्र के लड़कों में हार्ट ब्लॉकेज की शिकायतें आ रही हैं। इसलिये क्या यह सरकार जल्द से जल्द ऐसा कोई कानून लायेगी जिससे इस पर रोक लगाई जा सके ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अभी मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि अभी इसका कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर विचार आ रहे हैं तो वह इस पर सख्त कानून बनाने पर विचार करेंगे। मा0 मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, इसमें 03 साल की सजा का प्राविधान है और यह केन्द्रीय कानून से प्रभावित कानून है। ऐसा नहीं है कि इस संबंध में पहले से कानून नहीं है, लेकिन मैंने यह कहा है कि यदि इसमें और भी ज्यादा सख्त सजाएं डालनी हैं तो हम उस पर भी विचार करेंगे।

(इस मध्य सदस्य हाजी इरफान सोलंकी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा एवं श्री मयंकेश्वर शरण सिंह के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 इरफान जी, आप इत्मिनान से मा0 मंत्री जी से अनुपूरक कीजिये। आपका प्रश्न सही है और उसका उत्तर भी आ गया है तो आप इत्मिनान से अपना अनुपूरक पूछिये। हम तो समझ रहे हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है और मा0 मंत्री जी ने सख्त कानून बनाने के लिये भी कह दिया है। पूरा विषय आ गया है। मा0 वर्मा जी, आप अपना अनुपूरक पूछिये।

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ लेने दीजिये। यह बहुत गम्भीर मामला है इसलिये आप मुझे केवल एक अनुपूरक कर लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप दो-तीन बार अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब आप बैठ जाएं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे केवल एक अनुपूरक पूछ लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सोलंकी जी और अन्य मा0 सदस्य अनुपूरक पूछ चुके हैं इसलिये आप केवल एक अनुपूरक और पूछ लीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में सैम्पल लिये जाते हैं और सैम्पल लिये जाने के बाद जो रिजल्ट आता है वह या तो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है तो जो पॉजिटिव या निगेटिव रिजल्ट आयेगा, क्या सरकार उसको अखबारों में विज्ञापित करेगी ? एक का सैम्पल लिया वह सही पाया गया और दो का सैम्पल लिया गया वह गलत पाया गया और उस पर जुर्माना होकर उसको सजा हो गयी, लेकिन आम जनता उस परिणाम से वाकिफ नहीं हो पाती है। इसलिये समाज में यह मैसेज कैसे जाए कि अमुक का सैम्पल फर्जी था इसकी दुकान पर मत जाओ या अमुक का सैम्पल असली था इसलिये यह ठीक है तो क्या सरकार हर सैम्पल के जजमेण्ट के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी या नगर पालिका ब्लॉक के बोर्ड पर लगायेगी कि अमुक के सैम्पल में यह मिलावट पाई गयी और अमुक का सैम्पल सही पाया गया ?

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि मुझे भी एक छोटा या अनुपूरक प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप बैठ जाएं। मा0 सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि क्या आप इस तरह का कोई प्रकाशन करायेंगे कि इनके सैम्पल से मिलावट पाई गयी या नहीं पाई गयी। एक सुझाव मा0 सदस्य ने दिया है, क्या आपकी इस संबंध में कोई कार्य योजना है ?

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, सबसे पहले मैं अपने सभी साथी विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सरकार से पहले से ज्यादा अपेक्षाएं रखी हैं और वह उम्मीद करते हैं कि जो अब तक न हुआ वह अब मुमकिन है। क्योंकि अब मोदी और योगी हैं तो मुमकिन है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजे थपथपायी गयीं) इसलिए हम आपको निराश नहीं करेंगे।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है।

(विपक्ष के दो-तीन सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास किया गया)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय इरफान जी, कितने अनुपूरक करेंगे ? अभी आगे बहुत सारे प्रश्न हैं। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न संख्या-4 माननीय अदिति सिंह जी का है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अदिति सिंह जी अनुपस्थित हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा गलत मीटर लगाकर बिजली बिल निकालने एवं वसूली करने से सम्बन्धित

***4-सुश्री अदिति सिंह-**

[अनुपस्थित]

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाकर बिजली के बिल की वसूली की योजनाएं वर्तमान में प्रचलित हैं ? यदि हां, तो अभी तक कुल कितने प्रतिशत ग्रामीणों के यहां बिजली का मीटर लगाया जा चुका है ? क्या सरकार को ऐसे ग्रामीण उपभोक्ता जिनके यहां मीटर लगाये जा चुके हैं, को गलत मीटर रीडिंग दिखाकर लाखों रुपये के बिजली बिल भेजने की शिकायतें, प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

माह जून, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विधा के 84.73 प्रतिशत उपभोक्ताओं के परिसर पर बिजली के मीटर स्थापित किये जा चुके हैं।

कतिपय प्रकरणों में मीटर रीडिंग त्रुटिवश अंकित होने पर निर्गत बीजक संशोधित कर दिया जाता है। त्रुटिवश बिलों का संशोधन करना विभाग द्वारा प्राथमिकता पर लिया गया है।

विभागीय उपकेन्द्रों/कार्यालयों पर शिविर आयोजित कर बिल संशोधित किये जाते हैं।

1912 हेल्पलाइन नम्बर पर दिनांक 13-04-2017 से 03-07-2019 के मध्य कुल 259195 बिल सम्बन्धी प्रकरण दर्ज हुये, जिसमें से 256911 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 99.12 प्रतिशत प्रकरण निस्तारित किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली चोरी रोकने की कार्य योजना बनाने विषयक

***5-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की चोरी से लासेस को कम करने की सरकार की कोई योजनाएं हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

प्रदेश में विद्युत चोरी से लासेस को कम करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में 1 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना (कुल 75 थाने) स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। पुलिस कार्मिकों की उपलब्धता कराये जाने के साथ जनपदों में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सतर्कता स्कन्ध के नियन्त्रणाधीन पूर्व से कार्यरत 33 प्रवर्तन दलों के अतिरिक्त नये 55 प्रवर्तन दलों की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें 20 नये स्वीकृत दलों को क्रियाशील किया जा चुका है एवं पुलिस कार्मिकों की उपलब्धता कराये जाने के साथ अवशेष नये स्वीकृत 35 प्रवर्तन दलों को क्रियाशील किया जायेगा।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 2,31,639 विभागीय एवं सतर्कता रेड टीमों द्वारा विद्युत चोरी पकड़ने हेतु रेड्स (छापा) डाले गये जिसमें 1,46,480 प्रकरणों में विद्युत चोरी एवं 32,544 प्रकरणों में विद्युत उपभोग सम्बन्धी अन्य अनियमितता पायी गई, जिसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने, अन्य विधिक कार्यवाही, राजस्व निर्धारण एवं राजस्व निर्धारण वसूली आदि की कार्यवाही की गयी है।

प्रदेश में विद्युत चोरी से होने वाली लाइन हानियों को कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1-ए0बी0सी0 प्रतिस्थापन-

(अ) नगरीय क्षेत्रों में ए0बी0सी0 प्रतिस्थापन-

इस योजना के अन्तर्गत नगरीय विद्युत वितरण खण्डों में अधिक विद्युत चोरी वाले स्थानों को चिन्हित कर रु0 1 करोड़ (एक वितरण खण्ड हेतु) की लागत में ए0बी0 केबिल प्रतिस्थापना का कार्य किया जा रहा है। इस योजना में अब तक कुल 173 परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 1000 कि0मी0 ए0बी0 केबिल लगाये जाने का कार्य स्वीकृत किया गया है एवं इनमें से 41 परियोजनाओं के अन्तर्गत 210 कि0मी0 ए0बी0सी0 लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में ए0बी0सी0 प्रतिस्थापन-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ऊर्जा हानियों वाले 1000 से अधिक आबादी वाले कुल 48403 मजरों में विभिन्न संस्थाओं से दो चरणों में (वर्ष 2019-20 एवं 2020-21) रु0 3,765.83 करोड़ ऋण लेकर एरियल बंच केबिल लगाये जाने का कार्य कराया जा रहा है। पश्चिमांचल, मध्यांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जिनमें क्रमशः 75, 37 एवं 575 मजरों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्य कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

2-भूमिगत केबलिंग-

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विद्युत चोरी एवं विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से रु0 1441.57 करोड़ की लागत से 24 जनपदों के अन्तर्गत 30 परियोजनाओं में 6144.1 स0कि0मी0 एल0टी0 लाइन एवं 936.67 स0कि0मी0 एच0टी0 लाइन भूमिगत किये जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष 5951.56 सर्किट कि0मी0 एल0टी0 लाइन एवं 921.18 सर्किट कि0मी0 एच0टी0 लाइन भूमिगत किये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अदिति सिंह जी अनुपस्थित हैं। माननीय हर्षवर्धन जी, उत्तर बहुत लम्बा है, अगर आप कोई अनुपूरक प्रश्न करना चाहें तो कर लें ?

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि हमारे सामने बिजली चोरी की जो भयानक समस्या है उसके लिए आपने पुलिस थानों का इन्तजाम

किया है। मा0 मंत्री जी मैं यह जरूर कहूंगा कि इस प्रश्न के पूर्ण उत्तर के लिये दो आंकड़े मिसिंग है, इनको आप उपलब्ध कराने का काम कर लें कि उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2019 का फाईनल इस्टीमेट और फाईनल रिवाइज्ड बजट भी आपके पास आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो रिवाइज्ड इस्टीमेट बजट तो आपके पास जरूर होंगे ? चोरी की समस्या कितनी बड़ी है इसलिए आप यह जरूर बतायें कि रेवेन्यू एक्सपेन्सेज के पार्ट में डेड सर्विसिंग का कितना हिस्सा उदय बॉन्ड की इन्ट्रेस्ट सर्विसिंग में जाता है और बजट के कैपिटल एक्सपेन्सेज के डेड सर्विसिंग के पार्ट में उदय बॉन्ड के प्रिंसिपल पेमेन्ट्स का कितना प्रतिशत जाता है ? वित्तीय वर्ष 2019 के टी0एन0 सीज लॉसेज कितने थे कम्पेयर टू फाइनेन्सियल ईयर-2018 और उसके फाइनेन्सियल ईयर-2020 के टारगेट्स क्या हैं ? मा0 मंत्री जी अब मैं अपने अनुपूरक पर आता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने भारी मात्र में उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों में भूमिगत केबलिंग का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय बाजपेयी जी आप सीधे अनुपूरक प्रश्न करिए, पहले आपने सुझाव दे दिया वह न तो मा0 मंत्री जी समझ पाए और न ही माननीय सदस्य समझ पाये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुपूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने भूमिगत केबलिंग के आंकड़े दिए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। एल0टी0 लाइन में 936 कि0मी0 के अगेन्स्ट 921 कि0मी0 और एच0टी0 लाइन में 6000 कि0मी0 के कम्पैरिजन में 5951 सर्किट कि0मी0 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसका मतलब है कि 90 प्रतिशत टारगेट भूमिगत केबिलिंग का कार्य आप कर चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप अनुपूरक पूछिए ?

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अनुपूरक ही पूछ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

यह अनुपूरक नहीं है।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, आंकड़े पर अनुपूरक पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि अगर भूमिगत केबलिंग के 90 प्रतिशत टारगेट कम्प्लीट हो गये हैं तो क्या इसका मतलब है कि नए भूमिगत केबल के प्रोजेक्ट नहीं दिए गये हैं ? क्योंकि 90 प्रतिशत अचीवमेन्ट हो गया है। दूसरी बात, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ए0बी0सी0 केबलिंग जिसको सामान्य भाषा में बंच केबलिंग कहते हैं

जिससे काफी चोरी रुकवाई गई है क्योंकि विधायकों को सबसे अच्छा अंदाजा होता है कि किस एरिया में बन्च केबलिंग की ज्यादा आवश्यकता है और कहां तार ज्यादा जर्जर है तो क्या मा0 मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि सभी विधायकों से चीफ इंजीनियर उनके क्षेत्र के प्रोजेक्ट लेंगे कि हमें कहां पर बन्च केबलिंग का अगला काम करवाना है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आखिरी अनुपूरक पूछकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि बिजली विभाग के आपके जो इम्प्लाई हैं वह लोग बिजली का हिसाब कलेक्ट करने में परेशान न हों और बिजली लॉसेस को कम कर पायें तो क्या एल0एम0वी0 वन टाइप के जितने भी डोमेस्टिक कनेक्शन हैं सबसे आप स्मार्ट और प्री पेड मीटर लगवाने का काम करेंगे क्योंकि स्मार्ट से भी काम नहीं चलेगा और केवल प्री पेड से भी काम नहीं चलेगा। क्या मा0 मंत्री जी स्मार्ट एण्ड प्री पेड मीटर लगवाने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य के दो सुझाव हैं और सरकार इन पर गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य के सुझाव अच्छे हैं और आप इन पर विचार कर लीजियेगा।

डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश-

माननीय अध्यक्ष जी, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत हमारे यहां पर टोरेन्ट पावर फ्रेन्चाइजी है। वहां पर यह स्थिति है कि जब कोई नया व्यक्ति विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है और कोटेशन की धनराशि जमा कर देता है तो भी फ्रेन्चाइजी उनके यहां पर कई-कई महीनों तक मीटर नहीं लगाती है। जब मीटर नहीं लगता है तो संबंधित उपभोक्ता बिजली चोरी करता है और उसे कम्पनी के लोग संरक्षण देते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी संबंधित कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करायें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न से हटकर आप जो विषय पूछ रहे हैं वह आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा और माननीय मंत्री जी उसे दिखवा लेंगे।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में जो कांशीराम आवास बने हैं उसमें कैसे क्या एलाटमेण्ट हुआ है वह अलग विषय है लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में समाज का सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति वहां रहता है। आज इतने वर्ष बीतने के बाद वहां रहने वाले लोगों का डेढ़-डेढ़ लाख और दो-दो लाख रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

पूछना चाहता हूं कि कांशीराम आवास में रहने वाले जो लोग हैं उनके बिल माफ करने या उनके बिलों का सरलीकरण करने की कोई योजना सरकार के पास है अथव नहीं ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी आप बता दीजिये कि कोई योजना है अथवा नहीं ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, जो विषय माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है उसमें सतत प्रक्रिया है कि जहां त्रुटिवश गलत बिल पहुंच जाते हैं उनको स्थानीय एस0डी0ओ0 दफ्तर द्वारा एक सप्ताह के अन्दर ठीक किया जाता है। इसकी सूचना 1912 टोल फ्री नम्बर पर देने की भी व्यवस्था की गई है। उसमें हमें भी सुविधा रहती है। यदि गलत और त्रुटिवश बिल भेजे जाते हैं उनको सात दिन के अन्दर ठीक करने का प्राविधान है।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

माननीय मंत्री जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरी कालोनी के कनेक्शन ही सामूहिक रूप से काट दिये गये हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र किशनी में कनेक्शन काट दिये गये हैं, मैनपुरी में काट दिया गया है और जगहों पर भी काट दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी यह एक सामूहिक समस्या है।

श्री अधिष्ठाता-

अब माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ शहर के अन्दर अण्डरग्राउण्ड बिजली का काम हुआ है। करीब 80 करोड़ की लागत का यह कार्य वर्ष 2015-2016 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज भी वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। मेन्टीनेन्स का कोई बजट नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर जो अधूरा काम पड़ा है उसको बजट देकर क्या पूरा कराने का काम करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के यहां अण्डरग्राउण्ड केबिल का काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसको आप दिखवा लीजिये।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसकी पूरी जानकारी लेकर जितना जल्दी हो सकता है प्रयास करेंगे।

प्रदेश में मार्च, 2017 तक कुल खोले गये विद्युत सब स्टेशनों की संख्या के संबंध में

***6-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह मार्च 2017 से 23 मई, 2018 तक कुल कितने विद्युत सब स्टेशन कितनी-कितनी क्षमता के किन-किन स्थानों पर खोले गए ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

वितरण क्षेत्र में-

उत्तर प्रदेश में माह मार्च, 2017 से दिनांक 23.05.2018 तक 2620 एम0वी0ए0 क्षमता के कुल 326 नग 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊजीकृत किये गये हैं।

पारेषण क्षेत्र में-

माह मार्च, 2017 से 23 मई, 2018 तक प्रदेश में 400 के0वी0 क्षमता के 07 नग, 220 के0वी0 क्षमता के 14 नग एवं 132 के0वी0 क्षमता के 34 नग उपकेन्द्र ऊजीकृत किये गये।

जी हां। †(सूची संलग्न)

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालजी वर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने ऊजीकृत का कहा है और प्रश्न था कि प्रदेश में माह मार्च, 2017 से 23 मई, 2018 तक कुल कितने विद्युत सब स्टेशन कितनी-कितनी क्षमता के किन-किन स्थानों पर खोले गए ? इसमें पूछने का आशय था कि उस तारीख से कितने नये स्वीकृत किये गये और उनकी आज की प्रगति तथा स्थिति क्या है ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, इसमें पूरी सूची संलग्न है और हम इसकी सूची भी आपको उपलब्ध करा देंगें। मैंने टोटल जो ऊजीकृत हुए हैं उसकी जानकारी दी है।

श्री अधिष्ठाता-

वह आपसे नये सब स्टेशनों की जानकारी लेना चाहते थे।

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 287 पर।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। वर्ष 2019-20 में मा0 सदस्य जो पूछ रहे हैं उसमें टोटल 85 हैं और जो ऊजीकृत किये गये हैं 87 हैं तथा जो अपग्रेड किये गये हैं वह 510 हैं टोटल 542 क्षमता के जिनकी क्षमता वृद्धि 1012 की है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी मा0 लाल जी वर्मा जी का पूछना है कि अगर इन पीरियड में कोई नया सब स्टेशन खोलने या स्थापित करने पर आपने विचार किया है तो उनकी संख्या कितनी है और वह कब तक संचालित हो जाऐंगे ? अगर आपके पास इसकी सूचना हो तो बता दीजिए।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

अधिष्ठता महोदय, इनकी कुल संख्या 170 है जो कि आने वाले समय में आने वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं पहली बात तो अधिष्ठाता महोदय, सवाल तो आप ही का था आपको तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए था क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है। इसमें अधिकारियों ने उत्तर को बहुत घुमा-फिरा कर दिया है। मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस दौरान का आपने सवाल किया है ? इस दौरान सरकार द्वारा कुल कितने सब स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि मार्च, 2017 से पहले प्रदेश में 33/11 132, 220 या 400 के0वी0ए0 के जितने सब स्टेशन स्वीकृत थे। इसमें धन आवंटन की प्रक्रिया भी हो गयी थी। टेंडर भी हो गये थे। क्या वह सभी के सभी सब स्टेशन पूर्ण कर लिये गये हैं ? अगर पूर्ण नहीं किये गये हैं तो सरकार उसे कब तक पूरा कराकर ऊजीकृत कराने का काम करेगी ?

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

यदि नहीं पूर्ण किये गये हैं तो उसे कब तक पूर्ण कराकर ऊजीकृत कराने का काम करेगी।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, हमने तो जो पूरे हो गये हैं उसकी भी जानकारी दी है और भविष्य में और क्या करने वाले हैं उसकी भी जानकारी दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

इनके दो प्रश्न हैं जिस पर वर्मा जी ने बल दिया था कि इस पीरियड में कितने खोले गये हैं। अगर खोले गये हैं तो कब तक संचालित होंगे दूसरा उन्होंने कहा कि 2017 से पहले अगर कोई सब स्टेशन खोले गये हैं तो उनको कब तक ऊजीकृत करेंगे। यही दो प्रश्न हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, मैंने कहा कि 542 उपकेन्द्र हैं जिनको नया खोला गया है। मान्यवर, 1012 की क्षमतावृद्धि की गयी है। जो प्रस्तावित हैं वह 110 और 176 क्षमतावृद्धि वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मान्यवर, अगर मा0 मंत्री जी के पास इसका जवाब आज नहीं है तो मा0 मंत्री जी समय लेकर इसका जवाब दे दें। मेरा सीधा सवाल है कि मार्च, 2017 से पहले प्रदेश सरकार द्वारा, सरकार कोई भी आये-जाये, सरकार तो रहती ही रहती है। मार्च, 2017 के पहले सरकार द्वारा जितने स्वीकृत 33/11, 132, 220, 400 के0वी0 के सब स्टेशन स्वीकृत हैं जिनके टेण्डर हो गये हैं जिन पर काम की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी थी उन सभी सब स्टेशनों को सरकार कब तक पूरा कराने का काम करेगी। मेरा यह सीधा सा सवाल है।

श्री अधिष्ठाता-

देखिये, प्रश्न की परिधि में आइये। जितना प्रश्न पूछा गया उतना मा0 मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। मा0 मंत्री जी अगर इसकी सूचना हो तो आप मा0 शैलेन्द्र जी को जानकारी दे दीजिएगा। मा0 मंत्री जी जो शैलेन्द्र यादव जी ने पूछा है कि 2017 के पहले जो सब स्टेशन बने हैं वह ऊजीकृत हुये हैं कि नहीं हुये हैं, उसमें बजट आवंटित हो गया था, उसकी सूचना मा0 मंत्री जी दे दीजिएगा।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, पूरी सूचना आपको उपलब्ध करा देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों को बैंक ऋण एवं सरकारी योजनाओं, अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाने विषयक

***7-श्री अजय कुमार लल्लू-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या जिलावार कितनी है ? क्या सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाने के लिए मजदूरों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी हां, किसी विशिष्ट सर्वेक्षण के अभाव में भूमिहीन कृषि मजदूरों की यथार्थ संख्या एवं विवरण बताया जाना सम्भव नहीं है तथापि अवगत कराना है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 (SECC-2011) के अनुसार प्रदेश में ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास भूमि नहीं है 1,16,49,175 (एक करोड़ सोलह लाख उन्चास हजार एक सौ पचहत्तर) है, जो प्रदेश के कुल परिवारों का 44.78 प्रतिशत है। तत्समय का जनपदवार विवरण संलग्न है।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को असंगठित कर्मकार अधिनियम, 2008 की धारा-2 के अन्तर्गत असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत करते हुए तथा उन्हें पंजीयन कार्ड उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा। वर्तमान में उक्त कर्मकारों को भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का लाभ दिया जा रहा है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा ऋण दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

असंगठित कर्मकार अधिनियम, 2008 की धारा-2 के अन्तर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन असंगठित कर्मकारों के रूप में किया जायेगा। असंगठित कर्मकारों के पंजीयन के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या-150/2012 में दिनांक 21.08.2018 को आदेश किया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीयन हेतु मॉड्यूल तैयार कर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को माह दिसम्बर, 2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा माह जनवरी, 2019 से प्रतिमाह अनुमानित कर्मकारों के 10 प्रतिशत कर्मकारों का पंजीयन किया जायेगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से उक्त पंजीयन मॉड्यूल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त पंजीयन माड्यूल प्राप्त होने के उपरान्त प्रदेश में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन करते हुए उन्हें बोर्ड द्वारा घोषित की जाने वाली योजनाओं से लाभान्वित कराया जायेगा। वर्तमान में उक्त कर्मकारों को भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना से आच्छादित किया जा रहा है।

लागू नहीं होता है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अधिष्ठता महोदय, सरकार ने माना है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों का कोई ब्यौरा नहीं है। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई है उसके आधार पर अभी भी 44.78 प्रतिशत लोग भूमिहीन की स्थिति में हैं। सरकार ने अपने लोक संकल्प पत्र में कहा था कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को जमीन-बैंक, सरकारी योजना एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध

कराये जायेंगे। केन्द्र और राज्य में भाजपा की ही सरकार है। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया था कि एक वर्ष में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीयन का अनुपालन किया जाये। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भूमिहीनों को भूमि का पट्टा दिया था। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के अन्तर्गत कितने कामगारों ने पंजीयन कराया है और आप नियमित रूप से पेंशन का प्रीमियम भुगतान कर रहे हैं ? प्रदेश में कुल असंगठित कामगारों में 40 वर्ष से कम उम्र की आबादी का प्रतिशत क्या है ? प्रदेश में भवन एवं अन्य कार्य में लगे कामगारों की संख्या कितनी है ? क्या मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकारों द्वारा भूमिहीन कामगारों को आवंटित की गई भूमि में कितने हितकारियों को कब्जा दखल मिला है ? भूमिहीनता से जुड़ रही बढ़ती आबादी के लिए क्या भूमि आवंटन की कोई योजना है और कितने मजदूरों को दीनदयाल बीमा योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये का बीमा सरकार द्वारा निःशुल्क कराया गया है। मा0 मंत्री जी बस इतने सवालों का जवाब दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अब तक मा0 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना की चूंकि अभी हाल में ही शुरुआत हुई है और उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग गई। लेकिन उसके बावजूद अब तक लगभग साढ़े 5 लाख लोग सदस्यता ले चुके हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी जैसे ही भारत सरकार द्वारा मॉड्यूल प्राप्त हो जायेगा, असंगठित कर्मकारों के हितों के लिए जो असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड बना हुआ है, उनके लिए जो उपलब्ध योजनाएं हैं उनको प्रदान की जायेंगी। इसलिए यह सरकार की चिंता है। देश की आजादी के इतने लम्बे अन्तराल के बाद इस देश में खेतिहर मजदूरों के लिए यदि किसी सरकार ने पहली बार उनके हितों की चिंता की है, उनको पेंशन देने की व्यवस्था की, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बना करके उनको विकास की मुख्यधारा में खड़ा करने का प्रयास किया है तो वह मा0 मोदी जी एवं मा0 योगी जी की सरकार ने किया है। जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लैस करके आज समाज के उस अन्तिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैंने मा0 मंत्री जी से पूछा कि क्या भूमिहीनता से जुड़ रही बढ़ती आबादी के लिए सरकार के पास भूमि आवंटन की कोई योजना है, इस पर मा0 मंत्री जी का अब तक कोई जवाब नहीं आया और 40 वर्ष से कम उम्र का प्रतिशत क्या है ? कृपया मा0 मंत्री जी इस सदन को बतायेंगे ? मैंने पूछा कि भूमिहीनता से 44.78 प्रतिशत आबादी

जूझ रही है, इनको भूमि आवंटन करने की कोई योजना है और 40 वर्ष से कम उम्र की आबादी का प्रतिशत क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य कांग्रेस पार्टी के विधान मण्डल के नेता भी हैं और ये सभी जानते हैं कि हमारी कल्याणकारी सरकार हमेशा गरीबों के लिए प्राथमिकता के साथ खड़ी होती है और जो भी भूमिहीन हैं, वह कोई भी हो, उन भूमिहीनों को जमीन का पट्टा देने के लिए राजस्व विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और हम श्रम विभाग द्वारा योजनाएं उन्हें देते हैं और इसलिए आपके माध्यम से मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें आज तक गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए नहीं कर सकी हैं उन सबके लिए आज योगी जी की सरकार और मोदी जी की सारकार कर रही है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)। मान्यवर, ये चिंता इन्हें नहीं होनी चाहिए, ये हमारी चिंता है और अगर ये चिंता करते तो 40-42 साल तक सत्ता में रहने के बाद आज ये तीन-चार सदस्यों में सिमट न गए होते और आज यही कारण है कि मोदी जी और योगी जी के कार्यों को देखकर देश की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में ये भीड़ यहां भेजी है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो स्पेस्फिक सवाल पूछा जा रहा है, ये उसका जवाब नहीं है। सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए)

(सत्तापक्ष के सदस्यों के कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।[†] जब वो लोग जा रहे हैं तो आप लोग ललकार क्यों रहे हैं, आप लोग शांति से बैठिए।

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के सम्बन्ध में

***8-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या श्रम एवं संवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरियों के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार दिये जाने हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने

[†] नोटः- आज की कार्य-सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-07 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं ? क्या सरकार पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही कॅरियर कॉउन्सिलिंग का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर माह जून, 2019 तक पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या 3052637 है।

प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की कुल विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति विषयक

***9-श्री नाहिद हसन-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कुल विद्युत मांग के सापेक्ष कुल विद्युत आपूर्ति में कितना अन्तर है ? क्या सरकार कुल विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति प्रदेश के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

एक पूरे वर्ष में, प्रदेश में विद्युत की मांग, मौसम के अनुसार बदलती रहती है। शीतकाल में जहां यह विद्युत मांग लगभग 10-12 हजार मे0वा0 रहती है, वहीं ग्रीष्मकाल में यह 22000 मे0वा0 तक हो जाती है।

इसी के साथ, किसी भी मौसम में, एक पूरे दिन में भी विद्युत मांग में परिवर्तन होता है। सायंकाल (लगभग 6 बजे से 12 बजे तक) विद्युत मांग, दिन के सामान्य समय के सापेक्ष सामान्यतः लगभग 4-5 हजार मे0वा0 तक अधिक रहती है।

सामान्यतः प्रदेश में विद्युत मांग के अनुसार पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध रहती है परन्तु पीक माहों (अप्रैल से अक्टूबर) के पीक आवर्स (सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक) में ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति में लगभग 1000 मे0वा0 से 1500 मे0वा0 तक का अन्तर रहता है जिसे निम्न माध्यमों से ऊर्जा प्राप्त करके पूरा किया जाता है :-

(क) अल्पकालीन ऊर्जा क्रय।

(ख) पावर एक्सचेंज से ऊर्जा क्रय।

(ग) मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एवं हिमांचल प्रदेश से बैंकिंग ऊर्जा अनुबंध (वर्ष 2018 में निष्पादित)।

(घ) पश्चिम क्षेत्र की 16 परियोजनाओं से यू0आर0एस0 पावर की व्यवस्था (वर्ष 2018) में स्थापित।

जी हां।

वर्ष 2029-30 तक विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति हेतु ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत 43282.17 मे0वा0 की उपलब्धता हेतु दीर्घकालीन योजना तैयार की जा चुकी है, जिसमें से वर्तमान में 26124.17 मे0वा0 की परियोजनाओं से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, शेष 17158 मे0वा0 की परियोजनाओं से भविष्य में ऊर्जा प्राप्त होगी।

उक्त के अतिरिक्त सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रोत्साहन हेतु 2024 तक कुल 9750 मे0वा0 की अतिरिक्त क्षमता अनुबन्धित किये जाने की कार्य योजना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में पीक ऑवर्स में ऊर्जा की मांग के सापेक्ष ऊर्जा आपूर्ति किये जाने हेतु शाट टर्म ऊर्जा क्रय प्रणाली के अन्तर्गत एवं पावर एक्सचेंज से ऊर्जा क्रय करके पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मकानों के ऊपर 68 के0वी0 एवं उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन के सम्बन्ध में

***10-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश 68 के0वी0 एवं उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना मकानों के ऊपर या आबादी के बीच से न किये जाने का दिशा निर्देश जारी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश में शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण बस्तियों में मकानों के ऊपर तथा आबादी के बीच से ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना नहीं करायी जाती है।

किसी भी व्यक्ति द्वारा पूर्व से विद्यमान लाइनों के नीचे/समीप निर्माण करना अवैध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विद्युत उपभोक्ताओं के बिल भुगतानों के सम्बन्ध में

***11-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विद्युत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह समय पर बिल न मिलने से उपभोक्ता नियमित बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं और उन पर कई-कई महीनों/सालों का अनावश्यक भार बढ़ता जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को समय पर बिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान में ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं को बिल समय पर निर्गत करने हेतु मोबाइल एप से मौके पर रीडिंग लेकर वहीं पर बिल देने हेतु बिलिंग एजेन्सी कार्यरत है, जिसके द्वारा प्रत्येक माह उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध कराये जा रहे हैं। किसी अपरिहार्य कारण से उपभोक्ता को बिल प्राप्त नहीं हो पाने की दशा में खण्ड/उपखण्ड कार्यालय पर डुप्लीकेट बिल प्राप्त किये जाने की व्यवस्था लागू है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट यू0पी0पी0सी0एल0 डाट ओ0आर0जी0 पर भी उपभोक्ता अपना बिल देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता जनसेवा केन्द्र (सी0एस0सी0 वी0एल0ई0) पर भी अपना बिल देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नं0-1912 पर भी बिल न प्राप्त होने की शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में परिवारों को राशन कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में

***12-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिवारों को शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रदेश में अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों की संख्या 4094500 निर्धारित है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 79.56 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में अधिकतम 64.43 प्रतिशत आबादी का इन्क्लूजन क्राइटेरिया

के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार/व्यक्ति का पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड बनाये जाने का प्राविधान है। अतः शत-प्रतिशत परिवारों को राशन कार्ड जारी किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश की 33000 के0वी0 विद्युत लाइनें जो आवासीय क्षेत्रों में हैं, के सम्बन्ध में

***13-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 33000 के0वी0 विद्युत लाइनें जो आवासीय क्षेत्रों में आ गयी हैं, को चिन्हित कर रिहायशी क्षेत्रों से हटाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

33 के0वी0 लाइनों का निर्माण रिहाइशी परिसर या आवासों के ऊपर से नहीं कराया जाता है। लाइनों के बनने के पश्चात् कुछ स्थानों पर जनसमुदाय द्वारा आवास बना लिये जाते हैं।

33 के0वी0 लाइनों की शिफ्टिंग तकनीकी एवं स्थान की उपलब्धता के अनुसार करायी जाती है। मकानों/आबादी के ऊपर से लाइनों को शिफ्ट किये जाने हेतु पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत लाइनों को हटवाने की सुविधा जमा योजना के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। शिफ्टिंग के विकल्प के रूप में सुरक्षा हेतु लाइनों की गार्डिंग करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

इण्डस्ट्रियल पॉवर के उ0प्र0 में रेट निर्धारित करने के सम्बन्ध में

***14-डॉ0 अरुण कुमार-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्डस्ट्रियल पॉवर के क्या रेट निर्धारित हैं ? क्या सरकार अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में उद्योगों को कम दर पर विद्युत उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश में इण्डस्ट्रियल उपभोक्ताओं हेतु मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरें संलग्नक-1 एवं 2[†] के अनुसार है।

विद्युत दर का निर्धारण कुल लागत पर विचार कर मा0 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

[†] नोटः- देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 301 पर।

विभिन्न प्रदेशों के लिये विद्युत क्रय की औसत दर तथा अन्य व्यय भिन्न-भिन्न होते हैं, जिससे प्रदेशों की औसत विद्युत आपूर्ति लागत एक समान नहीं होती है। प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग द्वारा उस प्रदेश के लिये जो रेगुलेशन बनाये जाते हैं उसके अनुसार विद्युत दर के निर्धारण उसके द्वारा किया जाता है।

प्रदेश के सभी गांवों/घरों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

***15-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी गांवों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कराये जाने का लक्ष्य है ? यदि हां, तो कब तक उसे पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी आबाद राजस्व गांवों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है, अब कोई भी गांव विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है। अन्तिम रूप से दिनांक 01.04.2015 को उ0प्र0 में कुल 1529 ग्राम विद्युतीकरण हेतु अवशेष थे, जिनमें से 53 ग्राम गैर-आबाद थे। शेष 1476 अविद्युतीकृत ग्रामों को वर्ष 2015-16 में 1305, वर्ष 2016-17 में 162 एवं वर्ष 2017-18 में 09 ग्रामों को विद्युतीकृत कर राजस्व ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया। बाद में सघन जांच में पुनः प्रकाश में आये 54 अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण माह फरवरी, 2018 तक कर लिया गया है। सभी मजरों का विद्युतीकरण भी सौभाग्य योजना में 31 मार्च, 2019 तक कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में परिवहन विभाग ए0आर0टी0ओ0 के पदों के सम्बन्ध में

***16-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में परिवहन विभाग के अन्तर्गत ए0आर0टी0ओ0 (सीधी भर्ती) के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को पी0सी0एस0 2019 के माध्यम से भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

वर्तमान समय में परिवहन आयुक्त संगठन में ए0आर0टी0ओ0 (सीधी भर्ती) के स्वीकृत 68 पदों के सापेक्ष 06 पद रिक्त हैं।

ए0आर0टी0ओ0 (सीधी भर्ती) के रिक्त 06 पदों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को पत्र संख्या-1498/तीस-3-2018-05जीई/2014, दिनांक 24.05.2018 द्वारा भेजा गया है, जो सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 में सम्मिलित है। इसकी प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 30 मार्च, 2019 को घोषित किया जा चुका है तथा मुख्य परीक्षा के आयोजन की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी नलकूपों के संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने विषयक

***17-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को निजी नलकूपों के संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने किसान प्रतीक्षारत हैं ? क्या सरकार प्रतीक्षारत् किसानों को कनेक्शन मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

दिनांक 01.04.2018 से 15.07.2019 तक (वर्ष 2019-20 सहित) कुल 121612 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से 59121 नलकूप ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं। शेष 62491 लम्बित हैं।

जी हां।

बजट में सब्सिडी हेतु रु0 68,000 प्रति नलकूप की धनराशि के प्राविधान के अन्तर्गत 'पहले आओ पहले पाओं' के सिद्धान्त से ऊर्जाकृत निरन्तर किये जा रहे हैं। बिना सब्सिडी के पूर्ण जमा योजना पर ऊर्जीकरण कभी भी प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिक रही नकली दवाइयों की रोकथाम हेतु कारगर योजना बनाने विषयक

***18-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दवाइयों की बिक्री के कारण कई मरीजों की मौत नकली दवाइयों से हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नकली दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने की कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नकली दवा की बिक्री के कारण किसी मरीज के मौत का प्रकरण संज्ञान में नहीं है। नकली औषधियों की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के अन्तर्गत नकली

दवाइयों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि निरीक्षकों द्वारा विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों से नियमित नमूना संकलित किया जाता है तथा औषधियों के नकली पाये जाने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा-18, 23 व 25 में विहित प्राविधानों के अनुसार विवेचना पूर्ण करते हुए अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाती है। विगत वर्ष 2017-18, 2018-19 में कुल 14,232 नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहीत किये गये, जिनमें से 781 नमूने मिथ्याछाप, 513 नमूने अधोमानक एवं 81 नमूने नकली पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद झांसी के गरौठा, गुरसराय, एरच, मोंठ, समथर, कस्बों में बस स्टैण्ड स्थापित कराने के सम्बन्ध में

1-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरसराय, गरौठा, एरच, मोंठ, समथर आदि कस्बों में बस स्टैण्ड न होने से यात्रियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त कस्बों में बस स्टैण्ड बनवाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरसराय, गरौठा, एरच, मोंठ, समथर कस्बों में परिवहन निगम की बसों का स्टापेज निर्धारित है, जहां पर बसों को रोककर यात्रियों को चढ़ाया व उतारा जाता है।

गुरसराय, गरौठा, एरच, मोंठ, समथर आदि कस्बों में परिवहन निगम के पास सम्प्रति भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः बस स्टैण्ड निर्माण सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कौशाम्बी में पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था के सम्बन्ध में

2-श्री संजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था विश्वनाथ प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिनांक 31.03.2019 तक किये गये कार्यों का भुगतान भौतिक सत्यापन के आधार पर कर दिया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां कार्य अधूरे हैं क्या सरकार इस योजना का शासन स्तर पर भौतिक सत्यापन कराकर कार्यदायी

संस्था एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अधूरे कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

भौतिक सत्यापन के आधार पर कार्यदायी संस्था मेसर्स विश्वनाथ प्रोजेक्ट लिमिटेड को रु0 74.74 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 20.20 करोड़ का भुगतान शेष है।

जनपद में कुल 105 ग्रामों/मजरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य अधूरे हैं जिसे वर्तमान में कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है।

जनपद में अधूरे विद्युतीकृत ग्रामों/मजरों का कार्य दिनांक 31.7.2019 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के कस्बा सिकन्दराराऊ के मुख्य बाजार में राठी चौराहा से सब्जी मण्डी रोड पर बिजली सम्बन्धित

3-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के कस्बा सिकन्दराराऊ के मुख्य बाजार में राठी चौराहा से सब्जी मण्डी रोड पर डाली गयी विद्युत केबिल पूरी तरह से झूलती हुयी आम आदमी के लिए जानलेवा बनी हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केबल को सही कराकर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद हाथरस के कस्बा सिकन्दराराऊ के मुख्य बाजार में राठी चौराहा से सब्जी मण्डी रोड पर झूली हुई विद्युत केबिल को बीच में पोल लगाकर दिनांक 18.07.2019 को ऊँचा कराकर विद्युत सप्लाई सुचारु करा दी गयी है। वहां पर एल0टी0 लाइन की कोई केबिल या तार नहीं लटका है, जिससे किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सम्भावना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के कस्बा सिकन्दराराऊ में जच्चा-बच्चा केन्द्र पर रखे ट्रान्सफार्मर के तार एवं बिजली सम्बन्धित

4-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के कस्बा सिकन्दराराऊ में जच्चा-बच्चा केन्द्र पर रखे ट्रान्सफार्मर के तार जमीन पर फैले हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तार को सही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद हाथरस के कस्बा-सिकन्दराराऊ में जच्चा-बच्चा केन्द्र पर रखे ट्रान्सफार्मर की केबिल व एल0टी0 लाइन के तारों को दिनांक 23.07.2019 को दुरुस्त (सही) करा दिया गया है, इससे अब किसी प्रकार की जान-माल का नुकसान होने की कोई सम्भावना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत चोरी रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में खुले तारों के स्थान पर बंच केबल डाले जाने सम्बन्धी

5-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले विद्युत तारों के स्थान पर बंच केबल डलवाने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ऊर्जा हानियों वाले 1000 से अधिक आबादी वाले कुल 48403 मजरों में विभिन्न संस्थाओं से दो चरणों (वर्ष 2019-20 एवं 2020-21) में रु0 3,765.83 करोड़ ऋण लेकर एरियल बंच केबिल लगाये जाने का कार्य कराया जा रहा है। पश्चिमांचल, मध्यांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जिनमें क्रमशः 75, 37 एवं 575 मजरों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिन स्थानों पर कार्य पूर्ण हो गया है, उन स्थानों पर विद्युत चोरी रुकने से अपेक्षानुरूप अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं एवं नये विद्युत संयोजनों में वृद्धि हुई है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्य कराया जाना प्रक्रियाधीन है। यह कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

स्कूली बच्चों के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहनों को अनुमति देने में सुधारात्मक अनिवार्यता लागू करने सम्बन्धी

6-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्कूली बच्चों के आवागमन हेतु प्रयुक्त वाहनों के दुर्घटनाएं घटित होने के दृष्टिगत स्कूल बसों एवं अन्य छोटे वाहनों को अनुमति देने में वाहनों की निष्प्रयोज्य आयु व बैठने वालों की संख्या निर्धारित करना, उनमें जी0पी0एस0 सिस्टम अनिवार्य करना, चालकों की शैक्षिक योग्यता तय करना, वाहनों व पार्किंग

स्थलों में सी0सी0टी0वी0 लगाया जाना सरकार अनिवार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश में स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में एक नया अध्याय नौ-क जोड़ते हुये ''विद्यालयी यानों के लिए विशेष उपबन्ध बनाये गये हैं, जो अधिसूचना संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा)/18, दिनांक 27.05.2019 द्वारा प्रख्यापित की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश मोटरयान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-222घ में वाहनों की आयु सीमा तथा नियम-222ठ में स्कूली वाहनों में सी0सी0टी0वी0 तथा जी0पी0एस0 लगाने का प्राविधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-8 में चालकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-99 में स्कूली वाहनों में बैठने वाले बालकों और शिशुओं की संख्या के सम्बन्ध में पूर्व से ही प्राविधान किये गये हैं।

पार्किंग स्थलों में सी0सी0टी0वी0 लगाये जाने की कोई योजना सम्प्रति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा खरीदी जा रही बिजली के रेट एवं उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिलाने सम्बन्धी

7-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों से वर्तमान में किस दर पर बिजली खरीदी जा रही है तथा खुले बाजार में किस दर पर बिजली की उपलब्धता है ? क्या सरकार विद्युत निगम और विद्युत उपभोक्ताओं के हितार्थ बिजली की सस्ती उपलब्धता हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों से वित्तीय वर्ष 2018-19 में तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 (मई 2019 तक) में क्रमशः रु0 4.60 प्रति यूनिट एवं रु0 4.13 प्रति यूनिट की आंगणित समेकित दर से बिजली खरीदी गयी।

विगत माह जून, 2019 में विद्युत खुले बाजार (इनर्जी एक्सचेंज) में औसत दर रु0 3.32/यूनिट तथा अधिकतम दर रु0 9.00/यूनिट पर उपलब्ध थी।

उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान सरकार प्रारम्भ से ही प्रतिबद्ध रही है। इस हेतु सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं :-

1-सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु निम्न ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निष्पादित किये गये-

I. सिंगरौली स्टेज-III क्षमता 1600 मे0वा0 (2x800 मे0वा0) जनवरी, 2019 को पीपीए हस्ताक्षरित किया गया। लेवलाइज्ड टैरिफ 3.15 रु0 प्रति यूनिट।

II. न्यू नबीनगर क्षमता 209 मे0वा0 अप्रैल, 2018 को पीपीए हस्ताक्षरित किया गया। लेवलाइज्ड टैरिफ 2.98 रु0 प्रति यूनिट।

III. किशनगंगा हाइड्रो 137 मे0वा0 के साथ जून, 2018 को पीपीए हस्ताक्षरित किया गया। थ्रू रेट 4.19 रु0 प्रति यूनिट।

IV. कामेंग हाइड्रो क्षमता 56 मे0वा0 के साथ जुलाई, 2018 को पीपीए हस्ताक्षरित किया गया। लेवलाइज्ड टैरिफ 4.11 रु0 प्रति यूनिट।

2-पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा निजी औद्योगिक घरानों के साथ एम0ओ0यू0 आधार पर किये गये 7040 मे0वा0 क्षमता के 07 पीपीए इसलिये निरस्त किये गये क्योंकि इनसे उत्पादित ऊर्जा की लागत दरें अधिक आतीं। निरस्त किये गये पीपीए निम्न तापीय परियोजनाओं के हैं- ललितपुर फेज-II क्षमता 1980 मे0वा0, भोगनीपुर फेज-I क्षमता 1320 मे0वा0, भोगनीपुर फेज-II क्षमता 1320 मे0वा0, मिर्जापुर क्षमता 1320 मे0वा0, मुर्का क्षमता 600 मे0वा0, बाराबंकी 250 मे0वा0, औरैया क्षमता 250 मे0वा0।

3-वर्तमान सरकार ने पूर्व में किये गये ऊर्जा क्रय अनुबन्धों की गहन समीक्षा की एवं अधिक ऊर्जा लागत की परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के साथ निगोसिएशन करने का निर्णय लिया। निगोसिएशन के उपरान्त निम्नानुसार बिजली की लागत में कमी कराई गई-

परियोजना का नाम	निगोसिएशन के उपरान्त बिजली की दर में रु0 प्रति यूनिट कमी
बजाज इनर्जी लिमिटेड	1.02
अलकनन्दा	2.07
ललितपुर	0.44
के0एस0के0	0.32

4-सरकार के वर्ष 2030 तक उ0प्र0 में उपलब्ध होने वाली ऊर्जा एवं सम्भावित मांग का गहन परिक्षणोपरान्त यह तथ्य सामने आया कि भविष्य में आने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होगी। परन्तु पीक माहों में (अप्रैल से अक्टूबर) एवं पीक आवर्स (सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक) की मांग के सापेक्ष ऊर्जा की उपलब्धता में सम्भावित कमी को पूरा करने हेतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के साथ ऊर्जा बैंकिंग के अनुबन्ध किये गये।

5-इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र की 16 परियोजनाओं जिसे उ0प्र0 को यह अंश आवंटित नहीं था उनसे आवंटन कराकर उनसे उपलब्ध होने वाली यू0आर0एस0 पावर प्राप्त होने हेतु व्यवस्था स्थापित की गई।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर में एच0टी0 के स्थान पर एल0टी0 लाइनों के सम्बन्ध में

8-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर के कितने ग्रामों को हाईटेंशन लाइनों के माध्यम से ऊर्जीकृत किया गया था ? क्या सरकार उक्त गांवों के अन्दर से जा रही एच0टी0 लाइन के स्थान पर एल0टी0 लाइनें डलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद गौतमबुद्धनगर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 182 ग्रामों को 201 कि0मी0 हाईटेंशन लाइनों का निर्माण कर 16 के0वी0ए0 एवं 25 के0वी0ए0 के परिवर्तक ऊर्जीकृत कर एल0टी0 लाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान किये गये।

उक्त गांवों के अन्दर से जा रही एच0टी0 लाइन के स्थान पर एल0टी0 लाइन डलवाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0-4568/पी0ए0 दिनांक 24.12.2018 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

9-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा आयुक्त, खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित पत्रांक सं0 4568/पी0ए0 दिनांक 24-12-2018 जो कि जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील-जानसठ के पूर्ति कार्यालय में भ्रष्टाचार

व अवैध वसूली के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

आयुक्त, सहानपुर मण्डल, सहारनपुर के पत्र के क्रम में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक श्री वेद प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के आदेश संख्या-590/आ0पू0अधि0 57/2018, दिनांक 25 जनवरी, 2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है एवं उनके कार्यालय आदेश संख्या-3440/आ0पू0अधि0स्था0पू0नि0 -11/19, दिनांक 29 जून, 2019 द्वारा श्री अग्रवाल का स्थानान्तरण जनपद मुजफ्फरनगर से जनपद रामपुर कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला कारागार, केन्द्रीय कारागार मानक के अनुसार निर्माण के सम्बन्ध में

10-श्री सुखदेव राजभर-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने जिला कारागार/केन्द्रीय कारागार मानक के अनुरूप निर्मित हैं तथा उनमें कैदियों को रखे जाने की क्षमता क्या है ? क्या उक्त जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त जेलों में बन्द कैदियों को जेल मैन्युअल के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला कारागारें-62

केन्द्रीय कारागारें-05

क्षमता केन्द्रीय कारागारें-8049

क्षमता जिला कारागारें-50652

जी हां।

05 केन्द्रीय कारागारों में कुल-10735 बन्दी निरुद्ध हैं।

62 जिला कारागारों में कुल-84944 बन्दी निरुद्ध हैं।

जी हां।

कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को जेल मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी से सीधे लखनऊ के लिए वोल्वो बस सेवा के संचालन विषयक

11-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी से लखनऊ के लिए वोल्वो बस सेवा न होने से यात्रियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो झांसी से लखनऊ के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

झांसी-लखनऊ मार्ग पर परिवहन निगम की 04 जनरथ ए0सी0 बसें संचालित हैं, जो उक्त मार्ग पर उपलब्ध यात्रियों के लिये पर्याप्त हैं।

झांसी क्षेत्र में वोल्वो बसें उपलब्ध नहीं हैं। उक्त मार्ग पर संचालित जनरथ ए0सी0 बसों का लोडफैक्टर 53 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। उक्त के दृष्टिगत झांसी के लिए अलग से वोल्वो बस सेवा संचालित कराये जाने की योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों को मुफ्त तथा अन्य छोटे उपभोक्ताओं को दिल्ली के बराबर दरों पर विद्युत आपूर्ति देने संबंधी

12-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शनों पर दिल्ली की भांति मुफ्त तथा अन्य छोटे उपभोक्ताओं की लागू दरों पर विद्युत आपूर्ति देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उत्तर प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों को तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जो लागत के आधे से भी कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से शिक्षित नौजवानों को काउन्सिलिंग द्वारा निजी कारोबार या रोजगार हेतु मार्गदर्शन संबंधी

13-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला स्तर पर स्थापित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से शिक्षित नौजवानों को निजी कारोबार या रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन देने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक् एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है, साथ ही प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के लक्ष्मणगंज क्षेत्र के निवासियों की परिवर्तक को अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में

14-श्री रवि शर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 28 मई, 2018 का पत्र, जो कि जनपद झांसी के लक्ष्मणगंज क्षेत्र के निवासियों की परिवर्तक को अन्यत्र स्थापित करने की मांग के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद-झांसी के लक्ष्मणगंज क्षेत्र में मौजूदा स्थल पर 630 के0वी0ए0 एवं 100 के0वी0ए0 के परिवर्तक स्थापित थे। 630 के0वी0ए0 परिवर्तक को हटाने के लिए आस-पास कोई भी जगह उपयुक्त नहीं पाई गई है। दूसरे परिवर्तक 100 के0वी0ए0 को सुरक्षा की दृष्टि से उस स्थान से हटा दिया गया है एवं एच0टी0/एल0टी0 लाइन के खराब केबिल बदलवा दिये गये हैं, जिससे कि पूर्व के अग्निकाण्ड की पुनरावृत्ति न हो सके।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सोरांव के जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत सौभाग्य योजना के अधीन गांवों में हुये विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

15-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में सौभाग्य योजना के अधीन कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र-सोरांव में सौभाग्य योजना के अधीन 799 नग गांवों/मजरों का विद्युतीकरण किया गया है तथा 309 गांवों/मजरों में आंशिक विद्युतीकरण का कार्य शेष है।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत आंशिक विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

दिनांक 27.8.2019 तक कार्य पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज, झांसी में विद्युत कटौती की समस्या से मुक्त कराने हेतु अलग से फीडर स्थापित कराने के सम्बन्ध में

16-श्री रवि शर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 23 जुलाई, 2018 का पत्र, जो कि मेडिकल कालेज, झांसी को विद्युत कटौती से मुक्त कराने हेतु अलग से फीडर स्थापित कराने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पत्र अप्राप्त है। समस्या का निदान कर दिया गया है।

वर्तमान में मेडिकल कालेज, झांसी की विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र मेडिकल कालेज, झांसी से निर्गत 11 के0वी0 स्वतंत्र पोषक कटौती मुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर एन0एच0-29 के बगल में पहाड़पुर चौराहा से लेकर सिधौरा बाजार में बस अड्डे के नव निर्माण विषयक

17-श्री सुभाष पासी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0-29 के बगल में पहाड़पुर चौराहा से सिधौना बाजार के मध्य बस अड्डा का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में पहाड़पुर चौराहा से सिधौना बाजार के मध्य परिवहन निगम के स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिगत बस अड्डा का निर्माण कराये जाने हेतु परिवहन निगम की कोई कार्य योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार द्वारा विकास के तहत सोलर पैनल लगवाने विषयक

18-श्री सुभाष पासी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में सौभाग्य योजना के तहत सोलर किट लगाने का कार्य कितने गांवों में पूर्ण है और कितने गांवों में शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सौभाग्य योजना के तहत क्रमशः ग्राम अलिमापुर में 04 नग, ग्राम सोनियापार में 02 नग एवं ग्राम सईचना में 05 नग उपभोक्ताओं का उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण विकास भवन, गाजीपुर द्वारा सोलर किट लगाने का कार्य पूर्ण कराया गया और सौभाग्य योजना के अन्तर्गत सोलर किट के लिए चयनित सभी घरों में सोलर किट स्थापित किया जा चुका है।

जी हां। (सूची संलग्न)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज के ग्राम कांटा, करौदी, मऊ, रामपुर आदि में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये जाने विषयक

19-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के कांटा, करौदी, मऊ, रामपुर सहित मोहनलालगंज क्षेत्र के अधिकांश गांवों में सरकार सौभाग्य योजना से छूटे गांवों में विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-लखनऊ की तहसील-मोहनलालगंज के ग्राम कांटा, करौदी, मऊ, रामपुर तथा तहसील मोहनलालगंज के अन्य राजस्व ग्राम एवं उनके मजरों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] नोटः- देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 303 पर।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में विद्युत लाइनों के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में

20-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में विद्युत लाइनों के विस्तारीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था एल0एन0टी0 तथा एन0सी0सी0 द्वारा कराये जा रहे हैं, अधूरे कार्यों के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विधान सभा क्षेत्र रुधौली में कार्यदायी संस्था एन0सी0सी0 को गांव एवं मजरों के विद्युतीकरण का कार्य दिया गया था परन्तु समयावधि समाप्त होने के कारण अवशेष कार्य को वर्तमान में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मे0 एल0एन0टी0 द्वारा किये जा रहे विद्युत लाइनों के विस्तारीकरण कार्य में अवशेष कार्य को पूर्ण कराया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जिलों के जेल बैरकों में क्षमता से अधिक कैदियों के रखने के सम्बन्ध में

21-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिलों के जेल बैरकों में क्षमता से अधिक कैदियों के विरुद्ध किए जाने से कैदियों को हो रही असुविधा सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षमता वृद्धि के लिए अतिरिक्त बैरकों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

क्रॉऊन बेकरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 22/15 साऊथ साइड जी0टी0 रोड इण्डस्ट्रियल एरिया के सम्बन्ध में

22-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रॉऊन बेकरी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 22/15 साऊथ साइड जी0टी0 रोड इण्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद में खाद्य निरीक्षक द्वारा

अन्तिम बार कितने बैचों का निरीक्षण किया गया तथा जांच का क्या नतीजा आया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि संस्थान के उत्पादों की क्वालिटी को मानकों के अनुरूप बनाये रखने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा क्रॉऊन बेकरी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 22/15 साऊथ साइड जी0टी0 रोड इण्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद का अन्तिम बार निरीक्षण दिनांक 08.05.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान बैच नं0-के0वी0/19 खाद्य पदार्थ बटर बादाम बिस्किट का उत्पादन होते पाया गया तथा गोदाम में कोकोनट कुकीज 45 ग्राम बैच नं0-के0वी0/19, दिनांक 04.05.2019 के लगभग 2000 गत्ते एवं जीरा बाइट 75 ग्राम बैच नं0-के0वी0/18, दिनांक 06.05.2019 के लगभग 1000 गत्ते भण्डारित पाये गये। निरीक्षण में खाद्य उत्पादों का उत्पादन नियमानुसार संतोषजनक पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता स्वयं समय-समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रमाणित आई0टी0एस0 प्रयोगशाला, नोएडा गौतमबुद्धनगर से उत्पादों की जांच कराते हैं खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य पदार्थ बटर कुकीज रिपोर्ट कोड एफडी-250219-01, दिनांक 05.03.2019, बटर कुकीज रिपोर्ट कोड एफडी-270219-03, दिनांक 01.03.2019, मैरी बिस्किट रिपोर्ट कोड एफडी-270219-01, दिनांक 01.03.2019, क्रीम बिस्टिक रिपोर्ट कोड एफडी-270219-02, दिनांक 01.03.2019 एवं डाइजेस्टिव बिस्किट रिपोर्ट कोड एफडी-270219-04, दिनांक 01.03.2019 निरीक्षण/जांच के समय प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्टों के आधार पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण में कोई कमी नहीं पायी गयी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खाद्य कारोबारकर्ता अपने उत्पाद की जांच स्वयं अपने प्रयोगशाला या किसी भी एन0ए0बी0एल0 खाद्य प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण/जांच की जाती है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2.1.3.4 में उल्लिखित शक्तियों के अन्तर्गत किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया जा सकता है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का पंजीकरण एवं लाइसेन्सिंग) विनियम, 2011 के एनेक्जर 03 में दी गयी लाइसेन्स की शर्त संख्या-12 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता को स्वयं अपनी या एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में 06 माह में कम से कम 01 बार अपने उत्पादों का विश्लेषण कराना होता है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के ग्राम बझेड़ा कला विकास खण्ड धौलाना विद्युत तार के बदलवाने के सम्बन्ध में

23-श्री असलम अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के ग्राम बझेड़ा कला विकास खण्ड धौलाना में विद्युत तार जर्जर हैं ? जिसकी वजह से ग्राम के विद्युत उपभोक्ताओं को

विद्युत आपूर्ति सही नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर विद्युत तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

विकास खण्ड-धौलाना के ग्राम-बझेड़ा कला में जर्जर तारों को बदलने के कार्य हेतु बाह्य एजेन्सी मेसर्स एल0 एण्ड टी0 का चयन कर लिया गया है एवं अगस्त, 2019 तक जर्जर तारों को बदलकर ए0बी0सी0 डालने का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के ग्रामीण एवं शहरी ब्लाकों में विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में

24-श्री प्रभुनारायण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में जहां विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, को विद्युत बिल भेजा जा रहा है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी विद्युत बिलों को रोकेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-चन्दौली में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में जहां विद्युत कनेक्शन नहीं हैं वहां बिल नहीं भेजा जा रहा है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के यूनिट कटने के सम्बन्ध में

25-श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के यूनिट कटने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का सम्यक् समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी के अपात्र राशन कार्ड धारकों के यूनिट निरस्त किये जाने तथा पात्रों को पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने की सतत् प्रक्रिया है, जिसके तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, कहीं विस्थापित होने पर या विवाह करके अन्य परिवार का सदस्य बनने पर या समय-समय पर किये जाने वाले

सत्यापन में नियमानुसार अपात्र पाये जाने पर यूनिट अथवा राशन कार्ड (स्थिति के अनुसार) निरस्त किये जाते हैं।

जनपद कुशीनगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कतिपय विसंगतियों के विषयक

26-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की कतिपय विसंगतियों की जांच कराने तथा जनहित में सही मात्रा व निर्धारित समय पर खाद्य आपूर्ति कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6, नम्बर-497668 दिनांक 20-02-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कुशीनगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कतिपय विसंगतियों की जांच कराने तथा जनहित में सही मात्रा व निर्धारित समय पर खाद्य आपूर्ति कराने विषयक उक्त सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद कुशीनगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाये रखने एवं उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा व मूल्य के आधार पर खाद्यान्न/मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु समय-समय पर निरीक्षण कराये जाते हैं तथा प्राप्त शिकायतों की जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

जनपद कुशीनगर में वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में 1412 एवं नगरीय क्षेत्रों में 67 कुल 1479 उचित दर की दुकानें कार्यरत हैं। जनपद में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत 117136 एवं पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत 613383 कार्ड अर्थात् कुल 730519 कार्ड प्रचलित हैं, जिसकी कुल यूनिट संख्या 2747667 है। उक्त यूनिटों में से 2411068 यूनिटों में आधार फीड है, जो कुल यूनिट का 89.74 प्रतिशत है। प्रत्येक माह अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रचलित 117136 कार्डों पर 2342.720 मी0 टन गेहूं व 1757.040 मी0 टन चावल का आवंटन प्राप्त होता है। पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत प्रचलित यूनिट के सापेक्ष वर्तमान में 7117.0800 मी0 टन गेहूं व 4744.7200 मी0 टन चावल प्राप्त हुआ है। उक्त खाद्यान्न का उठान विकास खण्डवार प्रचलित कार्डों के आधार पर निर्गत मासिक आवंटन के सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम से ब्लाक गोदामों पर विपणन शाखा द्वारा किया जाता है, जिसका ट्रकवार/योजनावार/मदवार सत्यापन त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम स्तर पर विकास खण्डवार/गोदामवार/नामित राजपत्रित अधिकारियों/उप जिलाधिकारियों के द्वारा द्वितीय स्तर पर गोदाम से विक्रेताओं को आवंटन के सापेक्ष खाद्यान्न निर्गमन करते समय नामित सत्यापनकर्ता अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा एवं तृतीय स्तर दुकान पर खाद्यान्न पहुंचने का सत्यापन क्षेत्रीय लेखपाल/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है। तृतीय स्तर पर सत्यापन

के पश्चात् उक्त खाद्यान्न का वितरण प्रत्येक माह उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक उचित दर की दुकान पर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए उनकी उपस्थिति में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण एवं प्रॉक्सी के आधार पर किया जाता है। जनपद कुशीनगर में माह नवम्बर, 2018 से ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरित खाद्यान्न के पश्चात् उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्ध अवितरित खाद्यान्न को उसके आगामी माह के आवंटन में से कटौती करके निर्गत किया जाता है, जिससे खाद्यान्न के दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। माह नवम्बर, 2018 से वर्तमान माह जुलाई, 2019 (22.07.2019 तक) एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार ई-पॉस मशीन के आधार पर वितरण की स्थिति निम्नवत् है :-

माह का नाम	ग्रामीण/नगरीय	कुल कार्ड	कुल ट्रांजेक्शन	ट्रांजेक्शन का प्रतिशत
नवम्बर, 2018	नगरीय	25749	24723	96.00
	ग्रामीण	729557	487155	66.80
दिसम्बर, 2018	नगरीय	26226	25298	96.50
	ग्रामीण	734529	627084	85.37
जनवरी, 2019	नगरीय	26326	25316	96.20
	ग्रामीण	733456	650131	88.00
फरवरी, 2019	नगरीय	26366	25533	96.84
	ग्रामीण	737615	654631	88.70
मार्च, 2019	नगरीय	25790	21156	97.80
	ग्रामीण	737489	665261	90.15
अप्रैल, 2019	नगरीय	26167	25623	97.90
	ग्रामीण	729311	672074	92.10
मई, 2019	नगरीय	25995	25318	97.40
	ग्रामीण	716851	688275	95.91
जून, 2019	नगरीय	26365	23972	90.92
	ग्रामीण	699608	644221	92.08
जुलाई, 2019 (दि0 23.7.19 तक)	नगरीय	26423	22428	84.88
	ग्रामीण	702742	594252	84.55

आवश्यक वस्तुओं के सुचारु वितरण हेतु जनपद स्तर एवं तहसील स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नायब तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक एवं विपणन निरीक्षक नामित सदस्य हैं, जो ब्लाक गोदामों एवं उचित दर दुकानों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक वस्तुओं के उठान/वितरण पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। आवश्यक वस्तुओं के उठान/वितरण के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों को जांचोपरान्त नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक/विभागीय कार्यवाही की जाती है, जिसके अन्तर्गत विगत 01 वर्ष (01 जून, 2018 से जून, 2019 तक) का निम्नवत् है :-

निलम्बन	निरस्तीकरण	जब्त प्रतिभूति की धनराशि	दर्ज करायी गयी प्राथमिकी
45	35	4,59,900/-	12

जनपद में समस्त मुसहर परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराते हुए उन्हें नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। जनपद स्तर, ब्लाक स्तर एवं दुकानवार स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन कर आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर सतर्क दृष्टि रखी जाती है। प्रत्येक ग्रामसभाओं में लाभार्थियों की उपस्थिति में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की अध्यक्षता में सोशल आडिट कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान माह में विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया में डोर स्टेप डिलीवरी प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसके अन्तर्गत विक्रेताओं को ब्लाक गोदाम से उनकी दुकान पर सम्बद्ध कार्डों के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का प्रेषण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में रिक्त 15 उचित दर दुकानों को आवंटित किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं उप जिलाधिकारियों द्वारा की जानी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण में समय-समय पर प्राप्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए उस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा व मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण कराया जाता है।

प्रदेश में जैविक अथवा आर्गेनिक कृषि हेतु पहचान प्रयोगशालाएं स्थापित कराने विषयक

27-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जैविक अथवा आर्गेनिक कृषि उत्पादों की पहचान हेतु प्रयोगशालाएं मौजूद हैं ? यदि हां, तो वो कहां-कहां स्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 के अन्तर्गत जैविक कृषि उत्पादों के मानक निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित मानकों में से पेस्टीसाइड्स के अतिरिक्त अन्य मानकों की जांच प्रदेश की 06 प्रयोगशालाओं क्रमशः लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा एवं झांसी में की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में खनन पट्टे विषयक

28-श्री नरेश सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में जिस स्थान पर खनन के पट्टे किये गये हैं, पट्टेधारक चिन्हित पट्टों को छोड़कर अवैध स्थानों पर खनून किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 03 जून, 2019 प्रमुख सचिव, खनन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रकरण में तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन कर जांच रिपोर्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को शासन के पत्र दिनांक 20 जून, 2019 द्वारा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान समय में विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी विषयक

29-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां, तो पिछली दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष कितनी वृद्धि की गयी है ? क्या सरकार बढ़ी विद्युत दरों को कम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान में वर्ष 2017-18 के लिये मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत टैरिफ आदेश दिनांक 30.11.2017 के अनुसार ही विद्युत दरें लागू हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-62 एवं 64 के अधीन विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु टैरिफ के निर्धारण का अधिकार मा0 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के पास है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं विषयक

30-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत नेपाल देश की सीमा पर स्थित किन जिलों में कौन सी योजनाओं विगत दो वर्षों में स्वीकृत की गई है ? क्या सरकार उक्त सभी योजनाओं हेतु उपलब्ध कराए गए धन एवं प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

बॉर्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल देश की सीमा पर स्थित प्रदेश के 07 जनपदों- खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज एवं बलरामपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल स्वीकृत 259 योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि रु0 7567.40 लाख के सापेक्ष रु0 6346.75 लाख व्यय हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल स्वीकृत 136 योजनाओं हेतु अवमुक्त रु0 3545.53 लाख के सापेक्ष रु0 334.45 लाख व्यय हुआ है।

उपरोक्त जनपदों हेतु स्वीकृत योजनाओं का प्रगति विवरण क्रमशः संलग्नक-च एवं संलग्नक-छ पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश भर में अवैध बालू खनन के विषयक

31-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध बालू खनन में दोषियों के विरुद्ध विगत दो वर्षों में की गई दण्डात्मक कार्रवाई का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

खनिज के अवैध खनन/परिवहन पर कृत कार्यवाही का विवरण निम्नांकित है :-

वर्ष	छापों की संख्या	दर्ज एफ0आई0आर0	दर्ज परिवाद	शमन के प्रकरण	शमन उपरान्त वसूल धनराशि (रु0 करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
2017-18	10188	934	2228	7026	28.73
2018-19	21752	754	868	20130	80.86
2019-20 (मई, 2019 तक)	2797	42	19	2736	12.73

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई विषयक

32-श्री सुभाष पासी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की सुचारू सप्लाई नहीं मिलने के कारण तेतारपुर प्रथम कैनाल सुचारु रूप से नहीं चल पाता है ? क्या सरकार वहां नया सबस्टेशन या कोई उचित व्यवस्था करके कैनाल (नहर) चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

तेतारपुर प्रथम पम्प कैनाल पर स्थापित परिवर्तक की क्षमतावृद्धि विगत वर्ष ही 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 कर दी गयी है एवं वर्तमान में पम्प कैनाल को शिड्यूल के अनुसार 18:00 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

तकनीकी रूप से वहां नये सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मोहनलालगंज के तहसील मोहनलालगंज में बस स्टैण्ड स्थापित कराने विषयक

33-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित तहसील मोहनलालगंज में बस स्टाप का नवीनीकरण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार रायबरेली रोड से आने जाने वाली बसों को मोहनलालगंज बस स्टाप पर ठहराव करवाने व कस्बा निगोहा में बस स्टाप के निर्माण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

रायबरेली रोड से आने-जाने वाली बसों में से रायबरेली-लखनऊ, प्रयागराज-लखनऊ, प्रतापगढ़-लखनऊ, फतेहपुर-लखनऊ, मौरावां पुरवा-लखनऊ मार्ग पर संचालित सभी बसों का मोहनलालगंज बस स्टाप पर ठहराव होता है तथा इस स्थान से मोहनलालगंज के यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। कस्बा निगोहां में परिवहन निगम की भूमि नहीं है, ऐसी स्थिति में निगोहां में यात्री शेल्टर का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर में अवैध खनन को रोके जाने विषयक

34-श्री मसूद अख्तर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में अवैध खनून की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अवैध खनून को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

अवैध खनन/परिवहन रोकना सरकार का दृढ़ संकल्प है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में गैस एजेन्सियों के विरुद्ध जांच कराने विषयक

35-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में गैस एजेन्सियों के विरुद्ध कतिपय बिन्दुओं पर जांच कराने विषयक जिलाधिकारी, कुशीनगर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता पत्र संख्या-ख-6, नम्बर-497604, दिनांक 03-02-2019, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मा0 विधायक के पत्र में की गयी अपेक्षानुसार विधान सभा क्षेत्र हाटा में गैस एजेन्सियों की कार्य प्रणाली की जांच जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा उप जिलाधिकारी, हाटा से करायी गयी। उप जिलाधिकारी, हाटा द्वारा विधान सभा क्षेत्र हाटा की गैस एजेन्सियों की जांच करते हुए जांच आख्या दिनांक 22-07-2019 प्रस्तुत की गयी।

मेसर्स आलोक इण्डेन ग्रामीण वितरक, सुकरौली के गोदाम के भौतिक सत्यापन में पूरे सिलेण्डर नहीं पाये गये तथा एक सिलेण्डर का वजन अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत नहीं पाया गया। सिलेण्डरों की संख्या पूर्ण न पाए जाने के लिए एजेन्सी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, (एल0पी0जी0) इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। सिलेण्डर का वजन अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत नहीं पाये जाने के लिए विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत शमन की कार्यवाही की गयी।

मेसर्स सावित्री भारत गैस करमहा रोड हाटा की जांच में यह पाया गया कि उज्जवला योजना के गैस कनेक्शन जारी करने के उपरान्त समयान्तर्गत लाभार्थियों को सिलेण्डर, पासबुक एवं एस0बी0 वाउचर एजेन्सी के प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये तथा कामर्शियल एवं 05 कि0ग्रा0 के सिलेण्डरों का स्टाक सही नहीं पाया गया। उक्त अनियमितता के लिए एजेन्सी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रादेशिक प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बैतालपुर, देवरिया को पत्र प्रेषित किया गया।

शेष 02 गैस एजेन्सियों मेसर्स हिमांशु भारत गैस ग्रामीण वितरक लक्ष्मीपुर धूस, मोतीचक, हाटा एवं मेसर्स अर्चना, इण्डेन गैस एजेन्सी हाटा की जांच में स्टाक का भौतिक सत्यापन सही पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के गांवों में जर्जर बिजली के तारों को बदलने के सम्बन्ध में

36-श्री अनूप 'प्रधान'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र खैर के अधिकांश गांवों में बिजली के तार जर्जर है ? क्या सरकार की उक्त जर्जर तारों को बदलने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पुराने तारों के कमजोर होने की समस्या कुछ स्थानों पर है। जिन गांवों में जर्जर तार बदल दिये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम वैना, ब्लॉक टप्पल में 8.3 किमी0 जर्जर तार को ए0बी0सी0 केबिल में बदला गया है।

ग्राम फौजुआका, ब्लॉक टप्पल, में 3.2 किमी0 जर्जर तार को ए0बी0सी0 केबिल में बदला गया।

मानपुर फीडर टप्पल, बिजलीघर से 4 किमी0 जर्जर तार बदला गया।

ग्राम शादीपुर, में 1.5 किमी0 जर्जर तार को ए0बी0सी0 केबिल में बदला गया है।

ग्राम नयेला में 650 मी0 जर्जर तार को ए0बी0सी0 केबिल में बदला गया है।

जी हां।

1000 से अधिक आबादी वाले गांवों के जर्जर तार को एरियल बन्च कन्डक्टर (ए0बी0सी0 केबिल) से बदलने हेतु 145 ग्रामों का चयन किया गया है, जिनमें से 75 ग्रामों का सर्वे कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

ग्राम नगला अस्सू, उदयपुर, राजपुर, मऊ, गौमत, दमुआका, पालर व भरतपुर में जर्जर तारों को ए0बी0सी0 से बदलने का कार्य मेसर्स एल एण्ड टी0 कम्पनी के द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

उक्त चयनित 145 ग्रामों में जर्जर तार बदलवाने का कार्य माह दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

1000 से कम आबादी वाले ग्रामों में लाइनों पर लोड अपेक्षाकृत कम होता है। अतः इन ग्रामों में जर्जर तार को बदले जाने का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। बजट की उपलब्धता के अनुसार इन तारों को बदले जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्रांक संख्या-ख-305079, दिनांक 31 जुलाई, 2019 जनपद हरदोई के विषयक

37-श्री राजकुमार अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-305079, दिनांक 31 जुलाई, 2019 जो जनपद हरदोई के ब्लाक भरावन के गंज बाजार में ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद-हरदोई के ब्लाक-भरावन के ग्राम-गंज बाजार में 100 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमता बढ़ाकर 250 के0वी0ए0 करने का प्रस्ताव रु0 4,08,214.00 का बिजनेस प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में बनाया गया है। यह कार्य 15 अगस्त, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, कारखाना उ0 प्र0 का पदोन्नति, कारखानों के मानचित्रों का अनुमोदन लाइसेंस जारी, नवीनीकरण विषयक

38-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, निदेशक, कारखाना, उत्तर प्रदेश का मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नोटीफिकेशन किस तिथि से हुआ है एवं पदोन्नति की तिथि एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक के नोटीफिकेशन की तिथि के बीच में कारखाना अधिनियम, 1948 एवं सपठित उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 के अन्तर्गत कितने कारखानों भवनों के मानचित्रों का अनुमोदन किया गया व कितने कारखानों के लाइसेंस जारी किये गये तथा कितने कारखानों के लाइसेंस का नवीनीकरण किये गये ? क्या सरकार उक्त वर्णित कार्यों की अलग-अलग सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

श्री अनुराग श्रीवास्तव, निदेशक, कारखाना, उत्तर प्रदेश का मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नोटीफिकेशन दिनांक 12.11.2018 को हुआ है, जिसमें निदेशक, कारखाना उ0प्र0

के पद पर पदोन्नति के बाद कार्यभार ग्रहण की तिथि 26.06.2018 से ही मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के आदेश प्रभावी हैं। पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि 26.06.2018 एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक के नोटीफिकेशन की तिथि 12.11.2018 के बीच में 02 कारखानों मेसर्स मेजा थर्मल पावर प्लाण्ट (मेजा ऊर्जा निगम प्रा0 लिमिटेड), खोदार घाट, तहसील-मेजा, जिला प्रयागराज एवं मेसर्स इण्डोगल्फ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम कोटी सुखवा, पृथ्वीपुर, नयाखेड़ा, बबीना, जिला झांसी के भवनों के मानचित्रों का अनुमोदन किया गया एवं लाइसेंस जारी किये गये तथा 04 कारखानों मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (पी0ओ0एल0 डिपो) पनकी, कानपुर, मेसर्स जॉनसन मैथी कैमिकल्स इण्डिया प्रा0 लिमिटेड, पनकी, कानपुर, मेसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एलपीजी बाटलिंग प्लाण्ट), लखनऊ एवं मेसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (इण्डेन बाटलिंग प्लाण्ट), पनकी, कानपुर के लाइसेंस नवीनीकरण किये गये।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार विवरण अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में वाराणसी एवं गाजीपुर के बीच बस संचालन विषयक

39-श्री सुभाष पासी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में यात्रियों के परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए मौधा से वाराणसी और गाजीपुर व चोचकपुर से वाराणसी रामपुर माझा होते हुए व अन्य मार्गों पर सरकारी बस चलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सैदपुर, वाराणसी-गाजीपुर मुख्य मार्ग पर गाजीपुर से 40 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। वाराणसी-गाजीपुर मार्ग पर पर्याप्त संख्या में बसें संचालित हैं।

मौधा नामक स्थान सैदपुर से लगभग 27 कि0मी0 की दूरी पर अन्दर की ओर स्थित है, जिस पर परिवहन निगम के बस संचालन हेतु प्रक्रिया गतिशील है।

गाजीपुर-चोचकपुर-रामपुर माझा होते हुये वाराणसी तक परिवहन निगम की बस सेवा संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी एवं जनपद हाथरस में अपात्रों को खाद्य पदार्थों की बिक्री का लाइसेंस आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

40-श्री राम कृष्ण भार्गव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी एवं हाथरस में अपात्रों को खाद्य पदार्थों की बिक्री का लाइसेंस आवंटित किये एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट पकड़े जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद लखीमपुर खीरी एवं हाथरस में अपात्रों को खाद्य पदार्थों की बिक्री का लाइसेंस आवंटित नहीं किये गये हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में दिनांक 30.06.2019 को सक्रिय लाइसेन्स की संख्या 588 तथा सक्रिय पंजीकरण की संख्या 3513 थी। दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2019 तक जनपद लखीमपुर खीरी में समस्त खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में प्रवर्तन कार्यवाही में 2501 निरीक्षण एवं 264 छापों के माध्यम से कुल 278 नमूने संग्रहीत किये गये। उक्त अवधि में प्राप्त 234 जांच रिपोर्ट में से 70 नमूने अधोमानक, 26 नमूने मिथ्याछाप एवं 14 नमूने असुरक्षित, 03 नमूने नियमों के उल्लंघन के पाये गये। उक्त अवधि में ए0ओ0 कोर्ट में 280 तथा मा0 न्यायिक न्यायालय में 07 वाद दायर किये गये। उक्त अवधि में ए0ओ0 कोर्ट द्वारा 60 वाद निर्णीत किये गये एवं रु0 12,12,000/- (रुपये बारह लाख बारह हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जनपद हाथरस में दिनांक 30.06.2019 को सक्रिय लाइसेन्स की संख्या 742 तथा सक्रिय पंजीकरण की संख्या 3339 थी। दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2019 तक जनपद हाथरस में समस्त खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में प्रवर्तन कार्यवाही में 2343 निरीक्षण एवं 402 छापों के माध्यम से कुल 457 नमूने संग्रहीत किये गये। उक्त अवधि में प्राप्त 300 जांच रिपोर्ट में से 147 नमूने अधोमानक, 78 नमूने मिथ्याछाप एवं 27 नमूने असुरक्षित, 06 नमूने नियमों के उल्लंघन के पाये गये। उक्त अवधि में ए0ओ0 कोर्ट में 194 तथा मा0 न्यायिक न्यायालय में 06 वाद दायर किये गये। उक्त अवधि में ए0ओ0 कोर्ट द्वारा 180 वाद निर्णीत किये गये एवं रु0 29,49,000/- (रुपये उन्तीस लाख उन्चास हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया तथा मा0 न्यायिक न्यायालय द्वारा 08 वाद निर्णीत कर 08 व्यक्तियों को कारावास की सजा देते हुए रु0 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड मार्टिनगंज में विद्युत उपकेन्द्र खासडीह को चालू कराये जाने विषयक

41-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज में विद्युत उपकेन्द्र खासडीह बनकर तैयार है किन्तु तकनीकी कार्य अपूर्ण होने के कारण उक्त विद्युत उपकेन्द्र को चालू नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र की तकनीकी कमियों को पूर्ण कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद-आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मार्टिनगंज के ग्राम खासडीह (कवरागहनी) में विद्युत उपकेन्द्र के लिए निर्माणाधीन 33 के0वी0 पोषक के निर्माण कार्य में अनेक स्थान पर स्थानीय अवरोध उत्पन्न हो जाने से कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। अतः 5 कि0मी0 अतिरिक्त लाइन बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया है।

जी हां।

अवशेष कार्य दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ में तैनात औषधि निरीक्षक श्री लवकुश द्वारा दवाई विक्रेताओं से अवैध धनराशि वसूलने के प्रकरण के संबंध में जांच कमेटी बैठाने विषयक

42-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ में लगभग 2 वर्षों से तैनात औषधि निरीक्षक द्वारा दवाई विक्रेताओं को आतंकित करके अवैध धनराशि वसूलने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद हापुड़ में लगभग 02 वर्षों से तैनात औषधि निरीक्षक द्वारा दवाई विक्रेताओं को आतंकित करके अवैध धनराशि वसूलने की शिकायत संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम पिपलेडा में विद्युत आपूर्ति की समस्या का निस्तारण कराये जाने विषयक

43-श्री असलम अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम पिपलेडा में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिलखवा के द्वारा 33/11 बिजलीघर मसूरी से वाया शेखुपुरा खिचड़ा होकर ग्राम पिपलेडा विद्युत लाइन लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से आने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को सही विद्युत आपूर्ति नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पिपलेडा जो मात्र 800 मीटर है विद्युत लाइन सीधी बिजली घर से जोड़ने का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

ग्राम-पिपलेडा में उपभोक्ताओं को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार मसूरी उपकेन्द्र (जिला हापुड़) से निर्गत 11 के0वी0 दादरी फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है किन्तु उपरोक्त 11 के0वी0 लाइन वाया ग्राम-शेखपुर खिचरा होकर (दूरी लगभग 4-5 कि0मी0) आने से वोल्टेज कम प्राप्त हो रहा है।

जी हां।

11 के0वी0 दादरी फीडर से ही ग्राम पिपलेडा के निकटतम परिवर्तक तक लगभग 280 मी0 लाइन बनाने की आवश्यकता है। उक्त कार्य माह नवम्बर, 2019 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709-बी पर रात्रि बस सेवा शुरू करने के विषय में

44-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709-बी जो कि लोनी-खेकड़ा-बागपत-बड़ौत-शामली थाना भवन-सहारनपुर से होकर जाता है पर रात्रि में कोई बस सेवा उपलब्ध न होने के कारण यहां के लोगों को दिल्ली जाने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर रात्रि में बस सेवा शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

वर्तमान में दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात्रि में दिल्ली से सहारनपुर के लिये 01 ए0सी0 जनरथ सेवा एवं 05 साधारण बस सेवा संचालित हो रही हैं एवं सहारनपुर से दिल्ली के लिये 01 ए0सी0 जनरथ एवं 04 साधारण बस सेवा रात्रि में संचालित हो रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

45-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद कुशीनगर में मानकों के विपरीत होने वाले खनन कार्यों के संबंध में

46-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में अद्यतन खनन कार्यों का विवरण क्या है ? क्या सरकार मानकों के विपरीत कुशीनगर में हो रहे खनून कार्यों का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कुशीनगर में एक पांच वर्षीय खनन पट्टा तहसील तमकुहीराज के विरवट कोन्हवलिया ग्राम में संचालित है।

जनपद कुशीनगर में मानक के विपरीत कोई खनन कार्य संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में

(47)-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

सरकार द्वारा बनायी गयी नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

सड़क सुरक्षा कार्य योजना की संरचना।

मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उ0प्र0 सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन।

उक्त परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मण्डल एवं जिला स्तर पर मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मण्डलीय एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन।

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 का प्रख्यापन, जिसके अन्तर्गत पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन कानून के उल्लघंन से प्राप्त प्रशामन शुल्क का 50 प्रतिशत अगले वित्तीय वर्ष में बजटरी प्राविधान के माध्यम से क्रेडिट का प्राविधान।

रोड इंजीनियरिंग में सुधार किये जाने हेतु रु0 5 करोड़ से अधिक की सड़क निर्माण परियोजनाओं के थर्ड पार्टी ऑडिट का अनिवार्य प्राविधान तथा सड़कों पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए सुधार की कार्यवाही।

ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस प्रक्रिया में सुधार हेतु राज्य के प्रत्येक मण्डल में ड्राइवर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट तथा प्रत्येक जिले में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण तथा प्रत्येक मण्डलीय मुख्यालय पर परिवहन यानों के निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र की स्थापना।

सुरक्षित वाहन एवं सुरक्षित चालक हेतु समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे- कार्यशाला, भाषण प्रतियोगिता, सिनेमा/मल्टीप्लेक्स में लघु फिल्मों का प्रदर्शन, होर्डिंग्स पम्पलेट का वितरण, निबन्ध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं गोष्ठियों आदि का आयोजन/अभियान।

परिवहन विभाग द्वारा परिवहन यानों में स्पीड गवर्नर के उपयोग को अनिवार्य किया गया।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय का समावेश किया गया।

ओवरलोड माल वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तक की कार्यवाही।

ड्रंकन ड्राइविंग/ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध जांच हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र को एक-एक इन्टरसेप्टर वाहन तथा प्रत्येक अधिकारी को ब्रेथ एनालाइजर का आवंटन।

हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य किये जाने के दृष्टिगत पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा नियमित जांच की कार्यवाही।

दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों (नेक आदमी) को सुरक्षा तथा पुलिस जांच से संरक्षण।

सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विभागों के क्रिया-कलापों में समन्वय स्थापित करने हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय में सड़क सुरक्षा सेल का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी की तैनाती।

प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल सीमा से सटे ग्रामों की तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी आदर्श ग्राम घोषित कर विकसित करने संबंधी

48-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नेपाल की सीमा से सटे 7 जिलों में 10 किलोमीटर की परिधि अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को आदर्श गांव (मॉडल विलेज) के रूप में विकसित किये जाने की भांति प्रदेश के सभी जिलों में भी ऐसी कोई योजना लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के नेपाल की सीमा से सटे 7 जिलों में 10 किलोमीटर की परिधि अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को आदर्श गांव (मॉडल विलेज) के रूप में विकसित किये जाने की भांति प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी योजना लागू करने के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार की बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के नेपाल की सीमा से सटे 07 आच्छादित जनपदों के अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में यह योजना लागू नहीं की जा सकती है।

जिला पंचायत की बैठक में जिला पंचायत सदस्यों को मिलने वाले बैठक भत्ते की भांति जिला योजना समिति की बैठक में भी सदस्यों को बैठक भत्ता देने संबंधी

49-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला योजना समिति सदस्यों को जिला योजना की बैठक में भाग लेने पर जिला पंचायत सदस्यों की भांति जिला पंचायत बैठक में भाग लेने पर मिलने वाले बैठक भत्ते की भांति बैठक भत्ता देने की सरकार कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुरूप प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008 तथा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 के मध्य में से प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन की व्यवस्था की गयी है। उक्त अधिनियम/नियमावली में प्रतिपादित प्रावधानों के अनुसार जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को बैठक भत्ता दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

[12:20] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 26.07.2019 को कुल 116 सूचनाएं नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त की गयीं। सभी सूचनाएं स्वीकार की गयीं एवं पढ़ी हुईं मानी गयीं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

आज दिनांक 26/07/2019 को कुल 116 सूचनायें प्राप्त हुईं और समस्त सूचनाएं स्वीकार हुईं

पहली सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की सहायक आचार्यों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मैरिट द्वारा कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम फजलपुर में रेलवे फाटक से ग्राम गाजीपुर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा शिकारपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री श्याम धनी की जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के पार्कों का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत जमाल नगर में एच0पी0 गैस एजेन्सी से सफीपुर परियर-चकलवंशी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। छठवीं सूचना चौ0 उदयभान सिंह की जनपद आगरा के तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खेड़ा साधन से नगला लक्ष्मण तक सड़क एवं पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत नालियों के किनारे पी0ए0सी0 की फ्लड प्लाटून तैनात कराये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री अविनाश त्रिवेदी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत स्थित चन्द्रिका देवी मन्दिर के निकट गोमती नदी पर बन्धे का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। नवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत लालपुर-ओगर-ग्वालरा मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवा के अन्तर्गत केवानी नदी पर बेलवा-वसिहया घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय भूमियों पर अवैध कब्जा हटा कर जल संचय हेतु संरक्षण प्रदान कराये जाने के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री राम कृष्ण भार्गव की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख के अन्तर्गत नैमिषारण्य तीर्थ स्थल पर मूलभूत सुविधायें एवं विकास कार्य कराये जाने के संबंध में है। तेहरवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत मिलों द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे नदी में बहाये जाने से रोके जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री गौरी शंकर की जनपद जालौन के ग्राम सभा एट स्थित एन0एच0-2 से लगी हुई 1.2 किमी0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत डूडा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के कतिपय स्थानों में मूलभूत सुविधाओं की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थित के संबंध में है। सत्रहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत आवारा पशुओं के अनियंत्रित रूप से विचरण किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री ब्रिजेश की जनपद सहारनपुर के देवबन्द विधान सभा क्षेत्र स्थित अम्बेहटा तिराहे तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'' जनपद मेरठ के विकास प्राधिकरण की कालोनियों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराये जाने के संबंध में है। बीसवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर के नन्दानगर अंडरब्रिज में भीषण जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के संबंध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री जितेन्द्र वर्मा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थित के संबंध में है। बाइसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में है। तेइसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। चौबीसवीं सूचना श्री रवेन्द्र पाल सिंह की जनपद अलीगढ़ स्थित पनेठी-गंगेरी सड़क सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। पचीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नव्वागांव की सरकारी खलिहान की जमीन भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के संबंध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री ओमकुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का सी0सी0 अथवा इण्टर लाकिंग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सत्ताइसवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद बलिया के अन्तर्गत सरयू नदी के कतिपय ठोकरों के निर्माण कार्य में व्याप्त धांधली के संबंध में है। उन्तीसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं स्थित ग्राम नगरिया खन्नू पर प्रस्तावित पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। तीसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा स्थित गंगा किनारे घाट का निर्माण व सौंदर्यीकरण कराये जाने के संबंध में है। इकत्तीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा स्थित बामौर में 220 के0वी0 का ट्रांसमिशन उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। बत्तीसवीं सूचना श्री

उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित बुढ़ाना नगर पंचायत में मंडी का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। तैंतीसवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के नगर पालिका अन्तर्गत स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को वोट डालने के संविधानिक अधिकार से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौंतीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विकास खण्ड अलीगंज के राजस्व ग्राम रूस्तमनगर को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में है। पैंतीसवीं सूचना श्री संजीव कुमार दिवाकर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में बस डिपो की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। छत्तीसवीं सूचना श्री विजय कुमार कश्यप की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत रजवाहा कल्लनपुर पटरी पर पिलखनी मार्ग से कान्हा हेड़ी में बिरालसी-दूधली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सैंतीसवीं सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोटर में नवीन मण्डी की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। अड़तीसवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के संबंध में है। उन्तालीसवीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के अन्तर्गत कुवानों नदी पर वनकटा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। चालीसवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत यमुना नदी पर बैराज बनाये जाने के संबंध में है। इक्तालीसवीं सूचना श्री काली प्रसाद की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सेलमपुर के अन्तर्गत लारपिपरा चौराहा से भागलपुर तिराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में है। बयालीसवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड माधौगढ़ के मध्य मृगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। तैंतालीसवीं सूचना श्री संजीव कुमार की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के अन्तर्गत कतिपय नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। चौवालीसवीं सूचना श्री सुरेश राही की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत ग्राम सभा नौनेर में नौनेरी झील के अस्तित्व को बचाये जाने के संबंध में है। पैंतालीसवीं सूचना श्री अनिल पाराशर की जनपद अलीगढ़ खण्ड-5, गंग नहर, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मडराक रजवाहा में पानी छोड़ने के संबंध में है। छियालीसवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के नगर पंचायत कटरा में गेस्ट हाउस को चालू कराये जाने के संबंध में है। सैंतालीसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफराबाद के ग्राम छुटमलपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में है। अड़तालीसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम तल्हेड़ा बक्काल के निकट तालाब का बाउन्ड्री वॉल कराये जाने के संबंध में है। उन्चासवीं सूचना श्री सोहिल अख्तर अंसारी की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैन्ट के अन्तर्गत जोन-2 के नगर निगम में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में है।

पचासवीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की रायबरेली सदर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में है। इक्यावनवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा एवं हिलौली के मध्य अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। बावनवीं सूचना श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'' की लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के बाघामऊ गांव में कतिपय खसरा नं0 पर अवैध कब्जे व बैनामों का निरस्तीकरण कराये जाने के संबंध में है। तिरपनवीं सूचना श्री विनोद सरोज की जनपद प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात श्री अजय कुमार शर्मा प्रधान सहायक की तबादले के संबंध में है। चौवनवीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद बदायूं के तहसील सहसवान क्षेत्र के कतिपय गांवों में गंगा नदी से उत्पन्न बाढ़ की समस्या के संबंध में है। पचपनवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बलिरियागंज तहसील सगडी में ग्राम सभा इमलीपुर में पिच रोड का कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। छप्पनवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत विद्युत पोलों व तारों को बदलवाने के संबंध में है। सत्तावनवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर में निर्माणाधीन राजकीय हाई स्कूल का कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। अट्ठावनवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की चन्दौली-सकलढीया के अन्तर्गत सेदपुर घाट सम्पर्क मार्ग से सढान सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। उन्सठवीं सूचना श्री सोबरन सिंह यादव की जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत करहल सिरसागंज मार्ग से साहब रामपुर बघेरा दोस्तपुर मार्ग भिडौरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। साठवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट' की जनपद लखनऊ के ग्राम सिटकिहा कला के निवासी श्री मुकेश कुमार की दिनांक 17-07-19 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इक्सठवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी में राजू पुत्र श्री सुरज पाल की मोटर साइकिल से हुये दुर्घटना में थाना बिछवा पुलिस द्वारा की जारी अनियमितता के संबंध में है। बासठवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत डूडा नगरीय विकास अभिरण में किये गये कार्यों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में है। तिरसठवीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की नगर पालिका क्षेत्र मैनपुरी में सिवर लाइन के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। चौंसठवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की नगर निगम मेरठ की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। पैंसठवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के ग्राम सभा बेलवरिया की सड़क एवं नालें का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। छाछठवीं सूचना श्री बीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के अन्तर्गत जिन्द पट्टी ग्राम बिसाना में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। सड़सठवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र जनपद बलिया के विधान

सभा क्षेत्र रसड़ा में चोगड़ा-चट्टी में नया विद्युत स्टेशन स्थापित कराये जाने के संबंध में है। अड़सठवी सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद देवरिया के नगर पंचायत भाटपार रानी के समस्त वार्डों में कतिपय विकास कार्य कराये जाने के संबंध में है। उन्हत्तरवीं सूचना श्री केसर सिंह की जनपद बरेली के ग्राम पंचायत टहाव्यारी की मुख्य सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सत्तरवीं सूचना श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती के समस्त विकास खण्डों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। इकहत्तरवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड प्रतापपुर के अन्तर्गत ठाठी नदी पर कतिपय स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। बहत्तरवीं सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 की क्षतिग्रस्त नहर, पुलिया एवं नहर पट्टी का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में है। तिहत्तरवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौहत्तरवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। पचहत्तरवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद लखनऊ के तिलपुरवा, हुसैनगंज अन्तर्गत स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है। छिहत्तरवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ए0टी0एस0 विद्यालयों में कतिपय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है। सतहत्तरवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की डी0ए0वी0 इण्टर कॉलेज बेल्थरा रोड बलिया की प्रबन्ध कार्यकारिणी व प्रबन्धक को हटाये जाने के संबंध में है। अठहत्तरवीं सूचना श्री महेश कुमार गोयल की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम उत्मानपुर से चंदन खेड़ा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। उन्यासीवीं सूचना श्री कल्पनाथ पासवान की शासनादेश दिनांक 02-11-17 को सचिवालय सेवा के अधिकारियों को फील्ड एक्सपीरियंस कार्यक्रम को बन्द कराये जाने के संबंध में है। अस्सीवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की शिक्षा निदेशालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में है। इक्यासिवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की नगर पालिका परिषद् शाहगंज की सीमा का विस्तार कराये जाने के संबंध में है। बयासिवीं सूचना श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कालेसर कि0मी0 जीरो प्वाइन्ट से माधवपुर होते हुये शहीद स्थल डोहरिया कला बाइपास रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। तिरासिवीं सूचना कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा मदरालालपुर (सूर्यकुण्ड) में पम्प कैनाल बनाये जाने के संबंध में है। चौरासिवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के अन्तर्गत ग्रीन बेल्ट में कालोनाइजनरों द्वारा अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने के संबंध में है। पचासिवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज की ग्राम सभा सिद्दीपुर के मृतक किसान स्व0 रामलखन के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ

दिलाये जाने के संबंध में है। छियासिवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत भैसी नदी पर भूमाफियाओं के कब्जे हटवाये जाने के संबंध में है। सत्तासिवीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद अमरोहा में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। अट्ठासिवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के तहसील खड्डा व पडरौना की ग्राम सभाओं की भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के संबंध में है। नवासिवीं सूचना श्री सुशील कुमार शाक्य की जनपद कानपुर अन्तर्गत म0क0-197 में वसीयत के आधार पर बटवारा कराये जाने के संबंध में है। नब्बेवीं सूचना डॉ0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है। इक्यान्नबेवीं सूचना कुंवर माधवेन्द्र प्रताप की प्राथमिक विद्यालय खरवारी टोला (नघिरा), सोनभद्र के सहायक अध्यापक पर किये गये हमले पर कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बान्नबेवीं सूचना डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। तिरान्नबेवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 बी पर बछरावां से कुंदनगंज के मध्य पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। चौरान्नबेवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के ग्राम सभा रेउरा को नगर पंचायत बनाये जाने के सबंध में है। पन्चान्नबेवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में फसल बीमा योजना में किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छियान्नबेवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के सिंचाई खण्ड बाराबंकी के अन्तर्गत सभी माइनर/रजबहों की सफाई कराये जाने के संबंध में है। सत्तान्नबेवीं सूचना हाजी इरफान सोलंकी की कानपुर नगर निगम जोन-2 के अन्तर्गत अधिशाषी अभियंताओं द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है। अट्ठान्नबेवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना स्थित पुल का चौड़ीकरण/नवनिर्माण कराये जाने के संबंध में है। निन्यान्नबेवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गृड्डू भइया की जनपद महोबा अन्तर्गत राजकीय बालिका इंटर कालेज कुलपहाड़ के भवन का नव निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सौंवी सूचना श्री हरीराम की जनपद सोनभद्र स्थित हिंडाल्को कम्पनी के पावर प्लांट में किये गये अवैध कार्यों की जांच कराये जाने के संबंध में है। एक सौ एकवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद मिर्जापुर की ग्राम सभा गुरसंडी में चक रोड पर भवन निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। एक सौ दोवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रदेश की विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के संबंध में है। एक सौ तीनवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के भटवारी में वारीदह नाले पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। एक सौ चारवीं सूचना श्री किशन लाल राजपूत की जनपद पीलीभीत के ग्राम नवगंवा नवी नगर परिक्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के संबंध में है। एक सौ पांचवीं सूचना श्री बाबू राम पासवान की जनपद पीलीभीत अन्तर्गत शारदा नहर प्रणाली की शाहजहांपुर शाखा की कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

एक सौ छठवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के लक्ष्मणटोला-हरदोई बाईपास बन्धा मार्ग पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। एक सौ सातवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु नाली की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में है। एक सौ आठवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय मोहल्लों पर पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के संबंध में है। एक सौ नौवीं सूचना कुंवर अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया'' की कृषि विभाग (एच0ए0) में तैनात लेखाकार श्री अंजनी कुमार रस्तोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है। एक सौ दसवीं सूचना श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर स्थित पिकिया नदी की सफाई कराये जाने के संबंध में है। एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के कतिपय स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराये जाने के संबंध में है। एक सौ बारहवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ में मुख्य मंत्री आवास/शौचालय पात्र व्यक्तियों को दिलाये जाने के संबंध में है। एक सौ तेरहवीं सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद मिर्जापुर की ग्रम सभा कुरौठी पाण्डेय में विद्युत पोल लगवाये जाने के संबंध में है। एक सौ चौदहवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत उस्ताद करीम खां के पुस्तैनी घर का अधिग्रहण कर म्यूजिक/स्मारक तथा संगीत महोत्सव कराये जाने के संबंध में है। एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की मंझवार जाति के प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में जारी कराये जाने के संबंध में है, तथा एक सौ सोलहवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ के ग्राम उधनपुर में विद्युत खंभों को खेतों से हटाये जाने के संबंध में है।

सहायक आचार्यों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरिट द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[महोदय, उत्तर प्रदेश में सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया (विश्वविद्यालय एवं डिग्री कालेजों) अत्यन्त जटिल एवं विस्तृत है। प्रदेश में हजारों पद विभिन्न विषयों में रिक्त हैं। जिसके कारण प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की पढ़ाई की हानि होती है। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय को दिया गया है जिससे विश्वविद्यालय मनमानी नियुक्तियां करता है।

अतएव महोदय से निवेदन है कि मनमानी नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के लिये बिहार एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तर्ज पर इन नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के द्वारा मेरिट पर किया जाए जिससे समय की बचत एवं पारदर्शिता आए। अतः जनहित में नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम फजलपुर में रेलवे फाटक से ग्राम गाजीपुर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 17 नजीबाबाद जनपद-बिजनौर, ग्राम फजलपुर खास में रेलवे फाटक से ग्राम-गाजीपुर मदरसे तक लगभग 1 किमी0 मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उपरोक्त मार्ग का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है।

मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा-शिकारपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र खुर्जा-शिकारपुर मार्ग एक मुख्य मार्ग है जिस पर यातायात का भारी दबाव रहता है। इस मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण इस पर से दो गाड़ी भी नहीं निकल पाती है। ये मार्ग शिकारपुर व अनूपशहर गंगा व बदायूं जाने का एकमात्र रास्ता है। यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है। जनहित में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के पार्कों का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम धनी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील नौगढ़ के जिला अलंकृत उद्यान तथा बुद्धा पार्क की स्थिति अच्छी नहीं है। जिला अलंकृत उद्यान में लगे पौधों का सही तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका सौन्दर्यीकरण करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह जनपद का एक ऐसा उद्यान है, जिसमें नगर के वृद्ध लोग सुबह एवं सायंकाल भ्रमण के लिये आते हैं, जिससे की उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे तथा बुद्धा पार्क में बच्चों की मनोरंजन हेतु झूले इत्यादि लगाये जाने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश सरकार की नयी योजना 'ओपेन जिम' के अन्तर्गत पार्क में अत्याधुनिक उपकरण लगाये जाने की आवश्यकता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त पार्कों का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराने के लिये सरकार से कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत जमाल नगर में एच0पी0 गैस एजेन्सी से सफीपुर परिसर चकलवंशी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जमाल नगर एच0पी0 गैस एजेन्सी से सफीपुर परियर चकलवंशी सम्पर्क मार्ग तक लगभग 4 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। उस क्षेत्र की जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के निर्माण कार्य से लगभग पचासों गांव की जनता को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। यह कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर जमाल नगर एच0पी0 गैस एजेन्सी से सफीपुर परियर चकलवंशी सम्पर्क मार्ग तक लगभग 4 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद आगरा के तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खेड़ा साधन से नगला लक्ष्मण तक सड़क एवं पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चौ0 उदयभान सिंह-

[महोदय, जनपद आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खेड़ा साधन से नगला लक्ष्मण दूरी 2 किमी0 पुरानी पक्की सड़क बनी हुई थी तथा साथ में एक पुल भी बना हुआ था। वर्तमान में सड़क एवं पुल दोनों ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इनके नवीनीकरण की जिम्मेदारी कोई भी विभाग लेने को तैयार नहीं है। जबकि यह सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व बनायी गयी थी। लोक निर्माण विभाग कहता है कि यह सड़क बनाने का हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। जिलाधिकारी के माध्यम से कई बार उक्त सड़क को बनवाये जाने का अनुरोध किया गया था। सड़क एवं पुल का नवीनीकरण होना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, महत्व के प्रकरण पर सदन के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत नालियों के किनारे पी0ए0सी0 की फ्लड प्लाटून तैनात कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के डिबाई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई नदियां बहती हैं। इन नदियों के किनारे राजघाट, कर्णवास, रामघाट तथा नरवर घाट जैसे बहुत संवेदनशील घाट हैं, जहां निरन्तर कोई न कोई घटना होती रहती है। उक्त घाटों पर पी0ए0सी0 की फ्लड प्लाटून तैनात किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत स्थित चन्द्रिका देवी मंदिर के निकट गोमती नदी पर बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अविनाश त्रिवेदी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत स्थित चन्द्रिका देवी मन्दिर जो कि एक पर्यटक एवं धार्मिक स्थल है, के निकट बहने वाली गोमती नदी में बरसात के दिनों में जल स्तर बढ़ने एवं नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी से मन्दिर का परिसर जलमग्न हो जाता है एवं वहां पर पौराणिक स्थित कुण्ड में जल भर जाने से श्रद्धालुओं की डूब कर मृत्यू भी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मन्दिर के निकट गोमती नदी पर बन्धे का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः उक्त विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत लालपुर-ओगर-ग्वालरा मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ नाला पर लालपुर-ओगर-ग्वालरा मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा वर्षों से मांग की जा रही है जो कि जनमानस की आवश्यकताओं के लिये अति आवश्यक है। उक्त अलीगढ़ नाला पर लालपुर-ओगर-ग्वालरा मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण जनहित में भी अत्यन्त आवश्यक हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत केवानी नदी पर बेलवा-बसिहया घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, बिसवां विधान सभा क्षेत्र जनपद सीतापुर में केवानी नदी पर बेलवा-बसिहया घाट पर पुल न होने के कारण इस क्षेत्र के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर पुल बन जाने से किसानों को अपनी उपज लाने-ले जाने, स्कूली छात्रों को विद्यालय जाने, व्यापारियों तथा आम नागरिकों को आवागमन में काफी सुविधा के साथ ही समय एवं धन की भी बचत होगी। यहां पुल बनाये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु शासन एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्र के निवासियों में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए केवानी नदी पर बेलवा-बसिहया घाट पर पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय भूमियों पर अवैध कब्जा हटा कर जल संचय हेतु संरक्षण प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, पीलीभीत के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, बीसलपुर की सीमा अन्तर्गत तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव-खमरिया-नवदिया की भूमि संख्या-522, 523, 524, 525, 532, 559, 635, 636, 637, 638, 639, 640 एवं 641 तथा राजस्व गांव-ग्यासपुर में भूमि संख्या-390 साथ ही साथ नगर बीसलपुर में ही बिहारी जी ट्रस्ट, धर्मशाला स्टेशन मार्ग, श्रीकृष्ण ज्योतिष पाठशाला, बाला जी ट्रस्ट, गौशाला रामलीला, श्यामलदास मठी, सिंहजी मठी, मौनी बाबा मठी एवं ठाकुरद्वारा राजस्व गांव चकशिवपुरी, राजस्व गांव नूरानपुर, राजस्व गांव नौगवां नवीनगर एवं राजस्व गांव दमूपुरा आदि सार्वजनिक भूमियों का भी काफी दुरुपयोग हो रहा है। उक्त खमरिया-नवदिया की भूमियां जल प्रलावित भूमियां हैं। जिन्हें पाटकर भवन निर्माण करा लिये गये हैं। जिसके कारण जल संचय संकट विद्यमान है। तत्कालीन उप जिलाधिकारी श्रीमती वंदना तिवारी ने दिनांक 21 फरवरी, 2019 राजस्व गांव खमरिया-नवदिया की जल प्रलावित भूमि संख्या-532 पर आंशिक रूप से श्रेणी तीन परिवर्तित कर श्रेणी एक शंकरमणीय भूमिधरी साजिशन करायी गयी, का इन्द्रांज निरस्त कर भवन निर्माण हटाकर पुनः तालाब

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बनाकर जल संचय करा दिया है। परन्तु सम्पूर्ण जल प्रलावित भूमि संख्या-532 या अन्य के सम्बन्ध के हस्तक्षेप नहीं किया है। भूमि संख्या-635 से 641 तक भूमियों पर भी अवैध कब्जा आंशिक रूप से हटाया गया है। सम्पूर्ण पर नहीं। राजस्व गांव ग्यासपुर भूमि संख्या-390 भी जल प्रलावित है, जिस पर भवन निर्माण है। उपरोक्त विषयक भूमियां जल संचय संरक्षण हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराकर अपेक्षित कार्रवाई करके कथित भूमियों से अवैध कब्जा हटाकर जल संचय हेतु संरक्षण प्रदान करने की कृपा की जाय।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख के अन्तर्गत नैमिषारण्य तीर्थ स्थल पर मूलभूत सुविधायें एवं विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कृष्ण भार्गव-

[महोदय, जनपद सीतापुर के मिश्रिख स्थित नैमिषारण्य उ0प्र0 ही नहीं पूरे भारत में तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। परन्तु इस तीर्थ स्थान पर मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों के अभाव में श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि-जरिगवां पड़ाव पर कुनेरा तीर्थ व बाउन्ड्री पानी की व्यवस्था व सत्संग भवन शौचालय आदि का निर्माण, बीहट वीरम ब्लाक मछरेहटा में मंदिर व तीर्थ की मरम्मत, मध्वापुर मुड़ली में देवकली तीर्थ को पक्का करना, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य, मछरेहटा में बाबा मछन्दरदास का मंदिर व तीर्थ को पक्का कराये जाने की आवश्यकता है। इसकी काफी समय से मांग की जा रही है। शासन को भी पत्र लिखने के बाद कोई कार्रवाई न होने से श्रद्धालुओं में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत मिलों द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे नदी में बहाये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-सहारनपुर एक औद्योगिक नगरी है जहां विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां, मिलें व कारखाने संचालित हैं। इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने यहां का केमिकल युक्त पानी सीधे हिण्डन नदी में बहाया जा रहा है जिससे हिण्डन नदी प्रदूषित हो रही है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प से जो पीने का पानी लिया जा रहा है वह काफी प्रदूषित और केमिकल युक्त आ रहा है जिसे पीने से लोग काफी गम्भीर बीमारियों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जैसे कैंसर व अन्य असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं। जनहित में जनपद सहारनपुर में संचालित होने वाली छोटी-बड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों व मिलों को अपने यहां का प्रदूषित पानी हिण्डन नदी में बहाने से रोका जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के ग्राम सभा एट स्थित एन0एच0-2 से लगी हुई 1.2 किमी0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 221-उरई जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम सभा एट की आबादी लगभग 13 हजार से अधिक है, जो कि एन0एच0-2 से लगा हुआ है। लेकिन 1.2 किमी0 मार्ग बहुत खराब स्थिति में है, जो कि लो0नि0वि0 द्वारा बनायी गयी थी, जोकि अब कई वर्षों से जर्जर एवं दो-दो फिट गड्ढों में तब्दील हो गयी है। जनहित में देखते हुए इस मार्ग को आर0सी0सी0 बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्ग को आर0सी0सी0 बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के अन्तर्गत डूडा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, जनपद मथुरा के अन्तर्गत डूडा विभाग के परियोजना अधिकारी पूर्व एवं मौजूदा के शासन की नीति के विपरीत लाभार्थियों से खुलेआम अवैध वसूली तथा जो कार्य अब तक हो जाने चाहिये थे उसका 25 प्रतिशत भी कार्य न होना एवं जो विकास के हमारे क्षेत्र बल्देव तथा जनपद मथुरा में विकास कार्य किये गये वो शासन की मंशा एवं मानकता के विपरीत कार्यशैली के कारण सरकार की छवि बहुत अधिक धूमिल हो रही है। भ्रष्टाचार के कारण आवासीय योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था द्वारा बीते माहों में पीओ डूडा, जनपद मथुरा तथा जेई एवं मिशन मैनेजर द्वारा किये आवास योजनाओं में धन उगाही की गयी है। पात्र लोग घूस न देने के कारण अभी भी मारे-मारे प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्य मंत्री आवास के लिये घूम रहे हैं। जबकि पूरी धनराशि शासन की विभिन्न योजनाओं की अवमुक्त की जा चुकी है। इसकी समय-समय पर स्थानीय पत्रों में तथा जो पात्र लोग प्रशासन के चक्कर लगा रहे, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मथुरा के डूडा के पीओ डूडा, जनपद मथुरा तथा जेई एवं मिशन मैनेजर तथा ठेकेदार की जांच कराकर कठोर कार्यवाही तथा पात्र लोगों को मकान बनाकर आवंटन किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के कतिपय स्थानों में मूलभूत सुविधाओं की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला-

[महोदय, जनपद रामपुर में औद्योगिक स्थान अजीतपुर में सड़कें, नालियों एवं स्ट्रीट लाइटों की हालत बहुत खराब है। सड़कें व नालियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा यहां प्रकाश का कोई समुचित साधन नहीं है एवं यहां पर पार्क भी बने हुए हैं परन्तु उनकी उचित देखभाल नहीं हो रही है और वहां पर बरसात का पानी भरा हुआ है जिससे इस क्षेत्र में गम्भीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। जनहित में जनपद रामपुर स्थित औद्योगिक आस्थान अजीतपुर में सड़कें व नालियों को बनवा कर एवं स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुचारु किया जाना एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूं।]

कानपुर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत आवारा पशुओं के अनियंत्रित रूप से विचरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि नगर निगम कानपुर क्षेत्र में चट्टे शहर से बाहर कर कैटिल कालोनी में बसाये जाने की बात लम्बे समय से हो रही है। गाहे-बेगाहे इस हेतु अभियान भी चलता है, परन्तु अब कैटिल कालोनी विकसित कर चट्टा वालों को आवंटित न करने के कारण यह नहीं हो पा रहा है।

दूसरी ओर आवारा जानवर भी पकड़ कर काजी हाउस में बन्द करे जाते हैं व जुर्माना लेकर फिर छोड़ दिये जाते हैं।

तीसरा पक्ष उन जानवरों का है जो न तो आवारा हैं न ही चट्टे के हैं। बल्कि 1 से 2 जानवर कोई व्यक्तिगत उपयोग हेतु पालता है व अपने बरामदे या आंगन में बांधता है। यह देखा गया है कि यदि कैटिल कैचिंग टीम ऐसे जानवर बरामदे से खोल कर ले जाते हैं तो क्या

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यवाही होनी चाहिए तथा यदि ऐसे जानवर काजी हाउस में मर जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी।

अतः मैं सरकार से इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आवारा जानवर चट्टे के जानवर व व्यक्तिगत जानवरों को नगर निगम क्षेत्र में रखने एवं पकड़े जाने पर कोई ठोस योजना बनाये जाने व सरकार द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के देवबन्द विधान सभा क्षेत्र स्थित अम्बेहटा तिराहे तक जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रिजेश-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राज्य मार्ग संख्या-59 पर स्थित साईं मन्दिर के सामने से ग्राम नूरपुर होते हुए नूरपुर रण्डखण्डी चौराहा से शुगर मिल के सामने से अम्बहेटा तिराहे तक मार्ग कच्चा बना हुआ है। गन्ने के सीजन में क्षेत्र के अधिकांश किसानों के द्वारा इसी मार्ग से गन्ने की ढुलाई का कार्य किया जाता है। अतः किसानों की इस अति महत्वपूर्ण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग का डामरीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के विकास प्राधिकरण की कालोनियों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले''-

[महोदय, मेरठ जनपद के मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण नगर में लगभग 250 कालोनियां प्राइवेट बिल्डरों द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कर आवासीय कालोनियों का निर्माण किया गया है जिसमें इन कालोनियों में लाखों की संख्या में परिवार निवास कर रहे हैं। प्राइवेट बिल्डरों द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत का बोर्ड लगाकर/मानचित्र स्वीकृत दिखाकर आम जन को भू-खण्ड एवं मकान/फ्लैट विक्रय कर दिये गये। प्राइवेट बिल्डरों द्वारा 250 कालोनियों में से लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण रूप से विक्रय कर दी गयी है। मेरठ विकास प्राधिकरण किसी भी आवासीय कालोनी का नक्शा स्वीकृत करते समय बिल्डर से भूखण्ड/फ्लैट बन्धक रखता है अथवा बैंक गारण्टी बन्धक रखी जाती है। इस बन्धक रखने का उद्देश्य यह होता है कि बिल्डर इन कालोनियों के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं (बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट व नाली) उपलब्ध कराकर कालोनी को नगर निगम को हस्तगत करें। लेकिन मेरठ में आज तक किसी भी प्राइवेट बिल्डर ने मूलभूत सुविधाएं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपलब्ध न कराकर एक भी कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की है जिसके कारण इन कालोनियों में रहने वाले लाखों परिवार मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम मेरठ, मेरठ विकास प्राधिकरण व अन्य विभाग कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। इन विभागों का कहना है कि यह कालोनियां हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं जबकि यह विभाग इन कालोनियों से गृहकर व नक्शा पास कराने पर डवलपमेंट चार्ज वसूल कर रहे हैं।

यदि प्राइवेट बिल्डर इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायेगा और नगर निगम व विकास प्राधिकरण व शासन के विकास करने वाले विभाग इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्य करने को तैयार नहीं हैं तो आखिर ऐसी परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है ?

अतः जनहित में ऐसी कालोनियों के विकास हेतु शासन स्तर पर कार्य योजना बनायी जाये, जिससे इस प्रकार की कालोनियों में रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकें तथा जब तक कार्य योजना तैयार हो, तब तक मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम मेरठ दोनों को ज्यादा खराब कालोनियां चिन्हित कर विकास कार्य कराये जाने के निर्देश दिये जाना अति आवश्यक हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

गोरखपुर महानगर के नन्दानगर अण्डरब्रिज में भीषण जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, गोरखपुर नगर विधान सभा क्षेत्र में गोरखपुर-कुशीनगर मार्ग पर स्थित नन्दानगर रेलवे क्रासिंग पर लोक निर्माण विभाग ने अण्डर ब्रिज का निर्माण किया है। जब यह अण्डरब्रिज निर्माणाधीन था, उसी समय लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के साथ अक्टूबर, 2018 में भ्रमण करके, हमने उनसे पूछा था कि यह अण्डरब्रिज जमीन से 15-16 फिट नीचे है और बारिश में अन्दर भीषण जल जमाव होने की अत्याधिक सम्भावना रहेगी, इसलिये जल निकासी की क्या व्यवस्था की गई है ? गोरखपुर के नागरिक धर्मशाला अण्डरब्रिज को पहले से ही झेल रहे हैं, यह भी गोरखपुर का दूसरा धर्मशाला अण्डरब्रिज बन जायेगा। लेकिन अभियन्ताओं ने पूर्व चेतावनी देने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाया। हमने तत्कालीन मण्डलायुक्त अमित गुप्ता जी को भी चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे बहुत हल्के तरीके से लिया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अण्डरब्रिज मई, 2019 में तैयार हुआ और नागरिकों के उपयोग के लिये खोल दिया गया। पहली ही बारिश में जून-जुलाई, 2019 में नन्दानगर अण्डरब्रिज पर भीषण जल जमाव हो गया और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण एक सप्ताह तक आवागमन प्रभावित रहा।

सिर्फ इतना ही नहीं, लोक निर्माण विभाग ने अण्डरब्रिज के बगल में एक नाला बनवाया। पहली ही बारिश में नाले की 25-30 मीटर दीवाल गिर गई। दिवाल गिरने पर पता चला कि मानकों की पूर्ण अवहेलना करते हुये दीवाल की मजबूती के लिये लोहे की छड़ें ही नहीं डाली गई थीं और बेहद घटिया ईंटों तथा मसालों का प्रयोग किया गया था।

आश्चर्य यह है कि इतनी महत्वपूर्ण दुर्घटना होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनवरत् संघर्ष के सिद्धान्त में यह अपेक्षित थी।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत सरकार को जवाब हेतु निर्देशित।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र वर्मा-

[महोदय, जनपद आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र 93, फतेहाबाद जनपद आगरा के ब्लाक फतेहाबाद में खाद्य एवं रसद विभाग में श्री रवि यादव (एम0आई0) विपणन अधिकारी कई वर्षों से ब्लाक पर जमा हुआ है। जो ब्लाक शमशाबाद व फतेहाबाद के सभी राशन दुकानदारों से प्रत्येक माह पर मोटी रकम वसूल करता है और प्रत्येक दुकानदारों से 5-6 हजार रुपये आफिस के खर्चे के पर नाम गेंहू व चावल की कटौती करता है। (क्या सरकार के पास आफिस के खर्च के लिये कोई प्राविधान नहीं है, या फिर विवरण अधिकारी (एम0आई0) को वेतन नहीं दिया जाता है तो इस प्रकार का खर्च राशन दुकानदारों से लिया जाता है) फिर सरकारी खाद्यान्न की खुलेआम कालाबाजारी करता है जिसके कारण गरीब जनता को सरकार द्वारा सरकारी खाद्यान्न लाभ नहीं मिलता है। उक्त विवरण अधिकारी (एम0आई0) के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई कराने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जो मार्ग गढ़रोड से समयपुर के रास्ते ग्राम मुंडाली होते हुए खरखौदा जाता है तथा हापुड़ रोड को जोड़ता है। यह मेरी विधान सभा का मुख्य लिंक मार्ग है। इस रास्ते पर नंगला मल शुगर मिल पड़ती है जहां निरन्तर किसानों व अन्य आमजन की आवा-जाही रहती है। इस मार्ग की चौड़ाई काफी कम होने की वजह से आये दिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है तथा हादसे होते रहते हैं। जनहित में इस मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली के निम्नलिखित स्थानों पर नये प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है :-

1-खल्लपुर, विकास खण्ड-फरीदपुर।

2-देवरनिया विकास खण्ड-फरीदपुर।

3-भुता विकास खण्ड-भुता।

4-नगरिया कला, विकास खण्ड-भुता।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त स्थानों पर नये प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ स्थित पनैठी-गंगीरी सड़क सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवेन्द्रपाल सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है जनपद अलीगढ़ के पनैठी-गंगीरी सड़क सम्पर्क मार्ग को विशेष मरम्मत कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार न होने पर अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग निर्माण खण्ड-1, मुख्य अभियंता व शासन को अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त कार्य की सैम्पल लेकर जांच कराया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर किये गये सभी प्रयास निष्फल रहे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नव्वागांव की सरकारी खलिहान की जमीन भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नव्वागांव, तहसील मनकापुर के खलिहान की भूमि गाटा सं0-67/0.266 एअर जो सरकारी खलिहान की भूमि है। उस पर भू-माफियाओं पूर्व प्रधान छेदी खां द्वारा सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा करके मदरसा/मकतब स्कूल का पक्का निर्माण कराया दिया गया है। जनहित में उक्त ग्राम पंचायत की सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे को भू-माफिया से खाली कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत की सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे को भू-माफिया से खाली कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं। दिनांक 26-7-2019]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का सी0सी0 अथवा इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नहटौर जनपद बिजनौर के बहुत से गांवों में मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिससे आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पाली जट, मटौरा दर्गा, गोपालपुर, मुकरन्दपुर उर्फ कलाली, नरायणपुर, चोहरासेड़ी, खजुराजट, कोकड़ा इस्लाम, खेड़की ठप्पा, वकरनगला, शाहपुर सैदू, फरीदपुर सदीरन, शेरपुर कल्यान, अतापुर उर्फ खतापुर व पुट्ठा के मार्गों की स्थिति बहुत ही खराब है। उक्त गांवों में सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से इसकी मांग की जा रही, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से ग्रामवासियों में निराशा एवं आक्रोश है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त ग्रामों का सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-287 पयागपुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत विशेश्वरगंज बाजार की सड़क दूरी लगभग 01 किमी जगह-जगह टूट गयी है तथा गड्ढे बन जाने से जलभराव हो जाता है। जिससे आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विशेश्वरगंज बाजार के अन्दर सी0सी0 सड़क एवं नाली बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के अन्तर्गत सरयू नदी के कतिपय ठेकेदारों के निर्माण कार्य में व्याप्त धांधली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 357-बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे स्थित चैनपुर गुलौरा एवं टंगुनियां ग्राम सभाओं में निर्माणाधीन ठोकरों में व्याप्त धांधली एवं भ्रष्टाचार से बाढ़ पूर्व लगभग 1 दर्जन ग्राम सभाओं को सुरक्षित किये जाने हेतु सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य पूर्ण न होने से ग्रामवासियों को बाढ़ से भारी जान-माल का नुकसान होने का खतरा बना हुआ है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं स्थित ग्राम नगरिया खन्नू पर प्रस्तावित पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज के ग्राम नगरिया खन्नू (धमी पट्टी) पर राज्य तकनीकी समिति द्वारा एवं राज्य स्तरीय स्वीकृति के उपरान्त रामगंगा नदी पर बनने वाले पुल की वित्तीय स्वीकृति न दिये जाने के कारण अभी तक पुल निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है। इस क्षेत्र की जनता को दूसरे किनारे से अपने कृषि के लिए जाने एवं उत्पाद लाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे हो रही परेशानियों के कारण आम जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम नगरिया खन्नू (धमी पट्टी) में रामगंगा नदी पर पुल बनाये जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अमरोहा स्थित गंगा किनारे घाट का निर्माण व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा अन्तर्गत तिगरी धाम से होकर गंगा नदी बहती है जहां पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालू स्नान के लिए आते हैं। घाट न होने के कारण अक्सर डूबने की घटनायें होती रहती हैं। यहां घाट का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु काफी समय से मांग की जा रही है। परन्तु शासन व प्रशासन के अधिकारियों की उदासीनता में अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जनहित में घाटों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए तिगरी धाम पर गंगा नदी के किनारे घाट निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा स्थित बामौर में 220 के0वी0 का ट्रांसमिशन उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गरौठा में बामौर ब्लाक के स्थित बामौर में 220 के0वी0 का ट्रांसमिशन उपकेन्द्र बनना जनहित में अति आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र में किसानों के निजी ट्यूबवेलों के अधिकांश कनेक्शन हैं जिनसे किसान सिंचाई के लिये पानी प्राप्त करता है। बामौर जनपद मुख्यालय से बहत दूर भी है। बामौर में ग्राम सभा की जमीन उपकेन्द्र के लिये उपलब्ध है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित बुढ़ाना नगर पंचायत में मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक-

[महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना क्षेत्र के बुढ़ाना नगर पंचायत तहसील होने के बावजूद मण्डी न होने से किसानों को गेहूं, आलू, धान, प्याज आदि बेचने में बहुत असुविधा होती है तथा किसानों को कम मूल्य मिल पाता है जबकि शासनादेश के अनुसार तहसील में मण्डी होना अनिवार्य है। जनहित में मण्डी का होना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के नगर पालिका अन्तर्गत स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को वोट डालने के संविधानिक अधिकार से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मुजफ्फरनगर नगर पालिका में कार्यरत स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को विगत लोक सभा चुनाव में वोट के अधिकार से वंचित किया गया। आनन-फानन में ड्यूटी लगाकर अधिशाषी अधिकारी व नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा न तो कोई बैलेट पेपर दिया गया और न ही वोट डालने के लिए समय दिया गया। लगभग 50-60 कर्मचारियों को वोट डालने के संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया। जनहित में ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के विकास खण्ड अलीगंज के राजस्व ग्राम रूस्तमनगर को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद एटा के मेरे विधान सभा क्षेत्र 103, अलीगंज अन्तर्गत विकास खण्ड अलीगंज का राजस्व ग्राम रूस्तमनगर है। जो कि अभी तक मुख्य मार्ग से सम्पर्कित नहीं है। जिस कारण ग्रामवासियों को कहीं भी आने-जाने में भारी असुविधा होती है। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर बहुत प्रयास के बावजूद भी कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। उक्त ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव कुमार दिवाकर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद एटा के मेरे विधान सभा क्षेत्र 106, जलेसर में कोई बस डिपो नहीं है। जिस कारण स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। जलेसर घुंघरू व घंटी तथा पटना पक्षी विहार के लिये विख्यात है। जलेसर में बस डिपो स्थापित किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत रजवाहा कल्लनपुर पटरी पर पिलखनी मार्ग से कान्हा हेड़ी में बिरालसी-दूधली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार कश्यप-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत रजवाहा कल्लनपुर पटरी पर पिलखनी मार्ग से कान्हा हेड़ी में बिरालसी-दूधली मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है जिस पर से निकलना दूभर हो गया है जनहित में इस मार्ग पर खड़न्जे से लेपन कार्य होना नितान्त आवश्यक है, ताकि यातायात सुगमता से चल सके।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोडर में नवीन मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील रामसनेही घाट विकास खण्ड बनीकोडर में मण्डी स्थल/नवीन मण्डी भवन न होने के कारण किसानों को अपनी फसल की उपज को बेचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नवीन मण्डी भवन के न होने के कारण किसान अपनी उपज को बिचौलियों के हाथों औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। किसानों द्वारा मण्डी के निर्माण हेतु काफी समय से धरना-प्रदर्शन के माध्यम से मांग की जा रही है परन्तु अधिकारियों एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्रवाई न होने से किसानों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास खण्ड बनीकोडर में नवीन मण्डी स्थल की स्थापना हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक ग्राम सिसईया, विकास खण्ड धौरहरा वर्ष 2008 से बन रहा है। इसे अल्पसंख्यक कल्याण निगम के द्वारा यह ठेका देकर बनाया जा रहा है जो अधूरा है तथा मानक के विपरीत है। इसमें बड़े पैमाने पर बन्दरबांट किया है, जबकि इसमें प्रवेश जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। बच्चों का भविष्य खतरे में है। उच्चस्तरीय जांच की मांग आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के अन्तर्गत कुवानों नदी पर वनकटा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के कुवानों नदी के वनकटा घाट पर पुल का निर्माण न होने से क्षेत्र के लोगों को व्यवसायिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों को गोरखपुर मुख्यालय आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बेलघाट ब्लाक एवं हैसर क्षेत्र के लोगों को गोरखपुर आने-जाने, विद्यार्थियों को पढ़ने और आमजन को व्यापार करने के लिये जिला मुख्यालय से सामान लाने के लिये काफी दूरी तय करनी पड़ती है। आजादी के इतना दिन बाद भी वनकटा घाट कुवानों नदी पर पक्का पुल नहीं बन सका। यदि कुवानों नदी पर वनकटा घाट पुल होता तो लोगों को दूरी कम पड़ती और समय तथा धन की भी बचत होती।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कुवानों नदी वनकटा घाट पर पक्का पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत यमुना नदी पर बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र भरथना जनपद इटावा में यमुना नदी पर बैराज बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यहां पर बैराज बन जाने से इटावा, औरैया एवं जालौन जनपद को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पांच नदियों के संगम पंचनद पर यमुना, चम्बल, सिन्ध, क्वारी एवं पहुंच का मिलन होता है। यमुना पर बीजलपुर गांव के पास बैराज बना दिये जाने से छः नहरों को पानी दिया जा सकेगा। इससे इटावा में चकरनगर क्षेत्र की चार नहरें निकाली जा सकेंगी एक नहर जालौन जनपद को जोड़ेगी। छठी नहर औरैया जनपद को जोड़ेगी जिससे भोगनीपुर शाखा को जोड़ा जा सकेगा। इस परियोजना से इटावा, औरैया एवं जालौन जनपद के किसान लाभान्वित होंगे।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यमुना नदी पर बैराज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के अन्तर्गत लारपिपरा चौराहा के भागलपुर तिराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली प्रसाद-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया के अन्तर्गत लारपिपरा चौराहा से पिण्डी होकर भागलपुर तिराहे तक मार्ग अत्यधिक सकरा है जिससे यातायात का दबाव अधिक होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा जाम की स्थिति बनी रहती है। यातायात के दबाव के देखते हुए इस मार्ग का चौड़ीकरण करके टू-लेन बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिला एवं शासन स्तर पर कई बार पत्र लिखा गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण आम जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लारपिपरा चौराहा से पिण्डी होकर भागलपुर तिराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण (टू-लेन) कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड माधौगढ़ के मध्य मृगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूलचन्द्र सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 219-माधौगढ़ जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-माधौगढ़ के हीरापुरा व नीचे का पुरा के मध्य मृगा नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में विकास खण्ड-माधौगढ़ के हीरापुरा व नीचे का पुरा के मध्य मृगा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्ब, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विकास खण्ड-माधौगढ़ के हीरापुरा व नीचे का पुरा के मध्य मृगा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के अन्तर्गत कतिपय नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव कुमार-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र ओबरा जनपद सोनभद्र में विकास कार्यों का अभाव है जिसके कारण काफी समय जनमानस द्वारा मांग किये जाने के बावजूद भी नदियों पर पुलों का निर्माण नहीं हो पाया है। जैसे कि रेणु नदी पर तथा विजुल नदी पर एवं गोतान नदी पर पुल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बनाये जाने की मांग काफी समय से की जा रही है। पुल के अभाव में आम जनमानस एवं क्षेत्र के किसानों, स्कूली छात्रों, व्यापारियों को दूसरी ओर जाने के लिए काफी दूरी तय करके अथवा नावों के सहारे नदी को पार करना पड़ता है। कई बार नावों के डूबने से दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं। जनहित में उक्त नदियों पर पुल का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रेणु नदी पर तथा विजुल नदी पर एवं गोतान नदी पर पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत ग्राम सभा नौनेर में नौनेरी झील के अस्तित्व को बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राही-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के हरगांव जनपद सीतापुर अन्तर्गत ग्राम सभा नौनेर में नौनेरी झील के नाम से प्रसिद्ध एक विशालकाय झील है। जिसमें पूर्व में विदेशी पक्षियों को देखने के लिए लोग आते थे। इस समय पूर्णतया यह झील सूख गयी है। झील के तटों पर ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके कृषि की जा रही है। इस झील को पुनः जीवित रखने के लिए इसमें पानी की व्यवस्था तथा अवैध रूप से कब्जा करके खेती करते लोगों से मुक्त कराया जाना आवश्यक है। झील के अस्तित्व को बनाये रखने से जहां एक तरफ जल संचयन होगा वहीं दूसरी तरफ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नौनेरी झील के अस्तित्व को बचाये जाने एवं अवैध कब्जे को हटाकर पानी की व्यवस्था किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ खण्ड-5, गंग नहर, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मडराक रजवाहा में पानी छोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल पाराशर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोल, जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ खण्ड-5, गंग नहर, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मडराक रजवाहा का निर्माण लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ, किन्तु आज तक उसमें पानी नहीं आया है। जिससे किसानों को सिंचाई आदि मे बहुत असुविधा होती है। उक्त रजवाहा में पानी छोड़ा जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मडराक रजवाहा में पानी छोड़े जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के नगर पंचायत कटरा में गेस्ट हाउस को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायत कटरा में पिछली सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला का निर्माण कराया गया था जो आज तक पूर्ण न होने के कारण डाक बंगला चालू नहीं हो पाया है। लगभग ढाई वर्ष का कार्यकाल व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक चालू नहीं किया गया है। जो अपने आप में एक लापरवाही है। इसकी शिकायत मेरे द्वारा पूर्व में कई बार सम्बन्धित अधिकारियों से की जा चुकी है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। ऐसी स्थिति में उक्त लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को चालू कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम छुटमलपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 01, बेहट, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ब्लाक मुजफ्फराबाद में ग्राम छुटमलपुर है। इस ग्राम की आबादी लगभग 25000 के आस-पास है। इसी ग्राम में उ0प्र0 परिवहन निगम का डिपो भी है, जिसमें कम से कम 80 परिवहन निगम की बसें कार्यरत हैं। इसके अलावा इसी गांव में थाना-फतेहपुर, डाकखाना, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं, तीन पेट्रोल पम्प, दो प्राकृतिक गैस एजेन्सियां तथा एक इण्टर कालेज और लगभग 05 प्राइवेट स्कूल भी कार्यरत हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह ग्राम पूर्णरूप से कस्बे (नगर) में परिवर्तित हो चुका है। विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जनहित में उक्त ग्राम छुटमलपुर को नगर पंचायत बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद सहारनपुर के ग्राम छुटमलपुर को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम नल्हेड़ा बक्काल के निकट तालाब की बाउण्ड्रीवॉल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[महोदय, जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 4, सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम नल्हेड़ा बक्काल जो कि अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी का है। आबादी से सटा हुआ तालाब

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है जिसकी बाउण्ड्री नहीं बनी हुयी है। इस वजह से कुछ लोग किनारों पर अपना कब्जा भी कर लेते हैं तथा तालाब में जानवरों एवं छोटे बच्चों के भी गिरने का भय बना रहता है। अप्रिय घटना घट सकती है। मा0 प्रधानमंत्री जी के जल संरक्षण योजना के तहत तालाबों को बचाने का कार्य भी किया जा रहा है। अतएव उक्त तालाब का बाउण्ड्रीवॉल होना संरक्षण के लिए नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनपद-सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम नल्हेड़ा बक्काल की आबादी से सटे तालाब का बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैण्ट के अन्तर्गत जोन-2 के नगर निगम में तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोहिल अख्तर अंसारी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 216, कैण्ट जनपद कानपुर अन्तर्गत जोन-2 के नगर निगम, कानपुर में तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सड़क, नाला आदि पर पिछले एक वर्ष के अन्तर्गत जो भी कार्य कराये गये हैं, उसमें मानक के अनुसार एक भी कार्य नहीं कराया गया है। मानक के अनुसार कार्य न होने से कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है जिससे राजस्व की भी हानि हुई है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त कार्यों की जांच कराकर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली सदर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री अदिति सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद-रायबरेली में जिला पंचायत, रायबरेली के अधीन निर्मित सड़कों में से अधिकांश सड़कें वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं। बीते 3-4 वर्ष से इनकी मरम्मत नहीं हुई है जिससे यहां के निवासियों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली सदर विधान सभा क्षेत्र के अमावां ब्लाक के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा निर्मित निम्नलिखित सड़कें :-

1-पूरे गुमान सिंह सम्पर्क मार्ग लम्बाई 2.500 कि0मी0, 2. खरसिरवा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.350 कि0मी0, 3. हैवतमऊ से कुमारगंज सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.700 कि0मी0, 4. अहमदपुर मौरई से समरदहा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.00 कि0मी0, 5. फकीरन तकिया होते

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुए कुडरा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.300 कि0मी0, 6. अमावां से रूकुनपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.800 कि0मी0 तथा 7. रजवापुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 03.400 कि0मी0 वर्तमान में एकदम जर्जर अवस्था में हैं। इन सड़कों से सैकड़ों गांव के लोग प्रतिदिन आते-जाते हैं। जर्जर होने के कारण आये दिन इन पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन सड़कों के निर्माण में किये गये अनुबन्ध तथा विशिष्टियों की जांच कराकर अधोमानक निर्मित सड़क की जांच कराये जाने, निर्माण में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा मानकानुसार मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र जिला पंचायत, रायबरेली द्वारा कराया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने की कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा एवं हिलौली के मध्य अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[महोदय, जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र 167, पुरवा उन्नाव के विकास खण्ड-असोहा एवं हिलौली के मध्य अग्निशमन केन्द्र न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अग्निशमन केन्द्र अधिक दूर होने के कारण गर्मी के मौसम में किसानों की लाखों बीघा फसल जलकर बर्बाद हो जाती है। क्षेत्रीय जनता द्वारा असोहा विकास खण्ड के कालूखेड़ा के पास अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराए जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है पर अभी तक उक्त स्थान पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं कराया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस सम्मानित सदन का एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के बाघामऊ गांव में कतिपय खसरा नंम्बर पर अवैध कब्जे व बैनामों का निरस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में गोमती नगर विस्तार के बाघामऊ गांव में खसरा नं0 460 कुल रकबा 0.950 हेक्टेयर में से 0.475 हेक्टेयर भूमि सरस्वती इन्फोटेक व अन्य कम्पनियों को बैनामा हुआ व नामान्तरण भी हुआ किन्तु बाद में खसरा नं0 460 में रकबे से अधिक बैनामा हो गया तथा राजस्व निरीक्षकों द्वारा नामान्तरण भी करा दिया गया। कब्जा करने वाले एक विशेष वर्ग से हैं, अतः पिछली सरकारों में न्याय नहीं मिल सका।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस गम्भीर प्रकरण के संबंध में अवैध कब्जों व अवैध बैनामों का निरस्तीकरण शीघ्र कराये जाने तथा पैमाइश कराकर संबंधित प्रार्थी को कब्जा दिलाये जाने हेतु राजस्व मंत्री से प्रभावी कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात श्री अजय कुमार शर्मा प्रधान सहायक की तबादले के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद सरोज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 14.06.2019 को दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रतापगढ़ जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात श्री अजय कुमार शर्मा, प्रधान सहायक का तबादला कार्यालय शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 प्रयागराज के आदेश सं0-नियुक्ति-1(बेसिक)/20/2019-20, दिनांक 29.06.2019 द्वारा किया गया किन्तु अभी तक श्री अजय कुमार शर्मा को कार्यमुक्त नहीं किया गया जबकि श्री अजय शर्मा 11 वर्षों से अधिक समय से एक ही जनपद में एक ही पटल पर कार्यरत हैं।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त आदेशों के अनुपालन में श्री अजय कुमार शर्मा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जनपद प्रतापगढ़ से शीघ्र ही कार्यमुक्त किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के तहसील सहसवान क्षेत्र के कतिपय गांवों में गंगा नदी से उत्पन्न बाढ़ की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बदायूं के तहसील सहसवान क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप भयंकर है, सर्वाधिक दबाव की स्थिति जी0एम0 बांध के किमी0 संख्या 15 से 16.375 के मध्य बनी है। बांध से गंगा की दूरी मात्र 50 मीटर रह गई है, हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो गई हैं। गंगा में बाढ़ आने से तौफिया नगला, आसू नगला, रज्जू नगला, गिरधारी नगला, भमरौलिया, परशुराम नगला, वीर सहाय नगला, खागी नगला काफी प्रभावित हैं, सबसे ज्यादा खतरा धापड़, टमेंटपुर चौकीदार की मड़इया को है। वहां आस-पास रहने वाले किसान भयभीत हैं, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। समय रहते कार्य हो गया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती, इसको लेकर जनमानस में रोष की भावना व्याप्त है। यह जनहित से जुड़ा गम्भीर विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज, तहसील सगड़ी में ग्राम सभा इमलीपुर में पिच रोड का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलरियागंज, तहसील सगड़ी में ग्राम सभा इमलीपुर के अन्तर्गत जियनपुर-बिलरियागंज मेन रोड से अण्डाखोर टिकरिया सम्पर्क मार्ग से चन्द्रदेव कृषक महाविद्यालय इमलीपुर तक जिसकी लम्बाई 1 किमी0 है। उक्त जगह पर पिच रोड न होने से बरसात के दिनों में रास्ते में पानी भर जाता है जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में और आम जनमानस के आवागमन में काफी परेशानी होती है। इस पिच रोड के बन जाने से लोगों के आने-जाने में सुविधा हो जायेगी। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त रोड के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत विद्युत पोलों व तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबरार अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र इसौली जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत बिजली के तार अत्यधिक जर्जर हो गये हैं जिसके कारण आये दिन तार टूट कर दुर्घटनायें हो रही हैं, जिनमें अब तक दो लोगों की विद्युत दुर्घटना में मृत्यु भी हो चुकी है। जर्जर तार व अत्यधिक पुरानी लाइन होने के कारण तार टूटकर गिरते रहते हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित होती है तथा ट्यूबवेल इत्यादि आपूर्ति के अभाव में नहीं चल पा रहे हैं तथा कृषि कार्य भी बाधित हो रहा है। यह जनहित का गम्भीर विषय है, जर्जर बिजली के तारों को बदला जाना अति आवश्यक है। जनता में इसके प्रति काफी रोष की भावना व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर में निर्माणाधीन राजकीय हाई स्कूल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर निर्माणाधीन राजकीय हाई स्कूल जोकि उ0प्र0 सी0एन0डी0एस0 बना रही है काफी दिनों से यह कार्य रुका

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुआ है निर्माण एजेन्सी ने चयनित भूमि से अलग हटकर खलिहान की जमीन पर अधूरा स्कूल का निर्माण कार्य करके छोड़ दिया है। सरकार निर्माणाधीन एजेन्सी के जिम्मेदार कर्मचारी/ अधिकारी से पैसे की वूसली करके चयनित भूमि पर स्कूल का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है। यह लोक महत्व का है और जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

चन्दौली-सकलडीहा के अन्तर्गत सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग से सढान सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग से सढान सम्पर्क मार्ग के तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उक्त मार्ग को लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य कराया गया था। वर्तमान समय में उपरोक्त सड़क गड्ढों में परिवर्तित हो गयी है। जिसका निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त सड़क से लगभग बीसों गांव के लोगों का आवागमन बना रहता है। सड़क खराब होने के कारण क्षेत्र के लोगों का आवागमन बाधित रहता है। सड़क का बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त सड़क के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं]

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत करहल-सिरसागंज मार्ग से साहब रामपुर बघेरा दोस्तपुर मार्ग भिडौरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोवरन सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत करहल-सिरसागंज मार्ग से साहब रामपुर बघेरा दोस्तपुर मार्ग भिडौरा होते हुए जो एन0एच0-2 से मिलता है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण के फलस्वरूप सड़क पर बड़े-बड़े डम्परों के चलने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिससे आने-जाने वाले वाहनों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी तरह से करहल बाईपास से करहल गढ़िया मार्ग जोकि बड़े-बड़े डम्परों के चलने के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण उक्त मार्गों/सड़कों का पुनः निर्माण कराया जाना आवश्यक है। सड़कों के खराब होने के कारण आये दिन लोगों को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों सड़क का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने की अति आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त दोनों सड़कों के पुनः निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के ग्राम सिटकिहा कला के निवासी श्री मुकेश कुमार की दिनांक 17-07-19 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान विधान सभा क्षेत्र 176, मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की संवेदनशील व अति महत्वपूर्ण व हृदय विदारक घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि थाना गोसाईगंज, लखनऊ के ग्राम सिटकिहा कला निवासी मुकेश कुमार पाल जोकि ओला कम्पनी के माध्यम से अपनी कार को कम्पनी से सम्बद्ध करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। दिनांक 17-07-2019 को मुकेश पाल की कार को ओला मोबाइल एप के जरिये मुकेश कुमार पाल की स्विफ्ट डिजायर कार को बुक कराकर रात को लगभग 10.30 बजे सीतापुर सवारी बैठाकर ले गया तबसे मुकेश कुमार पाल का पता नहीं चला। मुकेश कुमार के गुम होने के बाद मुकेश कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना गोसाईगंज, लखनऊ में दर्ज करायी। लेकिन दिनांक 19-07-2019 को चालक मुकेश कुमार पाल की लाश सीतापुर जिले के थाना सिधौली के ग्राम सन्दाना के पास नदी में मिली जिसकी कुछ लोगों ने गाड़ी को अगवा कर बेरहमी से मुकेश कुमार की हत्या कर दी गयी। मुकेश कुमार की गाड़ी को रात दिनांक 17-07-2019 को रात्रि 11 बजकर 49 मिनट पर इंटौजा टोल प्लाजा से जाते और रात्रि 1.30 बजे को वापस आते वहां की सी0सी0 फुटेज में दिखायी गयी है। उक्त घटना की रिपोर्ट विभिन्न धाराओं में थाना गोसाईगंज, लखनऊ में दर्ज करायी गयी है परन्तु अभी तक गाड़ी लूटने वाले व मुकेश कुमार की हत्या करने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। मुकेश कुमार जो कुछ समय पहले कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर अपना इलाज कराकर स्वस्थ हुआ था और उक्त कार के माध्यम से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था परन्तु प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था ने उसकी जान ले ली और अभी दोषी कानून की पकड़ से बाहर हैं।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मृतक मुकेश कुमार के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मैनपुरी में राजू पुत्र श्री सूरज पाल की मोटर साइकिल से हुई दुर्घटना में थाना बिछवां पुलिस द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ग्राम लहटोरिया, थाना अछन्दा, जिला औरैया के निवासी राजू पुत्र सूरजपाल दिनांक 05-07-2019 को रात्रि लगभग 11:00 बजे मोटर साइकिल द्वारा सिकन्दराबाद से अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गमी में मैनपुरी जा रहे थे। कुरावली नई मण्डी के आगे जुन्हैसा रोड के सामने पीछे से आ रही इको कार सवार तीन व्यक्तियों ने मोटर साइकिल के सामने गाड़ी लगाकर रोक लिया। मोटर साइकिल की चाभी, जेवर और पास में रखे रुपये सहित पत्नी को गाड़ी में डालकर ले गये। पीड़ित राजू ने 100 नम्बर पर उक्त घटना की पुलिस को जानकारी दी। थाना बिछवां पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष बिछवां राजेश पाल सिंह व तीन सिपाही मौके पर पहुंचे जिसे पीड़ित ने अपनी पूरी घटना की जानकारी दी। थानाध्यक्ष बिछवां ने पीड़ित राजू की बदमाशों द्वारा ले जायी गयी पत्नी को खोजने के बजाय पीड़ित को ही बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और पीड़ित को मारते-मारते बेहोश कर दिया। उक्त लुटेरे एटा क्षेत्र की तरफ लेकर चले गये जहां पर उन्होंने गाड़ी के अन्दर ही पत्नी के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। बलात्कार के बाद पत्नी को रोड के किनारे फेंक कर चले गये जो बमुश्किल किसी तरह रात्रि 4:00 बजे थाना कुरावली आयी जहां पर घटना की जानकारी दी जिस पर थाना कुरावली ने मु0अ0सं0-257/19 धारा-376बी, 365, 392 आई0पी0सी0 के तहत दर्ज किया तथा थानाध्यक्ष बिछवां राजेश पाल सिंह व तीन सिपाहियों के विरुद्ध थाना कुरावली में मु0अ0सं0-260/19 धारा-307, 323, 504 आई0पी0सी0 व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत दर्ज हुआ। मु0सं0-260/19 थाना कुरावली में नामित पुलिस कर्मी खुलेआम घूम रहे हैं जो पीड़ित परिवार पर समझौते करने के लिए नाजायज दबाव बना रहे हैं। ऐसा न करने पर अनन्य तरह की धमकियां दे रहे हैं।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करने एवं सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत डूडा नगरीय विकास अभिकरण में किये गये कार्यों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सदर जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत डूडा नगरीय विकास

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभिकरण द्वारा जनवरी, 2019 से अब तक जो भी कार्य कराये गये हैं। वह मानक के विपरीत किया गया है। स्थानीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है और आपस में मिलकर बन्दरबांट कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के लोगों द्वारा आये दिन शिकायतें मिलती रहती हैं। जिसकी जांच कराकर कार्यवाही की मांग की जा रही है। ऐसी स्थिति में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है क्योंकि यह प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है और लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

नगर पालिका क्षेत्र मैनपुरी में सीवर लाइन के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। नगर पालिका क्षेत्र मैनपुरी में कुछ वर्ष पहले सीवर लाइन का काम हुआ था जिसमें काफी जगह सीवर लाइन बिछने से छूट गयी है। इसी तरह से अन्डरग्राउण्ड केबलिंग में भी कुछ भाग अवशेष है एवं कुछ भाग खुदा हुआ पड़ा है जिसके कारण जल भराव से आम जनता को परेशानी हो रही है। यह जनहित का विषय है, इन छूटे एवं अधूरे कार्यों को तत्काल पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त दोनों छूटे एवं अवेशष कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नगर निगम मेरठ की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अन्सारी-

[महोदय,

1-कांच के पुल से समर गार्डेन 60 फुटा रोड तक मुख्य मार्ग पर डैन्स रोड निर्माण कार्य।

2-करीम नगर में पार्क वाली गली में हाजी इरफान के मकान से यूनुस की डेरी तक नाली और डैन्स रोड निर्माण कार्य।

3-गोला कुआं रिक्सा रोड से ताला फैक्ट्री तक तथा कांच के पुल तक नाली व डैन्स रोड निर्माण कार्य।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-भूमियां के पुल से पिलोखढी के पुल तक नाला पटरी पर डैन्स रोड निर्माण कार्य।

5-हापुड़ रोड से करीम नगर तेलीवाडे तक नाला पटरी डैन्स रोड निर्माण कार्य।

6-खैरनगर बाजार में वेली बाजार से पुलिस चौकी पटेल नगर तक डैन्स रोड निर्माण कार्य।

अतः आपसे आग्रह है कि इन सड़कों के निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराये जाने के आदेश सम्बन्धित को देने की कृपा करें।]

जनपद वाराणसी के ग्राम सभा बेलवरिया की सड़क एवं नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद वाराणसी में विकास खण्ड हरहुआ के ग्राम सभा-बेलवरिया में भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग पर बेलवरिया गेट से पश्चिम तरफ खुले नाले में पाइप डालकर जल निकासी व उसके ऊपर सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 1500 मी0 निर्माण कराना जनहित में अतिआवश्यक है क्योंकि जल निकासी का साधन न होने के कारण पूरे रास्ते पर पानी भरा रहता है, जिससे पूरा रोड हमेशा कीचड़ और गन्दगी से प्रभावित रहता है स्कूल जाने वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चे एवं अन्य ग्रामवासियों को काफी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः जनपद वाराणसी में विकास खण्ड हरहुआ के ग्राम सभा बेलवरिया में भोजूबीर सिंधोरा मार्ग पर बेलवरिया गेट से पश्चिम तरफ बाहा तक खुले नाले में पाइप डालकर जल निकासी व उसके ऊपर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने हेतु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के अन्तर्गत जिन्द पट्टी, ग्राम बिसाना में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ, जनपद हाथरस में जिन्द पट्टी, ग्राम बिसाना के बच्चों को हाई-वे पार करके सड़क के दूसरे तरफ गम्भीर पट्टी, बिसाना स्थित प्राथमिक विद्यालय जाना पड़ता है। बच्चों के सड़क पार कर विद्यालय जाने में सदैव दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस भय से बहुत सारे बच्चे विद्यालय जाना बन्द कर रहे हैं अथवा निजी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। जनपद हाथरस में विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के जिन्द पट्टी, ग्राम बिसाना में नये प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में चोगड़ा-चट्टी में नया विद्युत स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत चोगड़ा क्षेत्र के तमाम बड़े गांव हजौली, कुरैजी, बलेसरा, सिकिरिया कला, सिकरिया खुर्द, सचन, बुढ़ऊ, बड़सरी, वीरपुरा, तकिया, हथौड़ी आदि में रतसड़ विद्युत सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जाती है जो कि अत्यधिक दूरी एवं अत्यधिक लोड के कारण अक्सर जल जाने से इन गांवों में कभी भी सुचारु रूप से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है।

चोगड़ा क्षेत्र की विद्युत मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को देखते हुए जनहित में चोगड़ा में एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक भी है क्योंकि इस सम्बन्ध में ग्रामीण जनता द्वारा बार-बार निवेदन भी किया जाता रहा है तथा इन गांवों में विद्युत आपूर्ति को लेकर अत्यधिक रोष भी व्याप्त है जो कि कभी भी जन आन्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के चोगड़ा क्षेत्र में विद्युत के गम्भीर संकट को देखते हुए चोगड़ा चट्टी पर एक विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद देवरिया के नगर पंचायत भाटपार रानी के समस्त वार्डों में कतिपय विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष उपाध्याय-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी जनपद देवरिया के नगर पंचायत भाटपार रानी के समस्त वार्डों के स्ट्रीट लाइट एवं सड़क इन्टरलाकिंग एवं पेयजल एवं नाला निर्माण कार्य तथा ग्रामों में सम्पर्क मार्गों का पिच कार्य कराये जाने की अति आवश्यकता है। उपरोक्त कार्यों का जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त कार्य न होने के कारण जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उपरोक्त कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के ग्राम पंचायत टहाव्यारी की मुख्य सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केसर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नबाबगंज जनपद बरेली के ग्राम पंचायत टहाव्यारी नपादा के बराबर से लो0नि0वि0 की जो सड़क निकली है इस गांव के किनारे-किनारे 100 मीटर मार्ग पर गड्ढा हो गया है जिसमें पानी भरा हुआ है जिस पर से कई गांवों के लोगों को तहसील व जिला मुख्यालय जाने में मुख्य मार्ग होने के कारण काफी कठिनाई हो रही है। जनहित में इसे सीमेन्टेड रोड बनाये जाने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग को सीमेन्टेड बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद श्रावस्ती के समस्त विकास खण्डों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

[महोदय, जनपद-श्रावस्ती के सभी विकास खण्डों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर भिनगा से राजपुर मोड़ जाने वाला मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है तथा जोखवा बाजार से बलनपुर गांव जाने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है एवं विकास खण्ड हरिहरपुर रानी के तिलकपुर मजगवां एवं भगहा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है तथा नौबस्ता ग्राम के परसौरा, भावलपुर, जौगढ़ में पानी भरा हुआ है। जमुनहा विकास खण्ड के जोगिया, लौकिहा, सेमरहनिया आदि गांवों में पानी भरा हुआ है। सड़क एवं पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकें हैं। लेकिन उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कार्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे आवागमन हेतु क्षेत्रीय एवं स्थानीय निवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड प्रतापपुर के अन्तर्गत ठाठी नदी पर कतिपय स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत वि0ख0-प्रतापपुर से स्थित ग्राम सभा ठाठी नदी के पानी से घिरा होने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त नदी में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा सत्र के माध्यम से पूर्व में भी सदन में उठाया था। जिसके क्रम में अधिशाषी अभियंता राज्य सेतु निगम द्वारा शासन को प्राक्कलन रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अभी तक उक्त पुल का निर्माण नहीं कराया गया है। जिससे जनमानस को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त नदी में पुल निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 की क्षतिग्रस्त नहर, पुलिया एवं नहर पटरी का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बन्दना सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

जनपद-आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के विकास खण्ड-सगड़ी के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 की क्षतिग्रस्त नहर, पुलिया एवं नहर की पटरी का अनुरक्षण न होने से किसानों एवं स्थानीय जनता को सिंचाई तथा आवागमन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त विकास खण्ड-सगड़ी शारदा सहायक खण्ड-32 की क्षतिग्रस्त नहर, पुलिया एवं नहर की पटरी का अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा विभाग के उच्चाधिकारियों को व्यक्तिगत/पत्राचार के माध्यम से अनेकों बार अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक उक्त कार्य नहीं कराया जा रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

[महोदय, जिला-आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत ग्राम सभा चकसिक्ठी इस्लामपुरा मोहल्ला नयापुरा, ग्राम सभा चुटहीं, ग्राम सभा पाही,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम सभा गजहरा, सईद नगर में पिछले विगत दिनों में हो रही भारी वर्षा के कारण लगभग सैकड़ों कच्चे मकान ध्वस्त हो गये, यह सभी क्षतिग्रस्त मकान गरीब एवं मजदूरी करने वालों के थे। ग्राम सभा इस्लामपुरा नयापुरा में लगभग 50 लोगों के आवास क्षतिग्रस्त होने के साथ पावरलूम भी क्षतिग्रस्त हो गये और ग्राम सभा कुकरसंडा में एक मकान गिरने से तकबीर अली पुत्र इसहाक अली की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा इनकी पुत्री भी बुरी तरह से घायल हो गयी, साथ ही साथ विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक जहानागंज में भी पचासों मकान तेज बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गये एवं वहां के लोगों का भारी नुकसान हो गया। मेरे द्वारा प्रशासन से पीड़ितों को चिन्हित करके उचित मुआवजे की मांग की गयी परन्तु अभी इस प्रकरण में कोई उचित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से पीड़ितों को चिन्हित करके उचित मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला-अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा माउख के नसीरपुर में दुर्गा मंदिर से ग्राम मीरूपुर होते हुए ग्राम अलीमपुर शारदा नहर (ल0 लगभग 1.5 कि0मी0) तक तथा ग्राम करतोरा के निवासी-आशाराम राजभर की चाय की दुकान से सैदापुर सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1.5 कि0मी0) तक एवं ग्राम करतोरा की दलित बस्ती के दक्षिण में अरविन्द मास्टर के खेत से रेलवे लाइन (ल0 लगभग 800 मी0) तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद लखनऊ के तिलपुरवा, हुसैनगंज अन्तर्गत स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि **जनपद-लखनऊ के तिलपुरवा, हुसैनगंज के अन्तर्गत निगम मन्दिर लेन व उसके सामने व उसके सामने वाली गली में गन्दा, पीला व अति**

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुर्गन्धयुक्त पानी की सप्लाई व कम समय (दस मिनट व पन्द्रह मिनट) पानी आना तथा पानी आने के समय पर विद्युत कटौती किया जाना आदि समस्याओं को वहां के क्षेत्रीय लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों व बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हुसैनगंज के लोगों की लगभग छः माह से समस्या बनी है। शिकायत दर्ज करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन में जनपद-लखनऊ के हुसैनगंज के अन्तर्गत निगम मन्दिर लेन व उसके सामने वाली गली में समस्त लोगों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए समस्या को दूर कराने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ए0टी0एस0 विद्यालयों में कतिपय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह-

[महोदय, प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ए0टी0एस0 विद्यालयों में बच्चों को समय से भोजन उपलब्ध कराने के लिए मशीनरी, साज-सज्जा, लेखाशीर्षक-26 के अन्तर्गत अनुपूरक बजट व्यवस्था में बजट उपलब्ध कराया जाना बच्चों को हितकारी योजना से निहित है। यह गरीब बच्चों के शिक्षा को प्रोत्साहित करने से जुड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बजट व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया की प्रबन्ध कार्यकारिणी व प्रबन्धक को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारसनाथ यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया की फर्जी कार्यकारिणी व गलत तरीके से प्रबंधक के पद पर तैनात व्यक्ति को मा0 न्यायालय ने हटाने के निर्देश दिये हैं जिसके परिपेक्ष्य में शासन ने भी स्पष्ट रूप से समयबद्ध तरीके से हटाने के लिए कहा है इस सम्बन्ध में उप मुख्य मंत्री को दिनांक 30-5-19 में मा0 श्रम मंत्री के पत्र सं0-1935/2019 जो शिकायती पत्र रमेश चन्द्र साहनी के संलग्नक सहित भेजा गया है उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रकरण गम्भीर है और शासन स्तर पर जानबूझ कर फर्जी प्रबंधक को बचाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे विद्यालय की वित्तीय स्थिति की घोर अनियमिततायें भी हो रही हैं। जानबूझ कर प्रबंधक बड़े पैमाने पर धन की लूट कर रहा है। यह गम्भीर विषय है।

अतः इस विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम उत्मानपुर से चन्दन खेड़ा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश कुमार गोयल-

[महोदय, जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम उत्मानपुर लिंक मार्ग से ग्राम चन्दनखेड़ा होते हुए सम्पर्क मार्ग की दूरी लगभग 04 किमी0 का मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में घोर असुविधा हो रही है। वर्षा ऋतु में तो यह मार्ग पैदल चलने की स्थिति में भी नहीं रह जाता है। यदि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ग्राम चन्दनखेड़ा होते हुए उपरोक्त मार्ग का निर्माण करा दिया जाता है तो लगभग दस ग्रामों की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। मैं सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूं।]

शासनादेश दिनांक 02-11-17 को सचिवालय सेवा के अधिकारियों को फील्ड एक्सपीरियंस कार्यक्रम को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कल्पनाथ पासवान-

[महोदय, मैं एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2017 द्वारा सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए फील्ड एक्सपीरियन्स के लिए 12 सप्ताह का जनपदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। पूर्व में भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित था लेकिन कोई उपादेयता साबित न होने के चलते इसे आठ वर्ष पहले बन्द किया जा चुका था। 45 अधिकारियों को एक बार में फील्ड ट्रेनिंग पर भेजा जाता है जिससे शासकीय कार्य तो प्रभावित होते ही हैं जनपद स्तर में भी अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों में व्यवधान होता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारम्भ करते समय यह उद्देश्य रखा गया था इसका परिणाम यह होगा कि सचिवालय के अधिकारियों को जनपदीय कार्यों में आ रही कठिनाई का अनुभव होगा लेकिन उसके स्थान पर यह भ्रमण कार्यक्रम ज्यादा सिद्ध हो रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से शासन को अधिकारियों के टी0ए0-डी0ए0 पर भारी-भरकम राशि खर्च करनी पड़ रही है। किसी भी जिले से आज तक इसके सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सके हैं। सचिवालय सेवा के अधिकारियों तथा जनपदीय अधिकारियों में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से रोष पैदा हो रहा है। जनहित में आवश्यक होगा कि पुनर्विचार करते हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बन्द कर दिया जाये। मैं उक्त अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिक्षा निदेशालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[महोदय, अवगत कराना है कि कार्मिक अनुभाग 1 के शासनादेश सं0 8/2018-13(6)/2017/का-1-2018 दिनांक 05.06.2018 द्वारा राज्याधीन सेवा में सृजित/उपलब्ध पदों में से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में उल्लेख है कि पदोन्नति न करने अथवा इस हेतु प्रस्ताव/अधियाचन न भेजने के कारण विभाग में पदोन्नति की कार्यवाही काफी समय से लम्बित है। उक्त शासनादेश दिनांक 05.06.2018 मा0 मुख्य मंत्री के अध्यक्षता में नियुक्ति/कार्मिक विभाग की सम्पन्न विभागीय बैठक के क्रम में जारी बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 की कार्यवृत्त दिनांक 26.02.2018 तथा शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के क्रम में प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को एक पक्ष में अवगत कराने हेतु आदेश जारी किये गये थे, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है न ही माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति की गयी है जिससे विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है तथा उनकी सेवाओं के साथ सरकार की ओर से न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है। समय से पदोन्नति न होने से उनका भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है जिससे सभी कार्मिक खिन्न मन से सेवा कार्य कर रहे हैं। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शासन के आदेशों के अनुपालन में शिक्षा निदेशक (मा0/बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ के आदेश पर प्रदेश के सभी मण्डलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति समय से न किये जाने तथा उक्त कार्य के सम्बन्ध में शासनादेश की उपेक्षा करने व कार्यवाही लम्बित रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति दिये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नगर पालिका परिषद्, शाहगंज की सीमा का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहगंज जनपद-जौनपुर में स्थित नगर पालिका परिषद्, शाहगंज जो कि पूर्व में टाउन एरिया रही है, को बहुत पहले नगर पालिका परिषद् का दर्जा दे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया गया है परन्तु उसका सीमा विस्तार नहीं किया गया है जो सम्भवतः प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या व सबसे कम क्षेत्रफल वाली नगर पालिका परिषद् है। उसके पास ट्यूबवेल व पानी की टंकी लगाने व कूड़ा फेंकने की जमीन तक उपलब्ध नहीं है, आबादी के बीचोबीच कूड़ा फेंका जाता है। जबकि नगर का व्यापक विस्तार हो चुका है, जनहित में नगर पालिका परिषद्, शाहगंज का सीमा विस्तार किया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से उपरोक्त नगर पालिका परिषद्, शाहगंज का सीमा विस्तार किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कालेसर कि0मी0 जीरो प्वाइन्ट से माधवपुर होते हुये शहीद स्थल डोहरिया कला बाईपास रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शीतल पाण्डेय-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-324, सहजनवां, जनपद-गोरखपुर में प्रमुख बाजार जो क्रय-विक्रय का प्रमुख केन्द्र है। आधा दर्जन माध्यमिक विद्यालयों से घिरा हुआ है वहां बाजार के समीप जूट मिल है और कुछ दूरी पर औद्योगिक केन्द्र गीडा के स्थापित होने से बाजार में प्रायः रेलवे स्टेशन और थाना के बीच जाम की समस्या से लोग जूझते रहते हैं। जाम के कारण समय से रोगी अस्पताल नहीं पहुंच पाता। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। आने-जाने वाले यात्रियों के लिए समय से ट्रेन नहीं मिलती है एवं कर्मचारी समय से अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। जनता को जाम से समस्या के निवारण के लिए जनता की बहुत दिनों से मांग है कि कालेसर कि0मी0 जीरो प्वाइंट से माधवपुर होते हुए शहीद स्थल डोहरिया कला बाईपास रोड का निर्माण कराया जाये। जनता की बेहद मांग पर मैं नियम 301 के तहत इसकी सूचना देता हूं।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा मदरालालपुर (सूर्यकुण्ड) में पम्प कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र कालपी जो जालौन जनपद के विकास खण्ड कदौरा जहां अधिकांश असिंचित क्षेत्र है। बुन्दलेखण्ड का पिछड़ा क्षेत्र भी है। मेरे द्वारा मदरालालपुर में यमुना नदी में पम्प कैनाल (लिफ्ट कैनाल) बनवाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी को दिया था।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विकास खण्ड के कदौरा मदरालालपुर (सूर्य कुण्ड) के पम्प कैनाल बनवाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के अन्तर्गत ग्रीन बेल्ट में कालोनाइजरों द्वारा अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा, 120-भोजीपुरा, जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली-नैनीताल मार्ग के किनारे/बड़े बाईपास (एन0एच0-24) के किनारे पार्क एब्न्यू कालोनी पार्ट-2 के सामने पक्की सड़क बना रखी है व अन्य स्थानों पर बी0डी0ए0 एवं एन0एच0आई0 तथा वन अधिकारियों की मिलीभगत से ग्रीन बेल्ट में कालोनाइजनरों द्वारा अवैध कब्जे किये गये हैं, जिन्हे हटाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज की ग्राम सभा सिद्दीपुर के मृतक किसान स्व0 रामलखन के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिदर्मन-

[महोदय, आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज की ग्राम सभा-सिद्दीपुर की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उक्त ग्राम सभा की निवासिनी श्रीमती चनरमा के पति रामलखन की वाहन दुर्घटना में दिनांक 05.04.2018 को अकस्मात मृत्यु हो गयी, जिस कारण इनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ चुका है। मृतक किसान के परिवार को मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है, जोकि सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा पैन कार्ड में अंकित गलत जन्मतिथि के आधार पर निरस्त कर दिया है। कदाचित परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि में स्व0 रामलखन की जन्मतिथि 01.05.1963 अंकित है, जो पैनकार्ड बनने से पहले अंकित की जा चुकी है, इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, F.I.R., पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य सरकारी अभिलेखों में अनुमानित आयु 60 वर्ष आंकी गयी है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पैन कार्ड में लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत जन्मतिथि अंकित हो गयी है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करा लें, यदि मृतक किसान की वास्तविक उम्र लगभग 60 वर्ष ही है, तो मृतक किसान के आश्रित परिवार को उक्त बीमा योजना का लाभ दिया जाना न्याय हित में होगा। सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर आयु की गणना करते हुए पात्र मृतक किसान के परिवार को सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी योजना से वंचित नहीं किया जा सकता।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से गम्भीर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर मृतक किसान स्व0 श्री रामलखन की आयु प्रमाण के सम्बन्ध में परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, F.I.R., पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य सरकारी अभिलेखों में दर्ज उम्र अनुमानित 60 वर्ष को ही वास्तविक उम्र का आधार मानते हुए मृतक किसान के परिवार को मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ दिलवाये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत भैसी नदी पर भू-माफियाओं के कब्जे हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायां, जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत भैसी नदी पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है जिस कारण उक्त नदी का बहाव अवरुद्ध हो गया है। अतिक्रमण की वजह से एक प्रकार से नदी विलुप्त हो गयी है। जनहित में भू-माफियाओं द्वारा उक्त नदी पर किये गये कब्जे को हटवा कर भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही कराकर उक्त नदी के बहाव को बचाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक हे जिससे नदी को विलुप्त होने से बचाया जा सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अमरोहा में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महबूब अली-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद अमरोहा में सड़कों की मरम्मत कराया जाना व कुछ नई सड़कों को बनवाया जाना आम-जनमानस के हित में होगा, जर्जर सड़कों के होने के कारण नागरिकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र अमरोहा की निम्नलिखित सड़कों को बनवाया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है- जिसमें ग्राम ककराती में मंदिर से हाजी इरफान के घर तक लम्बाई 250 मी0 धनौरी अहीर से हिमापत हाजी की दुकान यासीन की दुकान तक 250 मी0 सी0सी0 रोड, मो0 तलवार शाह अमरोहा में प्रथमा बैंक से सूफी मोईन के घर तक लम्बाई 150 मी0 सी0सी0, ग्राम पंचायत पचोकरा मेन रोड से कब्रिस्तान तक 200 मी0 सी0सी0, ग्राम नरर्थो में मस्जिद से लियाकत के मकान तक लम्बाई 300 मी0 सी0सी0, मूढ़ा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इम्मा में मतीन के मकान से कौसर के मकान तक लम्बाई 300 मी0 सी0सी0, ग्राम पलौला में मेन रोड से मुजफ्फर प्रधान के घर होते हुए चौपाल तक लम्बाई 400 मी0, ग्राम मुबारकपुर नूरी में इस्तयाक के घर से वाहिद के घर तक 300 मी0, ग्राम नीलीखेड़ी में खेड़े वाली मस्जिद से जाहिद के मकान से होते हुए नवाब सलमानी के मकान तक 400 मी0 आदि सड़कों को बनवाया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़कों का नव-निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के तहसील खड्डा व पडरौना की ग्राम सभाओं की भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[महोदय, हमारी विधान सभा क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों में गिना जाता है इस क्षेत्र में बाढ़ की आपदा एवं विकास से सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य के संसाधनों का अभाव है विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने का कार्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, विकास कार्यक्रमों को सतही रूप में लागू करने में भूमि की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि के अभाव में विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं।

महोदय, अनेक जगहों पर चारागाह, खलिहान, पोखरे की भूमि, खेल के मैदान, अन्त्येष्टि स्थल व सिलिंग भूमि आवंटित है लेकिन इस भूमि पर अवैध लोगों द्वारा कब्जा किया जा चुका है। महोदय, ऐसी भूमि को खाली कराने की किस प्रकार की कार्य योजना है ? यदि है तो त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करें जिससे विकास के कार्य अवरुद्ध न हों।]

जनपद कानपुर अन्तर्गत म0सं0-197 में वसीयत के आधार पर बंटवारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील कुमार शाक्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि शंकराचार्य नगर (यशोदा नगर) कानपुर स्थित मकान संख्या-197 श्री आनन्द प्रकाश मिश्र एवं उनके भाई के नाम बंटवारे के आधार पर आधा-आधा उनकी माता द्वारा वसीयत में दर्ज कर दिया गया था।

दिनांक 07 फरवरी, 2016 को श्री मिश्र की माता के निधन के उपरान्त उनके द्वारा नामान्तरण के लिये कानपुर नगर निगम जोन-2 में आवश्यक शुल्क एवं कागजात सहित दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को प्रार्थना-पत्र जमा कर दिया गया था। किन्तु बार-बार विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी आज तक श्री मिश्र एवं उनके भाई के पक्ष में विभाग द्वारा नामान्तरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये समस्या के निराकरण की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0सी0 वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बरेली के तहसील मीरगंज के कैंसर प्रभावित गांवों (बहरौली, गोरा-हेमराजपुर, सिरौधी अंगदपुर असरनगर, भैरपुरा, रमपुरा, सिमरिया, कपूरपुर समस्तपुर, मोहम्मदगंज, ठिरिया अम्बरपुर, करौरा, गहबरा, दिवना, गुलड़िया, गौतारा व मीरापुर आदि) रामगंगा के किनारे बसे गांवों में पिछले 10 वर्षों से कैंसर से हो रही मौतों की रोकथाम हेतु उचित उपाय व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

प्राथमिक विद्यालय खरवारी टोला (नघिरा), सोनभद्र के सहायक अध्यापक पर किये गये हमले पर कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर माधवेन्द्र प्रताप-

[महोदय, नियम-301 के माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इकरार हुसैन, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, खरवारी टोला (नघिरा) में कार्यरत हैं। जिनके ऊपर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा दिनांक 26.04.2019 प्रातः विद्यालय जाते समय हमला किया गया जिसकी सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सोनभद्र को दी गयी परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर शिक्षकों में भय व्याप्त है और इस प्रकार छात्रों की शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

कृपया आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुये उचित कार्रवाई करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र इटवा के विभिन्न विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित सड़कें न होने के कारण ग्राम सभा के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित में खड़सरी में पुल से लेकर गांव के पश्चिम दिशा तक, ककरही नहर पुल से बेलहसा पिच तक, महादेव घुरहू में पोखरा से हनुमानगढ़ी मन्दिर तक, इमिलिया पिंगल यादव के घर से गांव के पूरब होते हुए काली जी के स्थान तक, धोबहा हरिजन अनुसूचित गांव से बेचन मौर्य के घर तक, ग्राम-बघमरवा (सोहना) रमजान के घर से समय माता के स्थान तक, गनवरियाखुर्द पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से प्रा0वि0 तक, विशुनपुर हरि मेन रोड से सरयू नहर तक, पतिला जगदीश के घर से प्रा0वि0 तक, भिलौरी-भिलौरा के केशव मौर्य के खेत से ज्ञानेन्द्र प्रताप के घर तक, मिश्रौलिया पुलिया से पश्चिम गोनरा गांव तक, ककरही (महादेव घुरहू) टावर से विशुनपुर चौबे के सरहद तक, मुड़िला बक्शी हनुमान मन्दिर के उत्तर नहर से राजकीय इण्टर कालेज तक, मल्दा से जीवाराई तक, बहादुरपुर पिच रोड से सिरसिया तक, सिहुनिया बिचलीडीह डामर रोड से पूरबडीह तक, बारिकपार बड़ाडीह से पूरब केवटहियाडीह तक, गैसड़ाकुटी (बिड़रा) तिराहे से राजकुमार मिश्र से घर तक, होरिलापुर से महुई भट्टा तक, बड़हरी-रतीराम यादव के घर से कोहडौरा-सोहना मार्ग तक, मटेहना पिच रोड से खड़सरी बाजार तक, मंगलू के घर संदलजोत डामर रोड तक, सिकौथा से बौरडीह तक, गैसड़ा कुटी से पूरब बिड़रा परमात्मा प्रसाद के घर तक निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

राष्ट्रीय राजमार्ग 24बी पर बछरावां से कुन्दनगंज के मध्य पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत-

[महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां जनपद रायबरेली में लखनऊ से इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-24बी गुजरता है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से पूर्व बछरावां से कुन्दनगंज तक लगभग 13 किलोमीटर मार्ग पर पूर्व में 11 पुलिया का निर्माण था लेकिन उक्त मार्ग के बनाने के दौरान 10 पुलियों को निर्माण कार्य में समाप्त/तोड़ दिया गया है। उक्त 13 किलोमीटर मार्ग पर केवल एक ही पुलिया होने के कारण पानी की निकासी सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है जिसके कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बरसात के दिनों में तो स्थिति और भी अधिक भयावह हो गई है। इसका सबसे अधिक प्रभाव बछरावां क्षेत्र में पड़ा है। बछरावां क्षेत्र में जलभराव की समस्या के कारण यहां के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करने के साथ-साथ जन-धन की भी हानि उठानी पड़ रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में विधान सभा क्षेत्र बछरावां जनपद रायबरेली में होने वाले जलभराव की भयावह स्थिति से निजात दिलाये जाने हेतु बछरावां से कुन्दनगंज तक लगभग 13 किलोमीटर के मार्ग पर कम से कम 05 पुलियों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जनपद सीतापुर के ग्राम सभा रेउसा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 150, सेवता जनपद सीतापुर के अन्तर्गत एक भी स्थानीय निकाय नहीं है, जबकि विकास खण्ड रेउसा, जनपद सीतापुर नगर पंचायत बनने के समस्त मानक व नियम पूर्ण करता है। रेउसा की आबादी व भौगोलिक स्थिति नगर पंचायत के समस्त मानकों को पूरा कर रही है और सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा इस आशय का प्रस्ताव भी नगर विकास विभाग को भेजा गया है। समस्त क्षेत्रवासी काफी लम्बे समय से ग्राम सभा रेउसा को नगर पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। जनहित में व शासकीय हित में रेउसा को नगर पंचायत बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये रेउसा को नगर पंचायत बनाये जाने पर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में फसल बीमा योजना में किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। अत्यन्त ही द्रवित मन से आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल बीमा से संबंधित विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जिसमें किसानों, उत्तर प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बीमा कम्पनी को नियमित रूप से प्रीमियम का अग्रिम रूप में भुगतान किया जाता है।

बीमा कम्पनी द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं वर्ष 2018-2019 तक निम्न तालिका के अनुसार कृषक/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से प्रीमियम अनुदान लिया गया, किन्तु उसके सापेक्ष लाभार्थी कृषकों को जो धनराशि दी गयी है वह चौंकाने वाली है इस प्रकार बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि भी किसानों को नहीं दी जा रही है उसमें किसी न किसी प्रकार की आपत्ति लगाकर किसानों को उक्त बीमा धनराशि का लाभ दिये जाने से वंचित किया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जा रहा है। विधान सभा उत्तर प्रदेश की प्राकल्लन समिति की मांग पर आहूत बैठक दिनांक 26.06.2019 में निम्नलिखित आंकड़े प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं :-

वर्ष	बीमित राशि (लाख में)	कृषक अंश (रु0 लाख)	केन्द्र द्वारा अनुदान (रु0 लाख)	राज्य द्वारा अनुदान (रु0 लाख)	कुल प्रमियम (रु0 लाख)	वितरित क्षतिपूर्ति (रु0 लाख में)
2016-17	2482938.46	45413.37	30302.09	30302.09	106017.55	52834.89
2017-18	2071089.54	38247.37	49989.47	49989.47	138226.31	36952.45
2018-19	2165841.27	40567.50	53450.51	53450.51	147468.52	36452.93

उपर्युक्त तालिका से सुस्पष्ट है कि बीमा कम्पनी द्वारा वर्ष 2016-17 में कुल प्रीमियम के रूप में 106017.55 लाख अर्थात् 1060 करोड़ 17 लाख 55 हजार रुपये प्राप्त किये गये तथा उसके सापेक्ष क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को कुल 52834.89/-लाख अर्थात् 528 करोड़ 34 लाख 89 हजार रुपये अदा किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में कुल प्रीमियम के रूप में 138226.31 लाख अर्थात् 1382 करोड़ 26 लाख 31 हजार रुपये प्राप्त किये गये तथा उसके सापेक्ष क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को कुल 36952.45 लाख अर्थात् 369 करोड़ 52 लाख 45 हजार रुपये अदा किये गये। इसी प्रकार 2018-19 में कुल प्रीमियम के रूप में 147468.52 लाख अर्थात् 1474 करोड़ 68 लाख 52 हजार रुपये प्राप्त किये तथा कृषकों को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 36452.93 लाख अर्थात् 364 करोड़ 52 लाख 93 हजार रुपये अदा किये गये। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में कुल 53182.66 लाख अर्थात् 531 करोड़ 82 लाख 66 हजार रुपये वर्ष 2017-18 में कुल 101273.86 लाख अर्थात् 1012 करोड़ 73 लाख 86 हजार रुपये एवं वर्ष 2018-19 में कुल 111015.59 लाख रुपये अर्थात् 1110 करोड़ 15 लाख 59 हजार रुपये अर्थात् (तीन वर्षों में) कुल 265472.11 लाख रुपये 2654 करोड़ 72 लाख 11 हजार का लाभ अर्जित किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्वतः स्पष्ट है कि बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ न देकर स्वयं भारी-भरकम मुनाफा कमाया गया है और सरकारी धनराशि का पूरी तरह से दुरूपयोग कर उसे हजम किया जा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अयोध्या के सिंचाई खण्ड बाराबंकी के अन्तर्गत सभी माइनर/रजबहों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद अयोध्या अन्तर्गत फैजाबाद शाखा नहर एवं सुल्तानपुर शाखा नहर से निकलने वाली माइनरों/रजवाहों की सिल्ट सफाई न होने के कारण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसानों के खेत की सिंचाई जैसी आवश्यकता की पूर्ति सिंचाई खण्ड नहर बाराबंकी द्वारा नहीं की जा रही है। क्षेत्रीय किसानों द्वारा माइनरों/रजवाहों की सफाई कराये जाने की मांग लगातार की जा रही है। विगत 05 वर्षों से किसी भी माइनर/रजवाहे की सफाई सिंचाई खण्ड बाराबंकी द्वारा नहीं करायी गयी है। जिससे क्षेत्रीय किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर निगम जोन-2 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

हाजी इरफान सोलंकी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद कानपुर में अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला रखा है। इन लोगों को शासन का कोई भय नहीं है। मनमाने ढंग से कार्य कर जनता/सरकार की गाढ़ी कमाई को खुलेआम लूट रहे हैं। एक उदाहरण जनपद कानपुर के जोन-2 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता का दे रहा हूं, जिसने गत वर्ष 2018-19 में पूरे जोन में जो सड़क/नाले आदि कार्य कराये गये हैं, वह अत्यन्त ही घटिया स्तर के हैं। इनके कार्यों से स्थानीय जनता में काफी रोष है। जिनकी जांच कराकर कार्रवाई अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं इस अति लोक महत्व, अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त अधिशासी अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना स्थित पुल का चौड़ीकरण/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असलम अली-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-गाजियाबाद के कस्बा डासना के मेन रास्ते पर एक नाले पर बना पुल है। निकट मखदूम साहब मजार के पास सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 50 वर्ष पुराना नाले पर पुल बना है। जो बहुत ही सकरा है। उक्त पुल से रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। जिससे ट्राफिक अक्सर जाम रहता है। किन्तु अभी तक सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त नाले पर बने पुल का न ही चौड़ीकरण कराया गया और न ही नवनिर्माण कराया गया। उक्त नाले पर बने पुल के चौड़ीकरण/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय लोगों द्वारा अनेकों बार स्थानीय उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त नाले पर बने पुल का चौड़ीकरण/नवनिर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद महोबा अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज कुलपहाड़ के भवन का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र चरखारी जनपद महोबा के अन्तर्गत कुलपहाड़ में संचालित राजकीय बालिका इन्टर कालेज जोकि पुराने जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। भवन का नवनिर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र स्थित हिंडाल्कों कम्पनी के पावर प्लांट में किये गये अवैध कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीराम-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद सोनभद्र में स्थित हिंडालकों कम्पनी की स्थापित यूनिट रेनूसागर पावर प्लांट हिंडालकों द्वारा अवैध कार्यों से काफी प्रदूषण व वन भूमि को क्षति पहुंचाया जा रहा है। यूनिट रेनूसागर पावर प्लांट हिंडालकों द्वारा रिहन्द बांध की सैकड़ों एकड़ भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस अवैध कार्य की जिला प्रशासन एवं शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। यह कि रेनूसागर पावर प्लांट हिंडालकों द्वारा रिहन्द में फ्लाई ऐश (राख) को बड़ी मात्रा में बहाया जाता है। राख में काफी मात्रा में फ्लोराईड अन्य हानिकारक पदार्थ होने के कारण रिहन्द का पानी पीने से वहां के निवासी गम्भीर रोग जैसे कैंसर, विकलांगता से ग्रसित हो रहे हैं। इस क्षेत्र में कई लोगों की मौतें भी हो चुकीं हैं। यह कि फ्लाई ऐश (राख) को रिहन्द बांध के आस-पास मानक विपरीत ऊंचाई बढ़ाकर एकत्र किया जा रहा है जिससे पानी सोखकर प्रदूषित हो जाता है और प्रयोग में आने वाले पानी में कई अन्य हानिकारक पदार्थ मिल जाता है जिससे क्षेत्र के लोगों को गम्भीर बीमारी का सामना करना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पड़ता है। इस अवैध कृत्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की अति आवश्यकता है। नहीं तो जनपद सोनभद्र भविष्य में अन्धकारमय हो जायेगा।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन में **यूनिट रेनूसागर पावर प्लांट हिंडालकों द्वारा उपरोक्त किये जा रहे अवैध कार्य की जांच कराकर सख्त कार्रवाई** कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर की ग्राम सभा गुरसंडी में चक रोड पर भवन निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लीना तिवारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद-मिर्जापुर में ग्राम-सभा गुरसंडी, मौजा-पचेर मिश्र, तहसील-सदर, जनपद-मिर्जापुर में सरकारी अभिलेख में अराजी नं0 73 में चकमार्ग के नाम से दर्ज है। श्री राम जियावन दुबे पुत्र श्री रामशिरोमणि दुबे, ग्राम पचेर ने जबरन चकरोड अराजी नं0-73 पर दबंगई के बल पर भवन निर्माण कर लिये हैं और अराजी नं0-77 की जमीन पर चकरोड बनवा दिये हैं जो कि भूमिधरी है। इस अवैध कार्य से आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है अवैध अतिक्रमण हटाने के जिला व तहसील स्तर से कई बार प्रयास किया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन से अनुरोध करना चाहूंगी कि अराजी नं0-73 पर दबंगई के बल पर बने हुए भवन निर्माण को ध्वस्त कर चिन्हित स्थान पर चकरोड बनवाने तथा अराजी नं0-77 में बने हुए चकरोड को कब्जा मुक्त कराने की मांग करती हूं।]

प्रदेश की विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, प्रदेश के प्रगति में विद्युत का बड़ा ही महत्व है। मोबाईल से लेकर कम्प्यूटर, लैपटॉप, इन्डेक्सन चूल्हा, विद्युत मोटर, टेलीविजन चलाने तथा आदि तमाम उपकरणों के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अत्यन्त ही खराब है। जिससे उपभोक्ताओं में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कई गांवों के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया जिसमें जर्जर तारों की वजह से विद्युत आपूर्ति का बाधित होना, तारों का टूट कर गिरना, ट्रांसफार्मरों पर क्षमता से अधिक भार, लो-वोल्टेज तथा विद्युत विभाग के कार्यदायी संस्था

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एल0एन0टी0 तथा एन0सी0सी0 द्वारा कराये गये कार्य को अधूरा छोड़े जाने, ट्रांसफार्मरों का बार-बार जलना आदि के प्रमुख कारण बताये गये।

ग्रामीणों द्वारा की गयी शिकायत की पुष्टि हमारे विधान सभा क्षेत्र के 33/11 उपकेन्द्र भानपुर के अवर अभियन्ता के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को लिखे गये पत्र से भी होती है जिसमें जर्जर विद्युत चैनल, एच0डी0 व एल0टी0 विद्युत लाइनों, विद्युत वितरण परिवर्तकों एवं अन्य उपकरणों को बदले जाने हेतु अनुरोध किया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के रूधौली ब्लाक के अन्तर्गत बखरिया तथा सुरूवार गांव में 11 हजार वोल्ट की तथा 440 वोल्ट की विद्युत लाइन जमीन से लगभग बारह फिट के ऊपर से गुजरने के कारण ग्रामीणों में हमेशा भय का वातावरण एवं किसी भी समय अप्रिय घटना घटित होने का अन्देशा बना रहता है।

उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा कई बार अधिकारियों को टेलीफोनिक वार्ता में तथा लिखित रूप से भी विद्युत आपूर्ति की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया परन्तु अधिकारियों द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति के आदेश की अवहेलना लगातार की जा रही है। जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मा0 मुख्य मंत्री जी के घोषणा के अनुपालन में तथा समस्याओं के समाधान हेतु ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, जर्जर तारों का बदला जाना, कार्यदायी संस्था एल0एन0टी0 तथा एन0सी0सी0 के द्वारा अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाना तथा ग्राम बखरिया तथा सुरूवार में 11 हजार एवं 440 वोल्ट के विद्युत लाइनों की पर्याप्त ऊँचाई तक किया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के भटवारी में वारीदह नाले पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं मेरा विधान सभा क्षेत्र छानबे, जनपद मिर्जापुर काफी पिछड़ा बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र छानबे, जनपद मिर्जापुर में विकास खण्ड हलिया में भटवारी में वारीदह नाले पर रपटा/पुल का निर्माण न होने से बरसात के समय पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को मुख्य मार्ग पर आवागमन के लिए लगभग 25 किमी0 का चक्कर लगाना पड़ता है। भटवारी में वारीदह नाले

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर पुल/रपटा का निर्माण करा दिया जाय तो आस-पास के कई गांवों को काफी लाभ मिलेगा एवं साथ ही समय की बचत होगी।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में विकास खण्ड हलिया जनपद मिर्जापुर के भटवारी में वारीदह नाले पर रपटा/पुल का निर्माण कराने जाने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के ग्राम नवगंवा नवीनगर परिक्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल राजपूत-

[महोदय, जनपद-पीलीभीत के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु शासन स्तर से 24 घण्टे हेतु आदेश एवं निर्देश है परन्तु स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की अव्यवस्थाएं गिनाकर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। इन सभी कारणों में से कतिपय क्षेत्रों में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्रों का अभाव है। नदी दियोहा के पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में भारी अव्यवस्था है। इसलिए इस परिक्षेत्र के मध्य के गांव श्यामपुर में जहां के नागरिकों ने भूमि की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। इस प्रस्तावित स्थल पर 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र अधिष्ठापित किया जाये। इसी प्रकार दूरवर्ती क्षेत्र रम्बोझा में भी यहां के भी नागरिकों ने भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव प्रेषित किया है। इसलिए यहां भी 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र अधिष्ठापित करना चाहिए। गांव नवगंवा नवीनगर के परिक्षेत्र में भी विद्युत उपकेन्द्र का अभाव है यहां पर भी टिबरी नाथ पर गांव पंचायत की पर्याप्त भूमि है इसलिए यहां पर भी 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाया जाना आवश्यक है। यदि उपरोक्त उल्लिखित विद्युत उपकेन्द्रों की अधिष्ठापना कर दी जाती है तो विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित हो जाएगी और जन सामान्य को किसी भी विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्या नहीं होगी।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा उक्त विद्युत उपकेन्द्रों की अधिष्ठापना कराये जाने हेतु कार्रवाई की जाये।]

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत शारदा नहर प्रणाली की शाहजहांपुर शाखा की कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूराम पासवान-

[महोदय, जनपद-पीलीभीत में शारदा नहर प्रणाली की शाहजहांपुर शाखा नहर पर गांव रमपुरा प्रवीन (बरेली) एवं गांव सोरहा (पीलीभीत) के मध्य पुलिया, गांव सिसैया जलालपुर एवं गांव मितेपुर के मध्य पुलिया तथा गांव श्यामपुर एवं गांव चौसर हरदो पट्टी के मध्य की पुलिया, तीनों पुलिया पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी हैं जिनमें पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, साथ ही साथ उक्त रमपुरा प्रवीन की पुलिया से बीसलपुर-बरेली मार्ग तक सभी पुलिया क्षतिग्रस्त हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसी प्रकार निगोही शाखा नहर, करेली रजवाहा, ईटगांव रजवाहा एवं बमरौली रजवाहा साथ ही संबंधित अल्पिकाओं पर पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। इन सभी पुलियों के विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। परीक्षण के अनुसार जैसी जहां अपरिहार्यता है। तद्नुसार पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, अन्यथा किसी भी समय कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की सुनिश्चित की जाये।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा उपरोक्त पुलियों के पुनर्निर्माण एवं विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु कार्रवाई की जाये।]

जनपद लखनऊ के लक्ष्मणटीला-हरदोई बाईपास बन्धा मार्ग पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, लखनऊ जनपद में बाढ़ से रक्षा तथा सुगम यातायात की दृष्टि से लक्ष्मण टीला-हरदोई बाईपास तटबन्ध व सम्पर्क मार्ग निर्मित है। तटबन्ध मार्ग के बीच में लगभग 140 मीटर का निर्माण छूट गया है। इस हिस्से में झुग्गी-झोपड़ियां हैं। तटबन्ध निर्माण के समय इस हिस्से को छोड़ दिया गया था फलतः मार्ग निर्माण पूरा नहीं हो पाया। मार्ग अधूरा होने से इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है तथा चौक से हरदोई रोड पर वाहनों की लम्बी कतार से प्रायः जाम लगा रहता है। सुगम यातायात की दुष्टि से उक्त मार्ग के अवशेष हिस्से का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यहां सिंचाई विभाग द्वारा तटबन्ध व सम्पर्क मार्ग पूरा किया जाना है किन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण मौके पर मौजूद झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को विस्थापित कराकर इस कार्य को पूर्ण कराने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहा है। मैंने इस सन्दर्भ में कई बार पत्र भेजा परन्तु प्रशासन उदासीन बना हुआ है।

अतः व्यापक लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए लखनऊ जनपद में लक्ष्मण टीले से हरदोई बाईपास बन्धा मार्ग के अवशेष हिस्से के निर्माण में आ रहे गतिरोध को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दूर करवाने तथा अधूरे तटबन्ध व सम्पर्क मार्ग को अविलम्ब पूर्ण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के कतिपय ग्रामों के जल निकासी हेतु नाली की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

[महोदय, जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सुकरौली, हाटा व मोतीचक के विभिन्न गांवों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। गांवों में गन्दगी है। जलभराव है। बीमारियां फैल रही हैं। इससे सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान भी प्रभावित है। गांवों में छोटी-छोटी नालियां बनवा कर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उसे स्थानीय तालाबों से जोड़कर इस समस्या का समाधान कराया जा सकता है। इस कार्य के प्रति पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग तथा स्थानीय प्रशासन भी उदासीन बना हुआ है। मेरे द्वारा बार-बार जिला प्रशासन से इस बावत अनुरोध किया जा रहा है किन्तु अपेक्षित कार्यों में उदासीनता बरती जा रही है। जनहित में जनपद कुशीनगर के हाटा, सुकरौली व मोतीचक ब्लाक के विभिन्न गांवों में जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यानाकर्षण कराते हुए आवश्यक कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय मोहल्लों पर पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिलदेव अग्रवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कूकड़ा के अमित विहार, कमल नगर, शिवनगर आदि बाहरी विकसित कालोनियों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को पेयजल हेतु शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है और इस क्षेत्र के निवासी काफी गम्भीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों के बीच इस समस्या को लेकर काफी रोष भी व्याप्त है। जनहित में उपर्युक्त मोहल्लों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने हेतु पानी की टंकी व जल नलिकाएं आदि बिछाकर इस समस्या का निराकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

कृषि विभाग (एच0ए0) में तैनात लेखाकार श्री अंजनी कुमार रस्तोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया''-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कृषि विभाग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कृषि विभाग में (एच0ए0) लेखा में तैनात लेखाकार श्री अंजनी कुमार रस्तोगी पिछले 10-12 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं इन्हें कुछ समय पूर्व हटा दिया गया था परन्तु ऊँची सॉठ-गांठ के कारण ये उसी स्थान पर वापस आ गये। ये अपने ही विभाग के कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी से उन्हें किये जाने सभी प्रकार के भुगतान हेतु पैसे की मांग करते हैं जहां वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान छेड़े हुये है वहां ऐसे कर्मचारी उक्त अभियान को असफल बना रहे हैं। यदि कोई कर्मचारी इन्हें पैसे नहीं देता है तो उसकी फाइल को रोक देते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उक्त लोक महत्व के गम्भीर विषय पर भ्रष्टाचार फैला रहे श्री अंजनी कुमार रस्तोगी, लेखाकार, (एच0ए0) लेखा, कृषि विभाग को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करके इनके विरुद्ध उच्च कमेटी गठित कर इनकी पूरी सम्पत्ति की जांच कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर स्थित पिकिया नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनीता-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत पिकिया नदी फत्तेपुर गढ़ा तालाब से निकलकर न्योरी, आमादरवेशपुर तथा माधव टान्डा, चक बसहिया, अकथरा नारायनपुर बैरी बुजुर्ग श्यामपुर अलऊपुर शंकरपुर आदि गांवों से होते हुए कम्हरिया के पास सरयू नदी में समाहित है। जो सफाई के अभाव में विलुप्त होने के कगार पर है। इस नदी से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती थी। परन्तु सफाई के अभाव एवं अतिक्रमण करने के कारण इसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। जनहित में इसकी सफाई कराकर इसके अस्तित्व को बचाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पिकिया नदी की सफाई कराकर उसके अस्तित्व को बनाये रखने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद जौनपुर के कतिपय स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कई ग्राम सभा ऐसी हैं जहां पर प्राथमिक पाठशाला न होने के कारण बच्चों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए 2 से 3 किमी0 तक दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है। घर से विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय विहीन ग्राम सभाओं का विवरण निम्न है :-

1-ग्राम सभा-बहुर,

2-ग्राम सभा-लच्छी पट्टी,

3-ग्राम सभा-नौरंगाबाद।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ में मुख्य मंत्री आवास/शौचालय पात्र व्यक्तियों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[महोदय, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उपरोक्त योजनायें मा0 प्रधानमंत्री/मा0 मुख्य मंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें मा0 प्रधानमंत्री/मुख्य मंत्री आवास/शौचालय योजना जो कि महत्वपूर्ण योजना है। हर गरीब परिवार को आवास और शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, जिसके लिये मा0 मुख्य मंत्री जी तथा मा0 प्रधानमंत्री जी की घोषणा जनहित में महत्वपूर्ण है। अधिकांश जनपदों में तथा विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शौचालय और आवास पक्षपात तथा भेदभाव पूर्ण रवैया ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों तथा पंचायत सचिवों द्वारा अपनायी जा रही है, जिसकी लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। गरीब और पात्र व्यक्तियों को सुविधायें न देकर अपात्रों को सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसके कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराकर सम्पूर्ण उ0प्र0 में मा0 प्रधानमंत्री आवास/मुख्य मंत्री आवास/शौचालय योजनाओं का पात्रों को लाभ दिलाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से आवेदन लिये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद मिर्जापुर की ग्राम सभा कुरौठी पाण्डेय में विद्युत पोल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रम सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर के ग्राम-कुरौठी पाण्डेय, पोस्ट-नदिनी में श्री राधेश्याम पुत्र दीपनारायण व अन्य प्रार्थीगण के बस्ती में लगभग एक वर्ष से विद्युत पोल लगे हैं परन्तु आज तक उस पर विद्युत तार न लगे होने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस विषय पर ग्रामवासियों ने जे0ई0 को प्रार्थना पत्र दिये कि जे0ई0 ने प्रार्थीगण को मौखिक जवाब देते हैं कि बजट न होने की स्थिति में कार्य रुका हुआ है परन्तु प्रार्थीगण का कथन है कि विद्युत तार ग्राम प्रधान के स्टाक में रखा है। फिर भी समस्त ग्रामवासियों को अन्धकारमय जीवन निर्वहन करना पड़ रहा है। जबकि मा0 प्रधानमंत्री/मा0 मुख्य मंत्री की योजना के तहत कोई भी गांव विद्युत के अभाव में अन्धकारमय न रहे हर घर में विद्युत आपूर्ति हो और रोशनी से जगमगाता रहे।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में जनपद मिर्जापुर में ग्राम-कुरौठी पाण्डेय, पोस्ट-नदिनी के समस्त ग्रामवासियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए समस्त ग्रामवासियों को अन्धकारमय जीवन व्यतीत से मुक्ति दिलाने की मांग करता हूं।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत उस्ताद करीम खां का पुस्तैनी घर का अधिग्रहण कर म्यूजियम/स्मारक तथा संगीत महोत्सव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चौ0 नाहिद हसन-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सुरताल के सरताज सारंगी वादक उस्ताद करीम खां का जन्म कस्बा कैराना जनपद शामली में 1872 में हुआ था, उन्होंने अपने संगीत से प्रदेश का नाम देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में रोशन किया और उनके संगीत की विशिष्ट विधा का नाम किराना घराना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सांस्कृतिक जगत में संगीत की यह विधा किराना घराना के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु प्रदेश का नाम संगीत की दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जगमगाने के बावजूद भी उस्ताद करीम खां की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना उनसे जुड़ी यादों को चिर स्थायी रखने हेतु म्यूजिम बनाने की दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। संगीत के करोड़ों प्रशासक देश व दुनिया में किराना घराना के जनक की यादों को सहेजने की मंशा अपने दिल में संजोये हुये हैं।

मैं किराना घराना की विरासत को सहेजने हेतु उस्ताद करीम खां के कैराना स्थित पुश्तैनी घर का अधिग्रहण कर म्यूजिम/स्मारक बनवाने, पानीपत खटीमा मार्ग का नाम उस्ताद करीम खां मार्ग करने प्रतिवर्ष कैराना में उस्ताद करीम खां संगीत महोत्सव का आयोजन करने तथा संगीत के इस महान नायक की सांस्कृतिक विरासत को चिरस्थायी बनाने की जनता की इस अविलम्बनीय मांग की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा।]

मंझवार जाति के प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में जारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि सम्पूर्ण उ0प्र0 में मंझवार जाति के लोग निवास करते हैं परन्तु इन लोगों के जाति प्रमाण-पत्र उ0प्र0 की कुछ तहसीलों में ही बनाये जाते हैं जबकि समय-समय पर शासन द्वारा समस्त जिला अधिकारी उ0प्र0 को सूचित किया गया है कि मंझवार जाति के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें। कई बार शासनादेश जारी किया गया परन्तु तहसील स्तर पर लेखपालों की मनमानी/लापरवाही व तहसीलदारों की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनदेखी/रूखा व्यवहार होने के कारण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। यदि आवेदक की जाति में कोई संशय है तो उसकी जांच कराके, पड़ोसी लोगों से पूछताछ कर व आवेदक द्वारा एक एफीडेविड लेकर उसका प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रमाण-पत्र जारी कराने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ के ग्राम उधनपुर में विद्युत खम्भों को खेतों से हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार शाक्य-

[महोदय, नियम-301 के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली स्थित विकास खण्ड डलमऊ के अन्तर्गत गांव उधनपुर में आने वाली 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन स्टेट हाई-वे-38 से होते हुए श्री देश राज सिंह, श्री रमेश यादव, श्री अरविन्द यादव तथा अमन यादव के खेतों के मध्य से गुजरती है। यह हाईटेंशन विद्युत तार तीन बार टूट चुकी है, जिसमें हर बार किसानों की फसलों का नुकसान हुआ तथा आमजन अथवा पालतू जानवरों के साथ किसी अप्रिय घटना के घटित होने का खतरा भी बना रहता है।

अतएव नियम-301 के माध्यम से उक्त 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन के खम्भों को खेतों से हटाकर अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित करवाने अथवा तारों के नीचे सुरक्षा जाल लगवाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचना

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के ग्राम डुंभा में उप जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से किये गये पट्टे की जांच न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू की औचित्य के प्रश्न की सूचना पोषणीय न होने के कारण अग्राह्य

श्री अधिष्ठाता-

नियम-300 के अन्तर्गत माननीय लल्लू जी की एक सूचना प्राप्त हुई है, जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के ग्राम डुंभा में उप जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से किए गए पट्टे की जांच न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। मा0 लल्लू जी ये तो नियम 300 में आता ही नहीं है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो मिनट सुन लीजिए, बहुत गम्भीर सवाल है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अधिष्ठाता-

हम इसे क्यों सुन लें, जब ये पोषणीय ही नहीं है। यदि गम्भीर है तो दूसरे नियम में लगा दीजिये।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, लोक महत्व के सवाल को सदन में इस आशय के साथ लगाया जाता है कि उसका जवाब आएगा। आप देखिए, अधिकारियों की ये स्थिति है कि वो लिखकर दे देते हैं कि चिट्ठी ही प्राप्त नहीं है, जबकि आप मुख्य मंत्री जी पोर्टल पर देख लें। हमने मुख्य मंत्री जी को स्वतः पत्र लिखा था जो जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के एक गांव में फर्जी हस्ताक्षर से किये गए पट्टे की जांच न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। हमने पूछा कि इस पर क्या कार्रवाई हुई तो यहां विधान सभा में बता दिया गया कि जी नहीं, ऐसा कोई पत्र ही नहीं मिला है।

श्री अधिष्ठाता-

इसे आप अन्य नियमों में लगाइए।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा रहा है और ये कह दिया जा रहा है कि हमको पत्र ही नहीं मिला है। ये पूरे सदन और प्रदेश को गुमराह करने वाली स्थिति है।

श्री अधिष्ठाता-

आप सरकार के संज्ञान में ला दीजिए, बस ठीक है। सरकार इसको संज्ञान ले लेगी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और विद्वान भी हैं तथा ये सब जानते भी हैं। कृपया आप संरक्षण दें और संसदीय कार्य मंत्री जी इसका संज्ञान भी लें कि हमने एक पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखा था और उसका सवाल भी लगाया था कि क्या मुख्य मंत्री को संदर्भित पत्र मिला और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? तो इसमें यह जवाब आया है कि जी नहीं, ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि मुख्य मंत्री जी पोर्टल पर भी है। अगर हम जनहित के मुद्दों में इस सदन में सवाल लगाते हैं तो अधिकारियों को उसे देखना चाहिए और उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। इसमें तो स्पष्ट तौर पर सदन को गुमराह किया जा रहा है कि पत्र ही नहीं प्राप्त हुआ है। हम आपके माध्यम से पुनः संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इस तरह के मामलों को देखा जाये और संज्ञान लिया जाए ताकि इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो।

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना पोषणीय नहीं है।

[12:24] श्री कल्पनाथ पासवान द्वारा चोरी से सम्बन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत उठाया गया उनका व्यक्तिगत प्रकरण

***श्री कल्पनाथ पासवान-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ पासवान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब पिछली बार सदन चल रहा था तो दस लाख रुपए चोरी का मामला सदन में उठा था। मान्यवर, यह घटना 22.12.2018 की है और हमारी रिपोर्ट दर्ज हो रही है 18.02.2019 को, इस सरकार में। मान्यवर, यह एक विधायक का मामला है। यह गम्भीर प्रकरण है और इतने लम्बे समय बाद मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई और कब दर्ज हुई, जब यह प्रकरण विधान सभा के अन्दर उठा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है, माननीय विधायक जी का 10 लाख रुपया गया है, यह सही है और सरकार ला देगी। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ सदन में कहना पड़ रहा है कि एक विधायक का मामला है और नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद दोषियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पर भरोसा रखता हूं लेकिन आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आपकी बात आ गयी।

श्री कल्पनाथ पासवान-

मान्यवर, सरकार बार-बार कहती है और मैं सदन के अन्दर सुनता हूं, मुझे ताज्जुब हो रहा है, सरकार कहती है कि सबको न्याय मिलेगा। लेकिन मान्यवर, क्या न्याय का यही परिणाम है ?

श्री अधिष्ठाता-

आपकी पूरी बात आ गयी, अब आप बैठिए। सदन में माननीय विधायक जी यह बात लाये थे, यह इनका व्यक्तिगत मामला है। इसकी वहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गयी है लेकिन इनको तकलीफ है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको आप अपने स्तर से दिखवा लें।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(मा0 सदस्य, श्री कल्पनाथ पासवान के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, आप दुःखी हैं और आपके दुःख के साथ पूरा सदन है, हम लोग भी हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि कार्रवाई करवा दूंगा।

श्री कल्पनाथ पासवान-

मान्यवर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आपने संज्ञान में ला दिया है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वस्त भी कर दिया है। कार्रवाई हो जायेगी, आप अलग से भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मिल लीजिएगा। अब आप बैठिए।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, मैं आपको बता दूं, माननीय विधायक जी ने बताया था, यह लगभग 01 साल पहले की बात है। इनका पैसा चला गया, उस पर मान्यवर, हमने रिपोर्ट दर्ज कराकर उसकी सूचना यहीं पर सदन में दी थी। लेकिन वह पैसा चोरी हुआ, उसकी अद्यतन रिपोर्ट हम मंगवा लेंगे कि क्या स्थिति है ? उसमें यह कह भी दिया गया था कि इसमें गहनता से जांच करके कार्रवाई करें और हर हालत में इस केस को खोलें।

श्री अधिष्ठाता-

यह मा0 विधायक जी का व्यक्तिगत मसला है इसको दिखवा लें और कार्रवाई करवा दें। अब अगली मद लेते हैं।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-6-2004 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-6-2004 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापा नहीं गया।

[12:30] राज्य विधान मंडल द्वारा पारित ''उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018'' पर पुनर्विचार हेतु वापसी की सूचना

श्री अधिष्ठाता-

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 जो दिनांक 27 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 28 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया था तथा दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(1) के अन्तर्गत पढ़ कर सुनाता हूं-

राम नाईक, **राजभवन**

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। **लखनऊ-226027**

प्रिय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी,

उत्तर प्रदेश राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2018 को वापस लिये जाने हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद-175(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत संलग्न संदेश उक्त विधेयक की मूल पार्चमेण्ट प्रतियों सहित उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के विचारार्थ आपको प्रेषित किया जा रहा है।

सस्नेह,

संलग्नकः एक पृष्ठीय संदेश।

भवनिष्ठ,

राम नाईक।

श्री हृदय नारायण दीक्षित,

मा0 अध्यक्ष

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

श्री अधिष्ठाता-

चूंकि, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 राज्य विधान मण्डल से पारित कराये जाने के उपरान्त उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा था;

और, चूंकि, उक्त विधेयक में भारत सरकार द्वारा कतिपय संशोधन करने के लिए सुझाव दिया गया है;

और, चूंकि, भारत सरकार के उक्त सुझाव के अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को संशोधित करने का मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा विनिश्चय किया गया है जिसके लिए यह आवश्यक है कि उक्त विधेयक को भारत सरकार से वापस लेकर उसके स्थान पर भारत सरकार के उक्त सुझाव में अन्तर्विष्ट संशोधनों को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्य विधान मण्डल से पारित कराकर उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भारत सरकार को सन्दर्भित किया जाय ;

और चूंकि, उक्त नया विधेयक लाये जाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को वापस लिये जाने का भी विनिश्चय मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जा चुका है;

अतएव मैं, राम नाईक, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, भारत का संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन उक्त विधेयक की मूल पार्चमेण्ट प्रतियां सदन को वापस करते हुए यह संदेश देता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को वापस लिये जाने की वांछनीयता पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदन यथोचित समय पर पुनर्विचार करें।

राम नाईक,
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें कुछ नहीं है।

[12:32] श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में ग्राम खंजापुर में प्रा0 पाठशाला से मटसेना रोड तक कच्चे मार्ग का सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश राजपूत व अन्य की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

2-मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लाक शिकोहाबाद के मक्खनपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र पथरिया व अन्य की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

3-मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में जिला पंचायत कार्यालय सिविल लाइन से नगला श्रौती होकर ग्राम वजीरपुर जेलनपुर तक सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेश राजौरिया व अन्य की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

4-मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में ग्राम नगला आशा में विद्याराम के थान से मुन्नालाल के घर होकर लक्ष्मी भगत के घर तक खराब ऊबड़-खाबड़ सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

5-मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में ग्राम गढ़ीतिवारी चौराहे के पास नाला निर्माण व सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरी ओम व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड नगरा के ग्राम सभा खण्दवा स्थित महात्मा गांधी राजकीय इण्टर कालेज के 75 एकड़ जमीन को अधिग्रहीत कर मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुवाल सिंह व अन्य की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्राम सभा खैरा में स्थित पुरातन खैरामठ को पर्यटन स्थल के रूप में सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश जायसवाल व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महोबा के अन्तर्गत कस्बा कुलपहाड़ में संचालित राजकीय बालिका इण्टर कालेज में शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महोबा में चल रही अघोषित विद्युत कटौती के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महोबा के अन्तर्गत अन्ना पशुओं द्वारा फसल बर्बाद करने के सम्बन्ध में श्री तेज प्रताप सिंह राजपूत व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री बहोरन लाल मौर्य-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम मुडिया जागीर से श्मशान भूमि तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत बरेली बागेश्वर मार्ग से अभयपुर से रिठौरा तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम पीपलसाना चौधरी के ओवरब्रिज के नीचे सड़क मरम्मत एवं पानी निकासी हेतु नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश गुप्ता व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड महेवा के ग्राम सरसेला में नहर पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में श्री छेदा सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड जालौन में ग्राम हथना में नाले में रपटा के स्थान पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड महेबा में ग्राम अटराखुर्द से सिकरी जरहा के मध्य रपटा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हमीर सिंह पाल व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री कैलाश नाथ शुक्ल-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-हर्रैया सतघरवा के ब्लाक मुख्यालय शिवपुर में विद्युत केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार गुप्ता व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-हर्रैया सतघरवा हरिहरगंज-ललिया बदौलिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव प्रसाद यादव, प्रधान व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत तुलसीपुर में महिला चिकित्सालय के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विष्णुदेव गुप्ता व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-हर्रैया सतघरवा हरिहरगंज-ललिया मार्ग पर स्थित झिन्ने नाला पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जन्मेजय सिंह, प्रधान व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री महबूब अली-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा शहर में महाविद्यालय (डिग्री कालेज) की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रियाजुज हसन व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमर नकवी व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनय शंकर तिवारी-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से फैजाबाद रोड लखनऊ कलागांव के पहले स्थित देवस्थान आवासीय कालोनी सेक्टर-बी हाईटेन्शन लाइन को हटवाये जाने के सम्बन्ध में सुश्री अचला बाजपेई व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री पल्टूराम-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र-294, बलरामपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बलरामपुर सदर के रेल पुल संख्या-149 दुर्गापुर क्रासिंग आर0ओ0बी0/आर0यू0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गौतम तिवारी व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र-294, बलरामपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बलरामपुर सदर की ग्राम सभा मिर्जापुर में मन्नीजोत नाले पर अर्धनिर्मित पुल को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र पाल वर्मा व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(सदस्य श्री रवि शर्मा का नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद झांसी से सम्बन्धित दो याचिकाएं व्यपगत †

श्री रवि शर्मा-

(1) जनपद झांसी में गोविन्द स्थित हिन्दू जनास्था का प्रमुख केन्द्र एवं ऐतिहासिक धरोहर मढ़िया महादेव मन्दिर के प्रबन्धन ट्रस्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में पं0 सुधाकर मिश्र व अन्य की याचिका, तथा

(2) जनपद झांसी के नगर क्षेत्र वार्ड नं0-30 उन्नाव गेट बाहर गनेशी स्कूल के सामने वाली गली में पाइप लाइन डलवाने एवं पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में श्री रामकुमारी यादव व अन्य की याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-17 ली जाए।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका †

श्री राम फेरन पाण्डेय-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद श्रावस्ती में गिलौला बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार पाठक व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका †

श्री राजीव तरारा-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा के तहसील एवं विकास खण्ड-धनौरा के अन्तर्गत गजरौला में ट्रामा सेण्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र औलख व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री रवेन्द्रपाल सिंह-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ में मा0 मुख्य मंत्री जी त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत ग्राम दुम्हैरा, विकास खण्ड धनीपुर मार्ग के निर्माण की जांच के सम्बन्ध में श्री विवेक सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के पनैठी-गंगीरी सड़क सम्पर्क मार्ग को विशेष मरम्मत कार्य की सैम्पल लेकर जांच के सम्बन्ध में श्री राजू सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत नवनिर्मित सम्पर्क मार्ग नानऊ से दादों तक लगभग 30 कि0मी0 मार्ग की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के सोंदिया-मसानधुस सम्पर्क मार्ग से नहर की पटरी सखवनिया खुर्द टोला वासदेवपुर होते हुए सड़क सखवनिया खुर्द-धरनीछापर सम्पर्क मार्ग तक पिच निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मल्ल व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं

(2) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा, बडहरा लक्ष्मीपुर टोला जगरनाथपुर, तहसील-कसया, ब्लाक-मोतीचक, जनपद कुशीनगर में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवदत्त यादव व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका †

श्री ज्ञान तिवारी-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में विकास खण्ड रामपुर मथुरा एवं विकास खण्ड रेउसा के अन्तर्गत थानगांव से गोण्डा देवरिया मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री लक्ष्मी मौर्या की याचिका, उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री संजय सिंह गंगवार-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत में अमरिया रोड से ग्राम फुलईया होते हुए ग्राम वगनेरा तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र गंगवार व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत के ब्लाक अमरिया में करगैना नहर से करगैना पीरा होते हुए ग्राम भौनी तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री भगवानदास व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत में ब्लाक ललौरीखेड़ा के ग्राम आलम डांडी से ग्राम रहपुरा तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री होरीलाल व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री सत्यवीर तयागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री सत्यवीर त्यागी-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के विकास खण्ड माछरा, ग्राम भड़ोली सम्पर्क मार्ग बम्बे के पास से महिपाल के मकान से मस्तराम के मकान तक निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रमोद भड़ाना व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम मुबारिकपुर, ब्लाक-माछरा के ग्राम मुबारिकपुर बक्सर मार्ग पर शमशान घाट से स्याल रास्ते पर नलकूप संख्या-21 तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री राहुल व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम भुड़पुर ब्लाक-रजपुरा, ग्राम भुड़पुर में आंगनबाड़ी केन्द्र की चहारदीवारी के सम्बन्ध में श्री दिनेश व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री विरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री विरेन्द्र यादव-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम विशुनपुर अकोलही के पास नहर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अवध यादव व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम पिपरा में जिला पंचायत रोड से रवीन्द्र यादव के घर से राम बचन के घर तक लम्बाई 500 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र यादव व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम सभा मिथौलिया में नरेन्द्र यादव के घर से चिन्तामणि राय के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसुरत यादव व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री जवाहर लाल राजपूत-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी के गरौठा तहसील के एरच कुरेठा मार्ग पर गोंती ग्राम के निकट ससुर नाले पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गजराल सिंह निरंजन व अन्य की याचिका उपथित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय परिसर से लगी प्राकृतिक पहाड़ी का अवैध खनन एवं अतिक्रमण रोकने के सम्बन्ध में श्री वी0एम0 शर्मा व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी के बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री ध्रुव सिंह परमार व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी के धसान नदी पर लहचुरा बांध के नीचे/बेतवा नदी पर लिफ्ट कैनाल निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमलेश लम्बरदार व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा-329 के अन्दर पानी की खराब स्थितियों को देखते हुए 56 प्रमुख चौराहों पर जनहित में वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र उपाध्याय व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा-329 के खड्डा में आने वाले पनियहवां घाट से शिवपुर मरचहवां तक तैयार कराये गये डी0पी0आर0 के अनुसार रेता पार की आबादी के लिए बन्धा एवं सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा भागवत व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा-329 के छितौनी में बन्द चीनी मिल की जगह नई चीनी मिल खड्डा तहसील के छितौनी ग्राम सभा में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार गुप्ता व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड महेवा में उरकरा से पड़री मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री देवी सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड-जालौन के ग्राम ऐदलपुर में गन्दा नाला का पुल बनवाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2004 एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित कुल दो याचिकाएं †

श्री अमिताभ बाजपेई-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2004 (परीक्षा वर्ष 2014) के बावजूद नियुक्ति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता की याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र पूर्वी के अन्तर्गत इन्दिरानगर सेक्टर-8 में भवन सं0-8/422 के सामने बने पार्क में अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री अतेन्द्र कुमार चौधरी व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका †

श्री अनिल सिंह-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर में विभिन्न मार्गों को 07 मी0 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अनिल पाराशर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री अनिल पाराशर-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धनीपुर के ग्राम बालूखेड़ा में जूनियर हाई स्कूल तथा विकास खण्ड लोधा के मडराक जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाई स्कूल करने के सम्बन्ध में श्री ठा0 शूरवीर सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के क्वार्सी चौराहा एवं चुंगी चौराहा पर उपरिगामी सेतु निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजीव पाराशर व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत आगरा मार्ग स्थित मडराक ग्राम पंचायत को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र उपाध्याय व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद बलिया के अन्तर्गत ग्राम बलीपुर अथवा शेर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री बृजकिशोर पाण्डेय व अन्य की याचिका,

(2) जनपद बलिया के अन्तर्गत ग्राम भरसर से भरसौता तक गंगा नदी के बाढ़ से बचाव हेतु तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र तिवारी व अन्य की याचिका,

(3) जनपद बलिया के अन्तर्गत ग्राम फुलवरिया से बसन्तपुर तक सुरहा ताल में वर्ष भर रहने वाले जल जमाव के कारण सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि बर्बाद होने के सम्बन्ध में श्री अनुभव सिंह व अन्य की याचिका,

(4) जनपद बलिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नसीराबाद में चकबन्दी करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार पाण्डेय व अन्य की याचिका, तथा

(5) जनपद बलिया के अन्तर्गत ग्राम रेपुरा अथवा बजरहा में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री नलिन विशाल श्रीवास्तव व अन्य की याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री गौरी शंकर-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-221, उरई के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज उरई में ट्रामा सेन्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र सिंह की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

(2) जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत जिला मुख्यालय उरई में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में सुश्री बृजलता द्विवेदी व अन्य की याचिका,

(3) जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड जालौन में ग्राम सिकरी राजा से ग्राम हिड़ोकरा को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण की गई सड़क पर टूटे पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री अरविन्द व्यास व अन्य की याचिका,

(4) जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत विभिन्न जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार राठौर व अन्य की याचिका, तथा

(5) जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत उरई-राठ रोड पर बना रेलवे क्रासिंग पुल पर एक सीढ़ी के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अग्निवेष चतुर्वेदी व अन्य की याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्रीमती रजनी तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्रीमती रजनी तिवारी-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विकास खण्ड शाहाबाद में ज्ञानपुरवा से बाबा की मढ़ी (देवस्थान) लम्बाई लगभग 1300 मी0 सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कृष्ण प्रताप सिंह व अन्य की याचिका,

(2) जनपद हरदोई के विकास खण्ड शाहाबाद में पाली-शाहाबाद मार्ग से फिरोजपुर पंचशाला बरगदिया मंदिर तक लम्बाई 1500 मी0 सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रतीराम व अन्य की याचिका,

(3) जनपद हरदोई के विकास खण्ड शाहाबाद में जगदीशपुर से शाहाबाद मार्ग के किमी0 13 से 38 तक का 7 मी0 चौड़ाई में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में श्री मन्दीप मिश्रा की याचिका, तथा

(4) जनपद हरदोई के विकास खण्ड टोडरपुर में साण्डी-शाहाबाद मार्ग से रूपापुर (जसरथपुर) मार्ग पर सुखेता नाले पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार की याचिका, उपस्थित करती हूं।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की विधान सभा क्षेत्र मझवा से सम्बन्धित याचिका †

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा क्षेत्र मझवा के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम दांती को मुख्य सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री अशोक मौर्य व अन्य की याचिका उपस्थित करती हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला जौनपुर के ब्लाक मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरईपार कंधी रोड से ग्राम सभा जीकरपुर पिच रोड सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र कुमार बिन्द व अन्य की याचिका उपस्थित करती हूं।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत ग्राम पिपरा कानूनगो से उज्जौनिया तक सड़क को पिच (आबादी भाग में सी0सी0) कराने के सम्बन्ध में श्री जगतराम चौरसिया व अन्य की याचिका,

(2) जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के अन्तर्गत ग्राम बसंतपुर से बेलभरिया के बीच कच्ची सड़क को पिच (आबादी भाग में सी0सी0) कराने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त मौर्य व अन्य की याचिका, तथा

(3) जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के अन्तर्गत ग्राम रोहांव बुजुर्ग (मछली गांव) से गागापुर के बीच की कच्ची सड़क को पिच (आबादी भाग में सी0सी0) कराने के सम्बन्ध में श्री राज शुक्ला व अन्य की याचिका, उपस्थित करता हूं।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

डॉ0 डी0सी0 वर्मा-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम कपूरपुर में राजकीय पशु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल सिंह व अन्य की याचिका, तथा

(2) जनपद बरेली को तहसील मीरगंज के ग्राम धनेली में मेनरोड से धनेली गौटिया तक डामर/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशपाल सिंह चौहान व अन्य की याचिका, उपस्थित करता हूं।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

डॉ0 नीरज बोरा-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् सहारा स्टेट एवं सहारा प्रेस के बगल से जानकीपुरम् गार्डेन को जाने वाले मुख्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में डॉ0 देश दीपक मिश्रा व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत मोहल्ला प्रभातपुरम् एवं गायत्री नगर में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड एन0एच0-24 स्थित मड़ियांव थाने के पास वैकल्पिक यातायात की स्थायी व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में श्री राम किशोर लोधी व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् प्रथम एवं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र से हाईटेंशन लाइन स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित छः याचिकाएं†

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर की वि0ख0 डिबाई के अन्तर्गत ग्राम चौढ़ेरा में करीब 2 कि0मी0 काली सड़क के बचे मिट्टी खड़न्जे पर राजघाट रोड से ग्राम चौढ़ेरा तक बनवाने के सम्बन्ध में श्रीमती मिथिलेश कुमारी प्रधान व अन्य की याचिका उपस्थित करती हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत ग्राम सतोहा में शिव मन्दिर के पास एक बारात घर बनवाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित करती हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर की वि0ख0 डिबाई के अन्तर्गत मौ0 चौधर खेल वाल्मीकि बस्ती डिबाई में एक बारात घर/सामुदायिक केन्द्र स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में श्री अमित वाल्मीकि व अन्य की याचिका उपस्थित करती हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत ग्राम राम बिलौनी किला में बारात घर बनवाने के सम्बन्ध में श्री योगेश कुमार शर्मा व अन्य की याचिका उपस्थित करती हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर की ग्राम पंचायत ऊंचाहार बांगर, तहसील डिबाई में ग्राम ऊंचागांव से खेड़ा के पुल तक कच्चे रास्ते का पक्का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित करती हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर के ग्राम पंचायत औरंगाबाद कसेर, तहसील डिबाई में औरंगाबाद कसेर से तुलसी नंगला तक लगभग 02 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती फिरोज बानो व अन्य की याचिका उपस्थित करती हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-40-41 में कुछ नहीं है।

[12:57] श्री फागू चौहान को बिहार राज्य का राज्यपाल बनाये जाने पर बधाई का प्रस्ताव

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अधिष्ठाता जी, आज बड़े हर्ष के साथ मैं एक प्रस्ताव, हमारे इस सदन के माननीय सदस्य श्री फागू चौहान जी को अभी बिहार राज्य के राज्यपाल बनाये जाने पर हम उनको बधाई का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं।

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

यह सदन माननीय सदस्य श्री फागू चौहान को बिहार राज्य के राज्यपाल बनाये जाने पर बधाई का प्रस्ताव करता हूं। श्री फागू चौहान का इस सदन में दीर्घ अवधि तक कार्यकाल रहा है। यह हम सब सदस्यों के लिए गौरव की बात है कि इन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मान्यवर, श्री फागू चौहान जी का जन्म शेखपुरा, जनपद आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद पहली बार विधान सभा में 1985 में घोसी विधान सभा क्षेत्र से इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मान्यवर, उसके पश्चात् 1991, 1996, 2002, 2007 और 2017 में वर्तमान विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वह श्री कल्याण सिंह जी, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, श्री राजनाथ सिंह जी तथा सुश्री मायावती जी के मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी रहे हैं। वह विधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे हैं। श्री चौहान अपने क्षेत्र एवं जनता के बीच में एक लोकप्रिय नेता हैं। सदन में वह हमेशा जनमानस से जुड़े विषयों को बड़ी संजीदगी से उठाते रहे हैं। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए सरकार ने उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन भी मनोनीत किया था। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है कि इस सदन के ऐसे वरिष्ठ सदस्य को बिहार प्रान्त का राज्यपाल बनाया गया है। यह सदन उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाये जाने पर पुनः एक बार बधाई देता है।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अधिष्ठाता जी, यह हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय फागू चौहान जी को बिहार राज्य का राज्यपाल चुना गया है। मा0 अधिष्ठाता जी, फागू चौहान जी इस सदन के 6 बार सदस्य रहे, अब वह छठी बार जीते थे यह हमारे लिए गर्व की बात है। फागू चौहान जी स्नातक की डिग्री लिये हुए थे। मेरा इसमें एक प्रस्ताव है कि अगर फागू चौहान जी को इस सदन में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाता।

(कई सदस्यों द्वारा कहा गया कि श्री फागू चौहान जी सदन में उपस्थित हैं।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री इकबाल महमूद-

बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई आपको, मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिहार राज्य आपके नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा और वहां की समस्याओं को दूर करने में आप अपना सहयोग देंगे।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है और नेता समाजवादी पार्टी ने जिसका समर्थन किया है मैं भी उस प्रस्ताव से सहमत हूं और मा0 चौहान जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मान्यवर, निश्चित रूप से एक सामान्य परिवार से निकलकर मा0 फागू चौहान जी 1985 में पहली बार लोकदल के टिकट से इस विधान सभा में पहुंचे थे। दूसरी बार 1991 में भी जनता दल के टिकट से और सौभाग्य था कि उस समय मैं भी उनके साथ ही इस विधान सभा का सदस्य था। ऐसे हमारे मा0 सदस्य की गर्वनर के पद पर नियुक्ति से हम सब लोगों को बहुत ही खुशी प्राप्त हुई है और उनको राज्यपाल बनाया जाना हम सबके लिए गौरव की बात है, इससे इस विधान सभा का गौरव बढ़ा है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। अपने को संसदीय कार्यमंत्री के विचारों से और मा0 नेता समाजवादी पार्टी के विचारों से सम्बद्ध करते हुए पुनः अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह अपार हर्ष का विषय है कि आज हम सबके बीच के सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्री फागू चौहान जी को बिहार राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी पुरानी है और आपने सदैव सामाजिक समरसता की बात की। 6 बार इस विधान सभा के सदस्य रहकर विधान सभा में निरन्तर समाज के शोषित, वंचित, दलित और पिछड़ों की आवाज बनते रहे। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता समाजवादी पार्टी, नेता बहुजन समाज पार्टी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए आपको बहुत सारी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।

(सदस्य श्री नील रतन सिंह पटेल ''नीलू'' का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न रहने पर)

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नेता समाजवादी पार्टी, नेता बहुजन समाज पार्टी और नेता कांग्रेस पार्टी के साथ मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 6वीं बार निर्वाचित श्री फागू चौहान जी बिहार के राज्यपाल बनाये गये हैं। ये कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि-मंण्डल में मंत्री भी रह चुके हैं। मैं अपना दल की तरफ से इन्हें बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनका राजनीतिक सफर इसी तरह से चलता रहे और ये अपने राजनीतिक जीवन में नई-नई ऊँचाइयां प्राप्त करें।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता समाजवादी पार्टी, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी, नेता अपना दल के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि आदरणीय फागू चौहान जी बिहार के राज्यपाल बनाये गये हैं। वास्तव में एक गरीब परिवार से उठकर आज जहां तक का इन्होंने राजनीतिक सफर किया है, अन्तरआत्मा से मैं उनको अपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं। क्योंकि हम लोगों ने उस गरीबी को देखा है और वास्तव में महसूस करते हैं। आज बिहार के महामहिम राज्यपाल के रूप में वह बिहार को नई दिशा देंगे। मैं उनको एक अतिविशिष्ट बधाई देने का प्रयास करता हूं।

***दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्यमंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-**

मा0 अधिष्ठाता जी, सन् 1985 में पहली बार श्री फागू चौहान, मैं और हमारे कुछ साथी विधायक के रूप में इस सदन में आये थे। मान्यवर, अनेक पदों पर रहने के बाद इतना सरल/स्वभाव, मेरे ख्याल से 34 साल के राजनीतिक सफर में कभी किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा होगा कि आज मंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया, काम के लिए मना कर दिया। कबीर दास जी ने कहा था कि ''झीनी-झीनी बीनी चदरिया'' और अंतिम में कहा था कि ''दास कबीर जतन करि ओढी, क्यों की ज्यों धर दीनी चदरिया''। राजनीति में जैसे प्रवेश किया, वैसे ही आज भी साफ है।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सभी साथियों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया)

आज श्री फागू चौहान जी के लिए इस बात का हम लोगों को गर्व होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले भी बहुत से महान पुरुष हुए हैं। आज भी यह एक उदाहरण है कि जिनका पूरा राजनीतिक जीवन साफ-सुथरे छवि से निकल जाए, जिस पर किसी प्रकार का दाग न हो। राजस्व जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के कई साल मंत्री रहने के बाद, पशुधन, संस्कृति जैसे अनेक मंत्रालय रहने के बाद भी। हम लोगों को इससे एक शिक्षा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का ऐसा साफ-सुथरा राजनीतिक जीवन होगा, तो निश्चित रूप से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

समाज उसको सम्मानित करता है। मैं आपके माध्यम से ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से इनका जीवन आज तक उत्तर प्रदेश विधान सभा की राजनीति में साफ-सुथरा रहा है, वैसे ही आगे भी इसी तरह से बिहार के महामहिम राज्यपाल के पद पर सफल हों। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर सदस्य बिहार में महामहिम बनते हैं और वहां से भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इस बात के भी प्रमाण हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर इनको भविष्य में और उन्नति का मर्गा प्रशस्त करे।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वह सदन के सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करें।

डॉ0 डेनजिल जे0 गोडिन-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एंग्लो-इण्डियन समुदाय का नामित सदस्य हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे भी दो शब्द बोलने का अवसर प्रदान करें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बैठिये। अब हमने आदरणीय फागू चौहान जी को बुला लिया है।

***श्री फागू चौहान-**

माननीय अधिष्ठाता जी, आज इस सदन में हमारे वरिष्ठ सदस्यों और दल के नेताओं ने जो मेरे प्रति सम्मान प्रकट किया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं बिहार का गवर्नर होने के उपरान्त भी एक सदस्य के रूप में सदन में खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत कम बोलता रहा हूं। आज मेरे सामने हर्ष और विषाद दोनों है। हर्ष तो कुछ पाने और विषाद कुछ लोगों से बिछुड़ने का। आज मैं देखता हूं कि मेरे मित्रों में अधिष्ठाता जी, स्वयं आप, भाई लालजी वर्मा जी, भाई संग्राम यादव जी और सत्तापक्ष में बैठे हुए चौहान जी और शाही जी, हम लोग 1985 में आये थे शाही जी, और मौर्या जी भी थे। आज ऐसी स्थिति है एक तरफ खुशी है कि मैं राजभवन में पहुंच रहा हूं, दूसरी तरफ इस सदन और इन साथियों को छोड़ते हुए मुझे आज काफी दुःख हो रहा है और बोलते हुए मेरी आंख भर आ रही है। मैं सोचता हूं कि अब इन साथियों से कब मुलाकात होगी ? अब इस उम्र में, 71 साल मेरी उम्र हो चुकी है और 05 साल राज्यपाल रहने के बाद मेरी उम्र 76 साल हो जायेगी। उसके बाद अगर मैं पूरी तरह से स्वस्थ भी रहा तो भी चलने-फिरने में थोड़ी दिक्कत तो आयेगी ही, इसलिए पहले ही डिक्लेयर कर दूं कि अब आगे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आज मेरी स्थिति उस स्त्री जैसी हो रही है जो शादी में विदा होकर अपने सुसराल जाती है तो उसकी आंखों में आंसू रहता है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

और अन्दर खुशी भी रहती है कि पिया के घर जा रही हूं। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट) इस समय वही स्थिति मेरी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि राजभवन की चाहरदीवारी के अन्दर जाऊंगा लेकिन आज मेरे दल और मेरे नेताओं ने जो सम्मान का पद देकर सम्मानित किया है मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) जिस राजभवन को मेरे बाप-दादा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उस राजभवन में मुझे रहना है। मैं इसलिए नेताओं को धन्यवाद देता हूं, इसलिए धन्यवाद नहीं देता हूं कि आपने फागू चौहान को गवर्नर बना दिया बल्कि इसलिए कि गरीब तबके के लोगों के बारे में जो पार्टी ने सोचा, गरीबों के ऊपर जो हाथ फेरने का काम किया। यही हमारे प्रदेश के राम नाथ कोविन्द जी को मिला। आज फागू चौहान का मतलब नहीं है। मतलब सामज के उस दबे, कुचले लोगों का है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। अब मैं सभी लोगों को प्रणाम करते हुए इन साथियों को धन्यवाद देता हूं और यही कहता हूं कि फिर मिलेंगे यहां नहीं कहीं और मिलेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सदस्य श्री फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाये जाने पर यहां सदन ने उन्हें बधाई दी है। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ अच्छा सम्बन्ध रहा है, है भी, और रहेगा भी। महामहिम राज्यपाल बनने की सूचना जब हमको मिली तो मैं बहुत हर्षित हुआ कि आज इस तरह के लोगों को भी देश के महा संवैधानिक पदों पर भी जाने का अवसर मिल सकता है। श्री फागू चौहान वर्तमान विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र घोसी जिला मऊ से इस सदन के छठवीं बार सदस्य निर्वाचित हुए। पहली बार 1985 में इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए। उसके बाद 1991, 1996, 2002, 2007, 2017 में वर्तमान विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए। वह श्री कल्याण सिंह जी, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, श्री राजनाथ सिंह जी, सुश्री मायावती जी मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी रहे। विधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। श्री चौहान जी अपने क्षेत्र और जनता में एक लोकप्रिय नेता हैं। सदन में हमेशा जन-मानस से जुड़े विषयों को बड़ी संजीदगी से उठाते रहे। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए सरकार ने निर्णय लेकर उनको पिछड़े वर्ग आयोग का चेयरमैन भी मनोनीति किया था। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये बड़े हर्ष का विषय है कि सदन से ऐसे वरिष्ठ सदस्य को बिहार विधान सभा का राज्यपाल बनाया गया है। यह सदन उन्हें बिहार विधान सभा का राज्यपाल बनाये जाने पर पुनः बधाई देता है और पूरी शुभकामना व्यक्त करता है। मैं भी व्यक्त करता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और उस संवैधानिक पद का निर्वहन जिस तरह से सादगी और ईमानदारी से अब तक तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इन्होंने निर्वहन किया है, वैसे ही निर्वाहित करते रहें। यही हमारी शुभकामना है। मैंने जब बात किया

कि अभी तो आपसे मिल नहीं पाये तो इन्होंने मुझसे कहा कि बिहार राजभवन आ जाइये वहीं मुलाकात हो जायेगी। इतने बड़े हृदय के माननीय चौहान जी के प्रति बार-बार बधाई। जो सबने बधाई दी है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो बधाई प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[01:18] राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित ''उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018'' पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019†

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। पहले इसके लिए समय दिया गया पहले इसके ऊपर विचार हो चुका है। एक दो क्लाज जोड़े हैं मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है आज सदन स्थगित न हो रहा होता तो हम प्रेस न करते।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 16 अगस्त, 2019 के असाधारण गजट की विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, यह अनुज्ञा मांग रहे हैं, इसी पर आपत्ति है। अनुज्ञा न दी जाए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक विधेयक वापस लिया। वह जल्दबाजी में लाया गया विधेयक था, जिसको महामहिम राज्यपाल जी ने स्वीकृत करने का काम नहीं किया। उन्होंने मा0 राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेज दिया और कतिपय वहां उसमें सुधार की बात की गयी। उसी के आधार पर यह दूसरा प्रस्ताव लाया गया, इसमें अनुज्ञा मांगी जा रही है। आज सदन का अन्तिम दिन है। नियमों में व्यवस्था है कि अगर कोई विधेयक अनुज्ञा के लिए रखा जाता है तो मा0 सदस्यों को उसके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। उसमें क्या-क्या प्रोविजन किया जा रहा है, इसकी तीन दिन पहले से जानकारी होनी चाहिए। आज ही यह विधेयक आया है और आज ही इसको पास कराने की भी चर्चा है। आज इसको पास न कराया जाए, इसलिए कि अगर जल्दबाजी में विधेयक पास होते हैं तो उसमें तमाम ऐसी कमियां आ जाती हैं, जिसके कारण उसको वापस लेना पड़ता है। यह कोई छोटा-मोटा विधेयक नहीं है, यह राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2019 बहुत बड़ा विधेयक है। इसका बहुत दूरगामी प्रभाव है। एक तो इस देश में जो कृषि योग्य भूमि है, वह कम होती जा रही है आबादी बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से उस पर भी यह प्रभाव डालने वाला विधेयक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर अनुज्ञा न दी जाए और मा0 मंत्री जी स्वतः ही इसको वापस लें। इस पर जब आप अगला सत्र बुलायेंगे तब विस्तार से चर्चा हो जाए या आप सत्र का कार्यकाल बढ़ा दें। आप आज इस विधेयक को पास कराने की जिद न करें। कम से कम यह सोमवार या मंगलवार को पास करायें। हमें पढ़ने का अवसर मिले, जिससे हम एक-एक बिन्दु को अच्छे से देख सकें, क्योंकि यह बहुत विस्तृत विधेयक आ रहा है और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा हो, सदन एक-एक बिन्दु पर चर्चा करे, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर अनुज्ञा न दी जाए। मेरी इस पर आपत्ति है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह राजस्व से संबंधित बिल है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो पुरःस्थापित किया जा रहा है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद सबसे बड़ा विवाद है। आज ही यह विधेयक लाया गया है और सबेरे-सबेरे पिजन हाल में डाला गया है। न हम इसको अभी ठीक ढंग से पढ़ पाये, न हम इसके बारे में जानकारी ले पाये। आज ही बिल लाकर आज ही प्रस्तुत करके आज ही इसे पास कराया जा रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज जमीन विवाद को लेकर क्या-क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अभी सोनभद्र की घटना आपके समक्ष है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक दिन का सदन बढ़ा दें, विस्तृत चर्चा हो जाये, पक्ष-विपक्ष की बात सुन लें और हमारे प्रस्ताव को भी सम्मिलित कर लें। उसके बाद इस विधेयक को स्वीकृत करायें। बिना पक्ष-विपक्ष को सुने तुरन्त इसको संशोधित करके लाना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। हमारा इस पर विरोध दर्ज है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब यह लोग उधर बैठते हैं तो इन लोगों को सारी किताबें याद आ जाती हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि 1994 में आप इधर बैठे थे और पंचायत राज 73वां, 74वां, संशोधन विधेयक आया था। उसको पास होने के लिए आपने कितने दिन दिये थे और आप बहत्तर छेद की चलनी। यह जब इधर बैठते हैं तो स्थिति दूसरी हो जाती है। पंचायत राज का 73वां संशोधन आया और एक दिन बहस करने के लिए नहीं दिया। मैं उस समय उधर बैठता था। मैं चिल्लाता रहा, कार्यवाही में है, लेकिन आज हम एक छोटा संहिता संशोधन ला रहे हैं और वह भी सारे बिन्दुओं पर चर्चा हो गयी, कुछ कमियां रह गयीं। कुछ कमियां रह गयीं तो उसको पूरा करके ला रहे हैं। सारा ज्ञान आज सबेरे से लेकर आज ही पढ़ लिया जायेगा। सब कुछ पढ़ा हुआ है।

पहले इसके लिए समय दिया गया पहले इसके ऊपर विचार हो चुका है। एक दो क्लाज जोड़े हैं मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है आज सदन स्थगित न हो रहा होता तो हम प्रेस न करते।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरः स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019†

***सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 16 अगस्त, 2019 के असाधारण गजट की विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज पुरःस्थापित हुए विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अधिष्ठाता जी, आज आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुए विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए आज ही ले ली जाएं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि आज दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुए विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए आज ही ले ली जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01:26] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 26.7.2019 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री सोवरन सिंह यादव की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार अन्तर्गत ग्राम पंचायत पचखरा में दिनांक 13.7.2019 को 11 हजार वोल्टेज की लाइन टूटकर खेत में गिरने से हुए हादसे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मान्यवर, इस सूचना पर ध्यानाकर्षण कर दीजिए और एक सूचना हमारी ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। दूसरी सूचना श्री लाल जी वर्मा की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार बार-बार किसान की आमदनी बढ़ाने की बात करती है। मान्यवर, मेरे जिले अम्बेडकरनगर में और मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टाण्डा एन0टी0पी0सी0 पावर हाउस है उसके विस्तारीकरण के लिए हुसेनपुर, सुधाना, सरायपुर, रजऊर, हसिमापुर, संभरिया, शरीफपुर, कलवरिया, कतराही आदि तमाम गांवों की जमीन हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहीत करने का काम किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया आबादी की भी जमीन अधिग्रहीत की गई आबादी की जमीन पर भी वहां पर कई कमियां हैं। एक तो वहां कुछ ऐसे लेखपाल हैं जिनको उसी क्षेत्र में रहने में महारत हासिल है और तमात तरह से किसानों को प्रताड़ित करने के लिये विशेषकर आबादी की जमीन पर लोगों को प्रताड़ित करने लिये वहीं बने रहते हैं और वह इस तरह की रिपोर्ट लगा रहे हैं जिससे जो लाभार्थी किसान है उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे किसान हैं, मकान के मालिक हैं और 175 ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे उनका मकान ले लिया गया, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। कुछ ऐसे हैं जो पचासों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से वहां पर बसे हुए हैं, जमींदार के नाम जमीन थी उस जमीन पर बसे थे, बाद में उनका मकान बना हुआ जमींदार ने शेष अपनी जमीन को किसी दूसरे के नाम बेंच दिया और इस कारण मकान उनका है, लेकिन मुआवजा दूसरे के नाम चला गया। इसके कारण कई दर्जन लोगों के साथ उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। मान्यवर, भूमि अधिग्रहण कानून जो वर्ष 2010 में इसी विधान सभा से पास हुआ था, उसमें इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि अगर किसान की जमीन ली जायेगी और उस जमीन के बदले वह दूसरी जगह जमीन खरीदेगा तो उसको स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क से मुक्त रखा जायेगा। आज भी वह नियम बना हुआ है, लेकिन मकान के बदले मकान दिया जाना चाहिये था। हमें एन0टी0पी0सी0 को मजबूर करके विवश करके उनके ऊपर यह दबाव डालना चाहिये था कि जिनका मकान जा रहा है उसके बदले उनको जमीन दें जहां पर वह बस सकें, लेकिन यह करने का काम नहीं किया जा रहा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जरा गौर से इसको सुनेंगे कि जो किसान की जमीन ली गयी और इस तरह से 180 किसान हैं पहले किसानों ने जमीन देने से इनकार किया और उन्होंने मुआवजा लेने से भी इनकार किया, लेकिन बाद में जब अधिग्रहण हो गया तो 180 किसान इस तरह के हैं और कुछ किसान तो मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन 180 किसान ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीमेंट पर दस्तखत करके एन0टी0पी0सी0 को जमीन दे दी। एग्रीमेंट किये हुए लगभग 03 साल बीत रहे हैं और उसके बाद भी उनको मुआवजा एन0टी0पी0सी0 के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। वह बेघर हो गये, वह बिना खेत के हो गये और उनको जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला तो इससे ज्यादा अन्याय, अत्याचार और क्या हो सकता है। मैं

जिला प्रशासन से बार-बार इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन जिला प्रशासन भी इस बात पर मौन रहता है वह इसलिये कि जिला प्रशासन के जितने कार्यालय/भवन हैं, एन0टी0पी0सी0 उनको बढ़िया सजाने का काम करता है इसलिये वह भी उन पर कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिसके कारण 180 किसानों के एग्रीमेंट के बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। इसी तरह से 111 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मकान लेने के बाद भी उनको उसका मुआवजा नहीं दिया गया। मान्यवर, पहली बात तो मैं मांग करना चाहूंगा कि इस पर हमारी जो नियमावली है, भूमि अधिग्रहण कानून है, उसमें किसी प्रतिष्ठान द्वारा आबादी की जमीन लेने के बाद उस प्रतिष्ठान के लिये यह जरूरी है कि उनको मकान के लिये कहीं जमीन उपलब्ध करायें और कई ऐसे किसान हैं जैसे सलाहपुर रजौर के राम प्रसाद खटिक जिनका मकान गिरा दिया गया, हीरालाल हाशिमापुर में हैं जिनका मकान गिरा दिया गया और वह बेघर हो गये, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला। इसी तरह से अनेक व्यक्ति हैं जिनका मकान गिरा दिया गया और वह मकान विहीन हो गये। उनको न तो मुआवजा दिया गया और न ही उनको बसने के लिये कहीं जमीन दी गयी। इसलिये निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जिनके मकान की जमीन ली गयी है उनको मकान के बदले अलग से जमीन देने का काम किया जाए, वहां बसने के लिये अलग से मुआवजा देने का काम किया जाए, और दूसरी तरफ जिन 180 किसानों ने एग्रीमेंट पर दस्तखत करके जीमन एन0टी0पी0सी0 को दे दी और वह मुआवजे के लिये परेशान हैं उनको तत्काल मुआवजा दिलाने का काम किया जाए। ऐसे न हो पाने के कारण वहां पर विस्फोटक स्थिति है, लोग आंदोलित हैं, परेशान हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे चाहूंगा कि यह तात्कालिक विषय है, ग्राह्य है। मकान विहीन हो रहे हैं, उनके मकान को गिराने की रोज धमकी दी जा रही है, अगर मकान नहीं दिया जा रहा है तो उनको चारो तरफ से ऐसा घेरा जा रहा है कि वह 'कूप-मंडूप' एकदम कुँए में बन्द हुए जा रहे हैं। उन लोगों को कहीं से निकलने की जगह नहीं बच रही है। यह तात्कालिक विषय है, अविलम्बनीय विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसको ग्राह्य करें जिससे इस विषय पर चर्चा हो सके और कोई व्यवस्थित कानून बन सके तथा उन लोगों को उनका हक मिल सके।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, जो माननीय वर्मा जी ने नियम-56 के अन्तर्गत सूचना दी है, हालांकि नियम-56 में यह सूचना नहीं आती है, लेकिन फिर भी यह विषय लोक महत्व का है। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह यह है कि एन0टी0पी0सी0 टाण्डा विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत तहसील-टाण्डा के कुल 9 ग्रामों में से 271.949 हेक्टेयर निजी भूमि का अर्जन किया गया, उक्त भूमि का विधिक कब्जा एन0टी0पी0सी0 को दिनांक 16.08.2012 को दिया गया है। तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में दिनांक 31.08.2012 को एन0टी0पी0सी0 के नाम अंकित कर दिया गया है। एन0टी0पी0सी0 विस्तारीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत विशेष भूमि अध्यातित अधिकारी, फैजाबाद द्वारा माह सितम्बर, 2013 के दौरान मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से 3 नोटिस देकर प्रभावित व्यक्तियों को अपना अधिग्रहीत भूमि एवं दिसम्बर, 2013 माह से माह में दो बार कैंप लगाकर प्रभावित व्यक्तियों को अपना मुआवजा प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। लगातार प्रयासों के बाद भी जिन प्रभावित व्यक्तियों ने अपना मुआवजा नहीं लिया है उनका मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिसम्बर, 2013 में जिला कोषागार एवं अगस्त, 2014 में कोर्ट में जमा करा दिया गया है। इसके बाद जिन किसानों ने खतौनी भूमि के भुगतान हेतु तय समय-सीमा के अन्दर करार नहीं किया था, उनका मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा जिला न्यायालय में जमा करा दिया गया था जोकि तीन वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद लैप्स हो गया है। मान्यवर, इसमें सरकार की कोई भी गलती नहीं है। **(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)** अभी पूरा जवाब नहीं आया है, आपने बहुत लम्बी बात कही है उसका पूरा जवाब आ जाने दीजिए। शब्दों में हो सकता है कि कमी हो जाये इसलिए मैं पढ़े दे रहा हूं। मान्यवर, भुगतान हेतु लैप्स स्टेटमेन्ट रजिस्ट्रार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के कार्यालय द्वारा वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए कार्यालय महालेखाकार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश को प्रेषित करना है, तत्पश्चात् भुगतान की कार्यवाही जिला न्यायालय अम्बेडकरनगर से की जानी है। जिनके पुनर्वास की बात आपने कही है, इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, फैजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 12.12.2014 को मण्डलीय समिति द्वारा स्वीकृति के अनुसार जिन विस्थापितों की भूमि का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर या इससे कम है उनको 9 लाख रुपये प्रति विस्थापित परिवार एवं जिन विस्थापितों की भूमि का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से ज्यादा है उनको 11.50 लाख रुपये प्रति विस्थापित परिवार एक मुश्त समाधान के तहत दिए जाने का प्राविधान है। मान्यवर, आबादी की भूमि से विस्थापित हो रहे कुल 1238 व्यक्तियों को एक मुश्त समाधान मद से रुपये 116.95 करोड़ वितरित होना है जिसमें से 467 विस्थापितों को 44.56 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा लेने हेतु जिला प्रशासन एवं एन0टी0पी0सी0 द्वारा नियमित रूप से आग्रह करने के बावजूद भी प्रभावित व्यक्ति मुआवजा नहीं प्राप्त कर पाये हैं। मान्यवर, इसमे कोई कमी नहीं है। आपको उन लोगों से इस बात के लिए कहना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप मुआवजा क्यों नहीं ले रहे हैं ? इसमें सरकार की कहां कमी है। मेरे पास कोई अपना बनाया हुआ कागज नहीं है।

***श्री लाल जी वर्मा-**

जो आपकी सूचना है वही गलत है। मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि उन लोगों ने पहले मुआवजा लेने से इन्कार किया था लेकिन बाद में उन्होंने सहमति देते हुए एग्रीमेण्ट किया था।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मैं पहले अपनी पूरी बात समाप्त कर दूं। यह संवेदनशील मामला है और जिन लोगों की जमीन गई है उन लोगों को मुआवजा जरूर मिलना चाहिये हम इससे सौ परसेण्ट सहमत हैं लेकिन हमारी तरह से और सरकार की तरफ से कोई हीला-हवाली की स्थिति नहीं है। वर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं इसलिये पूरी स्थिति को समझना चाहिये और कम से कम सही तथ्य सदन के सामने रखना चाहिये। बार-बार किसानों से मुआवजा लेने का आग्रह किया जा रहा है और कोर्ट में धनराशि जमा भी की गई लेकिन उसके तीन साल के बाद वह धनराशि लैप्स हो गई तो उसमें हमारी कमी कहां है। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सरकार की कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह नियम-56 में नहीं आता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं। 180 किसान ऐसे हैं जिन्होंने तीन वर्ष पहले एग्रीमेण्ट कर दिया था कि हम अपनी जमीन का मुआवजा लेना चाहते हैं और उन्होंने रजिस्ट्री आफिस में एग्रीमेण्ट कर दिया था। अगर उन्हें मुआवजा लेना नहीं था तो वह एग्रीमेण्ट क्यों करते। उसके बाद भी 180 किसानों को खेती का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। बाकी तो मुकदमा लड़ रहे हैं और नहीं लेना चाहते हैं वह अलग बात है। मैं उसमें नहीं कह रहा हूं। 180 किसान ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीमेण्ट किया और बार-बार कहने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। आपने भी पढ़ा है कि उनका मुआवजा लैप्स हो गया है जिसके कारण नहीं मिल पा रहा है। हमारी जमीन चली गई और मुआवजा लैप्स हो गया। क्या आपके कहने का मतलब है कि अब उनको मुआवजा नहीं मिलेगा।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मिलेगा क्यों नहीं। जिन किसानों ने तय समय-सीमा के अन्तर्गत भूमि करार नहीं किया था उनका मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा जिला न्यायालय में जमा कर दिया गया था जोकि तीन वर्ष की अवधि तक के लिए था। तीन वर्ष तक इन्होंने मुआवजा लिया नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

और कह रहे हैं कि सरकार ने दिया नहीं है। ऐसा है कि प्रोपेगण्डा उधर बैठकर करिये लेकिन सही बात को लेकर करिये।

श्री लाल जी वर्मा-

आप पहले मेरी बात सुन लीजिये उन लोगों ने पहले मुकदमा लड़ा यह बात सही है कि वह नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब वह मुआवजा लेने के लिए उत्सुक हुये और उन्होंने एन0टी0पी0सी0 के साथ रजिस्ट्री आफिस में जाकर करार कर दिया तो रजिस्ट्री आफिस में करार करने के बाद भी उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। वह मुआवजा लेना नहीं चाहते क्या ? उसके साथ-साथ दूसरी बात है कि आपको जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है वह गलत है। अगर जिलाधिकारी सही काम किये होते तो अब तक सभी किसानों को मुआवजा मिल जाता। दूसरी बात आपने कहा कि नौ लाख रुपया दिया गया है, तो नौ लाख में हम आपका घर उजाड़ कर आपको कह दें कि कहीं और चले जाइये। तो यदि हम आपको नौ लाख दे दें तो क्या आप चले जायेंगे। नौ लाख रुपया उनके लिए विस्थापन का अलग से था लेकिन जमीन का मुआवजा अलग था। जमीन और बने हुये मकान का मुआवजा अलग-अलग था। मकान का मुआवजा 111 लोगों को नहीं मिला है और जमीन के बदले जमीन दी जानी चाहिये थी। अधिग्रहण नियमों को आप पढ़ लीजिये। उसमें है कि जिन व्यक्तियों को विस्थापित किया जायेगा उनको 200 वर्ग मीटर की जमीन दी जायेगी वह जमीन एन0टी0पी0सी0 ने नहीं दिया है। उनको उस जमीन को भी क्रय करके बसाने के लिए अलग जमीन दी जानी चाहिये थी वह भी नहीं दी गई है। इसमें हमारा कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है और यदि आप संवेदनशील हैं तो देखिये वहां मकान गिराये जा रहे हैं और उनको बसाने के लिए जमीन नहीं है। कहां से वह नौ लाख रुपये में जमीन पा जायेंगे। एक फुट जमीन तीन लाख रुपये में बिक रही है। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में नौ लाख रुपये में वह जमीन भी नहीं पायेंगे। आप मुफ्त में वह जमीन दे दीजिये और नौ लाख रुपया जो मिल रहा है वह दे दीजिये। इस तरह से तमाम लोगों को मिला है लेकिन 111 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है और 180 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्रीमेण्ट कर दिया है इसलिये माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल जिलाधिकारी की रिपोर्ट को न देखें। आप जाकर जिलाधिकारी के आफिस को भी देख लें। आपका भी आफिस उतना अच्छा नहीं है। जिलाधिकारी के आफिस को बनाया किसने है, इसको एन0टी0पी0सी0 ने बनाने का काम किया है। यदि एन0टी0पी0सी0 इतनी सेवा कर रहा है तो निश्चित रूप से वहां इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि एन0टी0पी0सी0 की तरफ से न खड़े होइये, अधिकारियों की तरफ से न खड़े होइये, किसान की तरफ से खड़े होकर कोई भी कारण हो उस कारण का समाधान करके उनको एक माह के अन्दर मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करिये और हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

अधिष्ठाता महोदय, हम इसको निश्चित रूप से दोबारा दिखवा लेंगें और इसमें निश्चित रूप से किसानों को मुआवजा मिले हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना जिसको मैंने ध्यानाकर्षण कर दिया था। यह सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की, श्री उज्जवल रमण सिंह जी की जनपद लखनऊ में निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड के अधोमानक निर्माण की जांच कराये जान के सम्बन्ध में है।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

अधिष्ठाता महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। लखनऊ में इस मानसून की बारिश हुई और एक आउटर रिंग रोड का निर्माण यहां कराया गया जिसका नाम किसान पथ से हम लोग जानते हैं। उस आउटर रिंग रोड के निर्माण इस प्रदेश की जनता का पांच हजार करोड़ रुपये की लागत से हुआ, लेकिन आज उसका हश्र क्या होता है, पहली बारिश के बाद ? उसका एक पूरा हिस्सा धंस गया और जो रीटेनिंग वॉल बनी थी वह रीटेनिंग वॉल भी गिर गयी। उस रीटेनिंग वॉल का काम था मिट्टी को रोकने का, लेकिन इस मानसून की बारिश में इतनी कमजोर रीटेनिंग वॉल बनाई गयी और अभी तो पूरी बारिश भी नहीं हुई। इस दो दिन की बारिश में, मैं तो कहूंगा कि इस भ्रष्टाचार की भेंट वह पूरी सड़क चढ़ी हुई है और सरकार तो बहुत दावे करती है। इसकी तकनीकी जांच, उच्च स्तरीय तकनीकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई उस सड़क पर सरकार रोज दावे करती है कि सी0बी0आई0 जांच करा देंगे इसलिए इसकी सी0बी0आई0 जांच करा दी जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको दिखवा लें इसमें एक कमी नहीं है। यह जीता-जागता सबूत है कि यह मानक के विपरीत बनाई गयी सड़क है। सरकारी धन के करोड़ों रुपये का बन्दरबांट करके खानापूर्ति की गयी है। गिट्टी की जगह मिट्टी डाली गयी है। वहां गिट्टी डालना चाहिए था वहां मिट्टी डालकर पेंटिंग कर दी गयी तो वह सड़क कैसे चलेगी ? उप मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं वह इस बात को भली-भांति जानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर मिट्टी डाली गयी वहां पर लेपन कार्य कर दिया गया। पटान पर रोलीकरण भी नहीं किया गया और जल निकासी का उचित प्रबन्धन न करने के कारण यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट सड़क चढ़ी है। मैं सरकार से यह चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

और सुनिश्चित विषय है। इस भ्रष्टाचार पर जो उजागर हुआ है, उस पर चर्चा करा ली जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सी0बी0आई0 जांच हो जाए तो मैं समझूंगा कि सरकार जो दावे करती है और हम लोगों को इंगित किया जाता है कि इस चीज की सी0बी0आई0 जांच, उस चीज की सी0बी0आई0 जांच, किसान पथ की भी सी0बी0आई0 जांच हो जाए तो सब पता चल जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसकी ग्राह्‌ता को देखते हुए इस पर चर्चा करा दी जाए।

***उप मुख्य मंत्री लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो विषय उठाया है यह राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार की परियोजना है, लेकिन वर्षा के कारण निश्चित तौर से मैंने भी इसे देखा है और इसका चित्र भी देखा है। समाचार पत्रों में इसका कुछ प्रकाशन भी हुआ था। पहली वर्षा होती है तो कोई नई सड़क जब बनती है उसमें स्वाभाविक रूप से इस तरह की परेशानी आती है। पिछली सरकार में आगरा एक्सप्रेस-वे बनाया गया था। मैं समझता हूं कि पूरे एक्सप्रेस-वे में दर्जनों ऐसे स्थान थे जो इसी प्रकार की परिस्थितियों का शिकार हुए थे, लेकिन यह मामला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है जिस रिंग रोड की मा0 सदस्य चर्चा कर रहे हैं हम इसको दिखवाएंगे, लेकिन प्रथम बार यह अंतिम रूप से निस्तारित हो गया था। लेकिन वह फाइनल हो गया होगा ऐसा मैं नहीं मानता अगर वर्षा के कारण वहां कोई कमी आई है तो हम उसको दिखवा लेंगे।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

अधिष्ठाता महोदय, इसमें तकनीकी जांच करवा लें और जो दोषी हों उस पर कार्रवाई कर लें।

***श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

मा0 सदस्य, यह राज्य सरकार का विषय नहीं है। रिंग रोड भारत सरकार के केंद्रीय भू-तल परिवहन मंत्रालय के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, तब भी इसको दिखवा लें।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। तीसरी सूचना श्री अजय कुमार लल्लू, श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्री सोहिल अख्तर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

अंसारी, सुश्री अदिति सिंह की जनपद कुशीनगर में बुढ़ी गण्डक नदी से होने वाले कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत ए0पी0 तटबंध पर आज स्थिति बहुत भयावह है। जिस तेजी के साथ नदी का डिस्चार्ज बढ़ा है और बंधे का कटान हो रहा है अफरातफरी का माहौल है। पिछले तीन वर्षों से लगातार इसी सदन में मैं सरकार को भी और व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से सूचना देता रहा हूं कि अहरौलीदान, बाघा चौर, नुनिया पट्टी के पास जो नदी बंधे से सटकर बह रही है। हद तो यह हो गयी कि दो साल से लगातार अब तक 600 लोगों का घर नदी में विलीन हो चुका है। स्थिति यह है कि इसी सदन में मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि नदी से बंधे के बीच के जो भी गांव होंगे उनको भी हम सुरक्षित करने की परियोजना ला रहे हैं। हालत यह है कि पिछले साल भी सिंचाई विभाग की कोई परियोजना ए0पी0 तटबंध पर स्वीकृत नहीं हुई और इस बार स्थिति यही हुई कि ए0पी0 तटबंध पर एक भी परियोजना के स्वीकृत न होने की स्थिति में वहां आज नदी अपने आगोश में उन गांवों को ले रही है। दो दिन में 40 घर नदी में कटकर विलीन हो गये हैं और लगातार बंधा आधा कटकर गिर चुका है, धीरे-धीरे पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है जब नेपाल से वाल्मीकि नगर से पानी का डिस्चार्ज होता है तो पानी का दबाव इस तेजी से बढ़ता है कि पूरी नदी बंधे से टकराने लगती है और हालत यह होती है कि ग्रामीणों को वहां से पलायन करना पड़ता है। अधिष्ठाता जी, आज ही सुबह मुझे ग्रामीणों ने सूचना दी क्योंकि सदन में होने के नाते मैं अब तक उस क्षेत्र में नहीं जा पाया, लेकिन आज ही ग्रामीणों ने सूचना दी। लोग अपने हाथ से अपने घरों को तोड़ रहे हैं, बंधे के इस पार के लोग। और तोड़कर ट्रेक्टर ट्राली में लादकर वहां से पलायन होने को मजबूर हैं। अब तक 150 घर से अधिक को लोगों ने अपने हाथ से तोड़ा है। एक व्यक्ति जीवन भर कमाता है एक छोटा सा घर और आशियाना बनाता है, लेकिन कहीं न कहीं परियोजनाओं की स्वीकृति न होने के नाते वह सरकार की गलतियों का शिकार होता है और अगर वहां पहले से बोल्डर की पिचिंग हो गयी होती, अगर उस पर स्टड बन गया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। बगल में वहीं बिहार का बंधा है। वहां पर परियोजना स्वीकृत हो गयी वहां लोगों ने रिवेटमेंट का काम कर दिया जिसके नाते पूरा बंधा सुरक्षित हो गया, लेकिन तीन साल से लगातार बूड़ी गण्डक नदी तबाही मचाए हुए है, फिर भी सरकार कुम्भकरणी नींद में सोई हुयी है और वहां के ग्रामीणों के बारे में अब तक किसी तरह का कोई फैसला लेने का काम नहीं किया। केवल मिट्टी की बोरी से उस बंधे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़े से बोल्डर का प्रयोग किया जा रहा है। पूर्ण मात्रा में भी बोल्डर का उपयोग नहीं किया जा रहा है ताकि उन गांवों

के अस्तित्व को बचाया जा सके। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि अभी उन जगहों पर बोल्डर की पिचिंग कराकर उन गांवों को अहरौलीदान और नुनिया पट्टी के कटान को रुकवाने के साथ ही बगल में पिपराघाट में भी यही स्थिति बनी है। नदी सड़क को काटते जा रही है जिससे आने वाले दिनों में और भी गांव तबाही का दंश झेलेंगे तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों का घर नदी में विलीन हो गया है उन लोगों को मुआवजे की व्यवस्था, साथ ही जो लोग पलायन करके भाग रहे हैं उनको समुचित जगह पर बसाने की व्यवस्था, साथ ही साथ आज उस बंधे के किनारे बोल्डर की पिचिंग होना अत्यन्त आवश्यक है और आने वाले समय में भी सरकार इस पर ध्यान दे ताकि वहां परियोजना स्वीकृति हो सके और उस बंधे को पूर्णरूपेण बचाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, चूंकि लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। मैं सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की माँग करता हूं।

एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अहरौलीदान, पिपराघाट तक तटबन्ध के किमी0 बारह से चौदह पचास के मध्य गण्डक नदी तटबन्ध से सटकर बह रही है। वर्तमान में नदी का डिस्चार्ज लगभग 65000 क्यूसिक है। तटबन्ध को सुरक्षित करने के लिए लगातार सिंचाई विभाग द्वारा अनुरक्षण एवं फ्लड फाइटिंग के कार्य कराये जा रहे हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 विधायक जी द्वारा लगभग 25-30 घरों के कट जाने की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि नदी के तटबन्ध पर दबाव बरकरार है। सरकार द्वारा इस रीच में नदी का दबाव कम करने हेतु एक ड्रेजिंग की परियोजना भी संचालित की गई है। कुछ लोगों ने नदी के दबाव के दृष्टिगत तटबन्ध एवं नदी के बीच में बनी झोपड़ी एवं मकान खाली किये हैं। तटबन्ध पर बचाव कार्य निरन्तर प्रगति पर है तथा तटबन्ध को हर हाल में सुरक्षित रखे जाने हेतु कार्य लगातार जारी है। जनपद-कुशीनगर में 23 परियोजनाओं के सम्बन्ध में बताना चाहूंगी कि जनपद-कुशीनगर में 23 परियोजनाएं चल रही हैं। जिनमें से 13 परियोजनाएं ए0पी0 तटबन्ध पर चल रही हैं। आप बार-बार कहते हैं कि आपके यहां कोई भी परियोजना चल ही नहीं रही है। साथ-ही-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि 24.13 करोड़ रुपये की धनराशि जनपद-कुशीनगर को दी गई है। जिसमें से वार्षिक अनुरक्षण में 15 करोड़ 15 लाख रुपये दिये हैं और जो अनुरक्षण राशि है उसका हमने 10 करोड़ रुपये सिर्फ और सिर्फ ए0पी0 तटबन्ध पर दिया है। इस अनुरक्षण को आप देखेंगे तो वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-2019 में अभी तक जनपद कुशीनगर में पूरे वर्ष का अनुरक्षण मद में औसत आवंटन रुपये 3.6 करोड़ होता आया है लेकिन हमने इस वर्ष सिर्फ ए0पी0 तटबन्ध पर 10 करोड़ रुपये दिया है। आप बार-बार इस चीज को बताते हैं कि आप हमें पिछले 03 वर्षों से सूचना दे रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगी कि आपके

सूचना देने के पूर्व ही हम लोग कार्य को सम्पन्न कर लेते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं 3-3, 4-4 बार हर वर्ष मानसून आने से पहले ही बैठक ले लेते हैं, चाहे वह राहत आपदा हो या जो सेन्सिटिव एवं हाईली सेन्सिटिव जोन हैं, जो ऐसे जिले हैं उनके डी0एम0 के साथ भी बैठक हो चुकी है। हम 15 जून के पहले ही पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। आप हर बार इस चीज को बोलते हैं और हम हर बार आपको इस बात से अवगत कराते हैं। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्य मंत्री स्वयं बाढ़ का निरीक्षण नहीं करते होंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 में बाढ़ का निरीक्षण किया है और इस वर्ष आवश्यकता पड़ेगी तो उसका निरीक्षण करेंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 02 वर्षों में अहिरौली-दान, पिपराघाट बन्धे पर कितनी परियोजना स्वीकृत हुई, स्थायी संचालन समिति में जो मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृत होनी चाहिए ? क्या इस वर्ष अहिरौली-दान, पिपराघाट में जो हिस्सा कट रहा है। 02 वर्ष से स्थायी संचालन समिति में अग्राह्य कर दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 02 वर्ष में कितनी परियोजनायें स्वीकृत हुई और जिन 23 परियोजनाओं के बारे में मा0 मंत्री जी बता रही थीं, वह परियोजनायें किस वर्ष में स्वीकृत की गई हैं ? मा0 मंत्री जी ने कहा है कि हर वर्ष इस बात को सदन में बताया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं जनपद-कुशीनगर से चुनकर आता हूं और उस क्षेत्र के लोगों ने इसलिए चुना है कि मैं उनके अधिकारों एवं उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष कर सकूं। पिछले साल भी कटान हुआ, मा0 मंत्री जी कह दें कि कटान न हुआ हो, घर न कटे हों। इसके पिछले साल भी कटान हुआ जिसमें 07 टोले नदी में विलीन हो गये और इस साल भी कटान हो रही है, नदी का लगातार दबाव बन्धे की तरफ बढ़ रहा है। आज की सूचना है कि बन्धा आधे से अधिक कट चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

इस संबंध में मा0 मंत्री जी ने स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी बता दें कि यह परियोजनायें कब स्वीकृत हुईं और पिछले वर्ष ब्लॉक-दुधही को छोड़कर अहिरौली-दान, पिपराघाट तटबन्ध पर कौन-सी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि मा0 सदस्य कटान का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाढ़ में कटान हर वर्ष एवं हर जगह होती है और कटान, बन्धों का कटान नहीं हो रहा है। जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि घर खाली करके

जा रहे हैं वह डूब क्षेत्र में रहते हैं। जिनकी सरकारें पहले रही हैं वह यह कहते थे कि सिंचाई विभाग का यही नियम है कि जिन व्यक्तियों के घर डूब क्षेत्र में बने हुए या डूब क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनके बचाव का कार्य विभाग नहीं करेगा या शासन नहीं करेगा, हम उनके बचाव का कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब वर्ष 2017 में मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर को संभाला तो उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति डूब क्षेत्र में रहता होगा, हम उसके भी बचाव का कार्य करेंगे। मान्यवर, पहले आपने बताया कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम परियोजनाएं ले आएंगे। हम कभी बांध के अन्दर कोई ऐसी परियोजना नहीं ला सकते क्योंकि बांध के अन्दर बांध को नहीं बनाया जा सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ये जरूर कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि डूब क्षेत्र में रहता है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और शासन की है, हम उसे बचाएंगे और हमने वह किया भी है। जहां तक आपने परियोजनाओं के बारे में बोला, मैं सभी परियोजनाओं को लेकर आई हूं। (नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री अजय कुमार 'लल्लू' के बीच में टोका-टाकी करने पर) आपने पिछले दो साल का पूछा है, मैं बता रही हूं। दिनांक 27.02.2018, जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान, पिपराघाट बांध के किमी0 2.800 से किमी0 3.090 के मध्य रिवेटमेन्ट के निर्माण कार्य की परियोजना, दिनांक 22.03.2018 जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान, पिपराघाट से किमी0 3.090 पर स्थित स्पर के क्षतिग्रस्त नोज एप्रन एवं शैंक के पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना, दिनांक 19.05.2017 जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान, पिपराघाट बांध के किमी0 1.000 से 1.480 के मध्य रिवेटमेण्ट के निर्माण कार्य की परियोजना, दिनांक 19.05.2017 जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान, पिपराघाट बांध के किमी0 8.620 से 9.060 के मध्य रिवेटमेंट निर्माण की परियोजना, दिनांक 13.02.2018 जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अमवाखास तटबंध के किमी0 0.500 पर शार्ट स्पर के निर्माण की परियोजना, दिनांक 05.03.2019 को जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अमवाखास तटबंध के किमी0 0.650 पर शार्ट स्पर के निर्माण कार्य की परियोजना। मा0 अधिष्ठाता महोदय, परियोजनाओं का विवरण तीन पन्नों में है, कहिए तो मैं पूरा पढ़ दूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, वे संतुष्ट हो गए हैं, बहुत परियोजनाएं हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, अहिरौलीदान को बचाने की कोई परियोजना का प्रावधान मा0 मुख्य मंत्री जी ने न पिछले वर्ष किया, न इस वर्ष किया। यह सरकार बंधों के प्रति संवदेनशील नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री अजय कुमार लल्लू के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अब हम अगला मद लेते हैं।

[02:17] उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मा0 महाना जी, आप इस पर अपने विचार रखिए, फिर मैं अपनी बात कहूंगा।

***औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-**

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में जो प्रस्ताव रखा है, मैं इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जो यू0पी0 का लोगो (संप्रतीक) है, वह निर्धारित है। हमारे विधेयक की जो प्रतियां दी गयीं हैं उसमें भी संलग्न है, इसमें दो मछली हैं और बीच में तीर कमान है। इसका दुरुपयोग न हो, इसके निमित्त यह विधेयक लाया गया है। मा0 मंत्रीगण, मा0 सदस्य, विधान सभा एवं विधान परिषद् आदि व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं और उसके लिए मानक निर्धारित हैं कि कौन-कौन इसका प्रयोग कर सकता है। परन्तु प्रायः देखा गया है कि इसका दुरुपयोग भी किया जाता है, जिन्हें इसका अधिकार नहीं है, जो इसके लिए अधिकृत नहीं हैं, वे भी विभिन्न स्थानों पर इस लोगो का अनुचित प्रयोग करते हैं। यह विधेयक इसीलिए लाया गया है ताकि उन्हें रोका जा सके। जिसको इसका अधिकार नहीं है, वह भी इसका प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी मंशा ठीक नहीं है तभी वह लगा रहा है वरना उसे लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको दो वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है और तत्समय आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश सरकार उसके बारे में निर्देश जारी कर सकती है। मान्यवर, यह जनहित में है और इसमें सभी माननीय सदस्यों का जो भाव है, किसी भी राज्य संप्रतीक का दुरुपयोग न हो, इस निमित्त यह लाया गया है। मेरे ख्याल से इसमें संशोधन का प्रस्ताव आना ही नहीं चाहिए था लेकिन माननीय सदस्य इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अधिष्ठाता जी, सरकार की यह मंशा अच्छी है और एक सेन्ट्रल एक्ट 2000 था, उसी सेन्ट्रल एक्ट के ही ऊपर यह एक्ट लाया गया है, उसी के लिए आप इसे लाए हैं। इसमें आपने 02 साल का जो प्राविधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसको 02 साल तक की सजा का प्राविधान है। अधिष्ठाता महोदय, मुझे लगता है कि 02 साल की सजा बहुत ज्यादा सजा है। अगर इसे 06 महीने कर दिया जाए और सरकार इस पर विचार कर ले तो उचित होगा।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

अधिकतम 02 साल है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, लेकिन कम से कम 06 महीने है। अगर इस छोटी सी गलती को किसी ने कर दिया तो उसे आप इतना कठोर दण्ड देने का प्राविधान कर रहे हैं। मैं मानता हूं, अगर सरकार इस पर विचार कर लेती तो बेहतर होता। दूसरा मेरा कहना है कि आप परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 लाये हैं। हम क्यों न परिशिष्ट-1 ही रखें, एक ही तरह का इनवलम हम रखें, क्यों दो तरह का इनवलम हम लेकर आ रहे हैं ? इसके पीछे भी कोई न कोई कारण होंगे, कोई न कोई मंशा होगी, कोई न कोई सरकार की सोच होगी। लेकिन सोच कहीं न कहीं इस एक्ट से परिलक्षित नहीं होती है। कहीं पर आपने यह नहीं दिखाया कि आप यह वाला इनवलम यहां यूज करेंगे, वह वाला इनवलम वहां यूज करेंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अमूमन आप लोग देखते हैं कि गाड़ियों के पीछे लोग 'उत्तर प्रदेश सरकार' लिखवा लेते हैं। क्या वह व्यक्ति इसके लिए अनुमन्य है, जबकि सेन्ट्रल एक्ट में इसका प्राविधान है लेकिन मैं देख रहा था, लेटर हेड, लेखन सामग्री पर तो आप लेकर आए हैं, लेकिन वाहनों के प्रयोग पर मुझे दिखलायी नहीं दिया। क्योंकि आप अकसर देखेंगे कि लोग वाहनों पर ऐसा लिखवा कर चलते हैं। वह उसके अधिकारी हैं या नहीं हैं ? इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं कि इस संशोधन को प्रवर समिति को दे दें, वह इसे देख ले, उसके बाद आप इसको पास करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 उज्जवल रमण सिंह जी, आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

नहीं, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिबन्ध) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-12 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ।

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2019 कहा जाएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिस दिनांक को राज्य सरकार, गजट में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(क) ''सक्षम अधिकारी'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कंपनी, फर्म, अन्य व्यक्ति निकाय या किसी व्यापार चिन्ह या डिजाइन को रजिस्ट्रीकृत करने या कोई पेटेंट प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से है;

(ख) ''संप्रतीक'' का तात्पर्य राज्य के शासकीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए अनुसूची में यथावर्णित और विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के संप्रतीक से है।

संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध

3-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति संप्रतीक या उसकी किसी मिलती-जुलती नकल का, किसी ऐसी रीति, से जिससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि वह यथास्थिति सरकार से संबंधित है या यह कि वह राज्य सरकार का कोई शासकीय दस्तावेज है, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना प्रयोग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत राज्य सरकार का कोई पूर्व कृत्यकारी भी सम्मिलित है।

संदोष अभिलाभ के लिये संप्रतीक के प्रयोग का प्रतिषेध

4-कोई व्यक्ति किसी व्यापार, कारोबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के नाम में या किसी व्यापारिक चिन्ह या डिजाइन में संप्रतीक का प्रयोग, ऐसे मामलों के सिवाय और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, नहीं करेगा।

कतिपय कंपनियों आदि के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध

5-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई सक्षम प्राधिकारी:-

(क) किसी ऐसे व्यापारिक चिन्ह या डिजाइन, जिस पर संप्रतीक हो, को रजिस्टर नहीं करेगा, या

(ख) किसी ऐसे आविष्कार, जिसका ऐसा नाम हो, जिसमें संप्रतीक आ जाता हो, के संबंध में कोई पेटेंट नहीं प्रदान करेगा।

(2) यदि किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि कोई संप्रतीक अनुसूची मे विनिर्दिष्ट संप्रतीक है या उसकी मिलती-जुलती नकल है, तो सक्षम प्राधिकारी उस प्रश्न को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

संप्रतीक के प्रयोगा को विनियमित करने की राज्य सरकार की साधारण शक्तियां

6-(1) राजय सरकार, ऐसी शासकीय मुद्रा में, जिसका राज्य सरकार तथा उसके संगठनों जिनमें विदेशी राजनयिक मिशन सम्मिलित हैं, के कार्यालयों में उपयोग को विनियमित करने के लिए ऐसे निर्बधन और शर्तों जैसा कि विहित किया जाय, के अधीन रहते हुए नियमों द्वारा ऐसा उपबन्ध कर सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को निम्नलिखित शक्तियां होंगी,-

(क) संवैधानिक प्राधिकारियों, मंत्रियों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्यों, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लेखन सामग्री पर संप्रतीक के प्रयोग, अर्धशासकीय लेखन सामग्री पर उसके मुद्रण या उत्कीर्णन की रीति को अधिसूचित करना;

(ख) संप्रतीक से मिलकर बनने वाले शासकीय मुद्रा की डिजाइन को विनिर्दिष्ट करना;

(ग) संवैधानिक प्राधिकारियों, विदेशी उच्च पदस्थों तथा राज्य सरकार के मंत्रियों के यानों पर संप्रतीक के संप्रदर्शन को निर्बधित करना;

(घ) राज्य के लोक भवनों राजनयिक मिशनों पर और राज्य सरकार द्वारा अधिमुक्त भवनों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपबंध करना;

(ङ) विभिन्न अन्य प्रयोजनों, जिनमें शैक्षिक प्रयोजनों हेतु और पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए प्रयोग सम्मिलित है, के लिए संप्रतीक के प्रयोग हेतु शर्तें विनिर्दिष्ट करनाय

(च) ऐसी सभी बातें (जिनमें संप्रतीक के डिजाइन का विनिर्देश और इसके प्रयोग की रीति चाहे जो हो, सम्मिलित है) करना जैसा कि राज्य सरकार, पूर्वगामी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

शास्ति

7-(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, ऐसी अवधि, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए या जुर्माने, जो, पांच हजार रुपये तक का हो सकता है, से या दोनों से दंडनीय होगा अथवा यदि इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराये जाते हुए भी ऐसे किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से ऐसी अवधि, जो छः मास से कम नहीं होगी, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए और जुर्माने, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो, सदोष अभिलाभ के लिए धारा 4 के उपबंध का उल्लंघन करेगा, ऐसे अपराध के लिए ऐसे कारावास से, ऐसी अवधि, जो छः मास से कम की नहीं होगी, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए और जुर्माने, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति

8-इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा।

व्यावृत्तियां

9-इस अधिनियम की किसी बात से किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों से, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हों, में छूट प्राप्त नहीं होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

10-इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उपबंध, किसी अन्य अधिनियमिति या ऐसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के असम्बद्ध होते हुए भी प्रभावी होगा।

नियम बनाने की शक्ति

11-(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमावली में निम्नलिखित सभी या किसी विषय का उपबंध हो सकता है, अर्थात्:-

(क) धारा-4 के अधीन संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने वाले मामले और शर्तें;

(ख) धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार के शासकीय मुद्रा के संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने और उससे संबंधित निर्बधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिये नियमावली बनाना;

(ग) धारा-6 की उपधारा (2) के अधीन लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग संप्रतीक वाली शासकीय मुद्रा का डिजाइन और अन्य विषय;

(घ) धारा-8 के अधीन अभियोजन संस्थित करने के लिए पूर्व अनुमोदन देने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकारी को प्राधिकृत करना;

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विहित किया जाए।

कठिनाइयां दूर करने की शास्ति

12-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक स्वरूप ऐसे अनुकूलनों जैसाकि वह आवश्यक एवं समीचीन समझे, के अध्याधीन प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची

[धारा-2(ख) देखिए]

उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक

वर्णन और डिजाइन

उत्तर प्रदेश का राजकीय संप्रतीक प्रयागराज स्थित गंगा और यमुना नदियों के संगम, अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मत्स्य मछली के युग्म और राज्य में स्थित अयोध्या में उत्पन्न हुए हिन्दू देवता राम का प्रतिनिधित्व करने हेतु धनुष एवं बाण का चित्रण करने वाले चक्राकार मुद्रा से निर्मित है।

उत्तर प्रदेश राज्य का संप्रतीक, परिशिष्ट एक या परिशिष्ट दो में दिये गये डिजाइन के अनुरूप होगा।

परिशिष्ट-एक

परिशिष्ट-दो

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-12 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, आज का यह जो एडिशनल एजेण्डा है, उसे कृपा करके ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

हां, ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019

श्री अधिष्ठाता-

मा0 उज्जवल रमण सिंह जी, प्रस्ताव रखें।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मान्यवर, में आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अननुमोदन करता है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

बेसिक शिक्षा बाल्य विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2019 इस संक्षिप्त नाम से जाना जाएगा। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगीकरण और कृषि विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुगम बनाने तथा भू धारकों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस संशोधन को लाने के लिए जो खास बातें हैं वह यह है कि बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए उन प्रोजेक्ट्स के अन्दर आ रही रिजर्व भूमि की पुनर्ग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक के कानून में इस हेतु वैकल्पिक भूमि उसी ग्राम पंचायत में ही देने का प्राविधान था। कई बार पूरी ग्राम पंचायत ही अधिग्रहीत हो जाती है अथवा संबंधित ग्राम पंचायत में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस समस्या के निवारण के लिए प्रस्तावित कानून में संबंधित ग्राम पंचायतों के साथ निकटवर्ती पंचायतों से भी वैकल्पिक भूमि लेने की व्यवस्था की गई है। धारा-80 मे जो संशोधन किया गया है, कृषि भूमि को गैर कृषि प्रायोजनों हेतु भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जब कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि भूमि में आरम्भ हो जाता है तभी यह उद्घोषणा की जा सकती थी। इस प्रावधान से उद्यमियों को बैंक में लोन लेने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि बैंक तब तक लोन नहीं देंगे जब तक गैर कृषि उद्घोषणा न हो जाए और गैर कृषि उद्घोषणा तब तक जारी नहीं होगी जब तक मौके पर उद्यम प्रारम्भ न हो जाए। समस्या निवारण हेतु प्रस्तावित कानून में प्रॉविजनल उद्घोषणा की व्यवस्था कर दी गई है, बस इसके लिए इतनी ही आवश्यकता होगी कि संबंधित भूमि में वह जो कमार्शियल उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी भूमि के चारों ओर बाउण्ड्री वॉल बनाना होगा। इसी के साथ धारा-89(3) में जो संशोधन किया गया है प्रदेश में अभी तक केवल साढ़े बारह एकड़ भूमि से ज्यादा रखने पर प्रतिबंध है। वर्तमान कानून में इसमें औद्योगिक और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार शिथिलता प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार में है, परन्तु अगर किसी व्यक्ति के द्वारा फर्म द्वारा निर्धारित भूमि से ज्यादा पूर्व अनुमति के बिना क्रय कर ली गई है तो उस केस के विनियमितीकरण का भी कोई प्रावधान नहीं था। इस समस्या से उबरने के लिए वर्तमान प्रस्तावित कानून में अगर जनहित में है और इस अपवाद का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब गैर कृषि उद्देश्य हेतु उक्त अनुमति दी जा सकती है। साथ ही विनियमितीकरण की व्यवस्था भी सर्किल रेट के पांच प्रतिशत देने पर प्रस्तावित है। चौथा है धारा-94-95 में जो संशोधन किया गया है कि वर्तमान कानून में संक्रमणीय भूमिधर अपनी भूमि को पट्टा कर सकता था, परन्तु इसका स्कोप बहुत कम होता था इस कारण असलियत में तो भूमि बटाई पर देने का कल्चर बहुतायत में था, परन्तु कागजों में इसका अंकन नहीं हो पाता था लोग अपने आप पट्टा देते थे, लेते थे और फिर विभिन्न प्रकार के विवाद खड़े होते थे। इससे किराए पर भूमि देने एवं लेने वाले दोनों ही आशंकित और परेशान होते थे। जो पट्टा देता था उसको लगता था कि कहीं पट्टेदार कब्जा न कर ले और अगर जिसने पट्टा लिया होता था किसी दैवीय आपदा से उसका नुकसान होता था फसल

का, तो उसको मुआवजा न मिलकर जिसकी भूमि होती थी उसे मिलता था, क्योंकि कागजों में उसका नाम अंकन होता था। इस कारण प्रस्तावित कानून में इस पट्टे की व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाकर इसे ओके किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी कृषि भूमि को किराए पर दे सकता है, लेकिन अगर एक वर्ष से ज्यादा का अनुबंध होगा तो उस अनुबंध को रजिस्टर्ड कराना भी अनिवार्य होगा। इसी के साथ इसमें धारा-108 व धारा-110 में जो संशोधन किया गया है। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है। धारा-108 व धारा-110 में संशोधन में से पैतृक भूमि में मृतक पुत्र के अविवाहित पुत्रियों का अधिकार भी मिल सकेगा। यानि जो पहले अविवाहित पुत्रियों का अधिकार था कि किसी की डेथ होती है तो उसके बेटा और बेटी सबको मिलता था, लेकिन अगर उसमें से एक पुत्र मृत हो जाता है तो उसकी भी जो बेटी होगी यानि भतीजी कहलाएगी इस सम्पत्ति में उसको भी अधिकार मिल सकेगा और इस बदलाव से हमारी बेटियों और बहनों को सबल बनाने में मदद मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जो संशोधन किया गया है इसको आप पास करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, संक्षिप्त में जनहित के संशोधन का समर्थन करिए। यह जनहित का संशोधन हैं।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मान्यवर, थोड़ा बोल लेने दीजिए। संशोधन आज ही दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अच्छा संक्षेप में बोल लीजिए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था और कभी-कभी सोचता हूं कि यह सरकार किसानों के साथ खड़ी है बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़ी है या व्यापारियों के साथ खड़ी है। खाली पूंजीपति ही इस देश में राज करेंगे या कहीं पर किसान का कोई हक बचेगा। उत्तर प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है। यहां पर ज्यादातर संख्या हमारे लघु एवं सीमान्त किसानों की है। अगर इसी तरह का आप जमीनों का अधिग्रहण, पुनर्ग्रहण या कोई और ग्रहण करते रहेंगे तो कुछ दिन में खाने-पीने के लिए जमीन बचने वाली नहीं है। ये बड़े-बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं, आज आप चले जाएं और देखें। आज आप ये संशोधन कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एक जनपद की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

बात करूंगा। जनपद प्रयागराज में आज एक कम्पनी ने सौर ऊर्जा के नाम पर जमीन ले ली, जमीन लेकर कम्पनी दीवालिया हो गई और जमीन आज भी पड़ी है। इसमें औने-पौने दाम पर जमीनों को लिखा लिया जाता है। लेकिन मैं अपने आपको इस संशोधन तक ही सीमित रखना चाहता हूं जो आप लेकर आए हैं। इसमें क्रमांक-94 पर सब क्लॉज-1 में शब्द **समिति या कृषि हेतु** लिखा है। आपने क्रमांक-94(1) में शब्द **समिति या कृषि हेतु** लिखा है, उसके स्थान पर **समिति को कृषि हेतु** रख दिया जाए तो बेहतर होगा। **समिति या कृषि हेतु** दोनों अलग-अलग चीजें हो गई। संज्ञा और क्रिया को एक साथ जोड़कर मत देखिए। संज्ञा एक अलग चीज होती है, यहां भूमिधर व्यक्ति, फर्म और समिति, ये सब संज्ञा है और कृषि हेतु कार्य करने वाला व्यक्ति या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला कार्य कहलाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें बेहतर तरीके से **समिति को कृषि हेतु** रखतीं तो बेहतर होता। इसी में खण्ड-2 के बाद **कृषि क्रिया-कलाप** के स्थान पर अगर आप कृषि कार्य के लिए रखतीं तो कम से कम इससे जिस किसान की जमीन आप ले रही हैं, वह कृषि उपयोग में ही रहेगी। आप उसको परिवर्तित करने का प्रयास कर रही हैं और कहीं न कहीं इन संशोधनों के माध्यम से बड़े-बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। ठीक है उद्योग लगना चाहिए, यह सब लोग कहते हैं लेकिन उद्योग किस कीमत पर लगने चाहिए। इससे कहीं ऐसा न हो कि कल सब्जी की कमी हो जाए, धान की कमी हो जाए, खाद्यान्न की कमी हो जाए तो लोग बाद में कहेंगे कि यह कैसा कानून उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने पास कर दिया। ऐसे ही इसकी धारा-95 के एक संशोधन के बारे में हम कहना चाहते हैं कि धारा-95 के खण्ड-1 में शब्द **किसी एकल फसल हेतु** को हटाकर **एक वर्ष की अवधि** रख दिया जाए। **किसी एकल फसल** हेतु का मतलब एक फसल को मानिए क्योंकि कोई-कोई फसलें जैसे अरहर, गन्ना आदि आठ से दस महीने में तैयार होती हैं। यदि आप इसमें एक वर्ष की अवधि का रखतीं तो आपका संशोधन बेहतर होता। मैं मानता हूं कि अगर सरकार ने किसानों के प्रति थोड़ा और ध्यान दिया होता तो अच्छा रहता। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस पर हमारी तैयारी थोड़ा जयादा है तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल लूं। हमारे सुझाव अच्छे हैं, अगर सरकार मान ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जानता हूं और हमेशा निवेदन करता हूं कि संशोधनों को थोड़ा पहले रख लिया करें। आप इन्हें पहले रखते नहीं हैं और आखिरी में सबको जाने की जल्दी होती है। ऐसे ही मैं कहूंगा कि इसके खण्ड-घ में अगर नियमानुसार संशोधन कर लिया जाए तो यह बेहतर होगा। किसी उप जिलाधिकारी द्वारा पारित किसी अन्तरिम आदेश से भिन्न, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील मण्डलायुक्त के समक्ष दायर की जाएगी। मण्डलायुक्त द्वारा पारित किसी अन्तरिम आदेश से भिन्न, किसी आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त, राजस्व परिषद् के समक्ष दायर की जाएगी। आयुक्त, राजस्व परिषद् का विनिश्चय धारा-210 के उपबन्धों के अधीन अन्तिम होगा। राजस्व मामलों का मामला राजस्व परिषद् का अन्तिम निर्णय होता है। लेकिन इसमें कृषि कार्य के पट्टे छोड़ और सभी बड़े प्रकार के पट्टे सम्मिलित रहेंगे जो कई-कई हेक्टेयर में हो सकते है। मैं

कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको दिखवा लें तो आपका संशोधन बेहतर हो सकेगा। धारा-108 में हम जो संशोधन प्रस्तावित करने जा रहे हैं, उसमें शब्द **सरकारी** हटा दिया जाए और इस शब्द की जगह **क्रमशः** रख दिया जाए। अगर आप शब्द **सरकारी** हटाकर **नातेदार** के आगे शब्द **क्रमशः** रखेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि सरकारी पट्टेदार का कहीं जिक्र नहीं है केवल व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फर्म, न्यास समिति का उल्लेख है। उत्तराधिकारी का क्रम निश्चित होना आवश्यक है नहीं तो यह विवादों को जन्म बाद के समय में देगा। आज तो इसे पास कर देंगे लेकिन बाद में यह विवादों को जन्म देगा। इसी की उपधारा-क के शब्द विधवा के आगे पुत्र और फिर अविवाहित पुत्री शब्द रख दिया जाये तो उसका भी अधिकार हम सुनिश्चित कर सकेंगे नहीं तो बाद में यह समस्या पैदा होगी जब यह न्यायालयों में जायेगा। मैं कहूंगा कि यदि उत्तराधिकारी क्रम निहित कर दें तो विवाद उत्पन्न नहीं होगा और पट्टेदारों को इसका लाभ मिल सकेगा। मैं कहना चाहूंगा कि यदि इसमें एक उपखण्ड यदि आप और बढ़ा दें कि फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म, लिमिटेड, लाइबिलिटी, न्यास कमेटी के स्थिति में तत्सम्बन्धी संस्था के नियमों, विनियमों में निहित प्राधिकारी पदाधिकारी/उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि ऐसी संस्थायें व्यक्ति विशेष की नहीं होती और कई पदाधिकारी एवं सदस्यों के ग्रुप में संचालित होती हैं। स्पष्ट न होने तक तमाम विवाद होगा। इसमें आगे 110 में मैंने कहा है कि सरकारी शब्द हटा दिया जाये तथा खण्ड-क में पति रख दिया जाए और इसमें परन्तुक जोड़ दिया जाए क्योंकि परन्तुक संबंधी सम्बन्ध विच्छेद, दहेज प्रथा, सम्बन्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में पति का उत्तराधिकार मान्य नहीं होगा क्योंकि पत्नी के बाद उसका प्रथम उत्तराधिकारी उसका पति होता है उसके बाद पुत्र और पौत्रादिक उत्तराधिकारी होता है। धन के लालच में या सम्बन्धों में कड़वाहट के कारण उस तरह की सम्पत्ति हड़पने के लिए हत्या न हो जाए इसलिए इस परन्तुक की अत्यन्त आवश्यकता है। जो सुझाव मैं दे रहा हूं टेक्निकल सुझाव हैं, लेकिन अच्छे सुझाव हैं अगर इन सुझावों को सरकार मान लेती तो मैं समझता हूं कि यह बेहतर रूप में आता धारा-1 गद्य खण्ड-क जिसे खण्ड-ख पर रखना प्रस्तावित किया है, शब्द 'पुत्र का पुत्र' और 'अविवाहित पुत्री' के मध्य ''और'' शब्द जोड़ दिया जाए। ''और'' शब्द जोड़ना बेहतर होगा क्योंकि अविवाहित पुत्री शब्द दो बार आया है इसमें पुत्र की अविवाहित पुत्री का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें बहुत सारी खामियां हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी इसमें देख रहा था एक चीज केवल बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इन्होंने 94(1) में जो लिखा है कि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किसी अन्य विधि मान्य इकाई को अपनी जो, इसका मतलब है कि कोई भी इकाई लगा सकता है आप दिखा तो यह रहे हैं कि सौर ऊर्जा की इकाई के लिए दे सकते हैं या किसी भी इकाई को दे सकते हैं। यदि किसी भी इकाई को दे सकते हैं तो बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि कहीं न कहीं पूंजीपतियों के हाथों में चली जायेगी। मैं तो सरकार से चाहूंगा कि इसको वापस लेकर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2019 प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2019 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-20 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश का राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिकीकरण और कृषि विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुगम बनाने तथा भू-धारकों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ।

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 10 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 24 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 में, उपधारा (4) में, शब्द ''आयुक्त का आदेश अंतिम होगा,'' के स्थान पर शब्द ''आयुक्त का आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा,'' रख दिये जायेंगे।

धारा 38 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (4) में शब्द ''आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा'' के स्थान पर शब्द ''आयुक्त का निर्णय, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन अंतिम होगा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (3) में शब्द ''इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा'' के स्थान पर शब्द ''इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 69 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 69 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

''(ग) सामान्य उपयोगिता की भूमि के संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर उपगत व्ययों का भुगतान, और;''

धारा 72 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (1) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

''(ग) मण्डलीय मुख्यालय के लिए एक या उससे अधिक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ''जो परिषद् के सर्किट न्यायालयों (जहां कहीं मण्डल स्तर पर सर्किट न्यायालय विद्यमान हों) से सम्बन्धित कार्य का देखभाल भी करेंगे और''

धारा 77 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 77 में, उपधारा (2) में शब्द '' उसी ग्राम पंचायत'' के स्थान पर शब्द ''उसी अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत'' रख दिये जायेंगे।

धारा 80 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 80 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

''80 (1) जहां संक्रमणीय अधिकरों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है, वहां उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर यथा विहित जांच करने के पश्चात् या तो कोई घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या वह आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। उपजिलाधिकारी आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा। यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उपजिलाधिकारी ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों को उल्लिखित करेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देगा;

(2) जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का भविष्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता है वहां ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर उपजिलाधिकारी, यथाविहित रूप में जांच करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवस के भीतर या तो यह घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा सकता है या वह आवेदन अस्वीकृत कर सकता है। यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उपजिलाधिकारी को ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों का उल्लेख करना होगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देनी होगीः

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन घोषणा के लिए जोत या उसके आंशिक भाग के चारों ओर चहारदिवारी अवश्य होनी चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना प्रस्तावित होः

परन्तु यह और कि यदि भूमिधर, इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगीः

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि, भूमिधर, ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) अपनी जोत या उसके आंशिक भाग के लिए उपधारा (2) के अधीन घोषणा धारण करने वाला कोई भूमिधर, उपधारा (2) के अधीन घोषणा पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रिया-कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रिया-कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात् उपधारा (2) की घोषणा को उपधारा (1) की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। ऐसा कोई आवेदन प्राप्त किये जाने पर, उपजिलाधिकारी यथा आवश्यक जांच करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदन स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा। अस्वीकृति की स्थिति में उसे ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना होगाः

परन्तु यह कि उपधारा (2) के अधीन घोषणा का, उपधारा (1) के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन के लिए भूमिधर पूर्व में उपधारा (2) के अधीन घोषण के लिए अपने द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् प्रचलित सर्किल दर पर आगणित संदेय शुल्क की मात्र अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा के लिए भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह-भूमिधर द्वारा किया गया कोई आवेदन तब तक पोषणीय नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के समस्त सह-भूमिकरों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है। यदि कोई एक सह-भूमिधर, संयुक्त हित की भूमि में से अपने अंश की घोषणा कराना चाहता है तो ऐसा आवेदन, भूमि में सह-भूमिधरों के अपने-अपने अंशों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार किये जाने के पश्चात् ही ग्रहण किया जायेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए आवेदन में ऐसे विवरण अन्तर्विष्ट होंगे और उक्त आवेदन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(6) जहां उपधारा (1) या (2) के अधीन आवेदन जोत के किसी आंशिक भाग के संबंध में किया जाता है, वहां उप जिलाधिकारी विहित रीति से ऐसे आंशिक भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजनों के लिए कर सकता है।

(7) इस धारा के अधीन कोई घोषणा, उप जिलाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो।

(8) यदि भूमि या उसका आंशिक भाग, जिसके लिए इस धारा के अधीन घोषणा की अपेक्षा की जा रही हो, किसी नगरीय या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा आज्ञापक होगी।

(9) राज्य सरकार इस धारा के अधीन घोषणा के लिए शुल्क-मान नियत कर सकती है और भिन्न-भिन्न शुल्क भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए नियत किये जा सकते हैं:

परन्तु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग

अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए करता है तो इस धारा के अधीन घोषणा के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।''

धारा 81 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 81 में, शब्द और अंक ''धारा 80'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा-80 की उपधारा (1)'' रख दिये जायेंगे।

धारा 89 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 89 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेगी, अर्थात्:-

''(3) राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किया गया या किये जाने हेतु प्रस्तावित किसी अर्जन अथवा क्रय को अनुमोदित कर सकता है, यदि ऐसा अर्जन अथवा क्रय, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था के पक्ष में हो, और यदि उसकी राय हो कि ऐसा अर्जन अथवा क्रय लोक हित में होगा तथा उससे आर्थिक गतिविधियां (कृषि से इतर) उत्पन्न किया जाना तथा रोजगार उपबन्धित किया जाना सम्भावित हो। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्ध ऐसे अर्जन पर लागू नहीं होंगेः

परन्तु यह कि जहां भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी शैक्षिक या किसी पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गई हो वहां राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत का पांच प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती अथवा सकता है;

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा उपधारा (2) के अधीन विहित सीमाओं से अधिक भूमि अर्जन अथवा क्रय के लिए उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा निम्नलिखित द्वारा विहित शर्तों पर एवं विहित रीति से प्रदान की जायेगी :-

(एक) 20.2344 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु सम्बन्धित कलेक्टर;

(दो) 20.2344 हेक्टेयर से अधिक और 40.4688 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त;

(तीन) 40.4688 हेक्टेयर से अधिक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु राज्य सरकारः

परन्तु यह कि यदि आवेदक, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने के विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगेः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, उपधारा (3) के अधीन प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को, तद्निमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अधिकतम अग्रतर तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है।''

धारा 94 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 94 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा

''94(1) कोई भूमिधर किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति या कृषि हेतु या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किसी अन्य विधिमान्य इकाई को अपनी जोत या उसके किसी आंशिक भाग को पट्टे पर दे सकता है। ऐसे पट्टे को किसी भूमिधर के निजी पट्टा के रूप में जाना जायेगा।

(2) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा-का तात्पर्य पट्टाकर्ता, जो कोई भूमिधर हो सकता है, व पट्टेदार, जो कृषि क्रिया-कलाप का दायित्व ग्रहण करना या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहता हो, के मध्य पारस्परिक रूप से करारकृत निबन्धन और शर्तों पर करार आधारित संविदा से है जिसके द्वारा पट्टा करार के अनुसार पट्टेदार को संदेय नकद या वस्तु या उत्पाद अंश के रूप में किसी प्रतिफल के सापेक्ष कृषि प्रयोजनों हेतु या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु भूमि या जोत या उसके किसी आंशिक भाग के उपयोग के लिए पट्टाकर्ता पट्टेदार को अनुज्ञा प्रदान करता है।

(3) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की अवधि- किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे की अधिकतम अवधि एक बार में पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह कि, प्रथम पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात्, पट्टा अवधि की समय सीमा में पट्टाकर्ता व पट्टेदार की पारस्परिक सहमति से अग्रतर वृद्धि की जा सकती हैः

परन्तु यह और कि, कोई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के प्रयोजनार्थ, अधिकतम अवधि तीस वर्ष तक हो सकती है।

(4) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की शर्तें- किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की निबन्धन व शर्तें, पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक करारकृत होंगी। पट्टे की सामान्य शर्तें यथा विहित रीति से होंगी।''

धारा 95 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 95 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

पट्टा किस प्रकार किया जायेगा, उसका पर्यवसान तथा तत्सम्बन्ध में उठने वाला कोई विवाद

''95 किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा मौखिक या लिखित या रजिस्ट्रीकृत हो सकता है-

(1) किसी एकल फसल हेतु अथवा एक वर्ष तक की अवधि हेतु भूमिधर द्वारा निजी पट्टा मौखिक या लिखित में हो सकता है। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा करार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जायेगा;

(2) अधिकार अभिलेख की अभ्युक्तियों वाले स्तम्भ में किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा को अभिलिखित किया जाना लिखित या रजिस्ट्रीकृत निजी पट्टा करार की स्थिति में, करार या विलेख की कोई प्रति, सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी, जो किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का विवरण [पट्टाकर्ता व पट्टेदार का नाम और अन्य विवरण; करार का दिनांक; पट्टा अवधि; प्रस्तावित भू-उपयोग और वार्षिक पट्टा किराया] अधिकार अभिलेख (खतौनी) की अभ्युक्तियों वाले स्तम्भ में अभिलिखित करने हेतु आदेश पारित करेगा;

(3) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा से किसी प्रकार का अभिधारण अधिकार सृजित नहीं होगा- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या किसी राजस्व अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या किसी नोटरी द्वारा नोटरीकृत या मौखिक, किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार से, पट्टाकृत भूमि पर पट्टेदार के पक्ष में संरक्षित अभिधारण या अधिभोग अधिकार या इस अधिनियम या नियमावली में अन्तर्विष्ट अधिकारों से भिन्न बेदखली या पट्टा पर्यवसान के विरुद्ध कोई अन्य अधिकार सहित

कोई अधिकार या हित सृजित नहीं होंगे। पट्टेदार द्वारा निजी पट्टा करार का उपयोग, किसी विधि न्यायालय में पट्टाकृत भूमि पर कोई स्थायी अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं किया जायेगा;

(4) भूमि का पुनः प्राप्त किया जाना- किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि की समाप्ति या किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा के पर्यवसान के पश्चात् किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा- लिखत शून्य हो जायेगा तथा यदि किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो पट्टाकृत भूमि स्वतः पट्टकर्ता को प्रत्यावर्तित हो जायेगी और पट्टेदार समस्त विल्लंगमों से मुक्त भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा पट्टाकर्ता को सौंप देगा तथा वह इस प्रकार निजी पट्टा पर दी गयी भूमि का कोई अधिकार, हक या हित रखने से प्रविरत हो जायेगा;

स्पष्टीकरण- धारा 94 के अधीन किये गये निजी पट्टे से उत्पन्न होने वाले किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी विवाद पर ध्यान दिये बिना, पट्टाकर्ता को निजी पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टाकृत भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा प्राप्त करने का हक होगा तथा पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं होगा;

(5) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा का प्रभाव- किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे के सम्बन्ध में संहिता में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा;

(6) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे का पर्यवसान-

(क) जब तक पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक सहमति से बढ़ाया न जाए, करार में उल्लिखित निजी पट्टा, पट्टा अवधि के समाप्त होने पर निजी पट्टा, पट्टा करार का पर्यवसान हो जायेगा;

(ख) पट्टेदार द्वारा नियत दिनांक तक प्रतिफल धनराशि अथवा वार्षिक निजी पट्टा, पट्टा किराया का भुगतान न किये जाने की स्थिति में पट्टा अथवा यदि उसके द्वारा किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे की किसी निबन्धन एवं शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को

लिखित नोटिस दिये जाने के पश्चात्, पट्टा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का पर्यवसान किया जा सकता है;

(ग) यदि पट्टाकर्ता द्वारा समय से पूर्व किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का पर्यवसान किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है, तो पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर पट्टेदार द्वारा सृजित या स्थापित संरचनाओं, मशीनरी आदि को हटाने का हक होगा। पट्टेदार को पट्टाकर्ता से निजी पट्टा करार में यथा करारकृत और निर्धारित क्षतियां और प्रतिकर वसूल करने का भी हक होगा;

(घ) यदि पट्टेदार समय से पूर्व निजी पट्टा करार का पर्यवसान करना चाहता है या किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि के दौरान भूमि अभ्यर्पित कर देता है तो उसे कम से कम छः माह की नोटिस पट्टाकर्ता को देनी होगी तथा वह पट्टाकर्ता को किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार में यथा करारकृत तथा निर्धारित अन्य प्रतिकर के अतिरिक्त वर्ष के शेष भाग के वार्षिक किराये का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा या जैसा कि विहित किया जाय।

(ङ) यदि किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि की समाप्ति या निजी पट्टा करार के पर्यवसान के पश्चात् पट्टेदार, पट्टाकर्ता को पट्टाकृत भूमि का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने में विफल रहता है तो पट्टेदार अप्राधिकृत अध्यासी के रूप में समझा जाएगा तथा वह पट्टाकृत भूमि से बेदखल किये जाने योग्य होगा। पट्टेदार पट्टाकर्ता को अप्राधिकृत अध्यासन अवधि के लिए ऐसे शास्तिक किराया या क्षतियों का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा, जैसा कि ऐसी बेदखली की लागत के अतिरिक्त किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार में उपबन्धित किया गया हो;

(च) पट्टाकर्ता व पट्टेदार, पारस्परिक करारकृत निबन्धनों पर किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा किसी भी समय में पर्यवसानकृत कर सकते हैं;

(7) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे से उत्पन्न होने वाले विवाद-

(क) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार या उसके किन्हीं निबन्धनों और शर्तों से उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में, पट्टाकर्ता व पट्टेदार स्वयं के मध्य या यदि पारस्परिक करार होता है तो किसी तृतीय पक्ष के मध्यस्थ या ग्राम पंचायत या ग्राम राजस्व समिति द्वारा मध्यस्थता का प्रयोग करते हुए विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान व निस्तारण करने के सभी प्रयास करेंगे।

(ख) यदि खण्ड (क) में उल्लिखित तौर-तरीके के माध्यम से विवाद का निस्तारण नहीं हो पाता है तो, दोनों में से कोई पक्षकार उप जिलाधिकारी के समक्ष याचिका दायर कर सकेगा;

(ग) उप जिलाधिकारी वाद संस्थित किये जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए विवाद का न्यायनिर्णयन करेगा।

(घ) किसी उप जिलाधिकारी द्वारा पारित किसी अन्तरिम आदेश से भिन्न किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आयुक्त के समक्ष दायर की जायेगी। आयुक्त का विनिश्चय धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन, अंतिम होगा।''

धारा 96 और 97 का निकाला जाना

13-मूल अधिनियम की धारा 96 और 97 निकाल दी जायेगी

धारा 103 का निकाला जाना

14-मूल अधिनियम की धारा 103 निकाल दी जायेगी।

धारा 104 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 104 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(104) इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा किसी जोत अथवा उसके आंशिक भाग का प्रत्येक पट्टा अथवा हित संक्रमण शून्य होगा।''

धारा 105 का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा 105 में उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ङ) इस धारा के उपबन्ध, धारा 94 के अधीन किये गये किसी पट्टे पर लागू नहीं होंगे।''

धारा 108 का संशोधन

17-मूल अधिनियम की धारा 108 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित नातेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्-

(क) विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र-पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसारः

परन्तु यह कि किसी पूर्व मृत पुत्र के पुत्र और अविवाहित पुत्री और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यागत होता;

(ख) माता और पिता;

(ग) विवाहित पुत्री;

(घ) भाई और अविवाहित बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री होंः

और पूर्व मृत भाई का पुत्र और अविवाहित पुत्री, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;

(ङ) पुत्र की पुत्री;

(च) पिता की माता और पिता के पिता;

(छ) पुत्री का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ज) विवाहित बहिन;

(झ) सौतेली बहिन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ञ) बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ट) सौतेली बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री, जहां बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ठ) भाई के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ड) पिता के पिता का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ढ) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ण) माता की माता का पुत्र और अविवाहित पुत्री।''

धारा 110 का संशोधन

18-मूल अधिनियम की धारा 110 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

''110-जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी स्त्री भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहां किसी जोत या उसके आंशिक भाग में उसका हित, धारा 107 से 109 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जाएगा :-

(क) पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री, पुत्र के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में :

परन्तु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा :

परन्तु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा, जिसने विवाह कर लिया है, अपवर्जित हो जायेगी;

(ख) पति;

(ग) विवाहित पुत्री;

(घ) पुत्री का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ङ) पिता;

(च) विधवा माता;

(छ) भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो, और भाई का पुत्र और अविवाहित पुत्री प्रतिशाखा अनुसार;

(ज) अविवाहित बहिन;

(झ) विवाहित बहिन;

(ञ) बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री।''

धारा 210 का संशोधन

19-मूल अधिनियम की धारा 210 में, उपधारा (1) में शब्द ''कोई अपील नहीं हुयी'' के स्थान पर शब्द ''कोई अपील नहीं हो सकती है'' रख दिये जायेंगे।

तृतीय अनुसूची का संशोधन

20-मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, धारा-131 की उपधारा (4) और धारा-133 के सापेक्ष प्रविष्टियों में शब्द ''तहसीलदार'' के स्थान पर शब्द ''उप जिलाधिकारी'' रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2019

निरसन और व्यावृत्ति

21(1)-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2)-ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-20 तक खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मान्यवर, इसमें हम एक प्रस्ताव रख दें और एक पर बोल दें, तब आप जवाब दे दें।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार की जल्दबाजी समझ में आती है कि हर चीज में सरकार बहुत जल्दी में है और बहुत ज्यादा काम करना चाहती है। हर मर्ज की इनके पास एक ही दवा है, अब उस दवा का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, सब लोग यह जानते होंगे कि उसकी दवा क्या है। प्रत्येक जगह वह एक ही तरह के व्यक्तियों को बैठाना चाहते हैं। आज दुनिया कहां है ? व्यक्ति विशेष जो उस क्षेत्र का जानकार हो उसको अगर आप अध्यक्ष बनाते, अगर उसको आप एम0डी0 बनाते तो हम उसका स्वागत करते। उस क्षेत्र का व्यक्ति विशेष जानकार नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति बैठेगा जो सब चीज का जानकार है और जिसके पास सबकी दवा है। तो अन्त में उसका जो हाल है जो बाकी हमारे कारपोरेशन्स का हुआ उसकी एक लम्बी सी नजीर है। आप कह दें तो मैं नाम पढ़ दूं, एक्सपोर्ट कारपोरेशन से लेकर, पिकप से लेकर, सबका लेकर वही हाल इस कारपोरेशन का भी सरकार कराने की तैयारी करने जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि एक अच्छे व्यक्ति को आप ले आइए जिसे आप योग्य समझते हों और जिसको जल निगम के बारे में जानकारी हो। जिस व्यक्ति को जानकारी ही नहीं होगी, 'जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन' वही आदमी को बैठा दीजिएगा और उस आदमी से कहिएगा 'बड़ा ही होशियार आदमी है, यह आदमी सब जानता है, यह सारी समस्या दूर कर देगा, जल निगम में कोई समस्या नहीं है।' इसलिए मैं इसको चाहूंगा कि यह प्रवर समिति में चला जाये और इस पर विचार हो जाये तथा कोई एक इसका विशेषज्ञ बैठता तो बेहतर रहता, यह मेरा राज्य सरकार को सुझाव है और सरकार से चाहता हूं कि वह मेरे सुझाव को मान ले।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह लोग पढ़ने के लिए तो टाइम मांगते हैं और पांच लाइनें नहीं पढ़ सकते हैं। यह देख लें कि यह संशोधन कितनी लाइनों का है। एक में यह चार दो का एक संशोधन है जो उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, में धारा-4 (2) में एक क व्यवस्था पहले से है हमने एक क (क) जोड़ दिया उसको नहीं पढ़ा। यदि पढ़ लेते तो पूरे हाउस का वक्त नहीं खराब करते। इसमें जो क में संशोधन किया है, यह पहले व्यवस्था थी कि प्रबन्ध निदेशक जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी, जो प्रशासकीय अनुभव रखने वाला तथा जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अभियंता होगा। अब व्यवस्था जो हमने की है, देखिए ग, क राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 संयुक्त प्रबन्ध निदेशक अथवा पेयजल तथा सीवर व्यवस्था संबंधी कार्य का अनुभव सहित मुख्य अभियंता स्तर के तीन अभियंता जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।

(किसी माननीय सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

सुनिए, वह तो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है लेकिन जो ज्वाइंट एम0डी0 बनाए गए उनको विशेष रूप से आई0ए0एस0 अधिकारी होने के बाद भी जिनके पास सीवर, जो आप बात कह रहे थे, यह चार ही लाइन का संशोधन है और पढ़ने के लिए दो-दो दिन आप मांग रहे हैं, कम से कम चार लाइन का संशोधन तो यह पढ़ लेते। मान्यवर, यह तीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, प्रशासनिक सेवा के होते हुए जिनके पास इस प्रकार का अनुभव हो उन्हीं को ज्वाइंट एम0डी0 बनाया जायेगा।

***श्री लाल जी वर्मा-**

एम0डी0 किसको बना रहे हैं ?

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

एम0डी0 तो आई0ए0एस0 अधिकारी को, उसमें आई0ए0एस0 या फिर चीफ इंजीनियर दोनों हो सकते हैं। दोनों को अलग-अलग देखिये, हमारे पास 03 सेक्शन हैं। पहले पूरी बात सुन लीजिये फिर जवाब दीजिये। एक ग्रामीण क्षेत्र, एक नगरीय क्षेत्र और एक नदी प्रदूषण। तीनों के लिए हम उस व्यवस्था को जानने वाला, उसका अनुभव रखने वाला व्यक्ति बना रहे हैं। शासन और प्रशासन कॉमन सेन्स से चलता है। पॉजीटिव अप्रोच और कॉमन सेन्स से चलता है। शासन-प्रशासन के लिए जितना अनुभव जिसके लिए जरूरत हो, उसके लिए रख दिया गया है, आपके बिना कहे रख दिया। मान्यवर, यह छोटा सा संशोधन है, ये व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने, काम में तेजी लाने और इसके काम को आगे बढ़ाने के लिए यह लाया गया है। मान्यवर, मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा और माननीय उज्जवल जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपना संशोधन वापस ले लें और उसको पास करायें।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मैं अपनी बात पर बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 4 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(क) ''एक प्रबन्ध निदेशक, जो प्रशासकीय अनुभव और जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का भी अनुभव रखने वाला अर्ह अभियन्ता हो अथवा राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी का भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी,

(कक) राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक अथवा पेयजल और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का अनुभव सहित, मुख्य अभियन्ता स्तर के, तीन अभियन्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।''

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019

*** सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

माननीय अधिष्ठाता जी, जमीन के अन्दर का पानी कम हो रहा है। बरसात के पानी का संरक्षण नहीं हो रहा है। हर जिले में नदियां विलुप्त हो रही हैं। वर्ष 2000 में अति दोहित (क्रिटिकल) विकास खण्ड मात्र 20 थे और अब संख्या 9 गुना बढ़कर 172 पहुंच गयी। इसलिए इससे निकलने वाले जल की आवश्यकता पड़ी कि इसको संचित किया जाय और इस बिल का उद्देश्य भू-जल संसाधनों की सुरक्षा करना, संरक्षण करना, प्रबन्धन करना और नियमन करना है। संकटग्रस्त, समस्याग्रस्त, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करना, राज्य भू-जल, प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में व्यवसायिक, औद्योगिक इफ्रास्ट्रक्चर एवं थोक उपभोक्ताओं के लिए भू-जल निकास की सीमा सुनिश्चित करना, एक्यूफेयर में कूपों के माध्यम से प्रदूषणकारी पदार्थ निस्तारण करने पर प्रतिबंध रखना, भू-जल गुणवत्ता के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन एवं संरक्षण करना है। भूमि पर कचरा इक्ट्ठा करने के ऐसे किसी कृत्य की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसके कारण दूषित पदार्थों के रिसकर भू-गर्भ जल में मिलने की सम्भावना हो। खुली जमीन, भू-तल, सड़क कच्ची-पक्की, खेतों के भू-जल में रिचार्ज कूपों के बोरवेल आदि के माध्यम से एक्यूफर में सीधे रिचार्ज पर प्रतिबंध रहेगा। भवनों के लिए रूफ टॉप, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की शर्तों को लागू करना, इस प्रकार की शर्त भवन की योजनाओं को मंजूरी या अनुमोदन संबंधित सरकारी एजेंसियों पर बाध्यकारी होगी। माननीय अधिष्ठाता जी, ग्रामीण अधिसूचित क्षेत्रों के कृषकों को भू-जल सम्पदा की सुरक्षा, संरक्षण एवं विनियमन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत भू-जल उप समिति, ब्लाक पंचायत, भू-जल प्रबन्ध समिति के द्वारा स्वतः नियमन के लिए प्रेरित किया जायेगा और मान्यवर, इसके अधिसूचित क्षेत्रों में भी इसका प्रावधान किया गया है। गांव स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर इसकी समितियां बनाई गईं हैं और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी समिति गठित की गई है और यह सारी चीजें इसलिए की गई हैं कि पानी का संरक्षण हो। माननीय अधिष्ठाता जी, जमीन के अन्दर का पानी कम हो रहा है। 2020 में दिल्ली में ग्राउण्ड वॉटर खत्म हो जायेगा, 2020 में बंगलौर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

खत्म हो जायेगा और उत्तर प्रदेश के विन्ध्याचल क्षेत्र और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी इसका अभाव है। यह आवश्यक हुआ इसलिए योगी सरकार इस बिल को लायी है।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए, आप उद्देश्य से सहमत हैं ?

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मैं संशोधन प्रस्ताव रख रहा हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार की जो मंशा है, वह अच्छी है, जो अध्यादेश लाये हैं, वह भी एक अच्छी शुरूआत और प्रयास किया है, इसको मैं निश्चित रूप से मानता हूं। इतना कम समय आपने दिया और इतने कम समय में जो हम लोग पढ़ सके, प्रथम दृष्टया, इसमें वह कमी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आप हर चीज के लिए सजा ही क्यों देते हो ? हर आदमी को जेल में ही क्यों डाल कर आप उससे काम करवाना चाहते हैं ? यह मेरी समझ में नहीं आता। हर चीज के लिए आपने सजा का प्राविधान कर दिया तो जहां आपने सजा का प्राविधान कर दिया है। मैं उस बिन्दु पर चाहता हूं कि जल-दोहन के मामले में जहां पर भी व्यक्ति है, आप उससे जुर्माना ले सकते हैं, आप उससे और काम करवा सकते हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं। अगर आप सजा दे दोगे तो सजा से कुछ मिलने वाला नहीं है। सजा से जो प्रभाव पड़ेगा, अगर आप अभियान चलायेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और लोगों के माध्यम से अगर बढ़ायेंगे तो यह ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, उसमें इस बात की चर्चा हो जाये कि जो सजा का प्राविधान है, इसको खत्म कर दिया जाये। उसके बाद यह बिल पास किया जाये।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य को अवगत करा दें कि जो सजा का प्राविधान है, यह किसानों पर नहीं है, घरेलू उपयोग पर नहीं है। यह सजा का प्राविधान उन लोगों पर है जो पानी को ज्यादा निकालते हैं और तमाम तरीके से अपव्यय करते हैं, फैक्ट्रियों के मालिकान हैं। यह इसलिए किया है कि वह पानी का अपव्यय न करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, उन पर पेनॉल्टी कर दीजिए।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय वर्मा जी, यह इसलिए किया है कि इससे वह डरकर उसका दोहन न करें। कोई बहुत वैसी मंशा सरकार की नहीं है।

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अधिष्ठाता जी, निश्चित रूप से माननीय उज्जवल रमण सिंह जी ने जो बात कही है। सजा की जगह पर उन पर पेनॉल्टी इतनी ज्यादा कर दें कि उससे राज्य का भी कर बढ़ेगा और साथ ही साथ उनको जो आर्थिक दण्ड मिलेगा, उससे भी रुकावट पैदा होगी। हर बात के लिए जब सजा की बात की जायेगी तो निश्चित रूप से इससे तमाम तरह के भ्रष्टचार भी बढ़ते हैं। बल्कि पेनॉल्टी उन पर आप लगाने का काम करें तो वह ज्यादा उचित होगा। इसलिए जो उज्जवल रमण सिंह जी ने कहा है, मैं उस पर बल देते हुए यह चाहूंगा और हमार भी यह मानना है कि एक दिन में सारे बिल पास कराना कदाचित् उचित नहीं होगा। जैसे अभी उन्होंने राजस्व संहिता में तमाम कमियां उजाकर की हैं। इसमें भी हो सकता है कि तमाम कमियां हों। एक दिन में पूरा बिल आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम ऐसी प्रक्रिया डेवलप करें, इस विधान सभा के द्वारा कि जो भी अब बिल बने, पहले उसको प्रवर समिति को या विधान सभा की एक अस्थाई समिति बन जाये, मंत्री जो रहें, उनकी अध्यक्षता में बन जाय और उस पर विचार करके और उसके बाद वह आये तो निश्चित रूप से वह और ज्यादा प्रदेश के हित में होगा ऐसा मैं समझता हूं। मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी ने उसमें जो सजा का प्राविजन किया है उसकी जगह पर आर्थिक दण्ड कई गुना बढ़ा दें लेकिन सजा को निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 उज्जवल रमण सिंह जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-52 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

राज्य के विशेष रूप से संकट ग्रस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में दोनों परिणामात्मक एवं गुणात्मक भू-गर्भ जल का अविरत प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु भू-गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम

चूंकि भू-गर्भ जल के अनियंत्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप भू-गर्भ जल के स्तरों में आई गिरावट से भयप्रद स्थिति हो गयी है और राज्य के अनेक भागों के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के स्रोतों में कमी आ गयी है;

और चूंकि भू-गर्भ जल, घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों हेतु एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल स्रोत होने के कारण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, खाद्य तथा जीविका सुरक्षा का मेरुदण्ड है;

और चूंकि अतिशय भू-गर्भ जल निष्कर्षण और भू-गर्भ जल संदूषण के कारण गम्भीर भू-गर्भ जल संकट विद्यमान है;

और चूंकि भू-गर्भ जल का विकास राज्य की आवश्यकता है, इसलिए विशेष रूप से अतिदोहित तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में इसका प्रबन्धन, नियंत्रण और विनियमन किया जाना भी इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समय की मांग है;

और चूंकि संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू-गर्भ जल की समुचित वृद्धि/पुनर्भरण के प्रयोजनार्थ भू-गर्भ जल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए, और राज्य में उक्त संकटग्रस्त क्षेत्रों की भू-गर्भ जल की पूर्णकालिक गुणवत्ता को अनुरक्षित या पुनर्स्थापित करते हुए भू-गर्भ जल प्रदूषण निवारण के लिए उपबन्ध करना भी समीचीन है;

और चूंकि भू-गर्भ जल के साम्यपूर्ण तथा पर्यावरणीय रूप से ठोस भू-गर्भ जल विनियमन से वर्तमान समय की जलवायु परिवर्तन सहित कतिपय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्राप्त हो सकती है;

और चूंकि जल ऐकिक प्रकृति का होता है जिसके लिए भू-पृष्ठ जल तथा भू-गर्भ जल का एकीकृत रूप में होना अपेक्षित है, जो भूमि और वनस्पति से अभिन्न रूप में संयोजित होता है और उसका वर्षा जल (प्राकृतिक पुनर्भरण के माध्यम से) से जटिल रूप में जुड़ाव होता है।

और चूंकि भू-गर्भ जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में सामान्य रूप में एक सामूहिक संसाधन है और भारत के उच्चतम न्यायालय ने भू-गर्भ जल लोक न्यास सिद्धान्त को इस मान्यता के साथ लागू किया है कि भू-गर्भ जल निजी सम्पत्ति अधिकार अनुपयुक्त अधिकार है जिनके कारण भू-गर्भ जल की प्रास्थिति संकटमय, प्रतिकूल तथा परिवर्तनशील हो जाती है;

और चूंकि राज्य सरकार ने समस्त सम्बन्धित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि भू-गर्भ जल का किसी भी रूप में न्यायसंगत रूप में निष्कर्षण और उपयोग का प्रबन्धन तथा विनियमन करना और राज्य के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू-गर्भ जल का संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करना भी लोकहित में समीचीन तथा आवश्यक है और उसे नियोजन तथा प्रबन्धन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी;

और चूंकि भू-गर्भ जल संसाधनों की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अविरतता और भू-गर्भ जल उपयोग में साम्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक नया विधिक ढांचा (सन्नियमों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं और समकालीन तथा आसन्न चुनौतियों को इंगित करने वाली उपयुक्त संस्थाओं सहित) अपेक्षित है;

और चूंकि राज्य सरकार ने समस्त संबंधित पहलुओं पर सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि लोकहित में भू-गर्भ जल उपयोग का प्रथम अधिकार पीने के लिए, घरेलू तथा पशु उपयोग हेतु होगा।

एतद्द्वारा भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं;

(4) इस अधिनियम के अधीन किए गए शास्तिक उपबंध, भू-गर्भ जल के घरेलू और कृषि उपयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य नहीं होंगे।

परिभाषाएं

2-(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

(क) **'समुचित प्राधिकरण'** का तात्पर्य 'ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप-समिति', 'विकास खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति', 'नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति, और जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से है;

(ख) **'जलभृत'** का तात्पर्य खण्डित चट्टानों, रेत, बजरी तथा सद्समान तलछटी से समाविष्ट भौगोलिक संरचना, संरचना समूह या आंशिक संरचना समूह के भूमिगत सतह से है जो पर्याप्त सरंध्र, पारगम्य और जल से संतृप्त है और जो किसी कूप या जल स्रोत को पर्याप्त मात्रा में जल प्रेषित करता है/ प्रतिगृहीत करता है/ प्रदान करता है;

(ग) **'भूजल सेना'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला में भू-गर्भ जल जागरुकता कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु गठित व्यक्ति समूह से है;

(घ) **'खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति'** का तात्पर्य धारा-4 के अधीन गठित खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति से है;

(ङ) **'सामूहिक उपयोक्ता'** का तात्पर्य किसी अधिष्ठान यथा होटलों/लाजों/निजी आवासीय भवनों/आवासीय कालोनियों/रिजार्टों/ निजी चिकित्सालयों/परिचर्या गृहों/कारोबार प्रक्षेत्रों/मॉल्स/वाटर पार्कों सहित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह से है जो अपनी क्रियात्मक जल आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ भू-गर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करते हैं;

(च) **'केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड'** का तात्पर्य केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा पुनरुज्जीवन, भारत सरकार से है;

(छ) **'वाणिज्यिक उपयोक्ता'** का तात्पर्य ऐसी किसी संस्था या किसी अभिकरण या किसी अधिष्ठान जो उक्त प्रयोजनार्थ भू-गर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है, सहित ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो वित्तीय उपलब्धि या लाभ हेतु अपने कारोबार या व्यापार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है;

(ज) **'विकास प्राधिकरण'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में किसी जिला विकास प्राधिकरण से है;

(झ) **'जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद्'** का तात्पर्य, धारा 6 के अधीन गठित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से है;

(ञ) **'वेधन अभिकरण'** का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी संस्था से है, जो किसी प्रयोजन यथा घरेलू/पीने हेतु/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सामूहिक/अवसंरचनात्मक उपयोग के लिए भू-गर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करने हेतु कूपों/नलकूपों का वेधन करने के व्यवसाय के भाग के रूप में संलग्न है;

(ट) **'पर्यावरणीय प्रवाह'** लोगों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने वाले जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों के संघटकों, कृत्यों, प्रक्रियाओं तथा नम्यता को अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित जल प्रवाहों की गुणवत्ता, परिमाण तथा समय निर्धारण को निर्दिष्ट करते हैं;

(ठ) **'ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप-समिति'** का तात्पर्य धारा-3 के अधीन गठित ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप समिति से है;

(ड) **'भू-गर्भ जल विभाग'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के भू-गर्भ जल विभाग से है;

(ढ) **'भू-गर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र'** का तात्पर्य इस प्रकार के किसी क्षेत्र से है जहां भू-गर्भ जल गुणवत्ता, भू-जनित या मानव जनित कारणों के फलस्वरूप रासायनिक तत्वों, भौतिक-रासायनिक संघटकों, भारी धातुओं और जीवाण्विक संदूषण के उच्च स्तरीय/अतिशय संकेन्द्रण से प्रभावित है;

(ण) **'भू-गर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट'** खण्डों का अतिदोहित, संकटग्रस्त, अर्द्ध संकटग्रस्त और सुरक्षित श्रेणियों में श्रेणीकरण सहित भू-गर्भ जल संसाधन खण्डवार निर्धारण के लिए भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड द्वारा तैयार की गयी भू-गर्भ जल प्राक्कलन समिति की पद्धति तंत्र पर आधारित नवीनतम अनुमोदित रिपोर्ट को निर्दिष्ट करती है;

(त) **'भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना'** का तात्पर्य उपलब्ध जल भूगर्भीय सूचनाओं पर क्रमिक रूप से आधारित किसी योजना से है और उसमें ऐसे उपाय/मध्यक्षेप सम्मिलित हैं जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में तथा जल भू-गर्भीय रूप से संभाव्य है;

(थ) **'भू-गर्भ जल'** का तात्पर्य ऐसे जल से है, जो किसी संतृप्त परिक्षेत्र में भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है और जिसे कूपों या किन्हीं अन्य साधनों से निकाला जा सकता है अथवा धाराओं और नदियों में झरनों तथा मुख्य प्रवाहों के रूप में निकलता है;

(द) **'उद्योग'** का तात्पर्य किसी ऐसे कारोबार, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या नियोजकों की आजीविका से है, जो किसी अभिलाभ या लाभ हेतु चलाया जाता हो और उसके अन्तर्गत कोई आजीविका सम्बन्धी सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या श्रमिक का उप व्यवसाय या माल के उत्पादन के लिये किसी नियोजक और उसके श्रमिक (चाहे ऐसा श्रमिक उक्त नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किया गया हो या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं, द्वारा अथवा उसके माध्यम से) के मध्य सहयोग द्वारा चलाया जाने वाला क्रमबद्ध क्रिया-कलाप भी है;

(ध) **'अवसंरचनात्मक प्रयोक्ता'** का तात्पर्य ऐसी किसी फर्म या कम्पनी सहित व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो अवसंरचनात्मक विकास से सीधे संबंधित क्रिया-कलापों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ भू-गर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है;

(न) **'नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति'** का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति से है;

(प) **'अधिसूचित क्षेत्र'** का तात्पर्य धारा 9 के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है जिसमें अति-दोहित, संकटमय और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है;

(फ) **'पानी पंचायत'** का तात्पर्य तालाबों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए तालाब स्तर पर गठित किसी व्यक्ति-समूह से है;

(ब) **'प्रदूषण'** का तात्पर्य भू-गर्भ जल या भू-पृष्ठ जल या ऐसे संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन या किसी मल, प्लास्टिक, थर्मोकोल या व्यापारिक वहिःस्राव या गैसीय या ठोस पदार्थ युक्त किसी अन्य तरल पदार्थ का भू-गर्भ जल में (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में) निस्तारण से है, जिससे उपताप हो सकता है या उपताप उत्पन्न होना सम्भावित हो या ऐसे भू-गर्भ जल को लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा हेतु या घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिगत या

अन्य विधिसम्मत उपयोगों के लिए या पशुओं या पौधों या जलीय जीवों के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक या क्षतिकारक हो सकता है;

(भ) **'वर्षा जल संचयन'** का भू-गर्भ जल भण्डारण या उसके पुनर्भरण हेतु छत के ऊपर संचयन सहित सूक्ष्म जल विभाजक पैमाना पर वर्षा जल संग्रहण और भण्डारण तकनीक या प्रणाली से है;

(म) **'ग्रामीण क्षेत्रों'** का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो नगरीय क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं है;

(य) **'राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण'** का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण से है;

(क क) **'नगरीय क्षेत्रों'** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जो यथास्थिति किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी नियामक निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायं, जिनमें ऐसे क्षेत्र/भूमि सम्मिलित नहीं है, जो किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी विनियमित क्षेत्र की महायोजना में कृषि उपयोग हेतु वर्गीकृत किये गये हों;

(क ख) **'भू-गर्भ जल उपयोक्ता'** का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या संस्था से है, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये जाने वाले घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिए भू-गर्भ जल का स्वामित्व रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या विक्रय करता है/करते हैं और उसमें/उनमें कोई सरकारी या गैर सरकारी उद्योग, वाणिज्यिक उपयोक्ता, सामूहिक उपयोक्ता, कम्पनी का कोई प्रतिष्ठान सम्मिलित है, किन्तु उसमें/उनमें ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था सम्मिलित नहीं है, जो हस्तचालित या पशुचालित युक्तियों यथा हैण्डपम्प, रस्सी तथा बाल्टी और रहट आदि द्वारा कूप से निकाले गये भू-गर्भ जल का प्रयोग करता है/करते हैं;

(क ग) **'जल और स्वच्छता समिति'** का तात्पर्य जल और स्वच्छता योजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण, क्रियान्वयन और अनुरक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित किसी समिति से है;

(क घ) **'जल उपयोक्ता संगम'** का तात्पर्य सिंचाई जल प्रणाली का प्रबन्धन और अनुरक्षण करने के लिए नहर निकास स्तर पर गठित निर्वाचित लोगों के संगठन से है;

(क ङ) **'कूप'** का तात्पर्य भू-गर्भ जल के खोज या निष्कर्षण या पुनर्भरण के लिए निर्मित किसी संरचना से है और उसके अन्तर्गत खुला कूप, डगबेल, बोरवेल, डग कम बोरवेल, नलकूप, अन्तः स्पन्दन गैलरी पुनर्भरण कूप अथवा उनमें से किसी का संयोजन या रूपान्तरण भी है, जिसका उपयोग भू-गर्भ जल निष्कर्षण तथा भू-गर्भ जल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है;

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए सम्बन्धित विधियों में क्रमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

संस्थागत ढांचा

ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप-समिति

3-(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप-समिति का गठन किया जायेगा, जो इस अधिनियम के अधीन भू-गर्भ जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबन्धन करने हेतु किसी खण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नतम लोक इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप समिति का गठन करने के लिए जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को निदेश देगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष- ग्राम प्रधान;

(ख) सदस्य सचिव- ग्राम पंचायत सचिव;

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भू-जल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) खण्ड स्तर पर कार्यरत सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों के रूप में दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(3) सदस्यों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय ;

(4) ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप-समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे;

(क) समस्त स्रोतों से सूचना एकत्र करना;

(ख) धारा 13 में यथा उपबन्धित ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ग) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय;

खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति

4-(1) खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा जो खण्ड स्तर पर भू-गर्भ जल के समग्र प्रबन्धन हेतु एक सार्वजनिक इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति का गठन करने के लिए जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष- खण्ड प्रमुख;

(ख) सदस्य सचिव-खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0);

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भू-जल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) खण्ड स्तर पर कार्यरत संबंधित विभागों के प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) सदस्यों की सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

(4) खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) यथा प्रतिपादित/विहित मार्ग दर्शनों के अनुसार प्रत्येक कम से कम दस ग्राम पंचायतों के समूह में तैयार की गयी, ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को समेकित करके एक समग्र खण्ड स्तरीय भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ख) खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ग) सम्बन्धित खण्ड की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसाकि विहित किया जाय।

नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति

5-(1) एक नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा, जो नगरीय क्षेत्रों में एकीकृत रूप में जल प्रबन्धन हेतु निम्नतम लोक इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति का गठन करने के लिए निदेश जारी करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष-यथास्थिति नगर प्रमुख/नगर पालिका प्रमुख;

(ख) सदस्य सचिव-यथास्थिति नगर आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी;

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले लोक-प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) निवासी कल्याण संगम/सामाजिक समूह के दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) सम्बन्धित विभागों (भू-गर्भ जल विभाग से एक प्रतिनिधि सहित) के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) सदस्यों की सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय ;

(4) नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगेः-

(क) संबंधित नगर पालिका के भीतर सम्बन्धित संस्थानों के साथ समन्वय में कार्य करना;

(ख) जल आपूर्ति के स्रोतों (भू-पृष्ठ जल और भू-गर्भ जल) को अवधारित करना और उन्हें एकीकृत करना;

(ग) धारा 13 के अधीन उपबंधित समग्र नगर पालिका भू-गर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना;

(घ) सम्बन्धित नगर पालिका की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(ङ) नगर पालिका भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(च) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय।

जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद्

6-(1) एक जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् का गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर पर भू-गर्भ जल संसाधनों के प्रबन्धन के लिए एक समग्र इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण को जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् का गठन करने के लिये निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे;

(क) अध्यक्ष-जिला मजिस्ट्रेट;

(ख) सदस्य सचिव-जिला विकास अधिकारी;

(ग) राज्य में भू-गर्भ जल प्रबन्धन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(घ) भू-गर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का 01 सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) अन्य सदस्य भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, उद्यान विभाग तथा वन और वन्य जीव विभाग के (प्रत्येक से एक) जिला स्तरीय प्रतिनिधि होंगे;

(च) संबंधित खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति और नगर पालिका भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में);

(3) सदस्यों की सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगेः-

(क) सूक्ष्म जल विभाजक पद्धति पर आधारित और यथा विहित मार्गदर्शनों के अनुसार खण्ड पंचायत और नगर पालिका भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना का जिला स्तरीय भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ख) जिला भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन करना;

(ग) जिला भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(घ) जल जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(ङ) अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करना और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में भू-गर्भ जल निष्कर्षण हेतु प्राधिकार प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वीकृत करना तथा वेधन अभिकरणों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय या समानुदेशित किया जाय ;

(छ) ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप-समितियों, खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति और नगर पालिका जल प्रबन्धन समितियों और साथ ही साथ राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना;

राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण

7-(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से एक राज्य प्राधिकरण स्थापित करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

(2) राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :-

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई और भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4.	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6.	निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
8.	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9.	निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश	सदस्य
10.	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11.	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम	सदस्य
12.	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13.	निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14.	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड (उ0क्षे0)	सदस्य
15.	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16.	उत्तर प्रदेश राज्य में भू-गर्भ जल प्रबन्धन का दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे)	सदस्य
17.	भू-गर्भ जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक प्रख्यात व्यक्ति	सदस्य
18.	संबंधित खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धनसमिति, नगरपालिका भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति औरजिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में)	सदस्य

(3) निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा;

(4) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और रिक्तियों को भरने की रीति तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(5) अध्यक्ष राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा तथा निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग का कार्यालय राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(6) राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) धारा 9 के अधीन यथा उपबंधित भू-गर्भ जल संसाधनों के प्रबन्धन और

विनियमन हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करना;

(ख) धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित भू-गर्भ जल संसाधनों के प्रबन्धन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को गैर अधिसूचित करना;

(ग) धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित भू-गर्भ जल निष्कर्षण की सीमाओं को नियत करना;

(घ) धारा 26 के अधीन यथा उपबंधित भू-गर्भ जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करना;

(7) **राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद**

(क) राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण को अपने कृत्यों का समुचित निष्पादन करने और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार उतनी संख्या में प्राविधिक कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकती है, जैसाकि वह संस्थागत सहायता, सुविधाओं तथा बजट सहित आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के कृत्य और सेवा की निबन्धन एवं शर्तें वही होगी, जैसाकि विहित किया जाय;

(ग) राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा;

(8) **अन्य समुचित निकायों के लिए सहायता**

ग्राम पंचायत उप-समिति/खण्ड पंचायत/नगर पालिका समिति और जिला परिषद् को निर्विघ्न और सम्यक् रूप से कार्य करने के लिए कर्मचारी वर्ग तथा कार्यालय के साथ ही साथ समस्त संस्थागत सहायता और कार्य सुविधाओं तथा बजट सम्बन्धी अपेक्षाओं के लिए भी उपबंध किये जायेंगे।

अध्याय-तीन

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

8-(1) भू-गर्भ जल विभाग, जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के माध्यम से समुचित निकाय यथा नगरीय क्षेत्रों के मामले में नगर पालिका भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करेगा;

(2) उक्त विभाग, राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण हेतु प्राविधिक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(3) भू-गर्भ जल के विनियमन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारणः

भू-गर्भ जल विभाग, राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, यथा भू-गर्भ जल विभाग और केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड द्वारा किये गये नवीनतम भू-गर्भ जल संसाधन प्राक्कलन के अनुसार श्रेणीकृत अतिदोहित तथा संकटग्रस्त खण्डों और संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों (जहां भू-गर्भ जल स्तरों में महत्वपूर्ण ह्रास हुआ हो अर्थात् पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 20 सेमी0 ह्रास अभिलिखित किया गया हो) जिन्हें अधिसूचना के माध्यम से विनियमन के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में अभिहित किया जाना हो, में भू-गर्भ जल के समग्र प्रबन्धन तथा विनियमन हेतु समुचित उपाय करने के लिए उक्त संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों को अभिनिर्धारित तथा चिन्हांकित करेगा;

(4) **भू-गर्भ जल सूचना/आंकड़े**-अतिदोहित संकटमय खण्डों और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त उपलब्ध भू-गर्भ जल सूचना/आंकड़े भू-गर्भ जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रभागों के प्रभागीय आंकड़ा केन्द्रों द्वारा जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद्ों को उपलब्ध कराये जायेंगे। ऐसी सूचना भू-गर्भ जल विभाग के वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय-चार

शक्तियां और कृत्य

9-(1) जहां (भू-गर्भ जल विभाग की जानकारियों पर आधारित) सक्षम प्राधिकरणों से परामर्श करने के पश्चात् राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में और किसी रूप में विभिन्न प्रयोजनार्थ भू-गर्भ जल का प्रबन्धन एवं विनियमन करना और वर्षा जल संचयन/भू-गर्भ जल पुनर्भरण को प्रवर्तित करना तथा अतिदोहित/संकटग्रस्त खण्डों एवं संकटमय नगरीय क्षेत्रों (भू-गर्भ जल विभाग द्वारा यथा अभिज्ञानित/चिन्हांकित) जहां भू-गर्भ जल स्तर संकटग्रस्त या चिन्ताजनक स्तरों तक पहुंच गये हों, में विभिन्न समुचित जल संरक्षण/जल बचत/जल दक्ष पद्धतियों को क्रियान्वित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन हो, वहां वह राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, यह परामर्श देगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से अधिसूचित क्षेत्र घोषित करे;

परन्तु यह कि,-

(क) इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक, अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन माह से पूर्वतर दिनांक नहीं होगा;

(ख) इस धारा के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले अन्यून तीन दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और उसे यथा विहित अन्य रीति से भी तामील किया जायेगा;

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सीमांकन और तत्सम्बन्धी अधिसूचना जारी किये जाने की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि विहित किया जाय;

(3) उप-धारा-(1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की नवीन भू-गर्भ जल निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार समीक्षा की जायेगी और रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार वह इस रूप में होगी जैसा कि विहित किया जाय;

10-(1) विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ताओं का पंजीकरण अधिसूचित क्षेत्रों (नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों) में अवस्थित प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया, समय सीमा, प्रारूप फीस आदि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसा कि विहित किया जायः

परन्तु यह कि,-

(क) जहां कोई विद्यमान वाणिज्यिक उपयोक्ता या सामूहिक उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भू-गर्भ जल निकालते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय-आठ के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है वहां भू-गर्भ जल के उपयोक्ता द्वारा उक्त तथ्य को तत्काल संबंधित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के संज्ञान में लाया जाएगा;

(ग) जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक कोई भू-गर्भ जल उपयोक्ता किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करना चाहता हो वहां यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरण को तद्निमित्त राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण से यथाविहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा;

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न प्रत्येक विद्यमान और भावी भू-गर्भ जल उपयोक्ता जिसमें घरेलू और कृषि भू-गर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित है भू-गर्भ जल उपयोग के लिए संबंधित खंड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति/नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति को ऑनलाइन या सीधे रजिस्ट्रीकृत करना होगा। ऑनलाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के संबंध में सूचना उक्त समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

11-(1) गैर अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप (विद्यमान या सिंक किया जाने वाला) भू-गर्भ जल उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु संबंधित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को आवेदन

करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया, समय-सीमा, प्रारूप, फीस इत्यादि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसा कि विहित किया जाए:

परन्तु यह कि,-

(क) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भू-गर्भ जल निकालते हुए पाया जाता है तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय 8 के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है तो भू-गर्भ जल उपयोक्ता द्वारा तत्काल इस तथ्य को सम्बन्धित जिलों के भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के संज्ञान में लाया जायेगा;

(ग) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक कोई भू-गर्भ जल उपयोक्ता किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करना चाहता है तो यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरण को तद्निमित्त सम्बन्धित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से यथाविहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न घरेलू या कृषि भू-गर्भ जल उपयोक्ता सहित प्रत्येक विद्यमान तथा भावी भू-गर्भ जल उपयोक्ता को ऑन लाइन या सीधे सम्बन्धित खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति/नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति से भू-गर्भ जल उपयोगों हेतु रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। ऑन लाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के सम्बन्ध में उक्त समिति द्वारा सूचित किया जायेगा।

12-(1) कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर सरकारी पेय जलापूर्ति तथा वृक्षारोपण योजनाओं के सिवाय सरकारी योजनाओं के अधीन बोरिंग/नलकूप निर्माण सहित वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोग हेतु कोई नवीन कूप निर्मित/सिंक नहीं करेगा।

यदि कोई इस उपधारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता/करती है तो वह अध्याय 8 के अधीन दण्ड का भागी होगा/होगी।

ऐसा प्रतिबन्ध तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा नवीन भू-गर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट के आधार पर या नगरीय भू-गर्भ जल स्तरों में गिरावट होने की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण सुधार होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श पर उक्त क्षेत्र को गैर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है;

(2) अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्यिक/सामूहिक उपयोगों के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था या अभिकरणों द्वारा अपरिष्कृत/अप्रसंस्कृत/अनभिक्रियित भू-गर्भ जल निकालने, उसका विक्रय करने तथा उसकी आपूर्ति करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी और ऐसा कार्य किया जाना अध्याय-आठ के अधीन दण्डनीय होगा।

13-अधिसूचित क्षेत्रों में भू-गर्भ जल संसाधनों के अविरतता को सुनिश्चित करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए भू-गर्भ जल सुरक्षा योजनाएं क्रमबद्ध क्रियान्वयन हेतु यथा विहित रीति से तैयार की जाएंगी।

14-गैर अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचात्मक या सामूहिक उपयोग के लिए भू-गर्भ जल निकालने के प्रयोजनार्थ कोई कूप खोदने के इच्छुक किसी व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान को इस प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु सम्बन्धित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को आवेदन करना होगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया, समय-सीमा, प्रारूप, आवेदन, फीस इत्यादि और विभिन्न उपबन्ध, निबन्धन और शर्तें वही होंगी जैसाकि विहित किया जायः

परन्तु यह कि भू-गर्भ जल के पूर्व से विद्यमान उपयोक्ता को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर तद्निमित्त इस धारा के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन करना होगा;

परन्तु यह कि,-

(क) निबन्धन और शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु वे निम्नलिखित तक निर्बन्धित नहीं होंगे :-

(एक) जल की अधिकतम मात्रा जिसे निकालने की अनुज्ञा होगी;

(दो) विद्यमान प्रदूषण नियंत्रण मानकों और उपायों के माध्यम से भू-गर्भ जल संदूषण निवारण की सावधानियां;

(तीन) अपनाये जाने वाले वर्षा जल संचयन सहित संरक्षण उपायों का विवरण;

(चार) भू-गर्भीय जल संभाव्यता के अनुसार भू-गर्भ जल पुनर्भरण के उपाय;

(पांच) उपयोगार्थ निकाले गये भू-गर्भ जल का किसी विहित अनुपात में पुनः उपयोग करना;

(छः) अपशिष्ट जल को बहाने से पूर्व उसे विहित मानकों तक लाने के लिए उसका शोधन करना;

(सात) सर्वाधिक दक्ष जल उपयोग पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा उसके अनुसार चलना;

(ख) किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु प्रदान किये गये प्राधिकार/अनापत्ति का प्रयोग, प्रदान किये गये प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा;

(ग) प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक को, प्राधिकार के अधीन निकाले गये भू-गर्भ जल का वाणिजियक प्रयोग और/या लाभ के लिए, किसी अन्य को किसी भी नाम से या प्रारूप में विक्रय करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा;

(घ) वांछित प्रयोजन के लिए भू-गर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने हेतु प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे नये उपयोक्ता, यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कूप का निर्माण कार्य पूरा कर लेने के पश्चात् यथाविधि विहित रीति से सम्बन्धित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा;

(ङ) (एक) जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की निबन्धन और शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर सकती है :

परन्तु यह कि सम्बन्धित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक को उक्त प्रमाण-पत्र रद्द करने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी;

(दो) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र असंक्राम्य होगा। तथापि किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र, उसका/उसकी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया जायेगा और उक्त प्रमाण-पत्र शेष अवधि के लिए तब तक निरन्तर विधिमान्य रहेगा जब तक कि विधिक उत्तरधिकारी ऐसे मृत प्रमाण-पत्र धारक द्वारा कृत क्रिया-कलापों को जारी रखते हैं। तथापि ऐसी प्रसुविधा जिसके लिए उक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, के लिए सम्पत्ति का अन्तरण किये जाने पर प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि नये स्वामी द्वारा क्रिया-कलाप की प्रवृत्ति अपरिवर्तित रूप में जारी रखी जाती है।

(तीन) प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र में नियत अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा;

(चार) जहां प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त हो गयी हो वहां ऐसे प्रमाण-पत्र धारक को तत्सम्बन्धी निरन्तरता के लिए नये सिरे से आवेदन करना होगा।

15-(1) राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण, भू-गर्भ जल विभाग के परामर्श से (सम्बन्धित क्षेत्र के भू-गर्भ जलीय शर्तों तथा संसाधन संभाव्यता पर आधारित) अधिसूचित और साथ ही साथ गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण जारी करने के दौरान विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के दौरान समस्त नवीन वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु भू-गर्भ जल निकालने की सीमा यथाविहित निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार नियत करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन नियत सीमा का उल्लंघन करके भू-गर्भ जल नहीं निकाल सकता है।

16-(1) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ता, जिसे आगे इस धारा में उक्त उपयोक्ता कहा गया है, भू-गर्भ जल खींचने की मात्रा के आधार पर वार्षिक रूप में प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का भुगतान किये बिना दोनों अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू-गर्भ जल नहीं निकालेगा। फीस यथाविहित रूप में जमा की जायेगी;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अधीन प्रभारित जल उपकर के अतिरिक्त होगी।

(3) निकाले गये भू-गर्भ जल की मात्रा को मापने तथा उसे अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ उक्त प्रत्येक उपयोक्ता को ऐसे मानको का मीटर ऐसे स्थानों पर लगाना होगा, जैसा कि विहित किया जाय और यह मान लिया जायेगा कि मीटर द्वारा अभिलिखित की गयी मात्रा में उक्त उपयोक्ता द्वारा भू-गर्भ जल निकासी की गयी है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाय। निकालने हेतु अनुज्ञात/प्राधिकृत भू-गर्भ जल की मात्रा के सापेक्ष वास्तविक रूप में निकाले गये जल की जांच करने हेतु एक वार्षिक भू-गर्भ जल लेखा परीक्षा संचालित की जायेगी।

17-(1) सम्बन्धित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के बिना फर्म, अभिकरण या कम्पनी सहित कोई व्यक्ति भू-गर्भ जल निकालने हेतु भूमि का न तो बेधन करेगा और न ही उसमें लगेगा।

(2) भू-गर्भ जल निकालने हेतु भूमि बेधन में पहले से ही लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, अभिकरण या कम्पनी को जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करना होगा जैसाकि उक्त परिषद् द्वारा अपेक्षा की जाय।

18–अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भू-गर्भ जल उपयोक्ता तथा बेधन अभिकरणों के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकरण की शक्ति वहीं होगी जैसाकि विहित की जाय।

19–धारा 14 के अधीन जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश को उसी रीति से तामील किया जायेगा, जैसाकि विहित किया जाय।

20–किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्यवाही के आधार पर उसे हुई किसी क्षति के लिए राज्य सरकार या किसी समुचित प्राधिकरण से किसी प्रकार की क्षति या प्रतिकर का दावा करने का हक नहीं होगा।

21–राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों या उसके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों में से समस्त शक्तियों या किसी शक्ति का प्रयोग/समस्त कर्तव्यों/किसी कर्तव्य का निर्वहन, ऐसी परिस्थितियों तथा ऐसी शर्तों, यदि कोई हो में जैसा कि उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस निमित्त राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति तथा समुचित निकाय द्वारा भी किया जा सकता है।

22–राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, जब इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में कार्यरत हों या उनका कार्यरत होना आशयित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

23–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावना पूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या सरकार के किसी समुचित प्राधिकरण, किसी अन्य अधिकारी या किसी समुचित प्राधिकरण के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई अभियोग, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

अध्याय-पांच

भू-गर्भ जल का प्रदूषण-निवारण

24-(1) भू-गर्भ जल विभाग, राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण, जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन और विशेषज्ञ निकायों यथा केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, जिनकी भू-गर्भ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण करने और पेयजल आपूर्ति हेतु सुरक्षित गुणवत्तापरक् परिक्षेत्रों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ भू-गर्भ जल की गुणवत्ता खतरनाक प्रदूषण से प्रभावित पायी गयी है, की (ऊर्ध्व एवं पार्श्व रूप में) पहचान एवं सीमांकन करेगा;

(2) उपधारा (1) में यथा सीमांकित क्षेत्र, भू-गर्भ जल प्रदूषण निवारण एवं रोकथाम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक दो वर्ष में राज्य सरकार के भू-गर्भ जल विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से भू-गर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र घोषित किये जायेंगे।

25-ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप समितियां, खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समितियां और नगर पालिका भू-गर्भ जल प्रबन्धन समितियां प्रदूषण स्रोतों सहित भू-गर्भ जल प्रदूषण से सम्बन्धित सूचना संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होंगी। ऐसी सूचना सम्बन्धित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद्रों के स्तर पर राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण को समुचित कार्यवाही हेतु अग्रतर प्रस्तुत किये जाने के लिए संकलित तथा समेकित की जायेगी।

26-(1) राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता भू-गर्भ जल प्रदूषित नहीं करेगा। वह सम्बन्धित जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के माध्यम से जहां कहीं आवश्यक हो यथा विहित रूप में अनिवार्य रूप से शोधन संयत्र स्थापित कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा भू-गर्भ जल उपयोक्ता, विहित अवधि के भीतर शोधन संयत्र स्थापित करने में विफल हो जाय वहां राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे उपयोक्ता के लागत पर आवश्यक शोधन संयत्र निर्मित करवाये और धारा 39 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन ऐसे उपयोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही करें।

27-(1) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता, किसी संक्रिया या प्रसंस्करण या शोधन तथा निस्तारण प्रणाली के माध्यम से-

(क) अपशिष्ट जल, मल, व्यापारिक तथा घरेलू वहिःस्राव या संदूषक पदार्थों का निस्सारण या निस्तारण कूप में नहीं करेगा या;

(ख) भूमि पर अपशिष्ट का ढेर नहीं लगायेगा जो घुलकर जलभृत में बह सकता है, या जिसके कारण संदूषक पदार्थ चूकर उसमें फैल सकते हैं तथा उसमें विषैले जीव उत्पन्न हो सकते हैं;

(2) उपधारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई भू-गर्भ जल उपयोक्ता, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

28-(1) खुली भूमि, मैदान, सड़कें (पक्की/कच्ची) कृषि फार्मों पर गिरने वाले (छत के ऊपर के सिवाय) वर्षा जल से भू-गर्भ जल का कृत्रिम पुनर्भरण किए जाने की प्रक्रिया में जलभृतों में पुनर्भरण, बोरवेल, पुनर्भरण कूपक अन्तःक्षेपण कूप आदि के माध्यम से सीधे पुनर्भरण किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

उपधारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किए जाने का भागी होगा।

29-(1) समुचित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता, दूषित जल या किसी अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ का निस्सारण या निस्तारण करके तालाबों, नदियों, कूपों आदि को प्रदूषित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

(3) समुचित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के ऐसे समस्त उपाय करने होंगे कि घरेलू गृहस्थी के किसी अपशिष्ट से तालाब, नदियां, कूप आदि प्रदूषित न हों।

अध्याय-छः

स्वतः विनियमन, वर्षा जल संचयन, भू-गर्भ जल पुनर्भरण, पुनः उपयोग तथा पुनः प्रयोग और जल भराव निवारण

30-(1) अधिसूचित क्षेत्रों (ग्रामीण) के कृषक स्वतः विनियमन की प्रक्रिया को ग्रहण करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप समितियों और खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समितियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाएंगे।

(2) स्वतः विनियमन ग्रहण करने की प्रक्रिया-

संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू-गर्भ जल संसाधनों को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने तथा उन्हें विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित रीति से स्वतः विनियमन की प्रक्रिया ग्रहण की जाएगी-

(क) कृषक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न फसलों हेतु वैज्ञानिक रूप से संस्तुत सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित सिंचाई जल मात्रा/फसल सिंचाई संख्या का प्रयोग करते हुए भू-गर्भ जल दुर्व्ययन तथा अति सिंचन से बचा जा सकता है;

(ख) अधिसूचित क्षेत्रों (ग्रामीण) के कृषक कृषि बंधों, कृषि तालाबों, अल्प जल फसल बीजों के प्रयोग और प्रक्षेप तथा फुहारा सिंचाई प्रणाली के प्रयोग सहित विभिन्न जल संरक्षण/जल बचत पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित किए जाएंगे;

(ग) दोनों ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के प्रत्येक उपयोक्ता को, मितव्ययिता एवं दक्षता पूर्वक भू-गर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने, जल दुर्व्यय को रोकने, पुनः उपयोग किए गए जल का प्राथमिकता पर प्रयोग करने, वर्षा जल संचयन तथा पुनर्भरण पद्धतियों को ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

31-(1) समुचित प्राधिकरण, भू-वैज्ञानिक शर्तों के अनुसार वर्षा जल संचयन और जलागम संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे जो जल सुरक्षा योजनाओं का अभिन्न अंग होना चाहिए। समुचित प्राधिकरण, संकटग्रस्त नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के संबंध में विभिन्न भू-गर्भ जल उपयोक्ताओं को संवेदनशील बनाएंगे। भू-गर्भ जल उपयोक्ता समुचित प्राधिकरणों से वर्षा जल-संचयन प्रणाली का उपयुक्त प्राविधिक रेखा चित्र तथा अभिकल्प प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें विकासपरक् योजनाओं तथा परियोजनाओं से

संबंधित समस्त प्राकृतिक संसाधनों के एकीकरण तथा उनमें परिवर्तन के माध्यम से अपनी अधिकारिता के भीतर वर्षा जल-संसाधनों के संवर्धन हेतु एकीकृत प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, उपयोग तथा विनियमन के लिए समस्त सम्भावित कदम उठाने होंगे।

(2) तत्समय प्रवृत्त राज्य की अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सम्यक् रूप से जारी छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उपबंध करने की विद्यमान भवन उप विधियों के अधीन निर्धारित शर्तें अधिरोपित करेंगी। ऐसे निर्धारण, भवन योजनाएं अनुमोदित करने वाले या स्वीकृत करने वाले संबंधित सरकारी अभिकरणों पर बाध्यकारी होंगे। सामूहिक आवास/कॉलोनियों हेतु सम्मिलित पुनर्भरण प्रणाली का उपबंध किया जाना भी भवन उप विधियों के अधीन अनिवार्य होगा।

(3) जलागम संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र के भू-भाग/मिट्टी की दशा की प्रकृति पर आधारित समुचित भू-गर्भ जल संरक्षण तथा पुनर्भरण संरचनाएं सम्मिलित हैं।

32-समुचित प्राधिकरण अपने क्षेत्रों के अन्तर्गत अपेय नगरीय औद्योगिक तथा कृषि प्रयोग हेतु और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से पुनः प्रयोग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति में वृद्धि हेतु जल का पुनः उपयोग किए जाने तथा विशिष्ट रूप से पोषणीय जल का पुनः प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगेः

परन्तु यह कि अवधारित सीमा से अधिक भू-गर्भ जल निकालने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता को ऐसे प्रयोजनों, जो उपयुक्त हों, के लिए जल का पुनः उपयोग करने के लिए आदेशित किया जाएगा। समुचित प्राधिकरण ऐसे आदेशों को प्रवर्तित करने के लिए अनुश्रवणकारी तथा प्रोत्साहनकारी तंत्र अभिकल्पित करेंगे।

33-(1) समुचित प्राधिकरण, अपने क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे क्रिया-कलापों को हतोत्साहित तथा उनकी रोकथाम करेंगे जिनके कारण भू-जलभराव होना संभाव्य हो। ऐसे निकाय जलभराव के विरुद्ध भू-संरक्षण हेतु समस्त संभावित नियामक उपाय करेंगे;

(2) नहर समादेशों में सिंचाई विभाग को उप-भू-पृष्ठ जलप्लावित स्थितियों में प्रभावी रूप से सुधार करने के लिए समुचित उपाय करना होगा तथा उपबंध करना होगा;

(3) ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप समिति, खंड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति या नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति जलप्लावित क्षेत्रों में ऐसे क्रिया-कलापों, जिनके कारण जलभराव की स्थिति बिगड़ सकती है, का विनियमन करने के लिए ऐसी नियम/शर्तें अधिरोपित कर सकती हैं जैसा कि विहित किया जाए। खंड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति/नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति, जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषदों तथा संबधित विभागों के परामर्श से भू-शोधन तथा भू-जल निकास से संबंधित समुचित मध्याक्षेपों के माध्यम से यथाविहित रीति से जलभराव को कम करने का उपाय करेगी;

(4) जलभराव न्यूनकरण के उपाय, विशेषज्ञ निकायों/संबंधित विभागों के सम्यक् परामर्श से समुचित प्रसंस्करणों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए किए जाएंगे।

34-समुचित प्राधिकरणों प्रत्येक ग्राम में नदियों, तालाबों, कूपों आदि के पुनरुज्जीवन और जीर्णोद्धार के लिए कार्य करना होगा। समुचित प्राधिकरणों को ऐसी नदियों, तालाबों, कूपों आदि को संरक्षित करने हेतु दक्ष योजनाओं को विकसित और क्रियान्वित करना होगा।

अध्याय-सात

प्रभावपूर्ण निर्धारण तथा पारदर्शिता

35-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित प्राधिकरणों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी अधिकारिता क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी क्रिया-कलापों के दोनों सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं का प्रभावपूर्ण निर्धारण करने का उपक्रम करे;

(2) प्रभावपूर्ण निर्धारण की प्रक्रिया में अल्पकालिक तथा संचयी प्रभावपूर्ण निर्धारण सम्मिलित होगा जो विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकता है :-

(क) जीवन जलाधिकार पर प्रभाव;

(ख) पेय जल संसाधनों पर प्रभाव;

(ग) भू-गर्भ जल गुणवत्ता तथा परिमाण पर प्रभाव;

(घ) कृषि उत्पादन पर प्रभाव;

(ङ) नदियों तथा जल पिंडों सहित पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव;

(च) भू-उपयोग पर प्रभाव;

36-(1) समुचित प्राधिकरणों का अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत यह कर्तव्य होगा कि वे नागरिकों के साथ प्रभावी तथा मित्रतापूर्ण पारदर्शिता स्थापित करें;

(2) सूचना की न्यूनतम विषयवस्तु, आवर्तन तथा अन्य विवरण सतर्कतापूर्वक प्रस्तुत किए जायंगे;

(3) किसी जिला के भीतर सूचना हेतु समस्त अनुरोधों को युक्तियुक्त अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

37-(1) समुचित प्राधिकरण अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के संबंध में सतर्कतापूर्वक सूचना का प्रकटीकरण करेंगे;

(2) समुचित निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह अभिलेखों का प्रसार इस रीति से करें कि कोई भी व्यक्ति सूचना को सुगमतापूर्वक समझ सके। इस दायित्व में सूचना का समेकित तथा संक्षिप्त रूप में प्रसार करना भी सम्मिलित है।

38-इस अधिनियम की धारा 35 के अधीन ग्रहीत क्रिया-कलापों का प्रभावपूर्ण निर्धारण किए जाने पर तत्संबंधी सूचना सार्वजनिक रूप में पहुंच हेतु इंटरनेट पर रखी जाएगी।

अध्याय-आठ

अपराध और शास्तियां

39-(1) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ता या कोई वेधन अभिकरण-

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के किसी उपबंध, अध्याय पांच में वर्णित उपबंधों के सिवाय का उल्लंघन करता है या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने हेतु समुचित प्राधिकरणों या राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन तथा नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है तो वह ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास, जो छः माह से कम नहीं होगा और जो एक वर्ष तक हो सकता है, के साथ या प्रथम अपराध के मामले में दोनों के साथ दण्डित किया जाएगा;

(ग) उपखण्ड (ख) के अधीन दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात् पुनः उक्त अपराध करता है तो ऐसा उपयोक्ता द्वितीय अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह ऐसे जुर्माने, जो उक्त उपखण्ड के अधीन उसे अधिनिर्णीत किए गए कारावास के अतिरिक्त, उसे अधिनिर्णीत किए गए जुर्माने की धनराशि का दोगुना होगा, के साथ दण्डित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन उसे स्वीकृत किया गया प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

(2) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ता, जो धारा 26 की उपधारा (2), धारा 27, धारा 28 और धारा 29 के अधीन उपबंधित किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, निम्नलिखित दण्ड का भागी होगा :-

(क) ऐसी अवधि का कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो प्रथम अपराध के मामले में दस लाख रुपए तक हो सकता है;

(ख) ऐसी अवधि का कारावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो बीस लाख रुपए तक हो सकता है, यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट उक्त अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो पहले ही उक्त अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो;

(3) कोई जलापूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न) जो ऐसे भू-गर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन विहित गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल हो, ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, के साथ दण्डित किया जाएगा;

(4) जो कोई किसी भवन का स्वामी होते हुए इस अधिनियम के अधीन किसी समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी रेखा चित्र अभिकल्प और मार्गदर्शनों के अनुसार भू-गर्भ जल पुनर्भरण करने के लिए वर्षा जल संचयन तंत्र प्रतिष्ठापित किए जाने हेतु उत्तरदायी जो ऐसा करने में विफल हो तो वह ऐसी रीति से और ऐसे दण्ड के साथ दण्डित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।

40-(1) जब कभी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो तब प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा;

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, कम्पनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया हो या उसकी ओर से की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ हो वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :-

(1) इस धारा के प्रयोजन के लिए कम्पनी का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य संगम या व्यक्ति भी है और

(2) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है।

41-(1) धारा (39) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, ऐसे अधिकारियों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर न्यूनतम विहित जुर्माना के साथ प्रशमन फीस स्वरूप अपराध के लिए विहित न्यूनतम जुर्माना का पचास प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जा सकता है:

परन्तु यह कि प्रशमन का उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन किसी अपराध का प्रशमन करने की शक्ति का प्रयोग करेगा;

(3) किसी अपराध के प्रशमन हेतु प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जहां किसी अपराध के प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय वहां ऐसे अपराधी, जिसके संबंध में इस प्रकार अपराध प्रशमित किया जाय, के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोग नहीं संस्थित किया जाएगा;

(5) जहां किसी अपराध का प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय वहां ऐसा प्रशमन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें अभियोग लम्बित हो और अपराध प्रशमन का इस प्रकार संज्ञान लिए जाने पर उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया जाय, को उन्मोचित कर दिया जाएगा।

42-(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे और किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे;

(2) जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् या किसी क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई किसी शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है :

परन्तु यह कि अभियोग का पहल करने के पूर्व क्षुब्ध व्यक्ति को अभियोग का पहल करने के लिए अपने आशय से अवगत कराते हुए जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को एक माह की नोटिस देनी होगी।

अध्याय-नौ

शिकायत निवारण

43-(1) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(2) कोई भी व्यक्ति भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संरक्षण, निष्कर्षण और प्रदूषण से संबंधित बिन्दुओं पर अपना/अपनी शिकायत, जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है;

(3) जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अपना/अपनी शिकायत राज्य भू-गर्भ प्रबन्धन तथा विनियमन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है;

44-(1) जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के पास अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 41 की उप धारा (2) में उल्लिखित समस्त शिकायतों की अधिकारिता होगी;

(2) शिकायतें, जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष यथाविहित रीति से प्रस्तुत की जाएगी;

(3) जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी, किसी अनुवर्ती समय जो तीस दिन से अधिक नहीं होगा, में शिकायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप समिति/खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबन्धन समिति/नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति या जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के माध्यम से समुचित कार्रवाही करेगा;

अध्याय-दस

प्रकीर्ण

45-राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन तथा नियामक प्राधिकरण और जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद्रों के पास राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली, विनियमावली तथा उप-विधियों के अधीन उनकी शक्तियों के प्रयोग तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो, मांगने की शक्ति होगी और ऐसा विभाग या व्यक्ति ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा/होगी।

46-(1) जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् इस अधिनियम के उपबंध के अध्यधीन किसी ऐसे वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ता और किसी विद्यमान अभिकरण जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके कूप सिंक किया हो या कर रहा हो या जिसने जल निकाला हो या निकाल रहा हो, से लिखित रूप में नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट अन्यून पन्द्रह दिन की समयावधि के अन्तर्गत इस प्रकार जल का निकाला जाना बन्द करे और कब्जाधीन कूप के स्वामी या व्यक्ति से यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह कूप को अपने व्यय पर और ऐसी रीति से जैसा कि उक्त परिषद् ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, उसको बन्द या मुहरबन्द कर दे;

(2) यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील की गई हो नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार कूप खुदाई बन्द नहीं करता है या बन्द करता है किन्तु समुचित प्राधिकरण के समाधान प्रद रूप में कूप बन्द या मुहरबन्द नहीं करता है तो (संबंधित) परिषद् भूमि में प्रवेश करके उक्त कूप को बन्द या मुहरबन्द कर सकती है;

(3) उपधारा (2) के अधीन (संबंधित) परिषद् द्वारा उपगत लागत की वसूली उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किए गए व्यक्ति से, भू-राजस्व बकाया के रूप में की जा सकती है।

47-(1) भू-गर्भ जल उपयोक्ता के पूर्व-विद्यमान अधिकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहना जारी रहेंगे;

(2) भू-गर्भ जल उपयोक्ता, किन्हीं विधिक या अन्य अधिकारों, जो इस अधिनियम के अधीन समाप्त हो गए हैं, के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

48-राज्य सरकार, भू-गर्भ जल निधि नामक एक निधि सृजित करेगी और शास्तियों, रजिस्ट्रीकरण फीस तथा भू-गर्भ जल निकालने की फीस आदि की समस्त लेखा-प्राप्तियां, इस निधि में जमा की जाएंगी। निधि का संचालन निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग द्वारा किया जायेगा। निधि का उपयोग, राज्य में भू-गर्भ जल प्रबन्धन क्रिया-कलापों यथा भू-गर्भ जल संरक्षण के लिए मांग पक्ष के मध्यक्षेपों को प्रोत्साहित करने हेतु और राज्य सरकार तथा भू-गर्भ जल विभाग द्वारा विनिश्चित किए गए प्रभावी अनुश्रवण युक्तियों/तंत्रों द्वारा भू-गर्भ जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करने हेतु दोनों मांग पक्ष तथा आपूर्ति पक्ष के माध्यम से किया जाएगा।

49-राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

50-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकती है जो कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

51-राज्य के समग्र विकास के हित में राज्य सरकार, राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ता वर्ग या वाद को इस अधिनियम के किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है।

52-तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-52 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

इसके बाद मद सं0-54 से लेकर मद सं0-60 तक नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाएं लगी हुई हैं। यह सभी चर्चाएं जारी रहेंगी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, जो बड़ी वाली चर्चायें हैं इनको आगे के लिए कर दें लेकिन एक में तो मा0 मंत्री जी बैठे हैं अभी पांच मिनट में हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

पांच मिनट में नहीं हो सकता है, जब सबकी जारी है तो आपका ही क्यों लिया जायेगा। सभी चर्चायें जारी रहेंगी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि जब अगला सत्र हो तो एक दिन इन्हीं चर्चाओं पर चर्चा करा लें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अजय जी आप सभी माननीय सदस्यों की मंशा को देख लें, अभी इसे जारी रहने दें, आगे जब सदन चलेगा तो उसमें आप बहस कर लीजियेगा।

[02:42] श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाय।''

श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवाघाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद सुल्तानपुर का नाम बदलकर 'कुश भवनपुर' कर दिया जाय।''

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

(क) ''प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किए जाने की कार्य योजना बनाई जाय।''

(ख) ''जनपद झांसी की ब्लाक-मोंठ के ग्राम-लोहागढ़, ब्लाक-गुरसराय के ग्राम-एवनी तथा ब्लाक-बामौर के ग्राम-ककरवई में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जाय।''

(ग) ''जनपद झांसी के पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढ़वई, भसनेह तथा एरच राजबहों में टेल तक पानी पहुंचाया जाय।

श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

(क) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढ़ाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(ख) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर वेतन, किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(ग) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(घ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(ङ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात लेखपालों का वेतन बढ़ाये जाने एवं प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन, भत्ता प्रदान किये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(च) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आशाकर्मियों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(छ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(ज) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात होमगार्डों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(झ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही को जिला बनाये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई

''यह सदन जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में बस स्टैण्ड अति जर्जर होने के कारण बस स्टैण्ड का नवनिर्माण कराया जाय।''

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-61 से लेकर 70 तक में नियम-103 के अन्तर्गत कुछ नये प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं जिनको सदन में पढ़ा नहीं गया है, उन सभी प्रस्तावों को प्रस्तुत हुआ मान लिया जायेगा।

श्री संजय कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

(क) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र चायल में राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाये।''

(ख) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद् भरवारी स्थित बन्द पड़े अस्पताल बल्लभराम सालिगराम मेहता का अधिग्रहण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित कराया जाये।

(ग) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के चायल विधान सभा क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी एवं पिछड़ेपन को दूर करने हेतु क्षेत्र में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करायी जायें।''

(घ) ''जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद् भरवारी में भरवारी कोतवाली की स्थापना करायी जाय।''

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

''यह सदन जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र-131 कटरा में स्थित विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम पंचायत बुधवाना के ग्राम जिराऊ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना करायी जाय।''

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

''यह सदन प्रस्तुत करता है कि मथुरा के राया में मथुरा, अलीगढ़ रेलवे मार्ग पर रेलवे फाटक पर घंटों लगने वाले जाम की समस्या के निवारण हेतु उपरिगामी सेतु बनवाया जाय।''

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई

(क) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड के गिरते भू-जल स्तर को ठीक करने हेतु तालाबों/पोखरों से अतिक्रमण हटवा कर उनका पुनरुद्धार करवाकर उनमें प्रचुर मात्रा में जल संचयन की व्यवस्था करायी जाय।''

(ख) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड की नदियों से मानकों के विपरीत बालू/मौरंग के अंधाधुंध खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान एवं गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए बालू/मौरंग के खनन मानकों का पुनर्निर्धारण करते हुए उनके पालन हेतु एक प्रभावी योजना बनायी जाय।''

श्री बृजेश कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई

(क) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड में प्रतिवर्ष पड़ रहे सूखे के कारण गिर रहे जल स्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए।''

(ख) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड के नागरिकों का पलायन रोकने हेतु बुन्देलखण्ड में ही रोजगार मुहैया कराया जाए।''

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि हाटा क्षेत्र के मुख्यालय से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर भारी वाहनों के आवाजाही से जनता को सड़क पार करने में हो रही असुविधा एवं बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए हाटा कस्बे के यात्री स्टेशन पर अण्डरपास बनाया जाए।''

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई

(क) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बढ़ती आबादी के कारण उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में विकसित हुए नवीन आवासीय क्षेत्र के बीच आ चुके शमशान भूमि के कारण कालोनी वासियों को हो रही समस्या के दृष्टिगत पुराने शमशान घाटों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी योजना बनायी जाए।''

(ख) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ में सूर्योपासना के महापर्व छठ पर होने वाली श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के दृष्टिगत गोमती नदी के तट पर गोमती रिवर फ्रण्ट योजनान्तर्गत घाटों का निर्माण कराया जाए।''

(ग) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि व्यापक जनहित में लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने परिसर से लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर, इंजीनियरिंग कालेज, केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्थान, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं भारतीय प्रबन्ध संस्थान मेट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाय।''

(घ) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ में बढ़ती आबादी व होने वाले जलसंकट के दृष्टिगत भविष्य में सबको पानी उपलब्ध कराने के लिए कुर्सी रोड ओर घैला के पास एक-एक वाटर वर्क्स की स्थापना करायी जाय।''

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई

(क) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ में ओ0डी0 ओ0पी0 अन्तर्गत चयनित आंवला के किसानों को प्रोत्साहित करने व आंवला के गुणकारी विभिन्न उत्पादनों की पहचान देश-विदेश में कराने हेतु जनपद प्रतापगढ़ में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाए।''

(ख) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज अन्तर्गत ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थल, भयहरणनाथ धाम को पर्यटन स्थल घोषित कर उसका सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाये।''

(ग) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ में गरीबों, बेरोजगारों, नौजवानों के मुम्बई, दिल्ली आदि बड़े शहरों में हो रहे पलायन को रोकने हेतु प्रतापगढ़ की ए0टी0एल0 फैक्ट्री की भूमि पर एक उद्योग की स्थापना की जाए।''

श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ के जानकीपुरम् के सेक्टर एच में जल निकासी के लिए क्षतिग्रस्त की गयी सड़कों एवं नालियों का पुनर्निर्माण यथाशीघ्र कराया जाय।''

श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभाद्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई

(क) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के पश्चिम शरीरा पी0एच0सी0 को उच्चीकृत करके सी0एच0सी0 एवं चम्पहा बाजार में पी0एच0सी0 स्थापित करायी जाय।''

(ख) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी स्थापित करायी जाये।''

(ग) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के चम्पहा बाजार एवं विकास खण्ड कौशाम्बी के धर्मपुर में 33/11 के0वी0 सब स्टेशन की स्थापना करायी जाये।''

(घ) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर में राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय महिला इण्टर कालेज एवं राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाये।''

[02:42] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 26.07.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 146 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, सभी सूचनाएं ग्राह्य कर ली गई हैं जो निम्नवत् है:-

पहली सूचना श्री अजय सिंह की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पशुधन विभाग में की गई भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री बम्बा लाल की जिलाधिकारी उन्नाव/मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव से प्रस्तावित कार्य कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री बीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने संबंध में है। चौथी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर में अवैध होर्डिंग हटाये जाने के संबंध में है। पांचवीं सूचना चौ0 उदयभान सिंह की जनपद आगरा के किरावली के अन्तर्गत रूनकता ग्राम पंचायत

का नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में है। छठवीं सूचना श्री दयाराम चौधरी की गोरखपुर डिपो से सेवानिवृत्त केन्द्र प्रभारी के देयकों का भुगतान कराये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री विनोद सरोज की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बाबागंज में हीरागंज रजबहा में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में पुलिया की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। नौवीं सूचना श्री मोहम्मद रिजवान की जनपद मुरादाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री नईम उल हसन की जनपद बिजनौर में सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद सिद्धार्थनगर की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में अग्निशमन विभाग की अवस्थापन कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के कतिपय खराब सी0सी0 मार्ग के निर्माण की जांच कराये जाने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में है। सोलहवीं सूचना डा0 विमलेश पासवान की जनपद गोरखपुर के एन0एच0-29 के गडढों को भरवाये जाने के संबंध में है। सत्रहवीं सूचना श्रीमती मंजू त्यागी की जनपद लखीमपुर खीरी के गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री शशांक त्रिवेदी की जनपद सीतापुर के कतिपय सड़क निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के संबंध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार दोहरे की मेसर्स श्रावस्ती एग्रो टेक प्रा0 लिमिटेड नादरगंज लखनऊ फर्म द्वारा किये गये घोटाले की जांच कराये जाने के संबंध में है। बीसवीं सूचना पं0 राधा कृष्ण शर्मा की जनपद अलीगढ़ के बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। बाइसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। तेइसवीं सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। चौबीसवीं सूचना श्री सोवरन सिंह यादव की जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत स्व0 श्री रघुबीर सिंह यादव राजकीय इण्टर कालेज में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में है। पचीसवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में विद्युत अवस्थापन के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है।

सत्ताइसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की उ0प्र0 ग्राम्य विकास अधिकारी के पद पर अंतिम परिणाम पर चयनित पूर्व 70 सैनिकों की नियुक्ति न किये जाने के संबंध में है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत जमुनिया नाले में हुई सफाई कार्यों की जांच कराये जाने के संबंध में है। उन्तीसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में कतिपय ग्राम प्रधान एवं विकास खण्ड कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है। तीसवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज के नगराम प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में है। इकत्तीसवीं सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चहनिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। बत्तीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय अधूरी सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 33वीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है। 34वीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कराये जाने के संबंध में है। 35वीं सूचना श्री रफीक अन्सारी की जनपद मेरठ के कतिपय जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 36वीं सूचना डॉ0 संग्राम यादव की जनपद प्रयागराज के तैलियरगंज में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है। 37वीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सब-स्टेशन एवं जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाये जाने के संबंध में है। 38वीं सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद हरदोई के अन्तर्गत मरसा एवं सोनहार रजवहे की सिल्ट सफाई में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है। 39वीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की नगर पालिका परिषद् सीतापुर में तैनात रहे अधिशासी अधिकारी निहाल चन्द्र की जांच कराये जाने के सबंध में है। 40वीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील टांडा में एन0टी0पी0सी0 द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में है। 41वीं सूचना श्री मोहम्मद असलम ''राईनी'' (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड सिरसिया के कतिपय ग्रामों में नलकूप की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में है। 42वीं सूचना मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 43वीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की जनपद कानपुर में नगर निगम जोन-1 में वार्ड सं0 89 के मकान 76/228 एवं 76/241 में गाय, भैसों के अवैध पालन के संबंध में है। 44वीं सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रगड़ी में सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। 45वीं सूचना श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव में पीलिया की रोकथाम

किये जाने के संबंध में है। 46वीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के ब्लाक अकबरपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 47वीं सूचना श्री राजेश गौतम की राजस्व विभाग में चैनमैन के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति कराये जाने के संबंध में है। 48वीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट में खरगापुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 49वीं सूचना श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की जनपद बांदा के नगर पालिका परिषद् अतर्रा में कीटनाशक दवाओं की खरीद की जांच कराये जाने के संबंध में है। 50वीं सूचना श्री कल्पनाथ पासवान की जनपद प्रयागराज के श्री अजय चौरसिया निवासी प्रयागराज को दिनांक 23.6.19 को पीटे जाने के प्रकरण की जांच कराये जाने के संबंध में है। 51वीं सूचना श्री महेश कुमार गोयल की जनपद कानपुर-उन्नाव राजमार्ग पर उन्नाव टैम्पो स्टैण्ड में सी0एन0जी0 टैम्पो की संख्या में वृद्धि किये जाने के संबंध में है। 52वीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के रूदही ब्लाक के कतिपय ग्राम सभाओं में पीपे के पुलों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 53वीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 54वीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के कतिपय नहरों की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के संबंध में है। 55वीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के मकसूदपुर चीनी मिल के गन्ना बकाये का भुगतान कराये जाने के संबंध में है। 56वीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद लखनऊ के यदुनाथ सान्याल वार्ड, सुन्दरबाग, वास्तुखण्ड गोमती नगर, में चल रही अवैध डेरियों को हटाये जाने के संबंध में है। 57वीं सूचना श्री योगेश वर्मा की जनपद लखनऊ के आशुतोष नगर में वोल्टेज की समस्या के संबंध में है। 58वीं सूचना श्री श्याम धनी की लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय परियोजनाओं की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के संबंध में है। 59वीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा चिल्लूपार में नदियों की कटान रोके जाने के संबंध में है। 60वीं सूचना श्री जगदीश सोनकर की जनपद लखनऊ के पी0डब्लयू0डी0 (विद्युत) के अधिशासी अभियंताओं की लापरवाही एवं निष्क्रियता की जांच कराये जाने के संबंध में है। 61वीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के नगर पंचायत शाहीगंज में इच्छा नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाये जाने के संबंध में है। 62वीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की जनपद देवरिया में डाले गये पाईपलाइन के कनेक्शन न करने वाले कर्मचारियों की जांच कराये जाने के संबध में है। 63वीं सूचना श्री राम नरेश रावत की जनपद रायबरेली के बछरावां में एन0एच0 24 पर कट बनाये जाने के संबंध में है। 64वीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के ग्राम सभा रेउसा को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में है। 65वीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर में पशुओं की टैंगिंग कराये जाने के संबंध में है। 66वीं सूचना श्री हरिओउम यादव की थाना दिलदारनगर में प्राथमिकी दर्ज न किये जाने की घटना की जांच कराये जाने के संबंध में है। 67वीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार की जनपद गाजीपुर में नहरों की सफाई कराये जाने

के संबंध में है। 68वीं सूचना डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के कतिपय पुलों को चौड़ा कराये जाने के संबंध में है। 69वीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को सुचारु रूप से चलाये जाने के संबंध में है। 70वीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या में लोक निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा अधोमानक कार्यों की जांच कराये जाने के संबंध में है। 71वीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद लखनऊ के कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 72वीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के कतिपय ग्राम सभाओं को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में है। 73वीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवस्थापन कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। 74वीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह की जनपद हरदोई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमित भुगतान कराये जाने के संबंध में है। 75वीं सूचना श्री प्रभाष कुमार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जनहित में स्थानान्तरण नीति बनाये जाने के संबंध में है। 76वीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद प्रयागराज के थाना नवाबगंज में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराये जाने के संबंध में है। 77वीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की प्रदेश के इन्टर कालेजों में कर्मियों को छठे वेतन का लाभ दिलाये जाने के संबंध में है। 78वीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। 79वीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में बसे वन गुर्जरों के पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में है। 80वीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम पुवांरका में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। 81वीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामों की चकबन्दी पर लगायी गयी रोक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। 82वीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र सदर में कतिपय सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 83वीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर स्थित भूड़ चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह की मूर्ति को ठीक कराने और चौराहे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में है। 84वीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के वि0स0 क्षेत्र मिलक के अन्तर्गत रेडिको खेतान प्रा0लिमिटेड डिस्लरी इण्डस्ट्री द्वारा फैलाये जा रहे जल प्रदूषण के संबंध में है। 85वीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा की वि0स0 क्षेत्र भरथना में यमुना नदी पर जाने हेतु पक्का मार्ग एवं श्मशान घाट बनवाये जाने के संबंध में है। 86वीं सूचना डॉ0 जी0एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के वि0स0 क्षेत्र आगरा कैण्ट में मलिन बस्ती श्रावस्तीनगर नरीपुरा में कतिपय गलियों में इण्टर लाकिंग खड़ंजा एवं नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 87वीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है।

88वीं सूचना श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू) की जनपद मुरादाबाद के वि0स0 क्षेत्र कांठ में कतिपय सड़कों की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में है। 89वीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन के माधौगढ़ तहसील में मुंसिफकोर्ट की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। 90वीं सूचना श्री संजीव कुमार की जनपद सोनभद्र के वि0स0 क्षेत्र ओबरा में मीतापुर करगरा टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में है। 91वीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के खजनी वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत वेलघाट ब्लाक मुख्यालय पर सी0एच0सी0 सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। 92वीं सूचना श्री किशन लाल राजपूत की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों में प्राथमिक विद्यालय एवं जू0 हा0 स्कूलों की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। 93वीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर की वि0स0 क्षेत्र बलरामपुर सदर के ग्राम घूघुलपुर में रोडवेज बस अड्डा का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 94वीं सूचना श्री गौरी शंकर की जनपद जालौन के वि0स0 क्षेत्र उरई में पिरौना से डेरी माइनर को चौड़ा किये जाने एवं सिल्ट की सफाई कराये जाने के संबंध में है। 95वीं सूचना श्री बाबूराम पासवान की प्रदेश के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फैली अव्यवस्था के निराकरण के संबंध में है। 96वीं सूचना श्री ब्रिजेश की जनपद सहारनपुर के वि0स0 क्षेत्र देवबन्द में सिद्धपीठ बाबा फकीरादास की तपोस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर विकास कराये जाने के संबंध में है। 97वीं सूचना श्री अनिल पाराशर की जनपद अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त जिला चिकित्सालय में एम0आर0आई0 मशीन स्थापित किये जाने के संबंध में है। 98नेवीं सूचना श्री केसर सिंह की जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज के अन्तर्गत बरौर में निर्मित बन्द पड़े इण्टर कालेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में है। 99वीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद सम्भल के नेकपुर न्याय पंचायत के कतिपय राजस्व ग्रामों को अमरोहा जनपद में शामिल कराये जाने के संबंध में है। 100वीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'' की मेरठ नगर निगम सीमा के अन्तर्गत चल रहे अवैध पार्किंग बन्द कराये जाने के संबंध में है। 101वीं सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद बलिया के वि0स0 क्षेत्र बेल्थरा रोड से बलिया मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 102वीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत कतिपय गांवों में गंगाजल प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन डालने से क्षतिग्रस्त हुई सर्विस रोड, माइनर, चकरोड, राजवाह लिंक रोड आदि की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। 103वीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश में सिक्कों का आदान-प्रदान न होने के कारण हो रहे नुकसान के संबंध में है। 104वीं सूचना श्री जितेन्द्र वर्मा की जनपद आगरा के वि0स0 क्षेत्र फतेहाबाद में रा0 इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। 105वीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के वि0स0 क्षेत्र अलीगंज के ग्राम पंचायत धरौली अन्तर्गत नगला भारा को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में है। 106वीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर को देखते हुए वर्षा जल

संचयन की योजना प्रभावी ढंग से लागू कराये जाने के संबंध में है। 107वीं सूचना श्री रवेन्द्रपाल सिंह की जनपद अलीगढ़ में नानऊ से दादों तक निर्मित सम्पर्क मार्ग के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है। 108वीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद लखनऊ के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज में सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात कार्मिक का स्थानान्तरण एवं उक्त कर्मी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है। 109वीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के वि0स0 क्षेत्र फरीदपुर में कतिपय विद्युत केन्द्रों को अपग्रेड कराये जाने के संबंध में है। 110वीं सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी के वि0स0 क्षेत्र दरियाबाद में दरियाबाद ब्रांच नहर पर कतिपय गांवों में पुल बनवाये जाने के संबंध में है। 111वीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा के ग्राम बेलतुआ में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 112वीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के नरपत खेड़ा में मूलभूत सुविधायें एवं चिन्हित भूमि को शीघ्र चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित कर पी0एच0सी0 का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 113वीं सूचना श्री काली प्रसाद की जनपद देवरिया के वि0स0 क्षेत्र सलेमपुर के अन्तर्गत बरहज तहसील में स्थानान्तरित कतिपय ग्रामों को पुनः सलेमपुर तहसील में जोड़े जाने के संबंध में है। 114वीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर की वि0स0 क्षेत्र खागा में नवनिर्मित पुल की जांच कराये जाने के संबंध में है। 115वीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के वि0स0 क्षेत्र पुरकाजी में बढ़ीवाला गांव में सोनाली नदी पर अप्रयुक्त पुल के गार्टर के संबंध में है। 116वीं सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के वि0स0 क्षेत्र बुढ़ाना में काली नदी की सिल्ट साफ कराये जाने के संबंध में है। 117वीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में एरच बॉध परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में है। 118वीं सूचना श्री वीरेन्द्र, श्री संजीव दिवाकर, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री विपिन कुमार 'डेविड' की जनपद एटा में कतिपय सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 119वीं सूचना श्री असलम अली की जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के ग्राम डासना में गन्दे नाले की सफाई कराये जाने के संबंध में है। 120वीं सूचना श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय की जनपद चित्रकूट की तहसील राजापुर के ग्राम बरेठी में राजकीय इंटर कालेज एवं राजकीय बालिका इंटर कालेज की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। 121वीं सूचना श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू' की आई0जी0आर0एस0 संख्या 25157180140097 दिनांक 22.06.2018 की निष्पक्ष जांच कराये जाने के संबंध में है। 122वीं सूचना डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज की जनपद मेरठ के आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवंटन में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है। 123वीं सूचना श्री हरीराम की जनपद प्रयागराज में स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में तैनात डॉक्टरों द्वारा भ्रष्टाचार एवं धन उगाही किये जाने के संबंध में है। 124वीं सूचना श्री अबरार अहमद की स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

कराये जाने के संबंध में है। 125वीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर की वि0स0 क्षेत्र छानबे में सी0सी0 लाइनिंग पिचिंग के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के संबंध में है। 126वीं सूचना श्री ओमकुमार की जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नहटौर के वि0ख0 हल्दौर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। 127वीं सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद सीतापुर के वि0स0 क्षेत्र सिधौली में कच्ची सड़क को पक्का कराये जाने के संबंध में है। 128वीं सूचना कुंवर अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया'' की जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज कुड़िहर माइनर में टेल तक पानी पहुंचाए जाने के संबंध में है। 129वीं सूचना श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले घाघरा नदी के कम्हरिया घाट पर पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। 130वीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के ग्राम बेगरिया में सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 131वीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र बदलापुर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 132वीं सूचना श्री कपिलदेव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय क्षेत्रों में विद्युत तारों को अण्डरग्राउण्ड कराये जाने के संबंध में है। 133वीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के मनकामेश्वर वार्ड में रैम्प का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 134वीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के हाटा में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 135वीं सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कवाल तहसील जानसठ में राजकीय इण्टर कालेज में कक्षाएं संचालित किये जाने के संबंध में है। 136वीं सूचना श्री गंगा की जनपद गौतमबुद्धनगर में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में है। 137वीं सूचना श्री दिनेश खटीक की उच्च शिक्षण संस्थानों में बायोकेमिस्ट्री एवं बायोटेक्नोलॉजी विषय को बायोलॉजी श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के संबंध में है। 138वीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया की जनपद बदायूं के वि0स0 क्षेत्र दातागंज में किसानों की भूमि से अवैध कब्जा हटवाये जाने के संबंध में है। 139वीं सूचना श्री विजय कुमार कश्यप की जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में मार्ग का चौड़ीकरण करवाये जाने के संबंध में है। 140वीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 141वीं सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय की जनपद लखनऊ के न्यू हैदराबाद क्षेत्र में अवैध निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 142वीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ में साईपन के पुल से जाने वाले मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में है। 143वीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा में दिये जा रहे पोषाहार की कालाबाजारी रोके जाने के संबंध में है। 144वीं सूचना श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर की वि0स0 क्षेत्र सहजनवा में औद्योगिक इकाईयों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने के संबंध में है। 145वीं सूचना श्री शीतल पाण्डेय की जनपद हमीरपुर की राठ तहसील में

पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। 146वीं सूचना श्री राजकुमार अग्रवाल की जनपद लखनऊ के थाना गाजीपुर में दर्ज प्राथमिकी सं0 219/19 पर कार्रवाई कराये जाने के संबंध में है।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भौरेश्वर धाम, सई नदी में गिरने वाले गन्दे नाले से हो रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली की...

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए निवेदन करता हूं कि गन्दे नाले के दूषित पानी को बन्द किये जाने का प्रकरण यथाशीघ्र-अतिशीघ्र निस्तारण किये जाने के आदेश देने का कष्ट करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[ग्राम सभा असरेन्दा में सई नदी के तट पर प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर बाबा भौरेश्वर धाम परिसर, उन्नाव जनपद के साथ-साथ अन्य जनपदों लखनऊ व रायबरेली की सीमाओं से मिलता है। मंदिर के समीप से सई नदी बनी-बंथरा, जनपद-लखनऊ से होते हुए जबरेला बरेंदा, जनपद-उन्नाव होते हुए जनपद-रायबरेली की ओर जाती है।

बाबा भौरेश्वर धाम मंदिर से सई नदी के अपस्ट्रीम में लगभग 400 मीटर की दूरी पर मिलने वाला नाला जोकि लखनऊ नगर से आरम्भ होकर मोहनलालगंज दयालपुर, तारापुर एवं चन्दीखेड़ा होते हुए सई नदी में गिरता है। संदर्भित नाले की जल का परीक्षण लखनऊ के बिजनौर एवं सई नदी में नाले के गिरने वाले स्थान से जल का परीक्षण आई0आई0टी0आर0 लखनऊ (सी0एस0आई0आर0 लैब भारत सरकार) से माह फरवरी, 2019 में कराया गया था। परीक्षण रिपोर्ट में बी0ओ0डी0 की मात्रा 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम पाई गई, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त नाले में लखनऊ नगर के आंशिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रों से आ रहे सीवरेज को संशोधित करने हेतु 80 एमएलडी एस0टी0पी0 के निर्माण का प्राक्कलन अनुमानित लागत रुपये 53224.72 लाख एन0एम0सी0जी0 नई दिल्ली को माह मार्च, 2019 में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त प्राक्कलन पर धनावंटन के उपरान्त प्रस्तावित ए0टी0पी0 के निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे, जिससे नाले के प्रदूषण का स्तर और भी कम हो जायेगा।]

जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के ग्राम ताखा पूरब स्थित रजिस्टर्ड गौशाला में पशुओं को रखवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव ललई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

इस सम्बन्ध में निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद जौनपुर में अस्थायी गोवंश...

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पशुधन मंत्री वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[आश्रय स्थल सिधाई विकास खण्ड शाहगंज (सोधी), तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में वर्तमान में यहां पर कुल 40 निराश्रित/बेसहारा गोवंश संरक्षित हैं, जिसमें भूसा, पशु आहार खाने हेतु चरनी, नाद तथा टिन शेड की व्यवस्था की जा रही है। गोवंश को पानी पीने हेतु एक चरनी एवं पानी भरने के लिए मोटर की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 20 कुंतल भूसा तथा 02 बोरी पशु आहार गोशाला में उपलब्ध है। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नियमित रूप से गोवंश की देखभाल व समय-समय पर टीकाकरण आदि किया जाता है। गोशाला में लाइट की व्यवस्था व पानी भरने हेतु जनरेटर की व्यवस्था है।

अस्थायी गो-आश्रय स्थल खुटहन, विकास खण्ड तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में कुल 175 गोवंश संरक्षित हैं, जिसमें भूसा, पशु आहार खाने हेतु 03 चरनी नाद तथा उसके ऊपर छाया हेतु मड़ई की व्यवस्था है। गोवंश के पानी पीने हेतु चरनी एवं पानी की व्यवस्था हेतु समर्सेबल पम्प की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 25 कु0 भूसा तथा 10 बोरी पशु आहार गोशाला में उपलब्ध है। गोशाला में छाया के लिए पर्याप्त संख्या में छायादार वृक्ष भी उपलब्ध हैं। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नियमित रूप से गोवंश की देखभाल व समय-समय पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टीकाकरण आदि किया जाता है। गोशाला में जल जमाव निकालने हेतु निजी पम्प सेट की व्यवस्था है।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों गोशालाओं के गोवंश का उचित रख-रखाव किया जा रहा है और चारे की पर्याप्त व्यवस्था है, साथ ही सरकारी धन का सदुपयोग किया जा रहा है। शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02 जनवरी, 2019 के प्रस्तर 3.1 के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना/व्यवस्था एवं प्रबन्धन संचालन स्थानीय निकाय यथा ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम (जहां जैसी स्थिति लागू हो) द्वारा की जायेगी। परन्तु ग्राम ताखा पूरब में स्थित गोशाला एक निजी गोशाला है, जिसका संचालन शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 2019 में उल्लिखित संस्थाओं में से किसी भी एक संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त दोनों गोशालाओं के गोवंश को हटाकर ग्राम ताखा पूरब में राजमार्ग पर स्थित गोशाला में रखने का आदेश उक्त शासनादेश के अनुकूल नहीं होगा।

उ0प्र0, गोशाला अधिनियम, 1964 के तहत कुल 523 पंजीकृत गोशालायें हैं। यह गोशालाएं गोवंशीय पशु रखने, उनका अभिजनन पालन या भरण-पोषण करने, दुर्बल, बूढ़े, असक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गयी है। इन गोशालाओं में पुलिस प्रशासन से सुपुर्दगी में प्राप्त एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त छुट्टा गोवंश रखे जा सकते हैं। जनपद जौनपुर में उक्त अधिनियम अन्तर्गत पंजीकृत गोशालायें निम्नवत् हैं :-

क्र0 सं0	पंजीकृत गोशाला का नाम
1	श्री गो कृष्णादि रक्षिणी सभा, शाहगंज, जौनपुर
2	पिंजरापोल पशु अनाथालय, जौनपुर
3	श्री गोपाल गोशाला, मड़ियाहू, जौनपुर
4	श्री जयकिशुन यादव गो-सेवा समिति, कटवार, बरसठी, जौनपुर
5	पहलवान राम मूरत यादव पिंजरापोल पशु अनाथालय गोशाला सेवा समिति, ग्राम सुरैला, पोस्ट उमरी ब्लाक मुफ्तीगंज, तहसील केराकत, जौनपुर
6	श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति, ग्रा0 व पो0 अमहित, जौनपुर
7	गोरक्षा समिति भगवानपुर जौनपुर

निराश्रित/बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गो-सेवा आयोग के माध्यम से उ0प्र0 मण्डी परिषद् की मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय का एक प्रतिशत गो-संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनुदान सहायता के रूप में उ0प्र0, गोशाला अधिनियम, 1964 के

तहत प्रदेश की पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु रु0 30 प्रति पशु, प्रतिदिन की दर से दिये जाने की व्यवस्था है।]

***श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गौशाला है, जो शहर के किनारे कई एकड़ में फैला हुआ है और काफी विकसित है। इसके बावजूद वहां पर सरकार द्वारा जो दो अस्थायी गौशालाएं बनायी गयी हैं, उनमें व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैंने स्वयं एक गौशाला का निरीक्षण किया और देखा कि गर्मी के महीने में छोटे-छोटे टीन शेड के नीचे जानवर बांधे हुए थे। हम अपनी गायों को पंखे के नीचे पक्के में रखते हैं। वहां पर जो अस्थायी गौशाला बनायी गयी है, वास्तव में मा0 मंत्री जी, उस अस्थायी गौशाला की बहुत दुर्दशा है। मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर जो गौशाला खाली पड़ी है, अगर उस अस्थायी गौ-वंश के पशुओं को इस गौशाला में समायोजित कर दिया जाये, तो यह एक बेहतर व्यवस्था होगी। मेरा इस प्रश्न को लाने का यही उद्देश्य था।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में किसान सहकारी चीनी मिल के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद के सेवानिवृत्त सैकड़ों....

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[कर्मचारियों की ग्रेच्युटी व अन्य देयों का भुगतान बाकी होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान हैं। बकाया भुगतान कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है और प्रकरण लोक महत्व एवं जनहित से जुड़ा हुआ विषय है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद-सीतापुर में निरन्तर हानि के चलते व संसाधनों के अभाव में वर्ष 2010 से मार्च, 2019 तक 234 सेवानिवृत्त मिल कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक देय रु0 421.00 लाख का भुगतान अवशेष है। जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की टेन्टेटिव बैलेन्सशीट के अनुसार चीनी मिल की सकल हानि लगभग रु0 559.00 करोड़ है। चीनी मिल में प्राप्त आय, व्ययों के सापेक्ष कम है। मिल की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समस्त अवशेष देयों का भुगतान समयान्तर्गत कर सके। अतः मिल प्रबन्धन द्वारा महमूदाबाद चीनी मिल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार मा0 न्यायालय से आच्छादित कर्मचारियों को रु0 20,000 एवं अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रु0 10,000 प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।]

कृषि विभाग द्वारा फर्जी तरीके से मिट्टी की जांच कराये जाने एवं सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मद संख्या-75 स्थगित है।

जनपद प्रयागराज में अवैधानिक ढंग से हो रहे भूमि अधिग्रहण को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मद संख्या-76 स्थगित है।

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ऊंचाहार में विद्युत समस्या के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, यह वक्तव्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी का है। वह सदन में उपस्थित नहीं हैं।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, नियम-51 में मा0 सदस्य का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। अतः इनके वक्तव्य को पढ़ दिया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

दिनांक 13.07.2019 को 33/11 के0वी0 ऊंचाहार तहसील उपकेन्द्र से निर्गत 11 के0वी0 जमुनापुर फीडर पर ग्राम पचखरा....

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[(उपकेन्द्र से दूरी लगभग 7 कि0मी0) में तेज हवा एवं बारिश के कारण 11 के0वी0 लाइन का तार टूट जाने से खेत में धान की रोपाई/नर्सरी कर रही 6 नग महिलाएं विद्युत स्पर्शघात से प्रभावित हुईं जिसमें एक महिला की तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी एवं 2 महिलाओं की मृत्यु लखनऊ में इलाज के दौरान हुई। 3 अन्य महिलाओं का श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल लखनऊ में इलाज चल रहा था। मृतका किसुनदेई एवं राजपती के आश्रितों को जिला प्रशासन के सहयोग से 5-5 लाख की धनराशि दिनांक 17.07.2019 को निर्गत कर दी गयी थी एवं मृतका राजवती के आश्रित को रु0 5.00 लाख की धनराशि दिनांक 26.07.2019 को प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध करा दी जायेगी। घायल श्रीमती रामपती एवं सोनादेवी इलाज के पश्चात् घर वापस आ चुकी हैं। श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी श्री हीरालाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के प्रथम दृष्टया दोषी श्री मनोज कुमार सिंह अवर अभियन्ता एवं श्री मुन्नूलाल लाइन मैन को प्रकरण में निलम्बित किया जा चुका है। विद्युत दुर्घटना की जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय को जांच अधिकारी नामित कर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद रायबरेली में ऊंचाहार विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊंचाहार टाउन (2x5+1x10), जगतपुर (2x5), ऊंचाहार तहसील (2x5), गदागंज (1x5+1x10), जमुनापुर (2x5), रोहनियां (2x5), रसूलपुर (1x5), इटौरा बुजुर्ग (1x5) एम0वी0ए0, कुल 8 नग विद्युत उपकेन्द्र हैं।

132 के0वी0 अमॉवा (रायबरेली) उपकेन्द्र से निर्गत 33 के0वी0 लाइन पर 33/11 के0वी0 जगतपुर (2x5) एवं 33/11 के0वी0 ऊंचाहार (2x5+1x10) टाउन विद्युत उपकेन्द्र जुड़े हुए हैं जिस पर 300 एम्पियर विद्युत भार चल रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

132 के0वी0 अमांवा (रायबरेली) उपकेन्द्र से दूसरी 33 के0वी0 लाइन पर ऊंचाहार तहसील जुड़ा है जिस पर 170 एम्पियर विद्युत भार चल रहा है।

132 के0वी0 डलमऊ से निर्गत 33 के0वी0 लाइन पर 33/11 के0वी0 गदागंज एवं 33/11 के0वी0 जमुनापुर उपकेन्द्र जुड़े हैं जिस पर 308 एम्पियर विद्युत भार चल रहा है।

132 के0वी0 रग्घूपुर (सलोन) से निर्गत 33 के0वी0 लाइन पर 33/11 के0वी0 रोहनियां, 33/11 के0वी0 रसूलपुर एवं 33/11 के0वी0 इटौरा बुजुर्ग उपकेन्द्र जुड़े हैं। 33 के0वी0 लाइन पर 285 एम्पियर विद्युत भार चल रहा है।

एन0टी0पी0सी0 ऊंचाहार से या इटौंरा बुजुर्ग के 10 से 15 किमी की परिधि में वर्तमान में 132 के0वी0 विभव की कोई लाइन नहीं है। वर्तमान में 132 के0वी0 अमॉवा, डलमऊ तथा रग्घूपुर (सलोन) उपकेन्द्रों से निर्गत 33 के0वी0 लाइनें अधिभारित नहीं हैं। भविष्य में विद्युत भार का आंकलन तथा पारेषण कार्य अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक मानदण्डों के अनुरूप, आर्थिक व तकनीकी परीक्षणों उपरान्त नये 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण पर तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा।]

जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ-84 के अन्तर्गत फर्जी अभिलेखों के आधार पर चल रही उचित दर की दुकान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिजीत सिंह सांगा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मद संख्या-78 स्थगित है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत कतिपय भूमियों की फर्जी प्रविष्टि की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 अनीता लोधी राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि राजस्व अभिलेखागार कलैक्ट्रेट बुलन्दशहर...

***श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-**

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

<u>आख्या-</u>

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[कि खतौनी फसली वर्ष 1360 के खाता संख्या 810 (कृषि योग्य बंजर) के गाटा संख्या 1095 पर अंकित है कि मि0नं0 25 मु0 फसली 14.11.53 तनकी जमाबन्दी आराजी नं0 1095 रकवा 11-4-0 ल0 36.97 वमूजिव शरह रिवीजन पर ओमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर नि0 कस्बा डिबाई बतौर सीरदार दर्ज होवे। खतौनी फसली वर्ष 1362 के खाता संख्या 349 के गाटा संख्या 1095/2 रकवा 11-4-0 ल0 36.97 पर ओमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर जाति ब्राहमण नि0 डिबाई का नाम बतौर सीरदार अंकित है। खतौनी फसली वर्ष 1366-68 के खाता संख्या 377 के गाटा संख्या 1095/2 रकवा 11-4-0 ल0 36.97 ओमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर नि0ग्रा0 का नाम बतौर सीरदार अंकित है। चकबन्दी आधार वर्ष 1369-1371 फ0 के खाता संख्या 386 के गाटा संख्या 1095/2 रकवा 11-4-0 ल0 36.97 ओमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर नि0ग्रा0 का नाम बतौर सीरदार अंकित है। जो0च0आ0प0-11 के खाता संख्या 428 के गाटा संख्या 1095/2 रकवा 11-4-0 ल0 36.97 पर ओमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर नि0ग्रा0 का नाम बतौर सीरदार अंकित है। जो0च0आ0प0-23 के खाता संख्या 48 के गाटा संख्या 1095/2 रकवा 11-4-0 ल0 36.97 पर ओमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर नि0ग्रा0 का नाम बतौर भूमिधर अंकित है। इसी प्रकार जो0च0आ0प0-45 के खाता संख्या 65 के गाटा संख्या 778 रकवा 11-4-0 ल0 36.97 पर ओमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर नि0ग्रा0 का नाम बतौर सं0भू0 अंकित है।

वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1424-1429 फ0 के खाता संख्या 89 के गाटा संख्या 778 रकवा 2.8330 हे0ल0 36.97 पर ओमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर नि0ग्रा0 का नाम कॉलम नं0 02 में बतौर सं0भू0 अंकित है, इसी खाते के परिवर्तन संबंधी कॉलम में मृतक ओमप्रकाश के स्थान प्रदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश व निधि भारद्वाज पत्नी प्रभात भारद्वाज व खुशबू भारद्वाज व महक भारद्वाज पुत्री स्व0 प्रभात भारद्वाज (मृतक पुत्रबधु व पौत्रियों) नि0ग्रा0 के नाम बतौर वारिसान आदेश दिनांक 07.12.2012 दर्ज हुये। इसके वाद न्यायालय तहसीलदार सदर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2013 का अमलदरामद अंकित है, जिसके द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 08.02.2013 के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया तथा खतौनी ग्राम डिबाई देहात परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर बाबत फसली वर्ष 1418-1423 फ0 के खाता संख्या 96 के गाटा संख्या 778 क्षेत्रफल 2.833 हे0 वार्षिक लगान 70.00 पर अंकित विक्रेतागण श्री प्रदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि0 बसन्त कॉलोनी, नई दिल्ली व श्रीमती निधि भारद्वाज पत्नी स्व0 प्रभात भारद्वाज व खुशबू भारद्वाज व कु0 महक भारद्वाज पुत्री स्व0 प्रभात भारद्वाज निवासीगण सी-9 शालीमार गार्डन, साहिबाबाद का नाम निरस्त करके क्रेता अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल नि0 मौ0 ब्रह्मनपुरी, नन्दवाटिका कस्बा डिबाई, बुलन्दशहर का नाम बतौर सं0भू0 अंकित किया गया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

प्रकरण के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि सीरदार काश्तकार श्री ओमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर नि0 कस्बा डिबाई द्वारा गाटा संख्या 778 रकबा 2.833 हे0 का पंजीकृत बैनामा दिनांक 08.02.2013 को क्रेता श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल नि0 मौहल्ला ब्रमहनपुरी नन्दवाटिका कस्बा व तहसील डिबाई में निष्पादित कर दिया गया है। पंजीकृत बैनामा के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार डिबाई एवं सदर में पक्षकारों की ओर से आपत्तियां भी प्रस्तुत की गयीं। उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त तहसीलदार सदर द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2013 पारित किया गया, जिसमें पंजीकृत बैनामा दिनांक 08.02.2013 के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा खतौनी ग्राम डिबाई देहात परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर बाबत फसली वर्ष 1418-1423 फ0 के खाता संख्या 96 के गाटा संख्या 778 क्षेत्रफल 2.833 हे0 वार्षिक लगान 70.00 पर अंकित विक्रेतागण श्री प्रदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि0 बसन्त कॉलोनी, नई दिल्ली व श्रीमती निधि भारद्वाज पत्नी स्व0 प्रभात भारद्वाज व खुशबू भारद्वाज व कु0 महक भारद्वाज पुत्री स्व0 प्रभात भारद्वाज निवासीगण सी-9 शालीमार गार्डन, साहिबाबाद का नाम निरस्त करके क्रेता अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल नि0 मौ0 ब्रहमनपुरी, नन्दवाटिका कस्बा डिबाई, बुलन्दशहर का नाम बतौर सं0भू0 अंकित किया गया।

आदेश दिनांक 05.08.2013 के विरुद्ध तहसीलदार डिबाई के न्यायालय में नम्बर साबिक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की तर्कसंगत बहस को सुनने के उपरान्त तत्कालीन तहसीलदार डिबाई द्वारा आदेश दिनांक 13.04.2015 पारित किया गया, जिसमें नम्बर साबिक प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.09.2014 व 04.10.2014 बलहीन व निराधार होने के कारण निरस्त किया गया तथा पूर्व पारित आदेश दिनांक 05.08.2013 की पुष्टि की गयी।

प्रश्नगत आदेश से क्षुब्ध होकर उप जिलाधिकारी डिबाई के न्यायालय में निगरानी संख्या टी-20151117071085 पवन कुमार बनाम अंकुर अग्रवाल धारा 210 एल0आर0 एक्ट मौजा डिबाई देहात परगना व तहसील डिबाई योजित की गयी, जो दिनांक 08.01.2018 को पक्षों की अदम पैरवी में निरस्त की गयी। प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाओं से आच्छादित है।]

जनपद बुलन्दशहर स्थित काली नदी के आस-पास हुए अतिक्रमण को हटाये जाने मे सम्बन्ध में श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

***वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्राप्त सूचनानुसार बुलन्दशहर नगर स्थित काली नदी, जो कि शहर के बीच से होकर निकलती है, उस पर दो पुल बने हुए हैं। नये पुल से जो रास्ता श्मशान की तरफ जाता है, वहां पुल के किनारे पर नदी में अतिक्रमण नहीं किया गया है। स्थल पर पूर्व से पड़े कूड़े को उठाने हेतु सम्बन्धित फर्म को नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर के कार्यालय पत्र दिनांक 20.07.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में उक्त फर्म ने कूड़ा उठवाना प्रारम्भ कर दिया है। नदी के पुल के नीचे टूटी जाली को पुनः ठीक कराने हेतु अवर अभियन्ता (निर्माण) द्वारा आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसकी बोर्ड से स्वीकृति के उपरान्त उक्त जाली का कार्य करा दिया जायेगा।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के ग्राम बन्थर के औद्योगिक क्षेत्र में फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि बन्थर औद्योगिक क्षेत्र जनपद-उन्नाव में मात्र 01 पशु वधशाला मे0 एग्रीकॉम फूड्स प्रा0 लिमिटेड....

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[बी-32 से 47, एल0टी0पी0 बन्थर, उन्नाव स्थापित है। उक्त पशु वधशाला से प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु स्वयं का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है एवं कार्यशील अवस्था में है। पशुवधशाला से जनित ब्लड से ब्लड मील का उत्पादन किये जाने हेतु उद्योग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

परिसर में ब्लड कोगुलेटर स्थापित है एवं संचालनरत् है। उद्योग द्वारा औद्योगिक बहिस्राव को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से शुद्धिकृत कर शुद्धिकृत उत्प्रवाह का आंशिक भाग उद्योग की उत्पादन प्रक्रियाओं यथा वाशिंग में एवं उद्योग परिसर के अन्दर सिंचाई में प्रयोग किया जाता है तथा शेष भाग औद्योगिक ड्रेन के माध्यम से सिटी जेल ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। उक्त पशु वधशाला में औद्योगिक उत्प्रवाह को बोरिंग के माध्यम से जमीन में नहीं डाला जाता है। पशु वधशाला में पशुओं की हड्डी पिसाई कर चूरा बनाने का कार्य नहीं किया जाता है। अपितु पशु वधशाला से जनित निष्प्रयोज्य मांस, हड्डी एवं अन्य अवशेष का प्रयोग कर उद्योग परिसर में स्थापित रेण्डरिंग प्लाण्ट द्वारा मीट बोन मील (एम0बी0एम0) का उत्पादन किया जाता है। उक्त रेण्डरिंग प्लाण्ट से जनित दुर्गन्ध की रोकथाम हेतु बायोफिल्टर स्थापित है, जो क्रियाशील अवस्था में है। रेण्डरिंग प्लाण्ट बन्द शेड के अन्दर स्थापित है एवं समस्त प्रक्रियायें क्लोज सर्किट में की जाती हैं तथा रेण्डरिंग प्लाण्ट से कोई भी धूल आदि नहीं उड़ती है। कुंभ मेला-2019 के दौरान उक्त पशुवधशाला दिनांक 15.12.2018 से दिनांक 15.03.2019 तक लगातार बन्द रहा है। पदोपरान्त पशु वधशाला में उत्पादन आरम्भ किया गया है।

संदर्भित पशु वधशाला मे0 एग्रीकॉम फूड्स प्रा0 लिमिटेड, बन्थर, उन्नाव का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.04.2019 एवं 01.05.2019 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उद्योग से एकत्रित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूनों में प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

बन्थर औद्योगिक क्षेत्र उन्नाव में उक्त पशु वधशाला के अतिरिक्त प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों में सी0ई0टी0पी0, बन्थर उन्नाव से सम्बद्ध 26 टैनरी इकाइयां एवं 01 डॉगच्यू इकाई स्थापित है तथा 01 टैनरी इकाई स्वयं के ई0टी0पी0 सहित स्थापित है। सी0ई0टी0पी0 बन्थर में कमियां पाये जाने के फलस्वरूप उससे सम्बद्ध कुल 27 (26 टैनरी इकाई एवं 01 डॉगच्यू इकाई) इकाइयों को बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 04.06.2019 जारी किये गये हैं तथा इन इकाइयों के विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदित किये गये हैं। स्वतः ई0टी0पी0 युक्त 01 टैनरी इकाई द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर ड्रेन के माध्यम से सिटी जेल ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। बन्थर औद्योगिक क्षेत्र, उन्नाव में फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट को आस-पास के खुले स्थानों या बन्थर नाले में न फेंके जाने की रोकथाम हेतु समय-समय पर निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। बन्थर, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों एवं प्रदूषण विभाग के स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत सम्बन्धी अंकित विवरण सत्य नहीं है।

जनपद-उन्नाव के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित भूमिगत जल के नमूनों की विश्लेषण आख्यानुसार भूमिगत जल में टोटल डिजाल्व सॉलिड (टीडी0एस0), टोटल हार्डनेस, क्लोराइड, फ्लोराइड, एल्कलिनिटी, कैल्शियम हार्डनेस एवं मैग्नेशियम हार्डनेस पेयजल हेतु वांछित सीमा से अधिक पायी गयी हैं, जिसका प्रमुख कारण प्राकृतिक भौगोलिक संरचना (जियोजेनिक) है।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट में आर0ओ0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 जी0एस0 धर्मेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैन्ट के अन्तर्गत सदर तहसील से ईदगाह रेलवे लाइन के ऊपर आ0ओ0बी0 निर्मित.....

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[किये जाने हेतु लागत रु0 6527.52 लाख का आगणन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिसमें रेलवे भूमि अधिग्रहण की लागत रु0 1573.56 लाख सम्मिलित है। उक्त रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या-77 से 300 मीटर से हटकर निर्माण कराये जाने के कारण निर्माण में रेलवे विभाग द्वारा 50 प्रतिशत की सहभागिता नहीं की जायेगी और राज्य सरकार को कुल व्यय-भार वहन करना होगा। प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद गोरखपुर के आई0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत करायी गयी अण्डरग्राउण्ड वायरिंग के अधोमानक होने के सम्बन्ध में डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, गोरखपुर नगर में आई0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत कराये जा रहे मेसर्स एस0टी0 इलेक्ट्रिकल प्रा0लिमिटेड, जे-56, एस-ब्लाक एम0आई0डी0सी0 भोसरी पुणे द्वारा गोलघर के पुर्दिलपुर...

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[में कराये जा रहे कार्य की गुणवत्ता की स्थलीय जांच मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर की उपस्थिति में अण्डरग्राउण्ड केबिल के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसी सम्बन्ध में ही जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भी एक जांच समिति गठित की गयी। मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर एवं जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा उक्त प्रकरण की जांच में की गई अनुशंसा के क्रम में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :

1. जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनुबन्ध में निहित तकनीकी मानक के अनुरूप कार्य न सम्पादित कर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने हेतु चेष्टा मेसर्स एस0टी0 इलेक्ट्रिकल प्रा0लिमिटेड, जे-56, एस0-ब्लाक, एम0आई0डी0सी0 भोसरी पुणे के विरुद्ध दिनांक 03.07.2019 को एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गई।
2. कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एजेन्सी (पी0एम0ए0) मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लिमिटेड, लखनऊ की दायित्वों का पालन करने में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में दिनांक 05.07.2019 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी।
3. कार्यदायी संस्था मेसर्स एस0टी0 इलेक्ट्रिकल प्रा0लिमिटेड, जे-56, एस0-ब्लाक एम0आई0डी0सी0 भोसरी पुणे द्वारा कार्य मानकों के अनुरूप न करने के कारण पत्र संख्या-1229/पू0वि0वि0नि0लिमिटेड(वा0/आई0पी0डी0एस0 दिनांक 05.07.2019 द्वारा फर्म को अनुबन्ध निरस्त करने एवं काली सूची में डालने हेतु कारण बताओं नोटिस भेज दिया गया है।
4. प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एजेन्सी (पी0एम0ए0) मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लिमिटेड, लखनऊ को पत्र संख्या-1250/पू0वि0वि0नि0लिमिटेड(वा0/आई0पी0डी0एस0 दिनांक 10.07.2019 के द्वारा शिथिलता बरतने एवं मानकों के विपरीत कराये गये उपरोक्त कार्यों में लिप्त होने के सम्बन्ध में अनुबन्ध निरस्त करते हुए काली सूची में डालने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है।
5. खराब गुणवत्ता के कार्य का समय से अनुश्रवण न करने के लिए विभागीय अधिकारियों को गोरखपुर नगर में एल0टी0 ग्राउण्ड केबिलिंग के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। जिसके कारण इं0 अखिलेश कुमार सिंह (97142) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर तथा इं0 प्रत्यूश वल्लभ (0216159) उपखण्ड अधिकारी विद्युत

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, गोरखपुर के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, प्रथम को क्रमवार पत्र संख्या-4240/पू0वि0वि0नि0लिमिटेड(वा0)/अनु0कार्य/जांच समिति-149, दिनांक 08.07.2019 तथा पत्र संख्या 4239/पू0वि0वि0नि0लिमिटेड (वा0)/अनु0कार्य/जांच समिति-149 दिनांक 08.07.2019 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। श्री अरुण कुमार चौधरी अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 विश्वविद्यालय उपकेन्द्र गोरखपुर को अपने दायित्व एवं शिथिल पर्यवेक्षण के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या-1504/वि0न0वि0मं0(गो0)/एल-10 दिनांक 08.07.2019 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया था एवं सभी को आरोप पत्र निर्गत कर दिये गये हैं। मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

6. मेसर्स एस0टी0 इलेक्ट्रिकल प्रा0लिमिटेड, जे-56, एस-ब्लाक एम0आई0डी0सी0 भोसरी पुणे का अनुबन्ध संख्या-621/MD/PUVVNL(V)P-2/EAV102/2017-18/EAV-124/2017-18, दिनांक 18.07.2018 के द्वारा धनराशि रु0 30,51,46,780.00 का अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध के अन्तर्गत कृत कार्यों के विरुद्ध फर्म द्वारा रु0 9.29 करोड़ के बीजक प्रस्तुत किये गये थे। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार रु0 2.38 करोड़ की धनराशि रोकते हुए मेसर्स एस0टी0 इलेक्ट्रिकल प्रा0लिमिटेड, पुणे को चालू बीजकों के विरुद्ध रु0 6.91 करोड़ का अब तक भुगतान किया गया है। मेसर्स एस0टी0 इलेक्ट्रिकल प्रा0लिमिटेड, पुणे द्वारा किये गये अधोमानक कार्यों के कारण विभाग को हुई हानि की भरपाई फर्म द्वारा विभाग में जमा की गयी बैंक गारण्टी से सामायोजित किया जा सकता है।
7. प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एजेन्सी (पी0एम0ए0) मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0 लिमिटेड, लखनऊ को अब तक रु0 16.03 लाख का भुगतान किया गया है।
8. गोरखपुर नगर में अण्डरग्राउण्ड केबल के कार्यों की सतर्कता जांच के आदेश दिये गये हैं।]

जनपद प्रतापगढ़ के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में ट्रामा सेन्टर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, उक्त सूचना के सम्बन्ध में आख्या निम्नानुसार हैः- जनपद-प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा में लेवल-3 के ट्रामा सेन्टर का भवन निर्माण पूर्ण होकर मार्च, 2019 में विभाग को हस्तगत.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री अजय कुमार लल्लू-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[हो गया है। यह ट्रामा सेन्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज प्रतापगढ़ के परिसर में ही स्थित है, जो भी दुर्घटनाग्रस्त मरीज आते हैं उनका उपचार अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जा रहा है।

ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील किये जाने हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप मानव संसाधन हेतु पद सृजन एवं उपकरण/साज-सज्जा सामग्री एवं संयंत्र आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मानकानुसार ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील किये जाने हेतु आवश्यक चिकित्सकों/पैरामेडिकल आदि की का पद सृर्जन किये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा कतिपय पृच्छायें की गयी है, जिनका शीघ्र समाधान कर पद सृजन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी। पद सृजन होने के उपरान्त उपकरण/साज-सज्जा सामग्री एवं संयंत्र आदि के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर ट्रामा सेन्टर को प्राथमिकता के आधार पर क्रियाशील किया जायेगा।]

जनपद अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारदर्शितापूर्ण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् प्रयागराज के पत्र.....

***श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 23.02.2019 के क्रम में जनपद के 70 प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया, उक्तानुसार प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उक्त प्राप्त निर्देश दिनांक 23.02.2019 की प्रति उपलब्ध कराते हुए उसके अनुपालन में विद्यालयों का चयन कर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। खण्ड शिक्षा अधिकारियों के स्तर से चयनित विद्यालयों का प्रकाशन जिला स्तर से दिनांक 09.03.2019 को कराया गया। इसी क्रम में सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् प्रयागराज के पत्र दिनांक 10.05.2019 के क्रम में जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड से 05-05 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया, उक्तानुसार प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उक्त प्राप्त निर्देश दिनांक 10.05.2019 की प्रति उपलब्ध कराते हुए उसके अनुसार विद्यालयों का चयन कर विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। खण्ड शिक्षा अधिकारियों के स्तर से चयनित विद्यालयों का प्रकाशन कराते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, तदुपरान्त विभिन्न विकास खण्डों के विद्यालयों का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव विभिन्न स्तरों (ग्राम प्रधान आदि) से प्राप्त होने पर उसका सत्यापन संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी से कराते हुए तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये। प्राप्त नवीन प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर कतिपय विद्यालयों का परिवर्तन करते हुए अंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षकों के नियमानुसार चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार दिनाक 23.02.2018 एवं दिनाक 10.05.2019 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में चयनित विद्यालयों का चयन करते हुए शिक्षकों के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विद्यालयों के चयन में प्राप्त निर्देश का पूर्णतया अनुपालन किये जाने का निर्देश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिया गया था, इसमें जनपद स्तर से न तो कोई अतिरिक्त विद्यालय का नाम जोड़ा गया है और न ही नियम विरुद्ध विद्यालयों का चयन किये जाने का कोई निर्देश दिया गया है। शिकायत में संदर्भित प्रा0वि0 मसेढ़ा का नाम खण्ड शिक्षा अधिकारी मिल्कीपुर द्वारा दी गयी संस्तुति दिनांक 21.05.2019 के क्रम में चयनित किया गया है। इसी प्रकार संबंधित ग्राम प्रधान के अनुरोध पर खण्ड शिक्षा अधिकारी मवई द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में ही प्रा0वि0 छोटीबनी का नाम परिवर्तित किया गया।

इसी क्रम में जनपद में ए0बी0आर0सी0 की परीक्षा में की गयी अनियमितता के संबंध में सादर अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित विभागीय परीक्षा में न तो वीडियोग्राफी कराये जाने का कोई निर्देश प्राप्त हुआ है और न ही पूर्व में कभी इस प्रकार की परीक्षाओं में वीडियोग्राफी करायी गयी है। यह परीक्षा मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या के निर्देशन में उनके द्वारा नामित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

मुख्य राजस्व अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न करायी गयी है। जहां तक साक्षात्कार परीक्षा में कम-ज्यादा अंकों के दिये जाने का प्रश्न है, उक्त साक्षात्कार परीक्षा भी मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में सम्पन्न करायी गयी है। साक्षात्कार परीक्षा में समिति के सदस्यों द्वारा उनके विवेकानुसार अंकों को प्रदान किया गया है। इसमें कोई अनियमितता नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाहियां सरकार की पारदर्शिता के सिद्धान्त के अनुरूप की गयी हैं और शिक्षकों की परीक्षा एवं साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण शुचिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो चुकी है।]

जनपद उन्नाव के नगर पंचायत पुरवा को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त उक्त सूचना पर जिलाधिकारी, उन्नाव से आख्या प्राप्त.....

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[की गयी। जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि नगर पंचायत पुरवा जनपद-उन्नाव की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 27285 है तथा वर्तमान में यह लगभग 32000 के आस-पास होगी। शासनादेश संख्या-2212/9-6-2014-181मिस/2014, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 में वर्णित व्यवस्थानुसार नगर की वर्तमान सीमा से 05 किमी0 की सीमा के ग्रामों को जोड़ने पर यह आबादी लगभग 30000 से 35000 तक बढ़ जायेगी, इस प्रकार निकाय की आबादी लगभग-67000 होगी। वर्तमान में नगर में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, नगर पालिका बन जाने से आस-पास के समायोजित ग्रामों का भी पूर्ण विकास होगा।

शासनादेश संख्या-2212/9-6-2014-181 मिस/2014, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार किसी भी नगर पंचायत को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद् बनाये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

जाने हेतु जनसंख्या 1.00 लाख से अधिक होनी आवश्यक है। अतः जनसंख्या का मानक पूर्ण न करने के कारण नगर पंचायत पुरवा को नगर पालिका परिषद् बनाये जाने का औचित्य नहीं है।]

जनपद फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों को मेहनताना तय किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का वक्तव्य

***श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-**

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या-778/36-3-2011, लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2011 द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम सं0-11, 1948)....

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[की धारा-4 की उपधारा-1 के खण्ड-1 के साथ पठित धारा-3 की उपधारा-1 के खण्ड-5 और उपधारा-2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए और सरकारी अधिसूचना सं0-2063-36-3-6(एम0डब्लू0/91), दिनांक 24 जून, 1996 का अतिक्रमण करते हुए मा0 राज्यपाल द्वारा अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के खण्ड-क के अधीन प्रयोजनार्थ गठित समिति की सलाह प्राप्त करने के पश्चात् एवं गजट के दिनांक से कांच की चूड़ी उद्योग में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के जुलाई, 2010 से दिसम्बर, 2010 की अवधि के लिए औसत मूल्य सूचकांक सं0 181 के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की दरें अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, तारवाला, बेलनियां एवं पर्यवेक्षक कर्मचारियों के वर्गीकरण के अनुसार पुनरीक्षित और निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मा0 राज्यपाल द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गठित समिति की सलाह प्राप्त करने के उपरान्त ही न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया गया है। समिति में सरकारी प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों के अतिरिक्त सेवायोजक एवं श्रमिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये गये हैं एवं इन सभी के सम्यक एवं विस्तृत विचारोपरान्त दी गयी सलाहनुसार ही उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना कांच की चूड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के हितार्थ निर्गत की गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना में दी गयी दरें श्रमिकों के मूलवेतन की दरें हैं, जिन पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता भी देय है। मूलवेतन एवं परिवर्तनीय मंहगाई की दरों को जोड़ते हुए दिनांक 01.04.2019 से 30.09.2019 की अवधि में कांच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में न्यूनतम वेतन की दरें श्रेणीवार निम्नवत् हैं:-

क्र0	श्रेणी	प्रतिमाह मजदूरी रु0 में	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रुपये में		दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक	
			दिनांक 01-10-2018 से 31-03-2018 तक	दिनांक 01-10-2019 से 30-04-2019 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें (रुपये में)	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**अकुशल**	4300.00	2549.83	2850.83	7150.83	275.03
2	**अर्द्धकुशल**	4900.00	2905.62	3248.62	8148.62	313.41
3	**कुशल**	5450.00	3231.76	3613.26	9063.26	348.59
4	**तारवाला**	11150.00	6611.77	7392.27	18542.27	713.16
5	**बेलनिया**	7800.00	4625.27	5171.27	12971.27	498.90
6	**पर्यवेक्षक**	7550.00	4477.02	5005.52	12555.52	482.90
7	मात्रानुपाती दरों के आधार पर चूड़ी जुड़ाई के कार्य में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरें 01.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि में रुपये 2050.00 प्रति 100 तोड़ा एवं दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि में रुपये 2100.00 प्रति 100 तोड़ा होगी।					

परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता वर्ष में 02 बार अप्रैल से सितम्बर तथा अक्टूबर से मार्च हेतु निर्धारित किया जाता है। कांच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त, 2011 के बिन्दु सं0-7 में उल्लिखित चूड़ी जुड़ाई के कार्य में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम दरें मात्रानुपाती आधार पर निर्धारित की गयी हैं एवं उनमें प्रत्येक वर्ष माह जनवरी में प्रति 100 तोड़ा रु0 50/-की वृद्धि की जानी निर्धारित है।

उप श्रमायुक्त, कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 28.05.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के समक्ष श्रमिक एवं सेवायोजक पक्षों तथा मा0 विधायक सदर, फिरोजाबाद की सम्माननीय उपस्थिति में चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों के मध्य सम्यक विचारोपरान्त समझौता कराते हुए वर्तमान दरें रु0 2400/-प्रति 100 तोड़ा निर्धारित की गयी हैं। वर्तमान में कांच की चूड़ी के नियोजन में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम वेतन की दरें सभी घटकों की सलाह उपरान्त ही निर्धारित की गयी हैं।

मा0 विधायक जी द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों को उनके कार्य में लगने वाले मिट्टी के तेल की फ्री-होल्ड उपलब्धता करायी जाए, जिसका विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलने वाली समस्त सुविधाओं से आच्छादित कराये जाने का प्रश्न है, वे पूर्व से ही असंगठित कर्मकार

अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत श्रमिक की परिभाषा से आवर्त हैं तथा अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त सुविधाओं हेतु पंजीयन के उपरान्त पात्र हैं।]

***श्री मनीष असीजा-**

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे द्वारा नियम-51 के तहत जो प्रश्न उठाया गया था उसके उत्तर में मा0 श्रम मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है उसके बारे में सदन में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में लगभग 4-5 लाख की संख्या में चूड़ी जुड़ाई के मजदूर जो बहुत गरीब और बेहद विपरीत परिस्थितियों में हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैंने तथ्यों सहित इसके ऊपर यह व्यवस्था मांगी थी कि सरकार के द्वारा एक सर्वेक्षण करा लिया जाए और यदि मेरे द्वारा उठायी गयी बात ठीक है तो 4-5 लाख गरीब चूड़ी के जुड़ाई मजदूरों के हितों के लिए यदि मेरा तथ्य सही है तो एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने का मैकेनिज्म तैयार करा दिया जाये। उत्तर में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा दूसरे वर्ग के, दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए केवल इतना अनुरोध करता हूं कि चूड़ी जुड़ाई के मजदूरों की न्यूनतम दरों को निर्धारित कराने का मैकेनिज्म बनवाने का कार्य करवाने की कृपा करें।

***श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या-778/36-3-2011, लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2011 द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम सं0-11, 1948) की धारा-4 की उपधारा-1 के खण्ड-1 के साथ पठित धारा-3 की उपधारा-1 के खण्ड-5.....

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

राज्य वित्त आयोग द्वारा कतिपय जिला पंचायतों की दस लाख से ऊपर की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिन निर्माण कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायतों के स्तर से.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्रदान की गयी थी उनमें से रुपया-10.00 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से 35 जिला पंचायतों के प्रस्तावों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिला पंचायतों को विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि/अनुदान से कराये जाने वाले कार्यों के मानकीकरण/विशिष्टियों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के पत्र संख्या-305/33-सेल-2019, दिनांक 26-2-2019 के माध्यम से सभी जिला पंचायतों को जारी किये गये थे। इस प्रकार दिनांक 26-2-2019 के पश्चात् जिन जिला पंचायतों के तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव उक्त परिपत्र के अनुसार नहीं पाये गये हैं, उन जिला पंचायतों के प्रस्तावों को उपरोक्त परिपत्र दिनांक 26-2-2019 के अनुसार संशोधित करते हुए शीघ्र प्रेषित किये जाने के निर्देश संबंधित जिला पंचायतों को दिये गये हैं। जिला पंचायतों से उक्त परिपत्र के अनुसार संशोधित प्रस्ताव/आगणन प्राप्त होने पर उनके परीक्षणोपरान्त तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत बिना वेंडिग जोन बनाये रेहड़ी चालकों व फेरी वालों को पुलिस बल द्वारा हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 23.07.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख.....

***कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-**

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[किया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम, सहारनपुर द्वारा महानगर सहारनपुर में वेडिंग जोन चिन्हित करे बिना नगर सहारनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में रेहड़ी अथवा फेरी लगाकर सामान बेंचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले हजारों लोगों को पुलिस बल से जबरन उजाड़ दिया, जिससे हजारों लोगों के सामने रोजी-रोटी के भी लाले पड़ गये एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भुखमरी के कगार पर खड़े हो गये। ज्ञात रहे कि उ0प्र0 शासन द्वारा जारी फेरी नीति के अन्तर्गत उन्हें पहले वेंडिंग जोन स्थापित कर सभी रेहड़ी चालकों एवं फेरी वालों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि नगर निगम, सहारनपुर में तीन स्थानों से पथ विक्रेता को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही सड़कों पर जाम लगने के कारण की गयी है। वर्तमान में नगर निगम, सहारनपुर में पटरी दुकानदारों के कल्याण हेतु वेंडिंग जोन बनाकर कार्य योजना तैयार कर ली गयी है, जिसको अतिशीघ्र लागू किया जा रहा है तथा पथ विक्रेताओं का पंजीकरण कराकर वेंडिंग जोन योजना लागू की जा रही है-

1. जेगियान पुल तथा आस-पास के क्षेत्रों से पथ विक्रेताओं को हटा कर कम्पनी बाग के तीनों साइड पर पुनर्स्थापित किया गया है (वेंडिंग जोन सं0-01)।
2. दिल्ली रोड से हटा कर पुराने सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आर0टी0ओ0 ऑफिस) पर पथ विक्रेताओं को पुनर्स्थापित किया गया है (वेंडिंग जोन सं0-02)।
3. 62 फुटा रोड तथा आस-पास के क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को हटा कर मण्डी समिति रोड पर पुनर्स्थापित किया गया है (वेंडिंग जोन सं0-3)।
4. राकेश सिनेमा के पीछे पथ विक्रेताओं को पुनर्स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है (वेडिंग जोन सं0-04)।
5. अस्पताल चौक तथा आस-पास के क्षेत्रों से पथ विक्रेताओं को हटा कर अस्पताल के पीछे पुनर्स्थापित किया गया है (वेंडिंग जोन सं0-5)।

वेंडिंग जोन 01 से 03 तक की कार्य योजना नगर निगम सहारनपुर द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को उपलब्ध करायी गयी हैं जो वर्तमान में परीक्षणाधीन हैं। वेंडिंग जोन 04 एवं-05 की कार्ययोजना बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। पुलिस बल द्वारा उपरोक्त तीन व्यस्ततम सड़कों पर जाम लगने के कारण पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेण्डर्स) को उपरोक्तानुसार अन्य स्थानों पर पुनर्स्थापित कराया गया है। किसी भी पथ विक्रेता को न ही उजाड़ा गया है एवं न ही उनका उत्पीड़न किया गया है।]

जनपद गोरखपुर में देवरिया रोड पर वसुन्धरा मोड़ से तुर्रा नाले तक नियमों का उल्लंघन करके वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना निर्माण प्रारम्भ करने तथा तकनीकी आपत्तियों का समाधान किये बिना नाले का निर्माण पुनः शुरू किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23.07.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में गोरखपुर में देवरिया रोड पर..

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[वसुन्धरा मोड से तुर्रा नाले तक नियमों का उल्लंघन करके वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना निर्माण प्रारम्भ करने तथा तकनीकी आपत्तियों का समाधान किये बिना नाले का निर्माण पुनः शुरू किये जाने के संबंध में निम्न तथ्यों को अवगत कराते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है :-

''समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकाल में गोरखपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में नगर के पूर्वी हिस्से (नन्दानगर, सिंघडिया, वसुन्धरा कालोनी से लेकर गुरूंग तिराहे तक, इन्जीनियरिंग कालेज तथा आस-पास के मोहल्ले, देवरिया मार्ग के दक्षिण तरफ स्थित लाखों नागरिकों के क्षेत्र) के जल जमाव से निजात के लिये रु0 16.00 करोड़ की लागत से वसुन्धरा मोड़ से तुर्रा नाले तक 06 कि0मी0 लम्बा नाले का निर्माण शुरू हुआ था। 06 किलो मीटर में से 02 कि0मी0 हिस्सा कुसम्ही जंगल के बीच से होकर जाता है।

समाजवार्दी पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही हमने सी0 एण्ड डी0एस0 के अधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण करके नाले की डिजाइन तथा उसके औचित्य पर प्रश्न खड़े किये थे। जल निगम के महाप्रबन्धक ने एक जांच दल भी भेजा था, जिसे हमने लिखित आपत्तियां भी दी थीं। बहुत दिनों तक नाले का निर्माण रुका हुआ था। इधर निर्माण पुनः शुरू हुआ है, लेकिन आश्चर्य है कि हमारी आपत्तियों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी समाधान निकाले बिना निर्माण शुरू हुआ।

आपत्तियों में प्रमुख रूप से निम्न बिन्दु थे (1) वसुन्धरा मोड़ पर नाले के बेस का लेवेल कैचमेण्ट एरिया के लेवेल से प्रथम दृष्टया ऊंचा प्रतीत होता है, ऐसे में नाले के बनने के बाद भी जल निकासी नहीं होगी (2) नाले के उत्तर तरफ की दिवाल तो उत्तर तरफ के कैचमेण्ट से इतना ऊपर है कि बाढ़ के दौरान भी पानी निकल नहीं सकता। (3) देवरिया रोड पर थोड़ी सी वारिस में भी 02 फिट पानी लग जाता है और नाले के दक्षिण तरफ के दिवाल में छेद इतने छोटे हैं कि जल निकासी हो ही नहीं सकती है। (4) 02 कि0मी0 का हिस्सा वन क्षेत्र के बीच में होने के बावजूद न तो वनीय क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभाव का अध्ययन किया गया और न ही वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ही ली गयी, जिससे काम रुक गया और लागत बढ़ेगी। (5) नाले और तुर्रा नाले की बीच कोई रेगूलेटर नहीं प्राविधानित है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसलिए बाढ़ के दौरान राप्ती नदी का एच0एफ0एल0 ऊंचा होने के कारण पानी उल्टा शहर में आयेगा। 06 कि0मी0 के नाले पर कुल रु0 16 करोड़ का आगणन था फिर सिर्फ 3.912 कि0मी0 के निर्माण पर रु0 14 करोड़ कैसे खर्च हो गये ?

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय और निश्चित विषय पर विधान सभा की कार्य प्रक्रिया नियमावली-1956 के नियम-51 के तहत सरकार को सदन में वक्तव्य देने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।''

उक्त के संबंध में अवगत कराया जाना है कि गोरखपुर में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1081(1)/35-4-2013, दिनांक 18.07.2013 द्वारा वसुन्धरा मोड़ से तुर्रा नाले तक कुल 6000 मीटर की लम्बाई में नाले का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। प्रस्तावित नाले का निर्माण 4400 मी0 आबादी के क्षेत्र में एवं 1600 मीटर गोरखपुर-देवरिया रोड के बाएं किनारे पर स्थित कुसम्ही जंगल के किनारे पर किया जाना है। उपरोक्त 4400 मी0 आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण 8 स्थानों पर कुल 415 मी0 लम्बाई को छोड़ते हुए शेष 3985 मी0 नाले का निर्माण पूर्व में किया जा चुका है। जिला प्रशासन गोरखपुर द्वारा अतिक्रमण हटा दिये जाने के फलस्वरूप 415 मी0 लम्बाई में निर्माण प्रारम्भ कराया गया है।

प्रस्तावित नाले के डिजाइन तथा उसके औचित्य पर प्रश्न उठाये जाने पर उक्त नाले को जनोपयोगी होने सम्बन्धित जांच मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा करायी गयी थी, जिसके अनुसार प्रश्नगत परियोजना जनोपयोगी है।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की रिपोर्ट के अनुसार वसुन्धरा मोड़ से तुर्रा नाले तक फ्लो अण्डर ग्रेविटी है।

उत्तर तरफ की दीवाल पर वीप होल्स बनाये गये हैं, जिनसे पानी निकासी हो जायेगी। वसुन्धरा मोड़ से 600 मी0 की दूरी तक सड़क की सतह लो लेविल होने के कारण जल जमाव हो जाता है, नाले का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् यह समस्या दूर हो जायेगी। नाले की दक्षिण दीवाल पर वीप होल्स को बड़ा किया जा रहा है।

नाले के निर्माण में आने वाले वन विभाग के पेड़ों को हटाने के लिए परियोजना प्रबन्धक यूनिट-14, सी0एण्ड डी0एस0, गोरखपुर के पत्र सं0 2784/कार्य-169/193, दिनांक 05.12.2018 द्वारा जिला वन अधिकारी गोरखपुर से अनुरोध किया गया है। कार्य का निर्माण धन के अभाव में अवरुद्ध था।

तुर्रा नाले का एच0एफ0एल0 95.50 मी0 है, जबकि तुर्रा नाले के पास निर्माणाधीन नाले का बेड लेविल 95.65 मी0 प्रस्तावित है। अतः तुर्रा नाले से बैक फ्लो की सम्भावना नहीं है। अभी तक नाला निर्माण पर अवमुक्त रु0 16.05 करोड़ के विरुद्ध कुल रु0 14.50 करोड़ ही व्यय किया गया है।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-नियम-29/38-9-19-17(नियम) दिनांक 24.07.2019 द्वारा.....

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को अनु सचिव, विधान सभा सचिवालय (पटल कार्यालय) के पत्र संख्या-660/वि0स0/प0का0/19, दिनांक-23-07-2019 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही कराकर आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ के पत्र दिनांक-25.07.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम जमलापुर ध्यान, कुठौन्द माधौगढ़ मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा ग्राम कुतलूपुर, विलराया-पनवाड़ी मार्ग से मदारीपुर-शहजादेपुर मार्ग से जुड़ा हुआ है। प्रश्नगत ग्राम जमलापुर ध्यान से कुतलूपुर तक सड़क निर्माण की मांग डबल कनेक्टिविटी से सम्बन्धित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइडलाइन के अनुसार बसावटों को सिंगल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने का प्राविधान है। इस प्रकार मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित ग्राम जमलापुर ध्यान से कुतलूपुर मार्ग (जो कि कच्चा मार्ग है) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाइन/मानक के अनुरूप न होने के कारण योजनान्तर्गत निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-92 पर केवल वक्तव्य स्थगित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत टिकैतराय तालाब में 2 शेड, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मा0 सदस्य, विधान सभा, जनपद-लखनऊ द्वरा दिनांक 24.07.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में.....

***श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-**

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत टिकैत राय तालाब में 2 शेड, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में निम्न तथ्यों को अवगत कराते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है:-

''भारत के यशस्वी पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जब लखनऊ से पहली बार सांसद निर्वाचित हुए थे उस समय पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजा टिकैत राय के द्वारा निर्मित तालाब जो पानी के अभाव में सूख गया था उसका सौन्दर्यीकरण करने के लिए अपनी सांसद निधि से एक संगीतमय फौव्वारे का निर्माण करवाया था और तालाब का सौन्दर्यीकरण भी कराया था। विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होने के कारण यह तालाब उपेक्षित हो गया और इसमें लगा हुआ फौव्वारा और बिजली कट जाने के कारण अन्धकार में डूब गया। वर्तमान समय में वह अशलीलता और अराजक तत्वों के लिए अपराध का केन्द्र बन गया। यहां पर सुबह और शाम सैकड़ों की संख्या में स्त्री और पुरुष टहलने के लिए आते हैं। इस तालाब का एक इतिहास है। इसे सुव्यवस्थित कराकर फौव्वारे को चलवाने और प्रातःकाल टहलने आने वाले लोगों के लिए 2 शेड बनाये जाने एवं एक छोटा शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं''।

2-इस संबंध में अवगत कराया जाना है कि प्रश्नगत टिकैत राय तालाब का सौन्दर्यीकरण, फौव्वारे इत्यादि का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है एवं वर्तमान में इसका रख-रखाव भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन है। अतः उक्त तालाब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को सुव्यवस्थित कराकर फौव्वारे को चलवाने और प्रातःकाल टहलने आने वाले लोगों के लिए शेड बनाये जाने, शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को पत्र दिनांक 25.07.2019 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।]

उ0प्र0 सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयानुसार वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि मैं सदन का ध्यान हाल ही में उ0प्र0 सचिवालय में घटित.....

***कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-**

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[हुई एक घटना, जो कई दिन तक समाचार-पत्रों एवं चैनलों पर छाई रही, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि सचिवालय के लेखा संवर्ग के एक समीक्षा अधिकारी द्वारा एक मृतक समीक्षा अधिकारी के बकाया भुगतान को लेकर मृतक कर्मचारी के परिजनों से रिश्वत की मांग की गई। मान्यवर, प्रायः यह देखा जाता है कि सचिवालय कर्मचारियों द्वारा जब वेतन वृद्धि अथवा मेडिकल क्लेम इत्यादि के लिये प्रत्यावेदन दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उसे अनावश्यक रूप से रोक कर रखते हैं अथवा काम करने के बदले में कुछ लाभ की मांग करते हैं। इससे न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है बल्कि संबंधित कर्मचारी को मानसिक कष्ट भी पहुंचता है। वर्तमान में सचिवालय में ऐसे अनेक कर्मचारी है जिनको नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य किया जाना चाहिये, किन्तु अनेक बार प्रत्यावेदन दिये जाने के उपरान्त भी संबंधित विभाग द्वारा वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जा रही है। मान्यवर, ऐसे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कराना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः में इस अविलम्बनीय, महत्व के प्रकरण पर सदन के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती गीता यादव पत्नी स्व0 जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.07.2019 के माध्यम से सचिवालय प्रशासन विभाग में कार्यरत श्री शिव कुमार भैतिया, समीक्षा अधिकारी (लेखा) के विरुद्ध आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न किये जाने के संबंध में आडियो क्लिप सहित शिकायत की गयी। इस शिकायती पत्र के प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सचिवालय प्रशासन अनु0-5(अधि0) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1608/बीस-ई-5-2019-27(57)/2009, दिनांक 11.07.2019 के द्वारा श्री शिव कुमार भौतिया, समीक्षा अधिकारी (लेखा) को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में जांच हेतु श्री आर0पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन अनु0-5(अधि0) के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 11.07.2019 द्वारा प्रकरण में श्री शिव कुमार भौतिया, समीक्षा अधिकारी (लेखा) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराये जाने की भी संस्तुति गृह विभाग से की गयी है।

सचिवालय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवं मेडिकल क्लेम स्वीकृत किये जाने के बिन्दु पर संज्ञान में लाना है कि सचिवालय कर्मचारियों के उक्त प्रकरणों को सचिवालय के विभिन्न शाखा अधिष्ठानों/लेखा अधिष्ठानों द्वारा व्यवहृत किया जाता है। विभिन्न शाखा अधिष्ठानों में इस प्रकार के लम्बित प्रकरणों की अद्यतन सूचना, उनके लम्बित होने के कारण सहित उपलब्ध कराने हेतु सचिवालय प्रशासन अनु0-5(अधि0) का पत्र संख्या-वि0स0-2(1)/बीस-ई-5-2019 -1(नियम)/2019, दिनांक 24.07.2019 समस्त शाखा अधिष्ठानों को प्रेषित किया गया है। समस्त शाखा अधिष्ठानों से उक्त सूचना प्राप्त होने पर ही संकलित रूप से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि वर्तमान में सचिवालय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवं मेडिकल क्लेम से संबंधित कितने प्रकरण लम्बित हैं तथा लम्बित होने का क्या कारण है। वर्तमान में सचिवालय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवं मेडिकल क्लेम इत्यादि से संबंधित प्रकरणों को लम्बित करने के संबंध में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 सदस्य द्वारा मा0 सदन में दी गयी सूचना वृहद्/विस्तृत है, जिसमें किसी संवर्ग विशेष अथवा किसी प्रकरण विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। सचिवालय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवं मेडिकल क्लेम स्वीकृत किये जाने विषयक प्रकरणों में किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जाती है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि सचिवालय कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति, वेतन वृद्धि, जी0पी0एफ0 भुगतान, ए0सी0पी0 स्वीकृत करने विषयक प्रकरण, सेवापुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पासबुक पूर्ण होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित

प्रकरण, सेवा देयकों के प्रकरण, सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य देयकों के प्रकरण, गोपनीय प्रविष्टियों के पूर्ण होने के प्रकरण आदि के संबंध में पूर्व से निर्धारित विस्तृत समीक्षा बैठक दिनाक 30.07.2019 को अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में आहूत की गयी है। उक्त बैठक आहूत किये जाने का उद्देश्य सचिवालय कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाना है।]

जनपद पीलीभीत में बंगाली नागरिकों को कृषि भूमियों पर उत्तराधिकार एवं अन्य अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन लाल राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा श्री किशन लाल राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचित किया गया था कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-128, बरखेड़ा के.

श्री उमा शंकर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[के अन्तर्गत बंगाली नागरिकों को कृषि भूमियों पर उत्तराधिकार अंकित कराने, मतों का पंजीकरण कराने, वांछिनीय सामाजिक वर्ग के अन्तर्गत गणना करने तथा निर्गत आय आदि-आदि प्रमाण-पत्र जनहित में उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है, ताकि उनके भी संवैधानिक एवं वैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त हो सके, के संबंध में कार्यवाही हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस संबंध में जिलाधिकारी, पीलीभीत से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 128, बरखेड़ा में आने वाले ग्रामों में कोई भी बंगाली परिवार निवास नहीं करता है।]

जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग, परगना चौमहला में तथाकथित फर्म द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री सुशान्त कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बरेली की बहेड़ी.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[तहसील के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग, परगना चौमहला में तथाकथित फर्म सर्वश्री कृषि योग्य भूमि संरचना संघ पर बकाया राशि के संबंध में तथाकथित नीलामी दिनांक 21 मई, 1979 को दिखाकर लगभग 36 वर्ष के पश्चात् तत्कालीन जिलाधिकारी, बरेली श्री गौरव दयाल द्वारा दिनांक 16 मई, 2015 को अवैध रूप में मात्र 12,550.00 (रुपया बारह हजार पांच सौ पचास मात्र) में विक्रय पत्र जारी किया गया जो पूर्णतयः सन्देह की परिधि में आता है। उक्त के संबंध में शासन से निम्न बिन्दुओं पर जांच करवाना नितान्त आवश्यक है :-

उक्त विक्रय पत्र जारी करने के पश्चात् उक्त तथाकथित फर्म सर्वश्री कृषि योग्य भूमि संरचना संघ पर अब तक बकाया राशि है या नहीं, यदि हां तो अब तक बकाया राशि वसूलने के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी।

तथाकथित नीलामी में क्रेता श्री मोहम्मद मोहसिन द्वारा क्रमशः दूसरे, तीसरे तथा चौथे राउण्ड में कितनी-कितनी धनराशि की बोली बोली गयी।

श्री मोहम्मद मोहसिन द्वारा पांचवें राउण्ड में कितनी धनराशि की बोली लगायी गयी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के ज्वलन्त विषय पर शासन से न्यायोचित कार्यवाई सुनिश्चित करवाते हुए सदन में वक्तव्य दिलवाने का कष्ट करें।

कृत कार्यवाही -

प्रश्नगत प्रकरण में शासन के पत्र संख्या-वि0प0नि0-19/एक-7-2019-रा0-7, दिनांक 25.07.2019 के माध्यम से जिलाधिकारी, बरेली को जांच कराकर तथ्यात्मक आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। जांच आख्या प्राप्ति के उपरान्त परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से मा0 सदन/मा0 सदस्य को तत्काल अवगत करा दिया जायेगा।]

जनपद हापुड़ के विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर में 15 सौ एकड़ में फैली झील को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हापुड़ से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि तहसील गढ़मुक्तेश्वर में ग्राम कोथला खादर एवं ग्राम कल्याणपुर में.....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[कोथला झील का विस्तार है। ग्राम कोथला खादर के 1359 फसली के खसरे में झील के नाम से 81.0290 हे0 भूमि अंकित है, जिसमें से 78.136 हे0 भूमि का कृषि आवंटन हो चुका है। उक्त आवंटन अपर कलेक्टर (भू0अ0 सिंचाई) गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 23-02-06 के द्वारा निरस्त किया गया था। अपर जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 01-02-06 को अपर आयुक्त के आदेश दिनांकित 24-07-07 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, तत्पश्चात् रिव्यू प्रार्थना पत्र को भी दिनांक 21-05-2010 को अपर आयुक्त, मेरठ द्वारा निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में झील के नाम से 2.893 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में शेष है, जो मौके पर खाली है।

1359 फसली में राजस्व ग्राम कल्याणपुर के खसरा सं0 706 व 714 झील के रूप में दर्ज है। खसरा सं0 706 का क्षेत्रफल 25.719 हे0 व खसरा सं0 714 का क्षेत्रफल 15.500 हे0 है। 1422 फसली से 1427 फसली में 43 व्यक्तियों को कृषि आवंटन के तहत असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे उप जिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर, अपर कलेक्टर, गाजियाबाद तथा अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा निरस्त किया गया। 43 आवंटियों में से 07 आवंटियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। शेष 36 व्यक्तियों के नाम वर्तमान में कोई आवंटन नहीं है, 28 व्यक्तियों के विरुद्ध तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त 12 व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध कब्जेदार के रूप में काबिज होने के कारण धारा 67(1) के तहत बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है।

झील के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में कोई स्थाई निर्माण नहीं है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी कर उक्त भूमि खाली कराने की कार्यवाही की जाएगी। तत्पश्चात् झील के विकास एवं सौन्दर्यीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।]

जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव तरारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25.07.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद-अमरोहा के.....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अन्तर्गत गजरौला में जूबिलेण्ट, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से आम जनमानस का जीना दूभर हो गया है। इसके प्रदूषण से दमा, हार्ट, कैंसर, चर्म रोग जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही है इसकी शिकायत जिला स्तर पर अधिकारियों से की गयी लेकिन उनकी मिली भगत होने के कारण इन फैक्ट्रियों के ऊपर न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही प्रदूषण पर नियंत्रण ही कराया गया।

2-इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि गजरौला, अमरोहा में कुल 14 मुख्य प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। इनमें से जूबिलेण्ट समूह की 06 इकाइयां हैं। गजरौला अमरोहा में स्थापित 14 इकाइयों का प्रकृतिवार विवरण निम्नवत् है :-

आसवनी	: 01	डेयरी	: 02
केमिकल	: 03	फार्मास्यूटिकल	: 01
फर्टिलाइजर	: 01	आटोमोबाइल पार्ट्स	: 01
पावर प्लान्ट	: 01	सिलिका	: 01
पेपर	: 03		

- **गजरौला स्थित 14 इकाइयों के नाम एवं उद्योग का प्रकार निम्नवत् है :-**

क्र0सं0	उद्योग का नाम	उद्योग का प्रकार
1	मेसर्स जुबिलेण्ट लाईफ साइन्सेज लिमिटेड	आसवनी (डिस्टलरी)
2	मेसर्स जुबिलेण्ट लाईफ साइन्सेज लिमिटेड (यूनिट प्रथम)	केमिकल
3	मेसर्स जुबिलेण्ट लाईफ साइन्सेज लिमिटेड (यूनिट द्वितीय)	केमिकल
4	मेसर्स जुबिलेण्ट एग्री एण्ड कन्ज्यूमर प्रोड्क्ट्स लिमिटेड	फर्टिलाइजर इकाई
5	मेसर्स जुबिलेण्ट एग्री एण्ड कन्ज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड	पॉलिमर यूनिट (केमिकल)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र0सं0	उद्योग का नाम	उद्योग का प्रकार
6	मेसर्स जुबिलेण्ट लाईफ साइन्सेज लिमिटेड	कैप्टिव पावर प्लान्ट
7	मे0 तेवा ए0पी0आई0 (इण्डिया) प्रा0 लिमिटेड	फार्मास्यूटिकल
8	मे0 कौशाम्बी पेपर मिल्स लिमिटेड	पेपर
9	मे0 कोरल न्यूज प्रिन्ट लिमिटेड	पेपर
10	मे0 कामाक्षी पेपर्स प्रा0लिमिटेड	पेपर
11	मे0 डेयरी इण्डिया प्रा0लिमिटेड	डेयरी
12	मे0 उमंग डेयरीज	डेयरी
13	मे0 आर0ए0सी0एल0 गियरटेक लिमिटेड	आटोमोबाइल पार्ट्स
14	मे0 इंन्सिल्को लिमिटेड	सिलिका

- गजरौला स्थित आसवनी इकाई मेसर्स जुबिलेण्ट लाईफ साइन्सेज लिमिटेड में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्थायें यथा बायोमिथनाइजेशन इकाई, रिवर्स आसमोसिस प्लान्ट, मल्टीइफेक्ट इवैपोरेटर, स्लोप ब्वायलर तथा बायो कम्पोस्टिंग यार्ड स्थापित हैं तथा उद्योग का संचालन मात्र शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पर अनुमन्य है।
- उक्त के अतिरिक्त समस्त 13 उद्योगों में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं एवं निस्तारित उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई है।
- समस्त इकाइयों का नियमित अनुश्रवण करते हुए दोषी इकाइयों पर कार्यवाही की जाती है। क्षेत्र की 01 डेयरी इकाई मे0 डेयरी इण्डिया प्रा0लिमिटेड द्वारा माह दिसम्बर, 2018 एवं फरवरी, 2019 में निस्तारित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त इकाई पर रु0 14 लाख 50 हजार मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा के पत्र दिनांक 29.01.2019 एवं 23.04.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि गजरौला क्षेत्र में दमा, हार्ट, कैंसर एवं चर्म रोगों की स्थिति अन्य क्षेत्रों की भांति सामान्य है।]

[02:54] सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण कर लें। संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रस्ताव करें।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

अब हम राष्ट्रगान के लिये खड़े होंगे।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे।।
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 26 जुलाई, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

माह मार्च, 2017 से 23-05-18 तक ऊर्जीकृत नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों का विवरण

क्रम	मण्डल	नये ऊर्जीकृत उपकेन्द्र की संख्या	क्षमता एमवीए
1	2	3	4
1	सहारनपुर	23	195
2	मेरठ मण्डल	54	700
3	मुरादाबाद मण्डल	23	236
4	अलीगढ़ मण्डल	22	175
5	आगरा मण्डल	18	115
6	कानपुर	26	180
7	झांसी	10	70
8	चित्रकूट	13	85
9	बरेली	10	60
10	लखनऊ	33	215
11	अयोध्या	25	150
12	देवीपाटन	3	15
13	गोरखपुर	11	70
14	बस्ती	5	25
15	आजमगढ़	9	45
16	मिर्जापुर	6	35
17	वाराणसी	18	125
18	प्रयागराज	17	125
	कुल योग	**326**	**2620**

माह मार्च 2017 से 23-05-18 तक ऊर्जीकृत नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों का विवरण

क्रम	जनपद	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता एमवीए	ऊर्जीकृत करने की तिथि/माह
1	2	3	4	5
सहारनपुर मण्डल				
1	सहारनपुर	किशनपुरा	1x10	14-08-17
2	सहारनपुर	किशनपुरा	1x5	09-01-18
3	सहारनपुर	कुल्हेडी	2x5	20-09-17
4	सहारनपुर	मिरगपुर	1x5	24-09-17
5	सहारनपुर	शेरपुर जडीदा	1x5	10-04-17
6	सहारनपुर	रणखण्डी	1x5	24-08-17
7	मुजफ्फरनगर	बरथावल-2	2x5	24-10-17
8	मुजफ्फरनगर	नया गांव मीरापुर (लछेहा)	2x5	20-11-17
9	मुजफ्फरनगर	साबटू	1x5	14-10-17
10	मुजफ्फरनगर	भूग्ना मीरापुर	1x5	19-12-17
11	मुजफ्फरनगर	दिल्ली	1x5	18-09-17
12	मुजफ्फरनगर	रूड़की रोड़	1x10	21-02-18
13	मुजफ्फरनगर	उत्तरी घटावा	1x5	25-02-18
14	मुजफ्फरनगर	जौली	2x5	27-02-18
15	मुजफ्फरनगर	करौदा महाजन	1x5	27-02-18
16	मुजफ्फरनगर	रामपुर रोड	2x10	30-04-18
17	मुजफ्फरनगर	कैदी निजामपुर	5x10	26-04-18
18	शामली	कनियान	1x5	17-09-17
19	शामली	मोनी मझरा	1x5	19-11-17
20	शामली	शामली टाउन	2x10	30-11-17
21	शामली	ऊन द्वितीय	2x5	22-02-18
22	शामली	खौद रागा	2x5	28-02-18
23	शामली	ईरसूपुर	1x5	28-02-18
	योग संख्या	**23**	**195**	
मेरठ मण्डल				
24	मेरठ	पल्लवपुरम तृतीय (सिवाया)	1x10	14-08-17
25	मेरठ	माधवपुरम द्वितीय	1x5	30-09-17
26	मेरठ	महादेव	2x5	10-08-17
27	मेरठ	सूरजकुण्ड रोड	1x10	30-11-17

1	2	3	4	5
28	मेरठ	गागोल-2 (फतेहुल्लापुर)	1x10	30-10-17
29	मेरठ	मुजफ्फरनगर सैनी	1x10	15-10-17
30	मेरठ	गुडूम्भ	2x5	20-10-17
31	मेरठ	खिवाई	2x5	30-11-17
32	मेरठ	खोडदयालपुर	1x5	06-10-17
33	मेरठ	परीक्षितगढ़	1x5	30-12-17
34	मेरठ	शास्त्री नगर	2x10	28-02-18
35	मेरठ	दुर्गावाली	2x10	28-02-18
36	मेरठ	हापुड़ रोड द्वितीय (मेडिकल कालेज कैम्पस)	2x10	28-02-18
37	मेरठ	रामलीला ग्राउन्ड	1x10	मार्च, 18
38	मेरठ	गुण्डाली	1x10	मार्च, 18
39	मेरठ	भट्टीपुरा	1x10	मार्च 18
40	मेरठ	पुथखास	2x5	28-04-18
41	बागपत	बागपत टाउन	2x5	05-04-17
42	हापुड़	खेड़ा द्वितीय	1x5	21-09-17
43	हापुड़	पिलखुवा	2x5	28-06-17
44	हापुड़	आलम नगर	2x5	10-02-18
45	हापुड़	केल्सी	2x5	मार्च 18
46	गौतमबुद्ध नगर	खोरा	2x10	11-08-17
47	गौतमबुद्ध नगर	बादलपुर (कुडीखेड़ा)	2x5	मार्च 18
48	गौतमबुद्ध नगर	भट्टा परसोल	2x5	मार्च 18
49	बुलन्दशहर	बैर	2x10	29-03-17
50	बुलन्दशहर	सब्जी मण्डी द्वितीय	2x10	31-05-17
51	बुलन्दशहर	नीमखेड़ा	2x5	29-04-17
52	बुलन्दशहर	बाईपास रोड खुर्जा	2x5	24-06-17
53	बुलन्दशहर	टाण्डा	2x5	16-08-17
54	बुलन्दशहर	पहाड़पुर (रागनपुर)	2x5	20-11-17
55	बुलन्दशहर	खुर्जा हजरतपुर	2x5	03-11-17
56	बुलन्दशहर	पहासू उतरावली	2x5	13-02-18
57	बुलन्दशहर	लालनेर अहमदगढ़ द्वितीय	2x5	17-02-18
58	बुलन्दशहर	औलीना	2x5	मार्च, 18
59	बुलन्दशहर	ककौर-2	2x5	05-03-17
60	बुलन्दशहर	बीबी नगर	2x5	31-03-17

1	2	3	4	5
61	बुलन्दशहर	प्याना कलां	2x5	19-04-18
62	गाजियाबाद	बैशाली सेक्टर 06	2x5	30-04-17
63	गाजियाबाद	बैशाली सेक्टर 02	2x5	21-07-17
64	गाजियाबाद	नूर नगर	2x10	30-04-17
65	गाजियाबाद	कविनगर तृतीय	2x10	02-07-17
66	गाजियाबाद	वसुन्धरा सेक्टर 16	2x10	04-07-17
67	गाजियाबाद	मेरठ रोड द्वितीय	2x10	05-10-17
68	गाजियाबाद	राजनगर द्वितीय	2x10	24-10-17
69	गाजियाबाद	राजेन्द्रनगर	2x10	24-05-17
70	गाजियाबाद	नियर हजहाउस (हिडन बिहार)	2x10	28-12-17
71	गाजियाबाद	मुरादनगर गंगनहर (अंबिका स्टील)	2x10	19-01-18
72	गाजियाबाद	नूरनगर द्वितीय (कौशाम्बी 02)	2x10	28-02-18
73	गाजियाबाद	अशोक विहार (लोनी)	2x10	22-02-18
74	गाजियाबाद	शालीमार गार्डन द्वितीय	2x10	मार्च, 18
75	गाजियाबाद	रामेश्वर पार्क	2x5	01-03-17
76	गाजियाबाद	गदाना	2x5	31-03-17
77	गाजियाबाद	बलरामपुर द्वितीय	2x5	10-03-17
	योग संख्या	**54**	**700**	
मुरादाबाद मण्डल				
78	रामपुर	पनवड़िया	5x10	30-11-17
79	रामपुर	रूद्रपुर बार्डर	1x5	19-09-17
80	रामपुर	गंज	2x5	मार्च 18
81	सम्भल	पूरा	2x5	10-11-17
82	सम्भल	गवां	1x5	मार्च, 18
83	सम्भल	रूकान्दी सराय	2x10	मार्च, 18
84	सम्भल	बराही	1x5	31-07-18
85	बिजनौर	सिकन्दरी	1x5	20-11-17
86	बिजनौर	ललवाला	2x5	15-11-17
87	बिजनौर	इस्लामपुर सादात	1x5	28-06-17
88	बिजनौर	भगौरा	2x5	मार्च, 18
89	बिजनौर	बगदाद अंसार	1x5	29-04-18
90	मुरादाबाद	सरकड़ा परम	1x5	13-04-17
91	मुरादाबाद	मुरादाबाद नगर प्रथम	2x5	22-02-18

1	2	3	4	5
92	अमरोहा	भारापुर	1x5	03-02-18
93	अमरोहा	इकौदा	2x5	25-02-18
94	अमरोहा	रजबपुर	2x5	15-02-18
95	अमरोहा	खरखौदा आजम	1x5	05-02-18
96	अमरोहा	कौरल	1x5	28-02-18
97	अमरोहा	आदमपुर	2x5	मार्च, 18
98	अमरोहा (जेपी नगर)	नौगवां सादात	1x5	मार्च, 18
99	अमरोहा	कुमरला	1x5	30-04-18
100	अमरोहा	इस्सापुर भदौला	2x5	28-04-18
	योग संख्या	**23**	**235**	
अलीगढ़ मण्डल				
101	हाथरस	सादाबाद	2x5	09-05-17
102	हाथरस	गिजरौली द्वितीय	1x5	11-09-17
103	हाथरस	कोटा रोड (खोडा हजारी)	1x5	16-10-17
104	हाथरस	पाटा	1x5	22-10-17
105	हाथरस	लाडपुर	2x5	15-01-18
106	अलीगढ़	जंगलगढ़ी	2x5	26-10-17
107	अलीगढ़	कोराह रूस्तमपुर	2x5	08-11-17
108	अलीगढ़	आगरा रोड (पडियावली)	2x5	22-12-17
109	अलीगढ़	ग्रामीण अतरौली (सिंहपुर हिम्मतपुर)	2x5	24-02-18
110	अलीगढ़	खेडा खुशखबर (महरावल)	2x5	31-12-17
111	अलीगढ़	चन्डौस	1x5	18-08-17
112	अलीगढ़	खेरेश्वर	2x5	18-04-17
113	अलीगढ़	ताहरपुर	2x5	04-04-18
114	अलीगढ़	बिल्कोरा	2x5	18-04-18
115	अलीगढ़	महेशपुर (चंदौखा)	2x5	08-04-18
116	कासगंज	गंजडुडवारा	1x5	30-08-17
117	कासगंज	सलेमपुर बीबी	1x5	22-10-17
118	एटा	ठण्डी सड़क	2x5	30-05-17
119	एटा	बढनपुर	2x5	26-12-17
120	एटा	सरोन्ट	1x5	23-12-17
121	एटा	मोईद्दीनपुर	1x5	11-04-18

1	2	3	4	5
122	एटा	बरना	1x5	10-04-18
	योग संख्या	**22**	**175**	
आगरा मण्डल				
123	मैनपुरी	अशोकपुर सोनई	1x5	13-01-18
124	मैनपुरी	बांदीकरा	1x5	12-12-17
125	मैनपुरी	उनगा	1x5	30-11-17
126	मैनपुरी	उसनीधा	1x5	30-11-17
127	मैनपुरी	लखौरा	1x5	22-12-17
128	मैनपुरी	औन	1x5	01-12-17
129	मैनपुरी	करहल	2x5	28-02-18
130	मैनपुरी	उसीदा	1x5	01-05-18
131	मैनपुरी	अशोकपुर सोनई	1x5	09-05-18
132	मैनपुरी	करहल (खरी) (सैनिक स्कूल)	2x5	24-04-18
133	फिरोजाबाद	सिरसागंज टाउन द्वितीय	2x5	13-09-17
134	फिरोजाबाद	रामनगर	2x5	26-03-18
135	आगरा	फतेहाबाद टाउन	2x5	29-12-17
136	आगरा	बगरौला	1x5	28-02-18
137	आगरा	किरावली	1x5	23-05-18
138	आगरा	बगरौला	1x5	19-05-18
139	मथुरा	बड़ा बांगर	1x5	26-04-18
140	मथुरा	देवी आर्ट्स	1x5	30-04-18
	योग संख्या	**18**	**115**	
कानपुर मण्डल (केस्को सहित)				
141	इटावा	ढकाताल	1x5	16-09-17
142	इटावा	निवारीकला	1x5	24-01-18
143	इटावा	ताखा	2x5	27-02-18
144	इटावा	सैफई हवाई पट्टी	1x5	30-04-18
145	फर्रुखाबाद	पाचाल घाट	1x5	17-11-17
146	फर्रुखाबाद	गुलासी	1x5	30-11-17
147	कानपुर देहात	सिकन्दरपुर	1x5	15-03-18
148	कानपुर देहात	गेन्डाकुऑ	1x5	27-02-18
149	कानपुर देहात	न्यू रनिया	1x5	17-01-18
150	कानपुर देहात	शिवाराजपुर द्वितीय	2x5	03-04-18
151	कानपुर देहात	सिंहरसीपुर	1x5	02-04-18

1	2	3	4	5
152	कानपुर देहात	न्यू बारा	1x5	05-04-18
153	कन्नौज	अकबरपुर सरायगढ़	1x5	21-02-18
154	कन्नौज	इन्दरगढ़	1x5	25-08-17
155	कन्नौज	अगोलर	1x5	21-03-18
156	कन्नौज	सराय प्रयाग	1x5	04-04-18
157	औरैया	हरचन्दपुर	1x5	06-07-17
158	औरैया	लहरापुर	1x5	19-09-17
159	कानपुर नगर	न्यू टिकरा	1x5	30-11-17
160	कानपुर नगर	गुजैला	1x5	29-12-17
161	कानपुर नगर	गदरस	2x5	01-01-18
162	कानपुर नगर	परारा	2x5	09-03-18
163	कानपुर नगर (केस्को)	दर्शनपुरवा	2x10	20-12-17
164	कानपुर नगर (केस्को)	सीएसए	1x10	12-01-18
165	कानपुर नगर (केस्को)	परमपुरवा	1x10	30-12-17
166	केस्को	केसा कालोनी	1x10	23-04-18
	योग संख्या	**25**	**180**	
झांसी मण्डल				
167	जालौन	परोसा	1x5	16-10-17
168	जालौन	रेढर	2x5	25-12-17
169	जालौन	उदोतपुरा	1x5	22-02-18
170	जालौन	हदरूख	1x5	30-12-17
171	जालौन	ईटों	2x5	23-03-18
172	जालौन	पिंढ़ारी	1x5	11-05-18
173	जालौन	रेढर	2x5	02-04-18
174	झांसी	करगवां	2x5	05-12-17
175	झांसी	सकरार	1x5	28-12-17
176	झांसी	बघेरा	1x5	18-02-18
	योग संख्या	**10**	**70**	
चित्रकूट मण्डल (बांदा)				
177	महोबा	पहारा (कबरई)	1x5	30-06-17
178	महोबा	भरदास	1x5	25-12-17

1	2	3	4	5
179	महोबा	रेवई	1x5	12-04-18
180	हमीरपुर	छानी	1x5	26-07-17
181	हमीरपुर	मिश्रीपुर	2x5	05-10-17
182	हमीरपुर	सरिता	2x5	15-11-17
183	हमीरपुर	इस्लामपुर जल्ला	1x5	22-06-17
184	हमीरपुर	पारारायपुरा	2x5	30-11-17
185	हमीरपुर	रिहुटा	1x5	25-04-18
186	चित्रकूट	छौबो	1x5	30-03-18
187	चित्रकूट	लुढ़वारा	1x5	20-10-17
188	बांदा	बीरा	2x5	31-01-18
189	बांदा	मरका	1x5	20-12-17
	योग संख्या	**13**	**85**	
बरेली मण्डल				
190	शाहजहाँपुर	बैका घाट हथौड़ा	2x5	19-07-17
191	शाहजहाँपुर	कटरा	1x5	30-11-17
192	शाहजहाँपुर	कांठ	1x5	30-04-18
193	बरेली	नानकपुरी	1x5	31-10-17
194	बरेली	दुर्गानगर	1x5	15-10-17
195	बरेली	बिसारतगंज	1x5	31-01-18
196	बरेली	ढाका घनश्याम	1x5	08-01-18
197	बरेली	शाही	1x5	31-03-18
198	बदायूँ	सैदपुर	2x5	31-12-17
199	पीलीभीत	हरिपुर	1x5	21-05-18
	योग संख्या	**10**	**60**	
लखनऊ मण्डल (लेसा सहित)				
200	हरदोई	बावन रोड	1x5	30-05-17
201	हरदोई	कछौना पटरोई	1x5	25-01-18
202	हरदोई	छिबरामऊ	1x5	28-02-18
203	सीतापुर	रामकोठ	1x5	30-10-17
204	सीतापुर	देवरिया	1x5	30-06-17
205	सीतापुर	बरबर	1x5	11-12-17
206	सीतापुर	झरेखापुर	1x5	30-11-17
207	सीतापुर	सूरजकुण्ड (कन्डुनी)	1x5	30-11-17
208	सीतापुर	गोण्डलामऊ	1x5	28-12-17

1	2	3	4	5
209	सीतापुर	हरगवां	1x5	29-01-18
210	सीतापुर	गौदलामऊ	1x5	04-04-18
211	रायबरेली	इटौरा बुजुर्ग	1x5	30-10-17
212	रायबरेली	पुरई	2x5	30-10-17
213	रायबरेली	रेहवा	2x5	30-10-17
214	रायबरेली	करड़िया	2x5	30-11-17
215	रायबरेली	रसूलपुर	1x5	31-01-18
216	रायबरेली	जमुनापुर	2x5	20-01-18
217	रायबरेली	भूयेमऊ	1x5	31-01-18
218	रायबरेली	कलुआखेड़ा	1x5	31-01-18
219	उन्नाव	सोहरामऊ	1x5	30-10-17
220	उन्नाव	कालूखेड़ा ब्लाक असौहा	1x5	10-06-17
221	उन्नाव	काशीराम	2x5	30-11-17
222	उन्नाव	गौरावा	1x5	30-11-17
223	उन्नाव	गोहान	1x5	31-12-17
224	उन्नाव	भगवन्तनगर	1x5	28-02-18
225	लखनऊ	साउथ सिटी (हरिहरपुर)	2x5	25-11-17
226	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर टाउन	1x10	30-10-17
227	लखीमपुर खीरी	रामपुर न्यू	1x5	31-03-18
228	लेसा	आईटीआई	2x5	31-03-17
229	लेसा	निगोहा	2x5	31-03-17
230	लेसा	खुर्रमपुर बरकताबाद	2x5	31-03-17
231	लखीमपुर खीरी	खीरी	1x5	31-03-18
232	लखीमपुर	गोकन	1x5	21-04-18
	योग संख्या	**33**	**215**	
फैजाबाद मण्डल				
233	बाराबंकी	पलहरी	1x5	17-04-17
234	बाराबंकी	ओबरी	1x5	15-05-17
235	बाराबंकी	त्रिलोकपुर रामनगर	1x5	31-03-18
236	बाराबंकी	सतरिख	1x5	29-11-17
237	बाराबंकी	बंकी	1x5	31-01-18
238	बाराबंकी	सिद्धौर	1x5	28-02-18
239	बाराबंकी	फतेहपुर	1x5	30-04-18
240	बाराबंकी	बड्डूपुर	1x5	19-05-18

1	2	3	4	5
241	बाराबंकी	त्रिलोकपुर	1x5	30-04-18
242	फैजाबाद	तुलरामपुर	1x5	30-11-17
243	फैजाबाद	नाका दुर्गापुरी	1x5	30-11-17
244	फैजाबाद	गोसाईगंज	1x5	31-01-18
245	अयोध्या	बी0पी0 मवई	1x5	15-04-18
246	सुल्तानपुर	भदैया	5-10	19-11-17
247	सुल्तानपुर	लभुआ	1x5	24-08-17
248	सुल्तानपुर	कादीपुर	1x5	19-01-18
249	सुल्तानपुर	सिरवा रोड	2x5	31-12-17
250	सुल्तानपुर	दोस्तपुर	1x5	07-02-18
251	सुल्तानपुर	अरारोगा	5+5	20-02-18
252	सुल्तानपुर	इसौली	1x5	31-03-18
253	अम्बेडकरनगर	जगुनियापुर	1x5	30-12-17
254	अम्बेडकरनगर	यादव नगर	2x5	30-04-17
255	अम्बेडकरनगर	बलिया जगदीशपुर	1x5	28-02-18
256	अम्बेडकरनगर	करबाला	1x5	31-03-18
257	अम्बेडकरनगर	इल्तिफातगंज	1x5	30-03-18
	योग संख्या	**25**	**150**	
देवीपाटन मण्डल				
258	गोण्डा	चांद बातपुर घाट	1x5	31-12-17
259	गोण्डा	लखनऊ रोड गोण्डा टाउन	1x5	15-04-17
260	बहराइच	न्यू शिवपुर (भाकलां)	1x5	28-02-18
	योग संख्या	**3**	**15**	
गोरखपुर मण्डल				
261	देवरिया	मझौलीराज	1x5	06-06-17
262	देवरिया	तेलियाकला	1x5	12-06-17
263	देवरिया	बरहज	1x5	18-07-17
264	देवरिया	खैराबनुआं	1x5	30-11-17
265	कुशीनगर	सेवरही	2x5	27-02-18
266	कुशीनगर	खड्डा	1x5	29-04-18
267	गोरखपुर	राप्तीनगर	2x5	30-01-18
268	गोरखपुर	मुदर बाजार	2x5	28-02-18
269	गोरखपुर	नैया पार	1x5	31-01-18
270	गोरखपुर	हापुड़ अनन्तपुर	1x5	मार्च, 18

1	2	3	4	5
271	गोरखपुर	मुण्डेरा बाजार	2x5	30-04-18
	योग संख्या	**11**	**70**	
बस्ती मण्डल				
272	सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ	1x5	30-07-17
273	सिद्धार्थनगर	बेलवा	1x5	30-04-18
274	बस्ती	रूदौली	1x5	11-10-17
275	बस्ती	भानपुर	1x5	23-02-18
276	बस्ती	बस्ती पालीटेक्निक	1x5	27-05-18
	योग संख्या	**5**	**25**	
आजमगढ़ मण्डल				
277	मऊ	सरसेना (हिरनपुर)	1x5	29-09-17
278	मऊ	घोसी	1x5	15-09-17
279	मऊ	दोहरीघाट	1x5	27-02-18
280	बलिया	बांसडीह	1x5	31-12-17
281	आजमगढ़	सगडी	1x5	06-11-17
282	आजमगढ़	राहदेवगंज	1x5	02-11-17
283	आजमगढ़	बरईपुर	1x5	30-11-17
284	आजमगढ़	आजमगढ नगर प्रथम	1x5	28-02-18
285	आजमगढ़	मुबारकपुर	1x5	मार्च 18
	योग संख्या	**9**	**45**	
मिर्जापुर मण्डल				
286	मिर्जापुर	सक्तेशगढ	1x5	16-01-18
287	मिर्जापुर	चुनार	2x5	26-02-18
288	मिर्जापुर	महामलपुर	1x5	मार्च 18
289	मिर्जापुर	लहंगपुर	1x5	13-04-18
290	सोनभद्र	कुण्डाडीह	1x5	10-02-18
291	सोनभद्र	ऊँचडीह	1x5	24-02-18
	योग संख्या	**6**	**35**	
वाराणसी मण्डल				
292	चन्दौली	रंगोली	1x5	10-11-17
293	चन्दौली	मुगलसराय	2x5	30-03-18
294	चन्दौली	बनौली	1x5	मार्च 18
295	जौनपुर	लेढुका	1x5	07-11-17
296	जौनपुर	खेतासराय	1x5	23-01-18

1	2	3	4	5
297	जौनपुर	पट्टी नरेन्द्रपुर	1x5	21-12-17
298	जौनपुर	जफराबाद	1x5	30-01-18
299	जौनपुर	अलीगंज (कुल्हना मऊ) मुस्तफाबाद	1x5	13-04-17
300	जौनपुर	उतराई	1x5	26-04-18
301	जौनपुर	कराली केराकत	1x5	12-04-18
302	गाजीपुर	बहादुरगंज	1x5	28-01-18
303	गाजीपुर	देवलपुर	1x5	07-03-18
304	वाराणसी	रज्जीपुर	1x5	29-12-17
305	वाराणसी	गरथौली	1x5	21-09-17
306	वाराणसी	कज्जाकपुरा	2x10	30-03-18
307	वाराणसी	बीक	2x10	30-03-18
308	वाराणसी	बेतावर	1x5	19-02-18
309	वाराणसी	करधना	1x5	मार्च, 18
	योग संख्या	**18**	**125**	
इलाहाबाद मण्डल				
310	कौशाम्बी	देवखरपुर	1x5	25-10-17
311	इलाहाबाद	गैराना	1x5	30-11-17
312	इलाहाबाद	मउआइमा टाउन	2x5	02-06-17
313	इलाहाबाद	हथिमन	1x5	24-09-17
314	इलाहाबाद	फूलपुर	1x5	30-03-18
315	इलाहाबाद	सिरसा 02	2x5	30-03-18
316	इलाहाबाद	एनआईसी 2 नैनी	2x5	30-03-18
317	इलाहाबाद	फाफामऊ	2x5	28-01-18
318	इलाहाबाद	कसारी मसारी	2x5	27-02-18
319	इलाहाबाद	सुलेम सराय	2x5	27-03-18
320	इलाहाबाद	पीएसी हरथारा (बगरौली)	2x5	31-03-18
321	प्रयागराज	पावर हाउस	2x5	28-04-18
322	फतेहपुर	महियामंदिर	1x5	30-05-17
323	फतेहपुर	दतौली	1x5	25-08-17
324	फतेहपुर	बूड़ियानी	1x5	16-09-17
325	प्रतापगढ़	चौसा	1x5	15-05-17
326	कौशाम्बी	अजुहां	1x5	30-04-18
	योग संख्या	**17**	**125**	
	कुल संख्या	**326**	**2620**	

उ0प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2019 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री सुखदेव राजभर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-06 की अनुपूरक सामग्री

मार्च, 2017 से 23 मई, 2018 तक ऊर्जीकृत 220 एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्रों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एम0वी0ए0)	ऊर्जीकरण तिथि
400 के0 वी0 उपकेन्द्र				
1	मथुरा	मांठ	2x315	19-04-2017
2	बांदा	बांदा	2x315	12-05-2017
3	बिजनौर	नेहटौर	2x200	09-06-2017
4	आगरा	आगरा साउथ	3x200	10-07-2017
5	गाजियाबाद	अटौर	2x500+3x60	28-09-2017
6	गाजियाबाद	इन्दिरापुरम	2x500+3x60	10-10-2017
7	गाजियाबाद	डासना	2x315+2x100	28-11-2017
		योग	**5450**	
220 के0 वी0 उपकेन्द्र				
1	कानपुर देहात	रनिया	2x100+2x40	07-03-2017
2	सम्भल	चन्दौसी	2x160+2x40	31-03-2017
3	मथुरा	छाता	2x160	22-04-2017
4	अमरोहा	अमरोहा	2x160+2x40	27-06-2017
5	हापुड़	हापुड़	2x160+3x60	10-07-2017
6	पीलीभीत	पीलीभीत	2x100	18-11-2017
7	आजमगढ़	आजमगढ़-द्वितीय	2x160+2x40	04-02-2018
8	सिद्धार्थनगर	बांसी	2x100	22-03-2018
9	लखनऊ	सी0जी0 सिटी	3x60	22-03-2018
10	फर्रुखाबाद	नीबकरोरी	2x100	31-03-2018
11	सहारनपुर	सरसावां	160+2x40	03-04-2018
12	लखनऊ	कानपुर रोड	3x60	07-04-2018
13	बाराबंकी	बाराबंकी	2x160+2x40	14-04-2018
14	कानपुर देहात	साढ़	100+160+2x40	21-05-2018
		योग	**4240**	
132 के0 वी0 उपकेन्द्र				
1	मुरादाबाद	असमौली	2x40	01-03-2017
2	अलीगढ़	निधौलीकला	2x40	08-03-2017
3	सीतापुर	महमूदाबाद	2x20	24-03-2017
4	हमीरपुर	हमीरपुर	2x20	30-03-2017
5	रायबरेली	सलोन	2x40	31-03-2017

क्र0 सं0	जनपद	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एम0वी0ए0)	ऊर्जीकरण तिथि
6	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	2x40	31-03-2017
7	बुलन्दशहर	जहाँगीराबाद	2x40	31-03-2017
8	मेरठ	नवाना रोड, हस्तिनापुर	2x40	01-04-2017
9	गौतमबुद्धनगर	दनकौर	2x40	28-04-2017
10	शाहजहाँपुर	बन्डा	2x40	04-06-2017
11	अलीगढ़	गभाना	2x40	07-06-2017
12	गोण्डा	नवाबगंज	2x40	09-06-2017
13	आगरा	ग्वालियर रोड	2x40	17-06-2017
14	आगरा	बिचपुरी	2x40	19-06-2017
15	बहराइच	पयागपुर	2x40	21-06-2017
16	आजमगढ़	बिन्दवल जयराजपुर	40	23-06-2017
17	प्रयागराज	जरी	2x40	23-06-2017
18	रामपुर	लालपुर	2x40	06-07-2017
19	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	2x40	13-07-2017
20	मुजफ्फरनगर	भोपा	2x40	03-08-2017
21	बरेली	नवाबगंज	2x40	13-09-2017
22	बुलन्दशहर	भूड़-द्वितीय	2x40	10-11-2017
23	शामली	बन्नत	2x40	17-01-2018
24	सहारनपुर	अम्बाला रोड-द्वितीय	2x40	13-02-2018
25	आगरा	बरहन	2x63	16-03-2018
26	गोरखपुर	भटहट	2x40	17-03-2018
27	कन्नौज	तालग्राम	2x40	17-03-2018
28	बिजनौर	मोरना	2x40	18-03-2018
29	अमेठी	मुसाफिरखाना	2x40	22-03-2018
30	देवरिया	पूर्णाछापर	2x40	26-03-2018
31	बदायूँ	सहसवान	2x40	13-04-2018
32	प्रतापगढ़	रानीगंज	2x40	30-04-2018
33	सिद्धार्थनगर	इटवा	2x40	09-05-2018
34	सोनभद्र	पसही	2x40	18-05-2018
		योग	**2526**	

संलग्नक-1

नत्थी (ख)

(तारांकित प्रश्न संख्या-14 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 44 पर)

RATE SCHEDULE LMV-6:
SMALL AND MEDIUM POWER:

1. APPLICABILITY:

This schedule shall apply to all consumers of electrical energy having a contracted load less than 100 HP (75 kw) for industrial/processing or agro-industrial purposes, power loom (load of 5 kw and above) and to other power consumers, noat covered under any other rate schedule. Floriculture, Mushroom and Farming units with contracted load less than 100 BHP (75kw) shall also be covered under this rate schedule. This schedule shall also apply to pumping sets above 25 BHP.

(A) Consumers Getting supply other than Rural Schedule:

Contracted Load	Fixed Charge
Up to 4 kW	Rs. 245/kW/month
Above 4 kW to 9 kw	Rs. 255/kW/month
Above 9 kW	Rs. 275/kW/month

Consumption Range	Energy Charge
Up to 1000 kW/month	Rs. 7.00/kWh on entire consumption
Up to 2000 kW/month	Rs. 7.35/kWh on entire consumption
For above 2000 kWh/month	Rs. 7.60/kWh on entire consumption

(B) Consumers Getting supply other than Rural Schedule:

The consumer under this category shall be entitled to a rebate of 7.5% on 'RATE (Excluding the TOD rates as applicable to the hour of operation)' as given for 'Consumers getting supply other than Rural Schedule'. Further, no 'TOD RATE' shall be applicable for this category.

संलग्नक-2

RATE SCHEDULE HV-2:

LARGE AND HEAVY POWER:

1. APPLICABILITY:

This rate schedule shall apply to all consumers with contracted load of 75 kW (100 BHP) and above for industrial and/ or processing purposes as well as to arc/induction furnaces, rolling/re-rolling mills, mini-steel plants and Floriculture, Mushroom and Farming units and to any other HT consumer not covered under any other rate schedule.

Supply to induction and Arc furnaces shall be made available only after ensuring that the loads sanstioned are corresponding to the load requirment of tonnage of furnaces. The minimum load of one^ton furnace shall in no case be less than 400 Kva and all loads will be determined on this basis. No supply will be given on loads below this norm.

For all HV-2 consumers, conditions of supply, apart from the rates, as agreed between the Licensee and the consumer shall continue to prevail as long as they are in line with the existing Regulations &Acts.

(A) Urban Schedule:

	For supply up to 11kV	**For supply above 11KV and up to 66 kV**	**For supply above 66 kV and up to 132kV**	**For supply above 132kV**
BASE RATE				
Demand Charges	Rs. 250.00/ kVA/month	Rs. 240.00/ kVA/month	Rs. 220.00/ kVA/month	Rs. 220.00/ kVA/month
Energy Crarges	Rs. 6.65 KVAH	Rs. 6.35 KVAH	Rs. 6.15 KVAH	Rs. 5.95 KVAH

(B) Rural Schedule:

This schedule shall be applicable only to consumers getting supply up to 11kV as per 'Rural Schedule'. The consumer under this category shall be entitled to a rebate of 7.5% on 'BASE RATE' as given for 11kV consumers under urban schedule. Further, no 'TOD RATE' shall be applicable for this category.

संलग्नक

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-57 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2019 के 2 शुक्रवार के लिए श्री सुभाष पासी द्वारा पूछे गये विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-18 के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	ब्लाक	ग्राम का नाम	कुल स्थापित सोलर किट की सं0	लाभार्थी का नाम
1	सैदपुर, गाजीपुर	अलीमापुर	04	1. श्री सिकन्दर राम, पुत्र स्व0 श्री रामाराम। 2. श्री रामवली पुत्र श्री खतलराम 3. श्री सुदामा पुत्र स्व0 श्री निठूरी 4. श्रीमती सविता देवी, पत्नी श्री लाल जी।
2	सैदपुर, गाजीपुर	सोनियापार	02	1. श्रीमती प्रेमशिला पत्नी श्री संजय कुमार 2. श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री श्याम नारायण
3	सैदपुर, गाजीपुर	सैईचना	05	1. श्री बनारसी पुत्र श्री भागी 2. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री खरपत्तू 3. श्री अभिषेक सिंह चौहान पुत्र श्री रामायन चौहान 4. श्रीमती निर्मला पत्नी निर्मल 5. श्रीमती विमला पत्नी विनोद

पी0एस0यू0पी0-एल0 333 विधान सभा (333)-01-9-2021-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।